21 August, 1986

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 58
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 20, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 21 अगस्त, 1986/30 श्रावण, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	11—16
राज्य सभा से संदेश	16—17
राष्ट्रीय कर्मों सम्बन्धी समिति	17
प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
नियम 377 के अधीन मामले	17—22
(एक) केरल में चाय उद्योग को बचाने एवं कोचीन बाजार से चाय का निर्यात करने के उपाय करने की मांग	
प्रो० पी० जे० कुरियन	17—18
(दो) गुर्दों को दान किये जाने के बारे में आवश्यक कानूनी उपबंध करने की आवश्यकता	
श्रीमती किशोरी सिंह	18
(तीन) जिन फल-उत्पादकों की फसलें भारी ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं उन्हें राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	19

विषय पृष्ठ

(चार) देश में बैंककारी सेवाओं में सुधार करने की मांग

श्री अनूपचन्द शाह 19

(पांच) उड़ीसा में डामरजोड़ी में नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी 20

(छह) बिहार के मिथिला क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नमूने पर एक अस्पताल स्थापित करने की मांग

डा० गौरीशंकर राजहंस ... ... 20—21

(सात) श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) को अनधिसूचित करने के आदेश को आस्थगित करने की मांग

श्री अनिल बसु ... ...

(आठ) पूर्वोत्तर बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री सैयद शाहबुद्दीन 22

कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक ... ... 22—70

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... 22—25

श्री अमल दत्त ... ... 25—28

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ... ... 28—32

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा ... ... 32—35

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... ... 35—38

श्री राम सिंह यादव ... ... 38—41

विषय पृष्ठ

श्री बनवारी लाल पुरोहित ... ... 41—44

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 44—49

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि ... 49

श्री भोलानाथ सेन ... ... 49—52

श्री हरुभाई मेहता ... ... 52—54

श्री गिरधारी लाल व्यास ... ... 54—58

श्री जनार्दन पुजारी ... ... 58 – 62

खंड 2 से 42 तथा 1 ... ... 63—70

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी ... ... 65—70

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सम्बन्धी कार्रवाई कार्यक्रम के बारे में संकल्प ... 70—140

श्री पी० वी० नरसिंह राव 70

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... ... 73—80

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ... ... 80—84

श्री बिपिन पाल दास ... ... 85—90

डा० सुधीर राय ... ... 90—94

श्री भोला नाथ सेन ... ... 94—99

श्री सोमनाथ रथ ... ... 99—102

श्री पी० कुलनदईवेलु ... ... 102— 103

श्री शरद दिघे 108

श्री अजीज कुरेशी ... ... 114—118

श्रीमती कृष्णा साही ... ... 118—121

श्री एम० आर० सैकिया ... ... 121—123

श्री डी० पी० यादव ... ... 122—129

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी ... ... 129 – 132

श्रीमती गीता मुखर्जी ... ... 134—140

राज्य सभा से संदेश 141

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक 141

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सम्बन्धी कार्रवाई कार्यक्रम के बारे में संकल्प [-- जारी] ... ... 141—168

प्रो० नारायण चन्द पराशर ... ... 141—147

श्रीमती ऊषा चौधरी ... ... 147—149

श्री ए० ई० टी० बैरो ... ... 150—154

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... ... 154—156

श्री पी० वी० नरसिंह राव ... ... 162—167

गुरुवार, 21 अगस्त, 1986/30 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 1, नीचे से पंक्ति 4, "महोदय अध्यक्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 18, "11.17 म0पू0" के स्थान पर "11.19 म0पू0" पढ़िये।

पृष्ठ 17, पंक्ति 12, "11.18 म0प0" का लोप करिये।

पृष्ठ 134, पंक्ति 5 और नीचे से 6, "श्री पी0सी0सेठी" के स्थान पर "श्री प्रकाश चन्द्र सेठी" पढ़िये।

पृष्ठ 142, पंक्ति 1, "परशर" के स्थान पर "पराशर" पढ़िये।

लोक सभा

गुरुवार, 21 अगस्त, 1986/ 30 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, बहुत सारे विषय विचाराधीन लम्बित पड़े हैं। मैं नहीं जानता आपने उनके बारे में क्या किया है। नियम 115 के अन्तर्गत हम ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना आदि दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम यह कर रहे हैं। मैं समझता हूं मैंने आपको एक उत्तर भेजा है। यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे फिर कुछ लिख भेजें। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं न सिर्फ सन्तुष्ट नहीं हूं, मैं पूर्णतया असन्तुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ? आप मुझे पुन: लिख कर दें। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उदाहरण के लिए श्री साठे के विशेषाधिकार के मामले को ही लें यह स्पष्ट है, कि परिचालित किए गए दस्तावेजों के आधार पर दी टाइम्स आफ इण्डिया में कहा गया है कि (व्यवधान) उन्होंने इसकी निन्दा और आलोचना की है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

महोदय अध्यक्ष : आप मुझे दुबारा भेज दीजिए।

[अनुवाद]

यदि आप सन्तुष्ट नहीं होते है। तो मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी कार्यवाही के बारे में मैं एक स्पष्टीकरण

चाहता हूं। मैंने पहले बृहस्पतिवार के रिकार्ड को देखा है। मैंने कहा था कि जब अशोक मेहता ने चेकोस्लोवाकिया सम्बन्धी नीति की आलोचना की थी उसी शाम उन्होंने मन्त्रीमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उसमें क्या असंसदीय या मानहानिकारक है ? परन्तु उसे हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने वह बिना मेरी अनुमति के कहा होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जी नहीं भाग्यवश उसमें और सभी बातें हैं अर्थात जो कुछ मैंने और आपने कहा है। मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ था। उसके पहले के तथा उसके बाद के सभी वाक्य उसमें हैं। वे उसमें हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ उसको हटाता हूं जो बिना मेरे अनुमति के कहा गया है या जो असंसदीय है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी अनुमति के बिना कैसे एक भी शब्द तथा पैर उसमें हो सकता है ? महोदय यह कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके कक्ष में आऊंगा। अब सिर्फ एक दिन ही बचा है। मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से आपको रिकार्ड दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक श्री तिवारी का सम्बन्ध है उन्होंने अधिकृत पूंजी के बारे में गलत बयान दिया है तथा जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है वह बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे देख सकते हैं और मैं उनसे पूछूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सिर्फ एक दिन बचा है।

अध्यक्ष महोदय : हम फिर मिलेंगे। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं जानता इस अन्तराल में क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। कोई समस्या नहीं है। महोदय, आपका अवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने एक प्रमुख घटना के बारे में सूचना भेजी है, जो होने जा रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देखा है। मैंने भेजा है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह निर्णय मन्त्रीमण्डल द्वारा लिया जाने वाला है। मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के तूतीकोरन स्थित बिजली संयंत्र को एक निजी फर्म, बेस्ट एण्ड क्रांवटर के देने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के लिए कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि सरकारी क्षेत्र की योजनाओं को निजी संस्थाओं को दिया जाना है तो उन्हें यह कार्य सदन में घोषित कर तथा इस पर एक वक्तव्य देकर खुले रूप से करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं तथा चर्चा की मांग कर सकते हैं हम इसे स्वीकार करेंगे और इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार की घटना पहली बार घटी है। पूरा बिजली घर एक निजी संस्था को दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : समाचार पत्रों में यह छपा है कि सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर पर अनुच्छेद 249 लागू किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात होगी तो हम देखेंगे।

[हिन्दी]

अभी कुछ नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली अगर यह आता है तो यह सदन के समक्ष आएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह नियमानुकूल नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए कि क्या राज्यपाल के सिफारिश पर उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर अनुच्छेद 249 लागू किया है। वहां कोई मन्त्री परिषद नहीं है तथा विधान सभा स्थगित है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है कोई अनुमति नहीं है। कोई अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अगली बार हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह पूर्णतया अप्रासंगिक है और नियमों के बाहर है। हां, श्री पनिका।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मसले की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इधर एम० पी० सी० सी० और कई गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स को आटोनोमस बाडी कर दिया गया है, और इन अण्डरटेकिंग्स में जो वर्कर्स 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको भी निकालने के लिए कहा जाता है। मान्यवर मेरे क्षेत्र में प्रेज एण्ड रूफस में 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : संविधान के आर्टीकल 311 (सी) में है कि नौकरी से निकाला नहीं जाएगा ..

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसकी अनुमति नहीं है। यह नियमानुकूल नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : कल सत्र का अन्तिम दिन है। यह आपकी कृपा है कि आपने अपना निर्णय दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, आप लिख कर दें। तब देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, कल सत्र का अन्तिम दिन है और यह आपकी कृपा है कि आपने अपना निर्णय दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको मेरी सहायता करनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि जम्मू और काश्मीर पर धारा 249 से सम्बन्धित कोई विशेष कार्यवाही का समाचार पत्र छपा है, तो क्या सदन को सरकार से विधिवत यह जानने का हक नहीं है कि क्या किया गया है ? कृपया इस सदन के सम्बन्ध में पहले से ही ऐसा न मान लें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु हम इसके विपरीत आपसे अनुरोध करते हैं। हम आपको अनावश्यक रूप से कष्ट देना नहीं चाहते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में सदन को बताने के लिए आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए। सदन ही सर्वोच्च है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत सारी बातें हैं। कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बिनैश गोस्वामी (गौहाटी) : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विशेषक आ रहा है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। सदन के पास कोई कार्य नहीं है। यह नियमानुसार नहीं

है। यह अस्वीकृत किया जाता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कृपया गृह मन्त्री को यह बात सदन को बताने दें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कल सत्र का अन्तिम दिन है और राष्ट्रीय गान पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न होगी आपने पिछले दिन अपना निर्णय देने की कृपा की है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सदन की भावना संप्रेषित कर दी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : कल वह एक वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी यदि आप कल सदन में मौजूद होते तो ज्ञात होता कि मैंने सदन की सर्वसम्मत इच्छा को स्पष्ट किया था तथा इसे पूर्णतया विधि मन्त्री को बताया था। मैं समझता हूं। इस पर ध्यान दिया जाएगा

श्री० टी० बशीर (चिरयिकिल) : मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि एक स्कूल ने आरम्भ किया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पढ़ा है। मैं यह जानता हूं तथा मैंने यह सूचित किया है। अब कोई ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई बात नहीं है। अब इसमें कुछ भी कहने की बात नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। मैं इसे जानता हूं। यह उसमें आ जाता है।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्र प्रदेश की हाल की बाढ़ विभिधिका चर्चा के लिए सदन में आयी है। परन्तु कल के ध्यानाकर्षण के लिए आन्ध्र प्रदेश का एक भी सदस्य नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि नियम 193 के अन्तर्गत कृपया मुझे मौका दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अस्वीकृत किया जाता है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : आप कृपया इसे नियम 193 के अन्तर्गत स्वीकृति दें।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। आप मेरी स्थिति समझते हैं। यदि आप नहीं समझ सकते तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हम इसे कर सकें क्योंकि यह एक आवश्यक मामला था और हमने इसकी स्वीकृति दी है।

श्री बी० एन० रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश का कोई सदस्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। श्री चिन्ता मोहन हैं। श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : यह बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। मेरे पास समय है, इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने की बजाए आप अन्य बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। बैठ जाइए।

श्री बी० एन० रेड्डी : कम से कम नियम 377 के अन्तर्गत मुझे इसका उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कल विचार करेंगे। श्री गोस्वामी।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, संसद से सम्बन्धित मामलों के बारे में समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त करने की बजाए, यह आवश्यक है कि हमें सीधे सरकार से विवरण प्राप्त होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किस के बारे में ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें इसकी जानकारी नहीं है कि क्या विधेयक पेश किया जा रहा है, सत्रावधि बढ़ा दी गई है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे। जब यह पेश होता है, तो होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सत्रावधि क्यों बढ़ाई गई ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें यह जानने का हक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सत्रावधि केवल इसी प्रयोजन के लिए बढ़ाई गई।

अध्यक्ष महोदय : यदि विधेयक प्रस्तुत होता है, तो होता है। नहीं होता है, तो ठीक है। यह केवल उसी विधेयक के लिए क्यों होना चाहिए ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बात से दुःखी हैं कि सत्रावधि बढ़ाई गई है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। परन्तु सभा को यह बताया जाना चाहिए कि यह प्रस्तुत किया जा रहा है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप अधिक-अधिक समय तक बैठें।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने पूरा संविधान नहीं पढ़ा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम तो अधिक समय तक बैठना चाहते हैं, परन्तु वे अपना मत नहीं बना सकते। हमें कितनी देर तक बैठना है ? अनन्तकाल तक अथवा जब तक वे अपना मत बनाएं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह पेश होना है, तो अवश्य होगा। आप इसकी क्यों चिंता करते हैं ?

श्री विनेश गोस्वामी : मैंने नोटिस दिया है कि इसे अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। वह नियमानुसार नहीं है। ऐसे पेश करना ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं और वे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दे दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे एक समयबद्ध पदोन्नति कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दे सकते हैं। यह ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रो० तिवारी के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए श्री सिंधिया के विरुद्ध रखे गये मूल प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर प्राप्त कर रहा हूं। मैंने यह पहले ही कर दिया है। मैंने आपको कल बताया था। आपके इस बात को बार-बार दोहराने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें समय लगता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार को इतना समय क्यों लेना चाहिए ? यह बात तो आप मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं; मैंने अपना काम कर दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जा सकता और इससे अधिक जल्दी नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार उत्तर नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : भारतीय पटसन निगम उतना पटसन नहीं खरीद रहा है जितना कि इसे खरीदना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस मामले को कपड़ा मंत्री के साथ उठाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

श्री अमल दत्त : (डायमण्ड हार्बर) : क्या मैं जान सकता हू कि आपने किस नियम के अन्तर्गत इसे सरकार के पास भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य श्री बनातवाला को बोलने के लिए कहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : गुजरात, बड़ौदा तथा अन्य भागों में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर चर्चा करवा ली है और सरकार इस पर गौर करेगी। मैं इस पर अब दुबारा चर्चा नहीं करा सकता।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार को स्थिति के बारे में कम से कम वक्तव्य तो देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देने दीजिए उन्हें वक्तव्य। मैं उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अभी भी वहां छूरेबाजी, आगजनी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। सरकार को इस बारे में कम से कम एक वक्तव्य तो देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य दे दें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : सरकारी क्षेत्र में मझगांव गोदी और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारी···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपने श्री जयपाल रेड्डी के प्रस्ताव को किस नियम के अन्तर्गत सरकार को भेजा है ?

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, कल की लिस्ट आफ बिजनेस में आपने

नियम—193 के तहत आज चार बजे डिसकशन का समय दिया था लेकिन आज की लिस्ट आफ बिजनेस में यह नहीं लिखा कि यह डिसकशन कब होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि बिल पास होना है। उसके बाद करेंगे। पूरा करके छोड़ेंगे, घबराने की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : लिस्ट आफ बिसनेस जो बनती है, उससे मैम्बर्स को नुकसान होता है क्योंकि जिस बिल के लिए तैयारी करते हैं, वह बिल न आकर दूसरा बिल आ जाता है। यह गलत तरीका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 193 के तहत डिसकशन कब होगा।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह चिल्लाना अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमल जी आप तो बड़े योग्य आदमी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आहिस्ता से बोल रहा हूं और अब भी आप चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपकी बात सुन ली है तब भी आप चिल्ला रहे हैं।

श्री अमल दत्त : आपने कभी भी हमें कुछ कहने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए हमें चिल्लाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह नियमों के विरुद्ध कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं आपकी बात नहीं सुन सकता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ भी यही समस्या है।

श्री अमल दत्त : आप हमेशा हमें चुप कर देते हैं इसीलिए हमें संसद को बाजार की तरह बनाकर चिल्लाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते क्यों हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने कभी आपको रोका है ? नहीं । बिना नियमों के मैं कुछ नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : कृपया आप मेरी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : शांत हो जाइए और कृपया मुझे बताइए कि आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री अमल दत्त : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत आपने श्री सिंधिया के विरुद्ध श्री जयपाल रेड्डी के मूल प्रस्ताव को सरकार के पास भेज सकें ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए । आपकी बात अस्वीकृत की जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? कृपया बैठ जाइए । कृपया पहले आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

11.14 म०पू०

[अनुवाद]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984 का प्रतिवेदन— केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग-6—मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० सी० पंत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984 का प्रतिवेदन - केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)

[श्री० के० सी० पन्त]

भाग-6—मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—3100/86]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985 का प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग-1—प्रस्तावना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री के० के० तिवारी की ओर से संविधान के अनुच्छेद (151) (1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985 का प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग-1 प्रस्तावना, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3101/86]

केन्द्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा खरीदे गए फर्नीचर के बारे में दिनांक 14 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं केन्द्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा खरीदे गए फर्नीचर के बारे में श्री राजकुमार राय के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के 14 अगस्त, 1986 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

विवरण

लोक सभा में 14 अगस्त, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4188 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में "केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल के लिए आवर्ती और अनावर्ती खर्चे वहन नहीं करता" के स्थान पर "केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस प्रोजेक्ट सैक्टर स्कूल के लिए अनावर्ती खर्चे वहन नहीं करता" पढ़िए।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम से खरीदे गए पोतों के बारे में दिनांक 17 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 6893 के उत्तर में शुद्धि करने वाला

विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं (एक) अंदमान

और निकोबार द्वीपसमूह के लिए केन्द्रीय अन्तर्देशीय जलपरिवहन निगम से खरीदे गये पोतों के बारे में श्री मनोरंजन भक्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 6893 के 17 अप्रैल, 1986 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

भाग (घ) के संबंध में भूल से गलत सूचना दी गई थी। अत: उक्त प्रश्न का उत्तर कृपया निम्न प्रकार पढ़ा जाय :—

(घ) "ट्रांसफर की विस्तृत शर्तें तैयार की जा रही हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के नव निर्मित ड्राई डॉक के सी०आई०डब्ल्यू०टी०सी० को ट्रांसफर के बारे में माननीय सदस्य से एक आपत्ति प्राप्त हुई है।"

संसद के पिछले सत्र में संशोधन विवरण पेश नहीं किया जा सका क्योंकि सत्रावसान के बाद ही यह सूचना मिली जिसके लिए उत्तर को संशोधित करना पड़ा।

———

11.15 म०पू०

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। श्री अमल दत्त, आपके साथ समस्या यह है कि आप नियम नहीं पढ़ते। यदि आप मुझे यह बता पाएं कि मैंने कोई बात नियमों के विरुद्ध की है तो मैं सभा में माफी मांगूंगा नहीं तो, आपको माफी मांगनी होगी अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से मिल लें। मैंने आपको यही कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आप हर समय हास्यास्पद बातें क्यों करते रहते हैं?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : वे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या वे भी इसमें शामिल हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आप कृपा करके बैठ जाएं। फिजूल बातें करने से कोई फायदा नहीं।

[अनुवाद]

इसमें समय लगेगा। हर काम नियमानुसार चल रहा है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हमें किसी चीज का पता नहीं। आप कृपया नियम देखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम देखा है। मैं आपको उस नियम की प्रति तथा उससे सम्बद्ध सभी दलों के सर्वसम्मत निर्णय की प्रति भेजूंगा। ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप नियम 184 की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, नहीं। मैं नियम 353 की बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 184 के अन्तर्गत एक मूल प्रस्ताव दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप मुझे क्यों तंग करते हैं मैंने आपके मुताबिक सब बनाया हुआ है। जो आपने परफार्मा बनाया हुआ है वह भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : आप क्या कह रहे हैं ? ऐसे नियम नहीं हैं; वर्ना अब तक तो आपने मुझे नियम बता दिया होता।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि अमल दत्त जी यह नहीं जानते कि मेरे नियम को बदला नहीं जा सकता चाहे मैं गलती करता हूं तो भी। दूसरी बात यह है कि यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस नियम की···

(व्यवधान)

क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे ? मैं उन नियमों का पूरा सैट जिन्हें मैं उद्धृत कर रहा हूं तथा सभी दल के नेताओं का सर्वसम्मत निर्णय जो मेरी जेब में पड़ा है आपको भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप बैठ जाएंगे ? इतना काफी है।

श्री अमल दत्त : ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है जो नियमों से परे है।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही बात कह रहे हैं। आप आक्षेप लगा रहे हैं। मुझे आपकी ताड़ना करनी होगी आप इस बात का ध्यान रखिए। आप सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं और आपको नियमों का पालन करना चाहिए। आप हमेशा सीमाएं लांघ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतिपक्ष के सदस्य मुझे धमकी दे रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, आप बैठ जाइये वर्ना मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं बहुत सुन चुका हूं। अब, श्री कुरियन नियम 377 के अन्तर्गत बोलेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए कहा है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने नियम बताऊंगा। श्री अमल दत्त जी, हंसिये मत। आप व्यंग्यात्मक ढंग से मत मुस्कराइये। मैं आपको नियम दिखाऊंगा। मैं आपको नियम भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दी है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मि० जयपाल, आप मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बोलने का और समय नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको सभा से चले जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा से चले जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं इस मामले पर अपना विरोध व्यक्त करता हूं तथा मैं सभा से उठकर जा रहा हूं।

तत्पश्चात श्री अब्दुल रशीद काबुली सभा से उठकर बाहर चले गए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी सदस्य हैं। जब वे बोलते हैं, हम बीच में नहीं बोलते। जब आप हमें बोलने की अनुमति देते हैं उनमें हमारी बात सुनने का शिष्टाचार होना चाहिए··· (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किसी चीज की कोई न कोई हद होती है।

———

11.17 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में विनियोग विधेयक (संख्यांक (4), 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 अगस्त, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1986 को पारित किए गए शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.18 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

12वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय, सर्वेक्षण तथा खोज के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की इससे संबंधित बैठकों का कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

11.20 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) केरल में चाय उद्योग को बचाने एवं कोचीन बाजार से चाय का निर्यात करने के उपाय करने की मांग

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। केरल

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

में चाय उद्योग को मुख्यत: कम मूल्यों के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल में चाय की औसत कीमत 14 रुपये और 15 रुपये के बीच है जबकि उत्पादन लागत 19 रुपये और 20 रुपये के बीच बैठती है। इस प्रकार उद्योग को भारी हानि उठानी पड़ रही है। इसका अंतत: परिणाम यह होगा कि बागान मालिक बागान बन्द कर देंगे और हजारों कामगार उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो जाएंगे।

सी० टी० ब्रांड चाय के निर्यात पर नियन्त्रण लगाने के सरकार द्वारा पहले लिए गए निर्णय से वस्तुत: केरल की चाय के निर्यात को समाप्त ही कर दिया है जो कि असम चाय की तुलना में घटिया किस्म की है। यद्यपि बाद में प्रतिबन्ध हटा लिए गए थे, बहुत से चाय आयात करने वाले देशों ने कोचीन बाजार से आयात करना बन्द कर दिया।

ऐसी स्थिति में केरल में चाय उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक है। यदि कोचीन से प्रति सप्ताह औसतन एक लाख टन चाय का निर्यात की जाती है तो इस संकट पर काबू किया जा सकता है। इसे सम्भव बनाने के लिए उन आयात करने वाले देशों से, जिन्होंने कोचीन बाजार से आयात करना बन्द कर दिया है, करार किये जाने चाहिए।

चूंकि इस प्रश्न का केरल की अर्थव्यवस्था और राज्य के हजारों कामगारों और उनके परिवारों की जीविका पर महत्वपूर्ण संबंध है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं और केरल में चाय उद्योग को बचाएं

(दो) गुर्दों को दान किये जाने के बारे में आवश्यक कानूनी उपबन्ध करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : नियम 377 के अधीन, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

13 अगस्त, 1986 के स्टेट्समैन में रिपोर्ट दी गई कि गुर्दे दान करने वालों की अत्यधिक कमी है और अब समय आ गया है कि शव से गुर्दों के स्थानांतरण को बढ़ावा देने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्राय. प्रतिदिन समाचारपत्रों में गुर्दे दान करने के लिए जनता से विनम्र निवेदन के विज्ञापन मिलते हैं। ऐसे सैकड़ों अपीलों का कुछ नहीं होता है। देश में जहां अधिकांश लोग स्वस्थ नहीं हैं, दानकर्ताओं को अपने गुर्दे देने और शल्य चिकित्सा कराने से हिचकिचाना अस्वाभाविक नहीं है। इससे अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे दलाल लोग पैसे देकर गुर्दों के दान की व्यवस्था करते हैं जबकि तथ्य यह है कि चिकित्सा नीति शास्त्र के अनुसार असम्बद्ध लोगों से गुर्दे का दान नहीं लिया जा सकता। यदि लोगों को मृत्यु के बाद अपने गुर्दे दान देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो गुर्दों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। मृतकों के रिश्तेदारों द्वारा डाक्टरों को मृतकों के गुर्दे निकालने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार को इस संबंध में आवश्यक कानूनी उपबन्ध करने चाहिए। इससे हजारों रोगियों के जीवन और मृत्यु के बीच का अन्तर समाप्त हो जाएगा।

(तीन) जिन फल उत्पादकों की फसलें भारी ओला वृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं उन्हें राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष शिमला जिला तथा सोलन, नाहन, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू के कई भागों में ओले गिरने से कई तहसीलों में फलों की फसल बिल्कुल खराब व बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह किसानों की क्षतिपूर्ति कर सके।

मैं यह भी मांग करता हूं कि इस समय भारी वर्षा होने के कारण हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सरकार द्वारा पुलों एवं सड़कों का निर्माण कराया गया था, वे सारी खराब हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नदी-नालों पर पुल बने हुए थे, वे सब बर्बाद हो गए हैं। इनको बनाने की भारत सरकार से मांग करता हूं। इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाये जो कि 30 करोड़ रुपये से कम न हो।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को निर्धन किसानों की जो हालत खराब हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपये एवं पुल-पुलियों एवं सड़कों के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जाये।

मुझे आशा है कि भारत सरकार इस पर तुरन्त ध्यान देगी।

[अनुवाद]

(चार) देश में बैंककारी सेवाओं में सुधार करने की मांग।

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान लोक हित के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर दिलाना चाहूंगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों और बैंक कर्मचारियों के कार्यकरण के बारे में हजारों शिकायतें मिलती हैं। उनके कार्यकरण में भारी गिरावट आ गई है। बैंक कर्मचारियों के रूखे व्यवहार और गरीब तथा निम्न मध्य वर्ग के लोगों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देने में उनके द्वारा किए जाने वाले कदाचारों के कारण ग्राहक परेशान होते हैं। बैंक कर्मचारी और निदेशक बैंककारी प्रणाली के सभी सिद्धान्तों और नियमों को ताक पर रखकर बड़े उद्योग घरानों को अग्रिम स्वीकृत कर रहे हैं और ऋण दे रहे हैं। वे श्रमिक संघ गतिविधियों के लिए भी ऋण दे रहे हैं। बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए बैंकिंग कानून में आवश्यक संशोधन करना बहुत आवश्यक हो गया है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

(पांच) उड़ीसा में डामरजोड़ी में नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : कोरापुट जिले में पहले केन्द्रीय सरकार और राज्य के अधीन अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया है जैसे केन्द्रीय सरकार की मिग फैक्टरी और राज्य सरकार की बालीमेला और मचकुंड जैसी जल विद्युत परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश आदिवासी और हरिजन हैं जिन्हें अपनी भू-सम्पत्ति खोनी पड़ी लेकिन उन्हें उचित ढंग से पुनर्वासित नहीं किया जा सका और इसके परिणामस्वरूप इनमें से अनेक कुछ समय तक बेरोजगार रहे और इधर-उधर मजदूरी करते रहे जिससे उनका जीवन-स्तर गरीबी की रेखा से नीचे आ गया और उनमें से कुछ समाज-विरोधी गतिविधियों में लग गए।

इस जिले में डामरजोड़ी में नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है और अनेक परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। सरकार प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को उपयुक्तता के अनुसार नौकरी देने और एक मकान देने के लिए सहमत हो गई है। इस क्षेत्र के आदिवासी और अन्य लोग अधिकांशत: अनपढ़ हैं और उन्हें केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में ही नौकरी दी जा सकती है। वे बहुत अच्छे किसान हैं और बड़े मेहनती लोग हैं। यदि उन्हें उपर्यक्त सुविधा के अलावा थोड़ी-सी जमीन भी दे दी जाये तो वे बहुत सुखी हो सकते हैं। भूमि राज्य का विषय है और माननीय इस्पात और खान मंत्री ने 1984 में इस प्रश्न का उत्तर देते समय पुनर्वास के लिए अधिक राशि देने के लिए सहमति दी थी। बशर्ते कि भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।

चूंकि पुनर्वास संबंधी कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है, मेरा माननीय इस्पात और खान मंत्री से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र अधिक धन-राशि की व्यवस्था करें।

(छः) बिहार में मिथिला क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नमूने पर एक अस्पताल स्थापित करने की मांग

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह गम्भीर आलोचना का विषय बनी हुई है। लेकिन प्रत्येक ने यह स्वीकार किया है कि 50 से 70 प्रतिशत तक लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में आते हैं क्योंकि उनके राज्यों में चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। यदि इन राज्यों में उनके महत्वपूर्ण अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो दिल्ली के अस्पतालों में भीड़भाड़ की समस्या नहीं रहेगी। रोगी और उनके निकट संबंधियों और मित्रों को जो दिल्ली आते हैं अनेक तकलीफें उठानी पड़ती हैं। उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता है।

इस संबंध में एक जिसकी अनदेखी की गई है कि प्रतिदिन अनेकों रोगी नेपाल से अखिल भार-

तीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में बेहतर इलाज की आशा में आते हैं। उन्हें भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है यदि भारत-नेपाल सीमा पर मिथिला क्षेत्र में कहीं भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का एक अस्पताल खोला जाता है तो इससे भारत और नेपाल के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के अलावा नेपाल से भी अनेक रोगियों का इस अस्पताल में इलाज किया जा सकेगा जिसमें सभी आधुनिक उपकरण और सुविधाएं होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ऐसे अस्पताल की सहायता कर सकती हैं। इसलिए, भारत सरकार से अनुरोध है कि वह नेपाल सरकार के सहयोग से मिथिला क्षेत्र में एक ऐसा अस्पताल खोलने की व्यवस्था करे।

(सात) श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड हुगली (पश्चिम बंगाल) को अनधिसूचित करने के आदेश को आस्थगित करने की मांग

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, जिसमें 1300 से अधिक मजदूर काम करते है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1978 में इसका प्रबन्ध ग्रहण किया था और आई० आर०बी०आई० (उस समय आई०आर०सी० आई०) इस मिल के नियन्त्रक थे। इस मिल का राष्ट्रीयकरण होने तक केन्द्र सरकार समय-समय पर प्रबन्ध ग्रहण की अवधि बढ़ाती रही है और वर्तमान प्रबन्ध ग्रहण अवधि 12 जुलाई, 1986 को समाप्त हो गई थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री, संसद सदस्यों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने हमेशा यह आश्वासन दिया कि भविष्य में इस यूनिट पर नियन्त्रण के बारे में भारत सरकार विचार कर रही है जिससे यह आभास हुआ कि इस यूनिट का राष्ट्रीयकरण होने वाला है।

इस मिल के मजदूरों ने इसे सक्षम बनाने हेतु सदैव पूरा सहयोग दिया है। और 17-3-1982 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार उन्होंने कार्य भार और आधुनिकीकरण की योजना को स्वीकार किया था। अचानक ही इस यूनिट — श्री दुर्गा काटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० को अनधिसूचित कर दिया गया और 1300 मजदूरों नौकरी से निकाल दिया गया।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि (एक) अनधिसूचना आदेश को स्थगित कर दिया जाए और प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को अभी बढ़ाया जाए (दो) वित्त मंत्रालय और वस्त्र उद्योग मंत्रालय द्वारा इस मिल को सक्षम बनाने हेतु इसका राष्ट्रीयकरण करने का आधार तैयार करने के लिए अध्ययन किया जाए, जिससे इस उद्योग और इसके मजदूरों की रक्षा होगी।

(आठ) पूर्वोत्तर बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से देश में विश्वविद्यालय शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। आज हमारे देश में लगभग 150 विश्वविद्यालय हैं अर्थात प्रत्येक 5 करोड़ लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय है। तथापि, विश्वविद्यालय शिक्षा सुविधा सम्पूर्ण देश में समान नहीं है और सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती।

पूर्वोत्तर बिहार उन क्षेत्रों में से एक है जो उच्च शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। 1950 से लेकर अब तक बिहार में आठ और विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आज इस समय राज्य में रांची और भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय और दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पटना, गया, रांची, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालय हैं। फिरभी पूर्वोत्तर बिहार, जिनमें पूर्णिया कटिहार, सरहसा और मधेपुरा जिला आते है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ रुपये हैं, में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इस समय यह क्षेत्र दरभंगा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। दरभंगा विश्वविद्यालय में सीमित स्थान होने के कारण सभी विद्यार्थियों को आसानी से प्रवेश नहीं मिल पाता और न ही दरभंगा विश्यविद्यालय बहुत निकट है। इस क्षेत्र के किसी भी संस्थान में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है न ही किसी संस्थान में विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हैं।

बिहार सरकार ने सिद्धांत रूप से इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोले जाने की बहुत समय से की जा रही मांग को अब स्वीकार कर लिया है।

परन्तु संसाधनों की कमी के कारण इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से बिहार को इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें।

11.33 म० पू०

कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्धन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले तथा किसी सरकारी कम्पनी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय-कर और अतिकर से छूट के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

संक्षेप में इस विधेयक के उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

(I) दीर्घ अवधि वित्तीय नीति से कानून की उन कमियों को दूर करने की सरकार के आशय का पता चलता है जो कर-अपवंचकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही अथवा उन्हें दिए जाने वाले दण्ड में बाधक हैं, तदनुसार प्रत्यक्ष कर विधि के अन्तर्गत जुर्माने अथवा मुकदमे से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि जुर्माना लगाने अथवा किसी कर-अपवंचक पर मुकदमा चलाने से पूर्व एक बार कर अपवंचक सिद्ध हो जाने के बाद आय कर विभाग द्वारा कर अपवंचन की नीयत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, चूक सम्बन्धी ऐसे मामलों में जिनमें जुर्माना लगाया जा सकता है, करदाता को यह सिद्ध करना होता है कि चूक के लिए उचित कारण था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा कर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे आर्थिक अपराधों का निपटान करने वाले अन्य अधिनियमों में पहले से ही यह उपबन्ध है मैं अब यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आय कर विभाग को यह सिद्ध करना होगा कि अपराध किया गया है।

(2) 5 मई, 1986 को इस सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में, वित्त मन्त्री ने घोषणा की थी कि निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 10क, 80 ज० ज०ख० और 80 न०ज०ज० में संशोधन किया जाएगा। आय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा पहले ही धारा 80 ज०ज०ख० में संशोधन कर दिया गया है। अब आय-कर अधिनियम की धारा 80 ज० ज० ख० में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि निर्यातकों को दी जाने वाली छूट बढ़ाकर वास्तविक विदेशी मुद्रा का 4% और निर्यात के शेष लाभ का 50% की जा सके। आय-कर अधिनियम की धारा 10क में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे मुक्त व्यापार क्षेत्रों में किसी औद्योगिक उपक्रम से लाभ प्राप्त करने वाला कर दाता औद्योगिक उपक्रम में निर्माण कार्य शुरू होने अथवा उत्पादन प्रारंभ होने के वर्ष से लेकर अपनी पसन्द के आठ वर्षों के भीतर किन्हीं पांच मूल्यांकन वर्षों में छूट प्राप्त कर सके।

(3) इस वर्ष दिए गए बजट-भाषण के पैरा 96 में मूल्य-ह्रास के सम्बन्ध में कर-ढांचे को युक्ति-संगत बनाने के लिए विशिष्ट आस्तियों के स्थान पर आस्तियों के समूह पर मूल्य-ह्रास सम्बन्धी योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, आय-कर अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अनुवर्ती उपाय के रूप में टरमिनल छूट भी समाप्त कर दी जाएगी, इसी प्रकार, अन्य

[श्री जनार्दन पुजारी]

प्रकार के मूल्य-ह्रास जैसे अतिरिक्त पारी भत्ता, प्रारम्भिक मूल्य-ह्रास इत्यादि भी समाप्त कर दिए जाएंगे। नई योजना को ठीक ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, कतिपय अल्पकालिक उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव किया गया है। मूल्य-ह्रास की नई दरें 2.4.87 से लागू की जाएंगी अर्थात मूल्यांकन वर्ष 1988-89 से लागू की जाएंगी।

(4) आय-कर अधिनियम की धारा 139 में यह उपबन्ध है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट सीमा से अधिक है, आय की विवरणी देगा। ऐसे अनेक व्यक्ति जिनकी आय-कर योग्य नहीं होती, वह भी आय की विवरणी भेज देते हैं। ऐसा कभी-कभी कर अपवंचन के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों की संख्या कम करने और इसके साथ ही कर-अपवंचन विरोधी उपाय के रूप में, अब कानून में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि कर योग्य सीमा से नीचे आय वाली विवरणियों पर आय-कर विभाग को कार्यवाही न करनी पड़े। यह भी प्रस्ताव किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो घाटे को आगे ले जाने का लाभ प्राप्त करना चाहता हो, उसे सम्बद्ध वर्ष में 31 जुलाई तक घाटे की विवरणियां भेजनी होंगी।

(5) आय-कर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार तलाशी के समय यदि किसी कर-दाता के पास ऐसी आस्तियां मिलती हैं जो उसके बही-खाते में दर्ज नहीं हैं तो उस पर उन्हें छिपाने के आरोप में जुर्माना लगाया जा सकता है। चाहे, वह तलाशी के बाद भेजी गई विवरणी में उन आस्तियों को अपनी आय के रूप में भले ही दिखाए और इस बारे में कोई सबूत गढ़ने का उनका कोई इरादा न हो। अब कानून में ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है कि यदि कर-दाता तलाशी के दौरान यह बयान दे देता है कि उसके परिवार में पाई गई आस्तियां अथवा उसके नियन्त्रण में पाई गई आस्तियां उसके द्वारा छिपाई गई आय से खरीदी गई थीं और वह उन पर कर देने के लिए तैयार है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(6) समझौता आयोग के कार्य भार में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि आयोग में उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं जितने केन्द्रीय सरकार उचित समझे। इससे निपटने के लिए एकत्र मामलों का शीघ्र निपटान होगा और भुगतान के मामलों में करों की शीघ्र वसूली होगी।

(7) आय-कर अधिनियम की धारा 10 (7) में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा संसद सदस्य अथवा संसद की किसी अन्य समिति के सदस्यों को प्राप्त दैनिक भत्ते के अलावा 1250 रुपये प्रति माह से अधिक भत्तों पर और विधान सभा सदस्यों अथवा उसकी किसी अन्य समिति के सदस्यों के मामले में 600 रुपये से अनधिक भत्तों पर आय-कर से छूट दे सके।

(8) आय-कर अधिनियम की धारा 80 ज०ज० में आय-कर अधिनियम की अष्टम अनुसूची में नर्ज पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए औद्योगिक उपक्रम या होटल को होने वाले लाभ के

20 प्रतिशत के बराबर छूट की व्यवस्था है। यह व्यवस्था होटल या औद्योगिक उपक्रम द्वारा कार्य शुरू करने या निर्माण शुरू करने के बाद 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगी।

इस विधेयक के द्वारा केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है कि वह अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को कर नहीं लगाए जाने के उद्देश्य से पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसको अनुवर्ती उपाय के रूप में आय-कर अधिनियम की आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा।

इस विधेयक के द्वारा आय-कर आयुक्त को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनके तहत वह कुछेक शर्तों के अध्यधीन करों के देर से भुगतान करने अथवा भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में ब्याज को कम कर सकता है अथवा उसे समाप्त कर सकता है।

अन्त में इस विधेयक में शहरी आवास विकास निगम लिमिटेड को पांच वर्ष की सीमित अवधि अर्थात निर्धारण वर्ष 1990-91 तक, आय-कर से छूट देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इसे निर्धारण वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए अति-कर से भी छूट मिलेगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय-कर अधिनियम 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले तथा किसी सरकारी कम्पनी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय-कर और अति-कर से छूट के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री अमल दत्त।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह विधेयक कर दाताओं को कुछेक लाभ देने और कुछेक ऐसे उपबंधों को संगत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है जो जटिल थे। इस विधेयक में किसी स्थान पर अथवा वित्तीय साधन में अथवा हमें दिये जाने वाले अन्य किसी दस्तावेज में यह बताया जाना चाहिए था कि इसके अन्तर्गत रियायतें दिए जाने के कारण, विशेषतया मूल्यह्रास के रूप में, जो कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्थान पर ब्लाक आधार पर दिया जा रहा है, कितने राजस्व की हानि होगी। इसी प्रकार, करों में छूट प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपबन्धों को पहले से और उदार किया गया है। व्यापारियों को करों में कितना लाभ होगा और उसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की हानि होगी—यह हमें बताया जाना चाहिए था। अगर इस विधेयक में और हमें दिए गए अन्य पत्रों में यह नहीं बताया गया, तो कम से कम मंत्री महोदय को इस विधेयक के लिए सभा की स्वीकृति लेने से पूर्व, सभा को यह बताना चाहिए था। इसके बारे में जाने बिना ही इस विधेयक को कानून के रूप में पास करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में बड़े जोर-शोर से यह घोषणा की गई थी कि करों की दर में

[श्री अमल दत्त]

कमी करने और कुछेक अन्य छूट दिए जाने के कारण 1985-86 में प्रत्यक्ष कर वसूली में वृद्धि आई। इस प्रकार, इस सभा में यह आश्वासन दिया गया कि वृद्धि की यह दर बनाई रखे जाएगी। लेकिन, बजट पास होने के लगभग तीन अथवा चार महीने पश्चात और इस सभा द्वारा, वित्त विधेयक स्वीकार किए जाने के पश्चात, अब यह पता चला है प्रत्यक्ष कर वसूली में हुई इतनी अधिक वृद्धि, निगमित तेल क्षेत्र से थी और इसमें कमी आएगी। यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया—कि 400 करोड़ रुपये की यह वृद्धि निगमित तेल क्षेत्र से हुई थी। निजी कर में, 1985-86 में हुई ज्यादातर वृद्धि माफी प्रदान करने के कारण हुई। यह माफी न केवल 1985-86 के लिए दी गई अपितु पहले के वर्षों के लिए भी दी गई थी। वास्तव में अगर यह आंकड़े सही हैं तो 389 करोड़ रुपये की राशि—निजी कर में वृद्धि से जो कि पहले वर्ष के मुकाबले 43 प्रतिशत होती थी—माफी प्रदान करने संबंधी योजना के अन्तर्गत इकट्ठी की गई, न कि इसलिए कि कर की दर में कमी की गई थी। अतः अगर संसद को गुमराह नहीं करना है अथवा उससे जानकारी नहीं छिपानी है तो यह भेद करना होगा। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि इस वर्ष निजी कर वसूली में कितनी वृद्धि हुई है। जो कुछ प्रकाशित सामग्री उपलब्ध है उससे मुझे यह पता चला है कि निजी कर वसूली इस साल काफी कम रही। इसका कारण यह है कि माफी योजना का असर पिछले साल ही कम हो गया था। तेल निगमित क्षेत्र को छोड़कर, जिसमें पिछले वर्ष 18 प्रतिशत कर वसूली हुई, निजी और निगम क्षेत्र से कुल कर की वसूली माफी योजना के कारण हुई। अब यह जारी रहेगी और इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना नहीं होगी। यही वृद्धि की यह दर प्रत्यक्ष करों की थी। अतः यह कहा जाना कि करों की दर में कमी करने से ज्यादा पैसा आयेगा। और इससे जनता ज्यादा ईमानदार हो जाएगी, करों के भुगतान में कम आनाकानी करेगी, वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। यह बातें जनता को कुछ समय तक दिलासा दिलाने की है। वर्ष के अन्त में यह पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम रहा। इस सबके अलावा इस संशोधन से व्यापारियों को कुछ और रियायतें प्रदान की गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उद्देश्य संबंधी खंड में यह कहा गया है कि करों में छूट उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो निर्यात आदि के क्षेत्र में कारोबार शुरू कर रहे हैं। सरकार वास्तव में क्या करना चाहती है? उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कुछ कहा गया है उससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिससे कि यह रियायतें प्रदान की गई हैं। क्या व्यापारियों ने इस संबंध में कोई शिकायत की थी कि उन्हें जो 5 वर्ष की कर में छूट प्रदान की गई है, वह किसी वर्ष विशेष से नहीं दी गई अथवा वास्तव में किस प्रकार की शिकायत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अतः, हमारे जैसे आम व्यक्तियों, जिन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में सरकार क्या करना चाहती है। तथापि, मंत्री जी ने अभी जो कुछ कहा है वह काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने यह कहा है कि समझौता आयोग का कार्य भार काफी बंट गया है। समझौता आयोग के पास लोग कब जाते हैं? वहां वह तभी जाते हैं जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और प्राधिकरणों सभी स्थानों पर वह जा चुके होते हैं और संतुष्ट नहीं होते। वे कुछ और रियायतें चाहते हैं। इस स्थिति में वह समझौता आयोग के पास जाते हैं। समझौता आयोग को ऐसी ऐच्छिक शक्तियां प्राप्त हैं कि वह बिना कारण बताए कोई भी समझौता कर सकता है। मानलो किसी 'क' व्यापारी को 1 करोड़ रुपये का कर देना है और सभी उपलब्ध प्रक्रियाओं के द्वारा उसे कोई समाधान नहीं मिलता तो वह

समझौता आयोग के पास जाएगा और अगर समझौता आयोग 10 लाख रुपये देने का समझौता करता है तो कोई इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता।

अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि निर्धारण आयोग का कार्य भार बढ़ गया है। इसका अभिप्राय है कि ये सभी लोग समझौता आयोग के पास मामले के निपटारे एवं अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में मंत्री जी हमें यह बताएंगे कि समझौता आयोग द्वारा कितनी राशि माफ की गई। मेरे ख्याल में संसद को यह जानने का अधिकार है कि समझौता आयोग के कार्य भारका क्या परिणाम रहा और इससे सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई। करढांचा सुव्यवस्थित किए जाने में भी, उस खंड को लें जिसमें हम सबकी दिलचस्पी है। वह इस संशोधन का पहला खंड भी है। वह संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के संबंध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को दी जाने वाले कर मुक्त भत्ते की राशि में किस कारण से भेदभाव किया गया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। संसद सदस्य के मामले में 1250 रुपये कर मुक्त हैं और विधान सभा सदस्यों के मामले में केवल 600 रुपये कर मुक्त हैं। कृपया यह बताइए कि यह भेदभाव क्यों किया गया है।

एक माननीय सदस्य : हमें विधान सभा सदस्यों के मुकाबले ज्यादा मिलता है।

श्री अमल दत्त : कुछ विधान मंडल उन्हें ज्यादा राशि दिए जाने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। ऐसा होने पर उन्हें कर देना पड़ेगा।

अन्य बात यह है कि यहां समस्त लाभ नहीं हैं जो संसद सदस्य को प्राप्त है। उन्हें अन्य बहुत सी परिलब्धियां भी, संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, जिसमें पिछले वर्ष संशोधन किया गया था, के द्वारा प्रदान की जाती हैं। उनका क्या होता है, समझ नहीं आता··· (व्यवधान)

आपको यह अवसर प्राप्त हुआ था कि आप इस अधिनियम को कारगर बना पाते और संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को प्राप्त कर लाभों को एक साथ ला पाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप हमेशा इस अधिनियम को सुचारू बनाने की बात करते हैं परन्तु जब आपको इसका अवसर मिलता है आप इसे दूर फेंक देते हैं। उनके व्यवसाय के कारण कुछ और कर रियायतें भी उनको उपलब्ध होती हैं। आप उन सब रियायतों को एक साथ क्यों नहीं करते ?

कर से छूट के मामले में भी आप यह छूट अनेक वर्षों से, लगभग पांच वर्षों से दे रहे हैं। यदि एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपये का निवेश किया है और वह संशोधन के अनुसार पांच वर्ष तक कर से छूट का उपभोग करता है तो उसे 5 करोड़ रुपये की कर छूट मिलती है। इसकी भी सीमा होनी चाहिए। यह सीमा निवेश की धनराशि से अधिक नहीं चाहिए। एक करोड़ रुपये का निवेश करने वाले व्यक्ति को कर से इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वह उसके निवेश से कई गुना अधिक हो जाए। इसलिए यहां पर अधिकतम सीमा लगायी जानी चाहिए। इसमें यह नहीं किया गया है। इससे राजकोष को हानि होगी।

[श्री अमल दत्त]

अन्ततः इस विधेयक पर विचार करने के लिए इस सदन को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था सिर्फ एक दिन नहीं। यह अधिनियम हमें कल ही मिला। परन्तु इसे समझना हमारे लिए अत्यन्त कठिन है। हम विशेषज्ञ नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस विधेयक को एक मिनट में नहीं पढ़ सकते और जो आप कर रहे हैं उसे ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं उससे सरकारी राजस्व को भारी हानि होगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं यह संशोधन विधेयक सदन में लाने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, परन्तु इसके साथ ही मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा विस्तृत संशोधन विधेयक सत्र के अन्तिम समय में नहीं लाना चाहिए क्योंकि सदस्य प्रत्येक खंड का विस्तारपूर्वक अध्ययन नहीं कर सकते। यह एक विस्तृत विधेयक है, इसके अनेक भाग ऐसे हैं जिसका जांच विस्तारपूर्वक करना चाहिए कि इससे देश लाभान्वित होगा। या उद्योगपति या दुश्चरित्र व्यक्तियों को लाभ होगा। इन 5-6 दिनों में मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि सदस्य इसे कैसे पूरा कर पाएंगे क्योंकि उन्हें चर्चा में भाग लेना है। सत्र के अन्तिम समय में इसे रखना नौकरशाही के लिए अच्छा है परन्तु यह हमेशा अच्छा नहीं है। मैं इसे सत्र के अन्तिम समय में रखे जाने का कड़ा विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप नौकरशाही को क्यों दोषी ठहराते हैं? मंत्री महोदय को यह दोष दीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप उनके बचाव के लिए यहां हैं। धारा 10 में संशोधन के संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों पर कुछ अधिकतम सीमा क्यों लगाई है। भारत के नागरिकों के समक्ष आप यह छाप बिठाना चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं सिर्फ संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य ही ज्यादा धन कमाते रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। अच्छा होगा कि आप सभी भत्तों आदि को वापस ले लें। मैं बुरा नहीं मानता। महोदय, हमें आपसे संरक्षण की आवश्यकता है; यह मान लिया गया है कि संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मिलने वाले भत्ते में से अधिक कमाते होंगे और 1250 रुपये की अधिकतम सीमा यहां लगा दी गई है। जब मैंने इस पर विचार करने के बाद मैं समझता हूं कि यह विधायकों का अपमान है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप दुश्चरित्र हैं? मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में हम लोग सबसे कम पैसा पाने वाले विधायक हैं। मि० दत्त आप विधान सभा सदस्यों के बारे में बोल रहे हैं। मैं हिसाब कर रहा था और मैंने पाया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को संसद सदस्यों से ज्यादा धनराशि मिलती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पंजाब के विधायकों को भी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : इस प्रणाली को उदार बनाने उद्योग के लिए ज्यादा आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए तथा हर ऐसी चीज करने के लिए, मैं आपसे दुश्चरित्र लोगों के विरुद्ध लड़ने

के लिए अनुरोध करता हूं पर संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को इसमें न लायें। सारा संसार जान जाएगा कि हम लोग कुछ अधिक असाधारण पा रहे हैं और यही कारण है कि अधिकतम सीमा लगाई गई है तथा और दूसरे लोग ठीक हैं। यह ठीक नहीं है। आप एक अलग विधेयक लाएं। इस संकट के समय आप कहते हैं कि हम हर चीज समर्पित करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर आप इसमें संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को क्यों जोड़ते हैं ? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा। आप कृपया इसे स्पष्ट करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस विधेयक से इस उपबन्ध विशेष को वापस लेंगे। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैंने इसके लिए एक संशोधन पहले ही पेश किया है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : धारा 10 (क) में संशोधन के उपबंध के संबंध में मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। आप एक अच्छा उपबन्ध लेकर आए हैं। इससे उन उद्यमियों को जो औद्योगिक क्षेत्र में नए तरीके से शुरूआत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा।

इसे 5 साल से 8 साल के लिए बढ़ाकर आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। यदि आप कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा प्रावधान क्यों नहीं करते हैं जैसे कि लघु उद्यमियों को जो बेरोजगार है बैंक से पैसा लेते हैं और उद्योग शुरू करते हैं, उन पर तब तक कर नहीं लगाया जाना चाहिए अब तक कि वे उद्योग और कच्चा माल नहीं पा लेते और उनके उत्पाद बाजार में नहीं आ जाते हैं के आप कृपया उनके बैंक के ब्याज में छूट देने की व्यवस्था करें। उन पर कर तब तक न लगायें जब तक उनके उत्पाद बाजार में न आजाएं क्योंकि मैंने अनेक लघु उद्योग ऐसे देखे हैं जो लघु फिलिप्स और जी० ई०सी० से फिलामेंट तक लेते हैं।

परन्तु ये पूरा कच्चा माल उन्हें देते बल्कि वे उन्हें चार-पांच साल तक घसीटते हैं। आप उनके कर और दूसरी चीजों का हिसाब बहुराष्ट्रीयों के बराबर लगायें और वे लघु उद्यमी परेशान होते हैं। यह एक उचित प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध मे आपको अधिक उदार होना चाहिए।

11.57 म०पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यहां आपने कुछ ज्यादा प्रगतिशील उपाय किए हैं। मैं उसके प्रावधान के लिए कि पिछला घाटा हिसाब में न लिया जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वास्तव में समझता हूं कि यह आपकी ओर से एक गतिशील उपाय है और पिछले कुछ वर्षों में खासकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस मन्त्रालय ने इस देश में बहुत अच्छा काम किया है। हम देखते हैं कि आर्थिक अपराधी प्रतिदिन दण्डित किए जा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं।

आप हरएक को रियायतें दे रहे हैं। क्रिकेट, फुटबाल और धावक जैसे खिलाड़ी वास्तव में 35

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

साल के बाद अपने सक्रिय स्वरूप में नहीं रहते, ये 35 वर्ष की आयु तक ही धन अर्जित करते हैं। तब उन्हें पूरी जिन्दगी वह पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं एंथानी जैसे अनेक खिलाड़ियों को जानता हूं। वे खड़गपुर में सड़कों पर थोड़े से पैसों के लिए रो रहे हैं। श्री नारायण चौबे को इस बारे में जानकारी थी महान ओलम्पिक खिलाड़ी श्री महाबीर प्रसाद कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हें दवाई सुलभ नहीं है। वेंकटेश एक दूसरे महान ओलम्पिक खिलाड़ी हैं। आपके राज्य के ही हैं। वे पैसे के अभाव में मर गये। आप सभी खिलाड़ियों को 35 साल की उम्र तक कमाये गए धन पर आयकर छूट क्यों नहीं देते हैं? उन पर कर न लगाएं। यह एक या डेढ़ करोड़ रु० की बात है। इससे खिलाड़ियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यरत कलाकारों पर भी यही बात लागू हो सकती है परन्तु मैं उस हद तक नहीं जाना चाहूंगा।

अब मैं संगीतज्ञों की बात करता हूं। 40 वर्ष के भीमसेन जोशी, 50 वर्ष के भीमसेन जोशी और 70 वर्ष के भीमसेन जोशी सभी समान नहीं हैं। आप उन कलाकारों को राहत क्यों नहीं देते जो 50 या 50 साल का उम्र पार कर गये हैं। कृपया उन्हें सामान्य जिन्दगी जीने दे और उनके रायल्टी और आय पर अब कर न लगाएं। सरकार की ओर से इस तरह के प्रोत्साहन से देश के खिलाड़ियों तथा सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को एक नई प्रेरणा मिलेगी। कृपया इसके बारे में सोचें। यह एक मात्र छोटी राशि होगी। मैं कलकत्ता के एक कलाकार ज्ञान प्रकाश को जानता हूं जो इस उम्र में भी भारतीय गायन में एक गौरव हैं। वे दो समय का खाना भी नहीं जुटा सकते हैं।

12.00 मध्याह्न

ऐसी स्थिति है। वह बहुत वृद्ध हैं और फिर भी आप उनकी रायल्टी पर कर लगाते जा रहे हैं। वह किस प्रकार जिन्दा रह सकते हैं? ये बहुत छोटी बातें हैं। कृपया कलाकारों के लिए कुछ उपाय करिए।

फिल्म उद्योग में आप फिल्मी कलाकारों पर कर लगाते हैं अथवा उनके यहां छापा मारते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपका समर्थन करेंगे। परन्तु एक बात है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में चोरी से वीडियो फिल्म बनाने को प्रोत्साहित कर वित्त मन्त्रालय के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से फिल्म उद्योग को जान-बूझकर नष्ट किया जा रहा है। यह चोरी क्यों होने दी जा रही है? मन्त्रालय को इस आशय के अनेक अभ्यावेदन दिए गये कि चोरी से विडियो फिल्म बनाने को तुरन्त रोका जाना चाहिए। यहां आप एक छोटी सी बात कर सकते हैं। यदि आप एक ऐसी प्रणाली शुरू करें कि सभी विडियो कैसेटों और विडियो टेपों पर एक अथवा दो रुपए का उत्पादन शुल्क जैसा कोई शुल्क लगेगा, जैसाकि माचिसों पर लगता है, तो लोग इसे पसन्द करेंगे। माचिस की डिबिया पर एक टिकट लगा होता है और जब आप माचिस खोलते हैं तो आपको टिकट फाड़ना पड़ता है। उस टिकट से आपको राजस्व प्राप्त होता है। यदि आप प्रत्येक कैसेट और वीडियो टेप पर यह कर लगाते

हैं तो कोई भी वीडियो कैसेट अथवा टेप बिना कर के नहीं रहेगा। सरकार को 25 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी तथा उद्योग भी बच जाएगा। परन्तु आप सब को मनमानी करने की छूट दे रहे हैं। मुझे डर है कि इस प्रकार फिल्म उद्योग समाप्त हो जाएगा: अनेक फिल्मों में लोग काफी धन लगाते हैं। परन्तु फिल्म के पर्दे पर आने से पूर्व ही फिल्म चोर बाजार में वीडियो कैसेटों की भरमार कर देते हैं। कभी-कभी आपकी पुलिस और प्रवर्तन अधिकारी छापे मारते हैं परन्तु उनसे कुछ नहीं होता है। आप इस ढंग से क्यों नहीं सोचते कि उद्योग को बचाया जाए।

चोरी से बनाए गए वीडियो टेप के माध्यम से टैगोर के सर्वश्रेष्ठ गानों के कैसेटों की बंगलादेश को तस्करी की गई है तथा पाकिस्तान से नूरजहां तथा अन्यों के गानों के कैसेटों को तस्करी करके भारत पहुंचा दिया गया है। भारत में वीडियो चोरी अबाध रूप से चल रही है तथा देश में इस पर कहीं भी कोई रोक नहीं है। यदि यह कार्य बेरोकटोक चलता रहा तो एच०एम०वी० तथा अन्य कम्पनियां एक वर्ष के अन्दर बन्द हो जाएंगी अथवा उन्हें अपने कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी। यदि आप कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाजार में जाएं और किसी फिल्म विशेष का कैसेट मांगे तो फिल्म चोर आपको किसी स्थान पर ले जाकर उस फिल्म के दर्जनों कैसेट थमा देगा। मुझे नहीं पता कि वित्त मन्त्रालय क्यों सो रहा है। मुझे पता है कि वित्त मन्त्रालय को तीन महीने पहले एक अभ्यावेदन दिया गया था। वे चिल्ला रहे हैं कि आप उनसे पैसा लें जो व्यक्ति एक कैसेट 20 रुपए में खरीदता है वह 30 रुपए भी देने को तैयार है। आप उससे धन क्यों नहीं अर्जित करते और यह चोरी क्यों नहीं रोकते ? फिल्म चोर अब बहुत ताकतवर है। मैं पुनः यह आरोप लगा रहा हूं कि वित्त मंत्रालय में किसी स्तर पर कुछ अधिकारियों की उनसे बिल्कुल सांठ-गांठ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस वर्ष विश्व कप फुटबाल के मामले में, जब तक प्रधान मन्त्री के ध्यान में नहीं लाया गया तब तक विश्व कप कार्यक्रम के बारे में दूरदर्शन पर कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। क्या आपको पता है कि क्या हुआ ? कुछ अधिकारियों ने दूरदर्शन और ऐंटीना ग्रुप के लोगों से साठ-गांठ की कि वे मार्किट में बूस्टर भेजते रहें। बूस्टरों की बिक्री की जाए ताकि वे बंगलादेश और सिंगापुर पकड़ सकें। 15 दिनों के बाद हम यह बात प्रधान मंत्री के ध्यान में लाए। उन्होंने तुरन्त इस पर नियंत्रण किया और उसके बाद दूरदर्शन ने पूरे देश में सम्पूर्ण विश्व कप कार्यक्रम को दिखाया। कलकत्ता के बाजार में 1 5 करोड़ रुपये के बंगलादेश टेलीविजन बूस्टर बेचे गए। ऐसी बातें निचले स्तर पर की जाती हैं, जहां वित्त मंत्रालय को अधिक चौकस रहना चाहिए और बाजार में जाकर देखना चाहिए।

करदाताओं के लिए आपकी उदार योजनाएं तथा कर अपवंचकों के विरुद्ध कड़े कदम स्वागत योग्य हैं। मैं कहता हूं कि आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। परन्तु मैं पुनः यह अनुभव करता हूं कि चूंकि आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं इसलिए आपके मंत्रालय के कुछ व्यक्ति इतने ईर्ष्यालु हो गए हैं कि वे अपनी पुरानी आदतें नहीं बदल सकते तथा वे सरकार और मन्त्रालय को प्रत्येक स्तर पर गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इस पर विचार करने का भी अनुरोध करता हूं।

समझौता आयोग के बारे में—श्री अमल दत्त यहां नहीं हैं, मेरे विचार से वह बहुत खुश होंगे क्योंकि यह उन वकीलों को प्रोत्साहन देगा जो सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के सम्मुख पेश होंगे—मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कृपया सेवा निवृत्त न्यायाधीशों अथवा वित्त मन्त्रालय के भूतपूर्व

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

अधिकारियों में से किसी को नियुक्त न करें। कृपया ऐसा न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी मंशा पर आपत्ति करेंगे और आपकी नेकनीयत पर संदेह होगा। इसलिए मैं आपसे भारतीय राजस्व सेवा से आने वाले नए व्यक्तियों को नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं। आप नए, युवा व्यक्तियों को नियुक्त करें। परन्तु आप सदा ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते रहे हैं जो पांच वर्ष पहले सी०बी०टी०डी० में था। वह समझौता आयोग का उपाध्यक्ष रहता आया है अथवा पुनः सदस्य रहा है, जिसके पुराने सम्पर्क होते हैं और साठ-गांठ होती है यह रोका जाना चाहिए।

अगर आप यह करते हैं तो मेरे विचार से इस संशोधन को लाने का उद्देश्य स्वागत योग्य और न्यायोचित है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा (बरहामपुर) : मैं इस कराध्यान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक का समर्थन करता हूं। चर्चा पत्र कुछ दिन पहले ही परिचालित किया गया है, जिसमें वित्त मन्त्रालय ने यह वायदा किया है कि कराधान कानूनों को सरल और न्यायोचित बनाया जाएगा और उन्हें आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा विचार था कि चूंकि जल्दी ही एक विस्तृत विधेयक लाया जाएगा तो यह विधेयक भी जो कर विधियों को युक्तियुक्त बनाने के अभियान का एक भाग भी है, एक साथ ही लाया जा सकता था। यह बेहतर होता यदि अगले वर्ष बजट सत्र से पूर्व एक विस्तृत विधेयक लाया जाता।

जैसी भी स्थिति है, चूंकि यह प्रस्तुत हो गया है, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं इस विधेयक के खंड तीन पर कड़ी आपत्ति करता हूं, जिसमें, जैसाकि श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कहा है, संसद सदस्यों के भत्ते, विधायकों के भत्तों, विभिन्न संसदीय समितियों से उन्हें मिलने वाले भत्तों, जिन्हें आयकर से पूर्ण छूट दी गई है, पर अब 1250 रुपए प्रति माह की सीमा रखी गई है। जब सरकार कर कानूनों को उदार बना रही है, जब वह उद्योगों को कर से छूट के अवसर दे रही है, जब कर की दर कम की गई है। बेचारे संसद सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों के विधायकों पर वार करने का वित्त मंत्री का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। अतः मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस उपबन्ध को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि पुरानी व्यवस्था में, जो अब भी विद्यमान है - संसद सदस्यों या राज्य विधान मण्डल के सदस्य को मिलने वाला कोई भी भत्ता, न केवल दैनिक भत्ता बल्कि समिति के सदस्य के रूप में मिलने वाले भत्ते भी, आयकर से मुक्त हैं। आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि संसद सदस्यों और विधानमन्डल के सदस्यों पर बोझ डालने की बजाय वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखा जाए।

मैं जब इस संशोधन विधेयक का अध्ययन कर रहा था तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विभिन्न खण्डों को विभिन्न तारीखों से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। यदि आप पृष्ठ दो पर खण्ड तीन, धारा 10 को देखें तो यह 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी होगी। इससे अगला ही खण्ड, खण्ड-चार, पहली अप्रैल, 1987 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। खण्ड-पांच में जो कि अनुच्छेद 32 का संशोधन है, कहा गया है कि यह पहली अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि

भिन्न-भिन्न खण्डों या भिन्न-भिन्न उपबन्धों को वर्ष 1986 से 1988 के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों से लागू करने के क्या कारण हैं। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि इसमें भिन्न-भिन्न तारीखें क्यों दी गई हैं और क्या इन सब को एक ही तारीख से लागू करना संभव है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्योगों के आयकर में संशोधन संबंधी इस विधेयक में किए गए उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं। इन्हें पहले ही रियायत दी गई हैं परन्तु इसे और अनुदार बनाया गया है अर्थात् उद्योग स्थापित करने के बाद के आठ वर्षों में वह किन्हीं लगातार पांच वर्षों को कर रियायत के लिए चुन सकता है। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि अनेक उद्योग मुक्त व्यापार क्षेत्र में आ जाएंगे और इससे निर्यात को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने, जो बहुत आवश्यक है, में सहायता मिलेगी।

परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारा देश अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए, जिसकी भारी बेरोजगारी की समस्या के कारण नितान्त आवश्यकता है नए स्थापित उद्योगों को उनके शुरू होने से कम से कम कुछ वर्षों के लिए आयकर में छूट जैसा लाभ देना आवश्यक है क्योंकि अधिकांश उद्योगों को अपनी स्थापना के समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब उद्योगों को अपने शुरू होने के बाद यदि पांच वर्ष तक तो कम से कम तीन वर्ष तक आयकर में छूट जैसा लाभ दिया जाना चाहिए और विशेषकर उनके क्षेत्रों में जिन्हें सरकार का विचार अब पिछड़ा क्षेत्र बनाने का है, सरकार किसी क्षेत्र को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर सकती है और मन्त्री महोदय से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे जो रियायतें मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्योगों को दे रहे हैं वे रियायतें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी दी जानी चाहिए।

इन संशोधन विधेयकों के प्रयोजन के बारे में हम सब जानते हैं और वित्त मन्त्री ने हम से आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लाने का वायदा किया था जिसमें कानूनों का सरलीकरण करना था ताकि प्रत्येक इन्हें समझ सके। परन्तु मैं सदन का ध्यान खण्ड सात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 41 में संशोधन करने के बारे में है। मैं इसका कुछ भाग पढ़कर सुनाता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप इसे समझने की कोशिश करना और मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे। यह किसी ऐसी कम्पनी या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ पर आयकर लगाने के बारे में है जो कोई भवन, फर्नीचर और इसी प्रकार का कोई सामान बेचता है जिसमें मोटर कार भी शामिल है। मैं मोटरकार संबंधी उपबन्ध को पढ़कर सुनाता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस व्यक्ति के पास आइन्सीन का जैसा तेज दिमाग नहीं है वह इसका सही अर्थ नहीं समझ सकता है। यह इस प्रकार है :—

"किन्तु इस प्रकार कि जहां किसी मोटरकार की वास्तविक लागत, धारा 43 के खंड (1) के परन्तुक के अनुसार पच्चीस हजार रुपए मानी जाती है वहां ऐसी मोटरकार के बारे में संदेय धन वह राशि मानी जाएगी जिसका अनुपात, यथास्थिति, उस रकम के साथ जितने में मोटरकार की बिक्री की जाती है या उसकी बाबत संदेय किसी बीमा, उद्धारण या प्रतिकर

[श्री सतीश चन्द्र सिन्हा]

धन की रकम के साथ (जिसके अन्तर्गत स्क्रैप मूल्य, यदि कोई हो, भी है) वही है जो पच्चीस हजार रुपए की रकम का मोटरकार पर निर्धारिती को उस वास्तविक लागत के साथ है जो उक्त परन्तुक को लागू करने के पूर्व संगठित की गई होती।"

मुझे विश्वास है कि इस खण्ड के उपबन्धों को लागू करना बड़ा कठिन है। अतः मुझे विश्वास है कि प्रक्रिया को सरल बनाने की बजाय यह और जटिल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आजकल भवन, मशीन या मोटरकार बेचने से कोई लाभ नहीं होता है विशेषकर उस स्थिति में जब एक व्यक्ति या कम्पनी एक नए भवन, मशीन या मोटरकार के लिए पूंजी निवेश करती है। मान लो आप एक नई अम्बेसडर कार खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत एक लाख रुपए होगी और इसके बाद आप इसे 55,000 रुपये में बेच देते हैं। इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। यदि वह कम्पनी या व्यक्ति दूसरी कार खरीदना चाहता है तो उसे कहीं से 45,000 रुपये का और इंतजाम करना पड़ेगा। अतः आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इन उपबन्धों के स्थान पर जो बहुत जटिल हैं और जिनका समझना बहुत कठिन है, यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या यह उपबन्ध पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है ताकि उपबन्धों को अधिक सरल बनाया जा सके और कुछ लोगों को इन सरल कानूनों का लाभ मिल सके।

अन्त में मैं आपका ध्यान धारा 220 अर्थात् विधेयक के खण्ड 13 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकार के कारण विलंब से अदायगी या कम अदायगी के कारण संदेय ब्याज को समाप्त करने का अधिकार प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आयकर आयुक्त को दिए जाने का प्रस्ताव है। यह बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि उन्हें इसके लिए दिल्ली में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास नहीं आना पड़ेगा, वे राज्य में आयकर आयुक्त के पास जा सकते हैं और इस प्रकार यह अधिक सरल होगा। परन्तु इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चर्चा दस्तावेज में जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जो हमें परिचालित किया गया है मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जनता के विचार जानने के बाद इसे अगले बजट सत्र में लाया जाएगा, लिखा है कि ब्याज को मुआफ नहीं किया जाएगा और वास्तव में देयकर की अदायगी में विलंब के लिए उपबन्धों को और कड़ा बनाया जा रहा है। ब्याज 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा। अब यह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष है और अब इसे 24 प्रतिशत प्रति वर्ष किया जाएगा और विलंब से अदायगी या व्यय अदायगी के लिए सरकार को देय कर में छूट हेतु अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि अब इस धारा 220 में संशोधन क्यों किया जा रहा है और आयकर से छूट देने की शक्ति प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आयकर आयुक्त को क्यों दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि इस विशिष्ट मामले में सरकार को कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। मुझे कई ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें कई उचित कारणों से—मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसके लेखे को रखने वाला कर्मचारी बीमार हो जाता है और वह अपना विवरण निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं कर पाता तो वास्तविक कठिनाई के ऐसे मामलों में इस समय आयकर आयुक्त और प्रत्यक्ष कर बोर्ड देय ब्याज को माफ कर सकते हैं। अतः आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में भी चर्चा

दस्तावेज में निर्धारित नीति में उचित मामलों में ब्याज में छूट देने का उपबन्ध जारी रखा जाए और सरकार को ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए जैसाकि चर्चा दस्तावेज में अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : हम काफी लम्बे समय से कर प्रशासन को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार के इरादे के बारे में सुनते आ रहे हैं और हर साल हमें कराधान सम्बन्धी कानूनों में अधिक से अधिक खण्ड तथा अधिक से अधिक उप-खण्ड जोड़ने पड़ते है। यह मुझे बहुत ही असंगत पद्धति प्रतीत होती है क्योंकि हम कर प्रशासन से सम्बन्धित कानून को उसमें अधिक से अधिक उपबन्ध, कई और अधिक शर्तें तथा कई और अधिक उप-शर्तें जोड़कर अधिक से अधिक जटिल बना देते हैं। लेकिन अभी भी मुझे आशा है कि हाल ही में परिचालित किए गए चर्चा सम्बन्धी कागजातों के द्वारा हम सम्भवत अगली संसद में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे उससे ज्यादा आशा नहीं है लेकिन आदमी आशा पर ही जीता है।

आज कर सम्बन्धी कानून लगभग उस जंगल की तरह है जिसमें नरभक्षी अपना शिकार खोजते हैं और मैं यह नहीं कहता कि भारत की जनता को धोखा देने के लिए यह एक षडयंत्र है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि कभी-कभी कर-प्रपंचकों के बीच, नौकरशाह के बीच सांठ-गांठ होती है और मैं यहां बैठे अपने साथियों जो वकील हैं, और मैं खुद भी वकील रहा हूं, से सादर ऐसा ही कहूंगा। और शायद सरकार के लिए उन समय यह बात बहुत मुश्किल हो जाए जब वे इन कानूनों का प्रारूप तैयार करना शुरू करें और संसद जब वे उन्हें पारित करें, कि एक तरफ तो इसे सामान्य तथा युक्तियुक्त बनाने की मांग तथा दूसरी तरफ उन सम्भावित कमियों जिनके बारे में मानव मस्तिष्क हमेशा सोच सकता है, को दूर करने के प्रयास की आवश्यकता के बीच सही रूप से लाइन खींची जाए। मैं समझता हूं कि इस विचार को इस विचार के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए कि हम सम्भवत: सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। कानूनों की किसी भी प्रणाली में, मैं समझता हूं वह एक दु:साहसी विचार है जिसका मैं समझता हूं इस संसद को यथाशीघ्र परित्याग कर देना चाहिए। यह अभी सम्भव नहीं है। आप मानव बुद्धि से नहीं लड़ सकते हैं विशेषरूप से जब इसके पीछे आर्थिक लाभ कमाने की इच्छा काम कर रही हो।

मैं भी उनमें से एक हूं जो इस बात में विश्वास करते है कि सभी प्रकार की आय, सभी प्रकार के उपहार तथा सभी प्रकार के पूंजीगत लाभ इससे ऊपर जिस स्तर पर हम जो निर्णय लेते हैं, सभी पर कर लगना चाहिए। चाहे वह कुछ भी हो किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। मैं भी उनमें से एक हूं जो इस बात में विचार रखते हैं कि समस्त प्रकार के धन, यहां तक कि सभी प्रकार के खर्चे, विशेषकर उस खर्च पर जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, जो आवश्यक नहीं कहलाता, उन सभी पर कतिपय स्तर के कर लगाये जाने चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय वायदा किए गए कानून का मसौदा तैयार करते समय उस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं अपनी बात जारी रखे

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

हुए हूं। मैं समझता हूं कि हमारे जैसे देश में एक समान कर संहिता होनी चाहिए और इसके लिए दो कानूनी कर योग्य पात्रता होनी चाहिए—व्यक्तिगत, प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानूनी व्यक्ति। ऐसी कोई सामूहिकता अथवा लोगों का ऐसा कोई समूह नहीं होना चाहिए जो अलग से एक कर लगने योग्य हकदार बनने के लिए किसी विशेष विशेषाधिकारों के पात्र हों।

यह सब कहने के बाद मैं उन बातों पर आता हूं मैंने यह कहा है कि मुझे माननीय मन्त्री जो मन्त्री महोदय द्वारा हमें बताई गई हैं। मैं अपने मित्र श्री मुन्शी की इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं कि येन केन प्रकारेण यहां यह खण्ड, जिस रूप में यह संसत्सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, सम्भवतः बुरी तरह धोखा देने वाला है। मेरे विचार में किसी संसत्सदस्य को भत्ता देने का विचार यह है कि आप इसकी सीमा उस स्तर पर निर्धारित कर दें जहां यह केवल उसकी अत्यावश्यक तथा जरूरी आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसे उसकी आमदनी न माना जाए; इसे उसके लिए लाभ का स्रोत न माना जाए; इसे उसके लिए जीवन-व्यापन का कोई साधन न माना जाए। अतः इसको कतिपय कर योग्य तत्व के रूप में शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः यदि आप चाहें तो आप इसकी सीमा काफी निचले स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन, जहां कहीं भी आप इसे निर्धारित करें आप उस विचार को अवश्य ध्यान में रखें। और इसीलिए यह मूल विचार कि संसत्सदस्यों को दिए जाने वाले सभी भत्तों, जो परिभाषा के अनुसार तथ्य हैं, पर कर नहीं लगेगा। वस्तुतः इसका तात्पर्य यह भी है कि हम अपने साथ भी उदारता नहीं बरत सकते हैं। हम संसद के प्रत्येक सत्र में अपने भत्ते नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है हमें इसकी सीमा यथा सम्भव निचले स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर निर्धारित करनी चाहिए। इसलिए हमें यह धारण नहीं पैदा करनी चाहिए कि मानों हमें बहुत अधिक आमदनी हो रही है जिस पर आय कर लगना चाहिए।

महोदय, आपने मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में बात की है। मुझे डर है कि इस समय मुक्त व्यापार क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकांश एकक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रथमतया मुक्त व्यापार क्षेत्र की रूपरेखा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। कई बार आपको पता लगेगा कि ऐसी फर्मों, जो सुस्थापित हैं तथा जो सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठा रही हैं, का मुक्त व्यापार क्षेत्र में उल्लेख किया जा रहा है, वे आपके पास अपने उत्पादों को अपने घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति लेने के लिए आती हैं। अतएव मेरा यह विचार है कि उपक्रम को उसके निर्यात निष्पादन की अपेक्षा को पूरा करना चाहिए न कि उसे केवल मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित होने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र में होना चाहिए और यदि मुक्त व्यापार क्षेत्र के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं किया जाना है और इसका पालन किया जाना है, तो कर से छूट केवल उत्पादन की उस वास्तविक मात्रा पर दी जानी चाहिए जिसका निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार यह 4 प्रतिशत और उसके बाद 50 प्रतिशत, इसके बाद शेष उत्पादन आदि की यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसे सरल क्यों नहीं बनाया जा सकता? मुझे बहुत खुशी होगी यदि एक निर्यातोन्मुखी, उत्पादनोन्मुखी फर्म जो विदेशी मुद्रा में कुछ लाभ कमाती है, उसे निर्यात संवर्धन के प्रयोजन हेतु, देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु निर्यात से हुए समस्त लाभ में

आयकर की छूट दी जाए। यह प्रस्ताव उसकी अपेक्षा कि पहले चार प्रतिशत, फिर 50 प्रतिशत और फिर पूरी आय पर छूट दी जाए, अधिक अच्छा है।

परिसम्पत्ति समूह का विचार अच्छा है। किन्तु यहां भी मुझे इसकी परिभाषा समझने में कुछ कठिनाई होती है। परिभाषा में यह कहा गया है कि परिसम्पत्ति समूह का अभिप्राय उस श्रेणी की सम्पत्ति से है जिसके लिए मूल्यह्रास की समान प्रतिशतता निर्धारित की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 'क' तथा 'ख' आज एक ही समूह की फर्में हैं तो कल यदि मंत्रालय चाहें, यदि विभाग चाहे तो वह 'क' अथवा 'ख' के लिए मूल्यह्रास की प्रतिशतता को ही बदल सकता है। वह किस आधार पर इसे बदल सकता है, यह हम नहीं जानते। इसमें कुछ नहीं बताया गया है। कोई स्वाभाविक आधार नहीं दिया गया। यदि मंत्रालय अपनी किसी सनक के कारण कतिपय परिसम्पत्तियों की श्रेणी को समूह से निकालना चाहता है तो वह केवल मूल्यह्रास की प्रतिशतता बदलकर ऐसा कर सकता है। मेरे विचार से इस समूह की अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक व्याख्या की जानी चाहिए बजाय इसके कि यह किसी दी गई अवधि में मूल्यह्रास की प्रतिशतता के साथ जोड़ा जाए।

आपने किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कही है। पिछड़े राज्य से आने के नाते पिछड़े चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस बात का अवश्य ही स्वागत करूंगा। किंतु यहां भी मुझे कुछ कठिनाई लगती है। यह खण्ड, विकास के स्तर से सम्बद्ध है। हम औद्योगिक उपक्रमों के स्थान की बात करते हैं। हम कुछ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास स्तर की इस अवधारणा के बारे में स्पष्ट शब्द कहने की बजाए, यहां यह कह कर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि, क्यों उस क्षेत्र के विकास के स्तर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से इससे सम्भवतः भ्रम पैदा होगा। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री जी का आशय पूर्णतया ईमानदारीपूर्ण तथा सदाशयतापूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि क्या किसी क्षेत्र विशेष को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, इस बारे में निर्णय करते समय उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के स्तर को ध्यान में रखना होगा न कि वहां के शिक्षा के विकास अथवा सामाजिक विकास अथवा किसी अन्य विकास के स्तर को ध्यान में रखना होगा।

अन्त में, हानि को ऐसी स्थिति में आगे लाने का लाभ न देने जबकि एक निश्चित तारीख तक विवरणी न प्रस्तुत की गई हो, के बारे में एक और बात मुझे कहनी है। मेरे विचार से ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। आप इन दोनों को अर्थात हानि को आगे लाया जाना चाहिए और विवरणी को सामान्यतया एक निश्चित तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तब तक एक साथ क्यों जोड़ते हैं, जब तक ऐसा करने का कोई उचित कारण न हो। मेरे विचार से इन दोनों अवधारणाओं को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है जैसा कि खण्ड 12 में करने का प्रस्ताव है।

यह विचार कि कतिपय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और ये शक्तियां आयकर आयुक्त को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए, हर सदस्य स्वागत करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कितना व्यय होता है। यदि प्रशासन को सरल बनाना है तो इसे कम करना होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि न तो मूल अधिनियम में और न ही संशोधन में जिसमें आपने

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

बंदोबस्त आयोग का प्रस्ताव किया है, आपने आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारित की है। यह कमी रह गई है जिसे दूर किया जाना चाहिए। निस्संदेह, इसमें इस बात का संकेत है कि बंदोबस्त आयोग विभाग में काम करेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि बंदोबस्त आयोग के सदस्य सेवारत अधिकारी होंगे अथवा वे कर-विभाग से बाहर के अधिकारी होंगे ? यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है। इस बारे में कानून में कुछ भी नहीं कहा गया है। मेरा यह सुझाव है कि इसे दूर किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं आस्तियों के सामान्य सिद्धान्तों के बारे में एक टिप्पणी करूंगा। इस विधेयक को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रत्येक आपराधिक कार्य जिसके लिए किसी कानूनी तंत्र के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर दण्ड लगाया जाता है, उसमें उस कृत्य और इरादे का अर्थात अपराधी मन और प्रभावी मन का संयोजन होना चाहिए। केवल तभी आप उस कृत्य को आपराधिक मान सकते हैं। आपने इसमें आशय के तत्व का लोप कैसे किया है ? कोई व्यक्ति वास्तव में, सदाशय गलती कर सकता है। दूसरी बात यह कि उस व्यक्ति पर स्वयं को ही निर्दोष सिद्ध करने का भार क्यों डाला जाये जिस पर आरोप लगाया गया है ? यह भी नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। मुझे ये दोनों बातें नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध लगती हैं कि आप इसके आशय की अवधारणा की ही उपेक्षा करें और दूसरी बात यह कि आप उस व्यक्ति पर ही अपने आपको निर्दोष साबित करने का भार डालें जिस पर अपराधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यदि सम्पूर्ण कर तंत्र को सरल बनाने तथा युक्तियुक्त बनाने हेतु विधेयक जिसे अगले सत्र में लाने का आश्वासन दिया गया है, लाया जाता है तो हमारी आशा पूरी हो जाती है तो और इस विधेयक का वास्तव में कोई महत्व नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं कराधान विधि (संशोधन और विधि उपबन्ध) विधेयक का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस संशोधन विधेयक के नाम की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें और विविध उपबन्ध शब्द पुरःस्थापित करने की क्या आवश्यकता थी। इसमें 'और विविध उपबन्ध' शब्द पुरःस्थापित करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि 'संशोधन' के अर्थ में वर्तमान उपबन्ध, संशोधन तथा नय उपबन्ध शामिल है जिन्हें इस अधिनियम में शामिल किया जाना है। अतः, विधेयक के नाम में जो शब्द दिए गए हैं उनमें 'और विविध उपबन्ध' शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए 'संशोधन' शब्द ही पर्याप्त था।

दूसरा, माननीय मन्त्री जी ने मूल अधिनियम की धारा 10 के विद्यमान खण्ड (17) के स्थान पर नये खण्ड (17) का प्रतिस्थापन किया है। वास्तव में, संसद तथा विधान मण्डलों के सदस्यों को भत्तों में छूट देने का प्रचार करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि विद्यमान उपबन्ध यह आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है। इस अधिनियम में विद्यमान उपबन्ध इस प्रकार है :—

"कोई दैनिक भत्ता जो किसी व्यक्ति द्वारा संसद की या किसी राज्य के विधानमण्डल की या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किया गया हो या कोई भत्ता संसद की किसी सभा के सदस्य द्वारा संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं), नियम, 1975 के अंतर्गत प्राप्त किया हो। या राज्य सभा के किसी सदस्य द्वारा संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम, 1975 के अन्तर्गत कोई भत्ता लिया जाता है।"

अब विद्यमान उपबन्ध उस आशय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जो नई उप-धारा 17 द्वारा पूरा किया जाना है। यह नई उप-धारा 17 अनावश्यक है। इसमें संसद सदस्यों और विधान मण्डल के सदस्यों के लिए छूट का उपबन्ध किया गया है। यदि उनके भत्तों में कोई वृद्धि होती है तो यह नई उप-धारा इन आकस्मिकताओं को पूरा नहीं कर पायेगी। अतएव यह उपधारा 17 अनावश्यक है। वास्तव में, इसकी कोई आवश्यकता है।

दूसरा, आपने धारा 32 में स्पष्टीकरण 1 का उपबन्ध किया है। अब आप उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं जो उस भवन पर पैसा खर्च करना चाहता है जिसमें वह व्यापार चला रहा है और वह भवन उस व्यक्ति का नहीं है। वह उस भवन पर निवेश करता है और कर से छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह भी अनावश्यक है। मान लीजिए वह किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेता है और उस पट्टे के बारे में विवाद हो सकता है किन्तु उस सम्पत्ति पर वह सम्पत्ति अधिकार का दावा कर सकता है। उस स्थिति में वह उस लाभ को ले लेगा। व्यापारियों द्वारा झूठे पट्टे लिये जाएंगे और वे उस लाभ के लिए दावा करेंगे। इसलिए, इसका उपयोग कर अपवंचन हेतु किया जाएगा इसलिए इस प्रकार की छूट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए, मेरा यह कहना है कि जो स्पष्टीकरण आप धारा 32 में जोड़ने जा रहे हैं, अनावश्यक है। इससे कर की चोरी करने वालों को कर अपवंचन करने में काफी सहायता मिलेगी।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान धारा 42 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। आप यह लाभ आवास और शहरी विकास निगमों को अपनी आय पर एक निश्चित अवधि के लिए कर न देने की छूट देकर, दे रहे हैं। जब आप इन निगमों को कर-छूट सम्बन्धी कुछ लाभ देने के बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आप सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ नई श्रेणियां बना रहे हैं जो इसका अधिक लाभ उठाना चाहेंगी और यह निगम आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहेंगे। यह निगम भी अर्थक्षम यूनिट बनने चाहिए और इन निगमों को किसी प्रकार की करों में छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिए क्योंकि छूट प्रदान करने से यह निगम आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं बन पाएंगे और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह भेद-भाव नहीं होना चाहिए और किसी भी सरकारी उपक्रम को ऐसे लाभ नहीं दिए जाने चाहिए।

इसके पीछे यह तर्क है कि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को होने वाले लाभ में से 52% योजना परिव्यय की आशा करते हैं परन्तु इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से होने वाला लाभ आशा के अनुरूप नहीं है। वास्तव में हम कर-छूट के रूप में यह छूट और लाभ प्रदान करके लाभ की मात्रा को कम कर रहे हैं।

[श्री रामसिंह यादव]

इसके अतिरिक्त आप इस अधिनियम में एक नया कानून बना रहे हैं। आप धन-कर और दान-कर अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं और आप आपराधिक मन:स्थिति के आधार पर सभी चूककर्ताओं को अपराध करने के लिए अपराधी मानते हैं। दण्ड विधि में आपराधिक मन:स्थिति को अपराध करने का इरादा कहा जाता है।

मुकदमा चला कर दोषी व्यक्ति की आपराधिक मन:स्थिति सिद्ध करनी होगी। यहां आप इसे दूसरे प्रकार से कर रहे हैं। आप कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है वह आपराधिक मन:स्थिति का है और वह व्यक्ति जो न्यायालय में जाता है उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसकी आपराधिक मन:स्थिति नहीं है। यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है। आप धन-कर अधिनियम में नई धारा, धारा 35(0) को भी पुर:स्थापित कर रहे हैं :—

"इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए किसी मुकदमे में, जिसमें मुजरिम की आपराधिक मानसिक स्थिति होना आवश्यक है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति का विद्यमान होना मान लेगा, किन्तु मुजरिम को बचाव में यह तथ्य सिद्ध करना पड़ेगा कि उस मुकदमे में उस पर लगाए गए अपराध के सम्बन्ध में उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी।"

इसके अतिरिक्त आप इसके बारे में स्पष्ट नहीं हैं और इसमें भ्रम पैदा किया गया है। धारा 35(0)(2) में कहा गया है :—

"इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी तथ्य को तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब न्यायालय बिना किसी संदेह के उसे मान लेता है न कि केवल प्रबलता अथवा सम्भावना के आधार पर ही उसे प्रमाणित मान लिया जाएगा।"

इससे और अधिक भ्रम पैदा होता है और यह प्रभारी अधिकारी के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। अधिकारियों को इस प्रकार की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए; वे किसी भी व्यक्ति को बांध सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकते हैं। यह प्रभारी अधिकारी को दिया गया बहुत अधिकार पर विवेकाधिकार है।

मैं मन्त्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निपटान आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस समय उच्चतम न्यायालय में कर अपवंचकों और उन लोगों के विरुद्ध, जो उन पर लगाए गए करों के विरुद्ध विवाद कर रहे हैं, कम से कम 10 हजार अपीलें लम्बित पड़ी हैं। मेरा विचार है कि यह कर दाताओं और इसके साथ ही साथ वित्त मन्त्रालय के हित में है। तथापि, मेरा यह सुझाव है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, निपटान आयोग अथवा पीठ में पुन: नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को निपटान आयोग में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो वकीलों के रूप में कार्य करते हैं और जो योग्यता प्राप्त हैं। सेवानिवृत्त हो चुके अथवा सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को इस

आयोग में काम करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा तो लोगों के मन में भविष्य में उनके कार्यों के प्रति शंका पैदा होगी।

पुनः मैं दान-कर अधिनियम पर आता हूं। दान-कर अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किए जाने और नई धारा 3. च को जोड़ने का प्रस्ताव है। इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं है। इनके भी वही परिणाम निकलेंगे जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। मेरा यह सुझाव है कि दान-कर अधिनियम में नई धारा 35घ और धन-कर अधिनियम में नई धारा 35(0) को जोड़ना अनुचित है। इन दोनों अधिनियमों में इन उपबन्धों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एण्ड मिसलेनीयस प्रोविजन्स बिल-86 का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कुछ अच्छी चीजें वह इस बिल में लाए हैं। डेप्रीशिएशन के बारे में उन्होंने अलग-अलग हटाकर सबको एक किया है, इससे एसेंसीज को काफी फायदा होगा। इसके अलावा बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो इण्डस्ट्रीज हैं, उनके लिए जो सहूलियतें दी हैं, उससे भी बैकवर्ड एरियाज का डवलपमेंट होगा। इस सदन में कई बार इनकम टैक्स लॉ को सिम्पलीफाई करने की दिशा में चर्चा हुई लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रयत्न माननीय वित्त मन्त्री जी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि करप्ट असेसीज है उसको पेनल्टी होनी चाहिए, परन्तु जो करप्ट आफिसर है उसके लिए आपने कोई बिल नहीं बनाया। आपके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई प्रभावशाली सेल नहीं है कि जहां भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत आने के बाद उसके विरुद्ध कोई एक्शन हुआ हो। इस एक्ट में इनकम टैक्स कमिश्नर को डिस्क्रीशनरी पावर्स दे दी गई है :

[अनुवाद]

यह कह कर कि—'यदि उसके पास विश्वास करने का कारण हो।'

[हिन्दी]

हर जगह यही लिखा हुआ है कि वहां पर भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा स्कोप है। आप जो पेनल्टी लगाते हैं,

[अनुवाद]

—न्यूनतम 10 प्रतिशत और अधिकतम 150 प्रतिशत।

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

[हिन्दी]

इतनी गैप है कि यहां पर भ्रष्टाचार का काफी स्कोप मिलता है। आपको यहां पर क्लियर डिफाइन्ड करना चाहिए कि कितने पर्सेंट पेनल्टी लगाई जायेगी।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, असेसीज की इंटेंशन क्या है यदि उसने जान-बूझकर किया है तो इसको डिसाइड करने वाला भगवान भी नहीं है तो इनकम टैक्स वाले कैसे करेंगे कि अगर उसकी इंटेंशन ठीक है तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है और अगर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो उसको पेनल्टी जरूर देनी चाहिए। यह लेकूना इनकम टैक्स एक्ट में है, इसको आपको सुधारना चाहिए। यहां पर सरलीकरण करने की बात करते हैं वहां पर कम्पलिकेशन बहुत ज्यादा हैं। अब एडवांस टैक्स का सवाल है, पचास प्रतिशत टैक्स ईमानदारी से देना होगा अगर वह कहना है तो आप पचास प्रतिशत टैक्स लगा देंगे। आप कहते हैं कि 30 तारीख तक पूरी इनकम टैक्स फाइल तैयार होनी चाहिए और उसके पहले आपको एडवांस टैक्स चार किश्तों में देना होगा जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट में रिटर्न भरेगा। जो बड़े-बड़े बिजनस कन्सर्न हैं उनकी बुक्स आफ एकाउंट्स एण्ड आडिट्स वगैरह तैयार नहीं होती जो पूरा फिगर इनकम का आता है वह बड़ी मुश्किल से आखिरी डेट तक दे पाते हैं। आपने कहा कि यदि एडवांस टैक्स में गलती हो गई तो आप उस पर पेनल्टी लगाते हैं। मैं कहता हूं कौन-सा आसमान गिरने वाला है तीन-चार महीने में जो एडवांस टैक्स भरने का, रिटर्न भरने का समय रहता है, अगर उसने पूरा एस्टीमेट नहीं दिया तो आप पेनल्टी लगाते हैं। फिर आप बात करते हैं सरलीकरण करने की, उधर आपने कम्पलिकेशन कर दिया। मैं कहता हूं आप एक फिक्स डेट रखिये इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स का कोई सवाल नहीं है, अगर वह इतने समय में पूरी पेमेंट ईमानदारी से करता है तो कुछ नहीं उसके खिलाफ करना चाहिए। कम्पलिकेशंस जितने आप कम करेंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा।

आपने बहुत बड़ी रियायतें दी हैं, बड़ी स्कीम्स ली हैं, लेकिन आपको फायदा कितना मिला, एक रफ एस्टीमेट से, सरकार के हिसाब से, 30 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी हमारे देश में है। आप कहते हैं टैक्सेज से रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन वास्तव में पांच प्रतिशत भी आप ब्लैक मनी निकाल पाये इस बात का खुलासा वित्त मन्त्री जी आप करें। इस प्रकार की स्कीम्स बनाने का क्या फायदा है। आपको कड़क होना चाहिए, जो मशीनरी है उसका उपयोग प्रभावी ढंग से होना चाहिए। आप सर्च और सीजर की बात करते हैं मैं कहता हूं सर्च और सीजर का क्या परिणाम निकला। उदाहरणार्थ सर्च और सीजर में जो माल पकड़ा गया उसमें मेनुपुलेशन इतना होता है कि उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे 20 लाख रुपये का एक जगह से माल पकड़ा गया उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, होता क्या है उसके बाद कि उसमें इनकम टैक्स आफिसर और जो कमिश्नर है उन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार किया और 20 लाख का क्या हुआ वह एक घर से मिला था लेकिन उन्होंने उसको 10 जगहों में बांट दिया दो-दो लाख रुपये के हिसाब से और दो-दो लाख को भी 10 साल में बांटा गया··· इस तरह कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रही। इस तरह का भ्रष्टाचार आपके डिपार्टमेंट में भी होता

है और क्या ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की आप जांच करते हैं। मैं आपको चेलेंज करता हूं कि जितने भी सर्च और सीजर के केसेस आपके यहां पर हो रहे हैं, उनका किस तरह से डिस्पोजल होता है, इसकी आप जांच करेंगे, तो आपको भ्रष्टाचार की इंटेंसन का पता लग जाएगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं कि अधिकारी ही भ्रष्ट नहीं होते, मन्त्री भी होते हैं, उनकी भी जांच कीजिए। सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस भी होती हैं, उनकी भी जांच कीजिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट में शिकायत करने के बाद भी, डिपार्टमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बेईमान अधिकारी के साथ में, जो उसकी बिलक मिली हुई है, जो चेन बनी हुई है, जो रिंग बनी हुई है, उसके बाहर मन्त्री महोदय आप नहीं निकल सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब तक आप ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह देना चाहता हूं कि आप अपने रिटर्न के फार्म को सिम्पलीफाई करिए। अभी यह आठ-दस पेज का फार्म है और बड़ा ही कम्पलीकेटेड है। इसीलिए इसको एकदम सिम्पलीफाई करना बहुत जरूरी है। अभी तक आपका सिस्टम यह है कि एक ही आफिस में आपके पचास बार्ड रहते हैं, पचास-पचास कमरे होते हैं। इससे ऐसेसी को कोई सहूलियत नहीं मिलती है। मैंने विदेशों में भी देखा है उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जैसे अपने यहां थाने होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में थाने में दो-चार कमरे होते हैं और जिस तरह से थाना वाच करता है कि उसके एरिया में क्या-क्या क्राइम हो रहे हैं। उसी तरह से इनकम टैक्स आफिसर का आफिस हो, जहां असेसी जाकर अपनी रिटर्न दाखिल कर सके और इनकम टैक्स आफिसर अपने पूरे एरिया को जिस तरह थाना वाच करता है, उसी तरह वाच कर सके कि कहां पर क्या हो रहा है। उसको आते-जाते अपने एरिया की रिपोर्ट रह सकती है कि कहां पर इल्लीगल काम कर रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर अनएकाउंटेड मनी आ रही है या कहां पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ये सब बातें उसके जुरिस्डिक्शन की उसके ध्यान में रह सकती हैं। इससे आपके खर्च में भी बचत होगी। आज आप बहुत बड़ी-बड़ी करोड़ों रुपयों की लागत से बिल्डिंगें बनाते हैं, फिर भी आपको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे, तो आपकी यह प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इससे आपके असेसी को भी आराम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बना दें, लेकिन असेसी को बैठने की जगह तक नहीं मिलती है। जब कि आपका चपरासी कुर्सी पर बैठा होगा, लेकिन एक असेसी को बैठने की जगह नहीं होगी। ठण्डे पानी की बात तो बहुत दूर की है, मान्यवर उसको बैठने तक के लिए बेंच नहीं मिलती है। यह आपके दफ्तरों का हाल है। इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन असेसी के साथ आप कर रहे हैं, जो आपके यहां लाखों रुपया टैक्स देता है, जिसको असेसमेंट के लिए इनकम टैक्स आफिसर ने बुलाया होता है, उसको आपके कार्यालय में बैठने के लिए

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

बच तक नहीं मिलती है। इसलिए आप असेसी का भी कम से कम ख्याल तो रखिए और उसको आप बैठने की जगह और इज्जत देने का भी आप कष्ट कीजिए। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, यह विधेयक जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, इस समय हमारे पास लाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य वश इसे सत्र के अन्त में लाया गया है एवं इसके कुल क्या परिणाम होंगे इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए और इस पर टिप्पणियां देने के लिए सदस्यों को बहुत कम समय दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया था, प्रकिया को सरल बनाना था न कि और अधिक जटिल बनाना अर्थात कर ढांचे को सरल और संगत बनाना था। हम भी यह जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं कि यह उपाय जो अब तक किए गए हैं, और जिन्हें यहां संहिताबद्ध किया गया है—अधिकांश को इस देश के बजट राजस्व पर वास्तव में इनका कितना प्रभाव पड़ेगा। वित्त मन्त्रालय, इस सभा में पिछले दो वर्षों से जो सिद्धांत अपना रहा है उसे लम्बी अवधि की वित्तीय नीति के रूप में बताया गया है। मेरे विचार में यह विधेयक दीर्घ अवधि की वित्तीय नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाल रहा है। लेकिन संयोगवश, यह नीति इस देश में जनता के एक बड़े भाग के हित में नहीं है। यहां मेरा अभिप्राय केवल कर देने वाले लोगों से ही नहीं है अपितु करोड़ों उन लोगों से भी है जो कर योग्य सीमा में नहीं आते और जिनकी भलाई और कल्याण के लिए हम सभी काफी चिंतित हैं क्योंकि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा और कुछेक मामलों में तो यह और भी खराब होती जा रही है।

जहां तक मैं समझ पाया हूं लम्बी अवधि की वित्तीय नीति के विचार का अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष करों में भारी रियायतें प्रदान की जाएंगी जिसके लिए यह तर्क दिया जाएगा कि कर अपवंचन के लिए कम प्रोत्साहन दिया जाए। इस प्रकार, यह रियायतें प्रदान करके और कर देयता कम करके, कर दाता के लिए यह आसान होगा कि वह अपने दायित्वों को पूरा करें। वह कर की चोरी नहीं करेंगे और अगर वह अपने करों का भुगतान कानूनी रूप से और ईमानदारी से करते हैं तो उन्हें डरने कीकोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर वह करों की चोरी जारी रखते हैं अथवा अगर वह गलत तरीके से, गैर-कानूनी रुपया पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और अपनी कुल आय नहीं बताना चाहते तो सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। जहां तक सख्ती से पेश आने की बात है, कई महीनों से केवल कई छापे ही मारे गए हैं। जब ये छापे पड़ने शुरू किये गए थे तो व्यापारियों ने काफी विरोध किया था और वित्त मंत्री पर आक्षेप किए गए थे जिसमें कुछेक दैनिक समाचार पत्रों-सभी नहीं—की भूमिका भी महत्व-पूर्ण रही थी और उनका रवैया यही था कि लोगों को इस तरह से गलत रूप से परेशान करना, डर का वातावरण पैदा करना आदि बहुत गलत है। हमने निश्चित रूप से इन छापों का स्वागत किया था क्योंकि हमने यह देखा कि इनके अच्छे परिणाम सामने आएं उन्होंने, कुछेक बड़े उद्योग घरानों और बड़ी कम्पनियों ने गलत रूप से प्राप्त की गई और छिपाई गई आय के कुछ भाग के सम्बन्ध में घोषणा की और यह जरूरी था कि इसका पता लगाया जाए। अब ऐसा जान पड़ता है कि छापे मारने का उत्साह

कम हो गया है। अब इसका उतना प्रचार नहीं हो रहा जितना कि पहले हो रहा था; और न ही अब हमें उद्योग के क्षेत्र पर पड़ने वाले छापों के शिकार लोगों से उतनी आलोचना और शिकायतें सुनने में आ रही जैसी कि पहले सुनते थे। यद्यपि वित्त मन्त्री ने इस सभा में कुछ दिन पूर्व यह दावे से कहा था कि इसका उत्साह और प्रभाव किसी भी रूप में कम नहीं हुआ है लेकिन, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर अब भी यह कार्य उतने ही उत्साह से किया जा रहा है तो इस कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में मौन किस लिए धारण किया गया है।

12.52 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मेरे विचार में अब इन सब बातों पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। उद्योग घरानों द्वारा विशेषतया बड़े उद्योग घरानों द्वारा यह दबाव डाला गया है कि मंत्रालय यह कार्य धीरे-धीरे करे और उन के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्यवाहियों को रोके। निस्सन्देह यह सब इस विधेयक में शामिल नहीं है; फिर भी छापे मारना जो एक प्रशासनिक कार्यवाही है, एक अलग बात है। लेकिन रियायतें प्रदान की गई हैं, बहुत ज्यादा रियायतें प्रदान की गई हैं और इसके लिए यह कहा गया है कि इन रियायतों को दिए जाने, कर भार कम करने से वास्तव में अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। पहले करों की दर अधिक थी लेकिन वसूली बहुत कम होती थी क्योंकि देय करों की अधिकांश धनराशि की चोरी की जाती थी। अब उनकी चोरी नहीं की जाएगी और करों की दर कम होने से अब हमें काफी अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

सरकार ने बताया है कि पिछले वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 1995-86 में व्यक्तिगत आय कर से प्राप्त धनराशि पिछले वर्षों की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक थीं। वस्तुतः सरकार ने दावा किया है कि यह एक बड़ी भारी उपलब्धि है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री अमल दत्त कुछ हद तक इस संबंध में कह चुके हैं—अधिक धनराशि वसूली के इस रुख को क्या इस वर्ष भी बनाये रखा जा रहा है? मैं समझता हूं, नहीं। जो कुछ आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं हैं, उनके आधार पर मुझे कहना चाहिए कि स्वयं सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अभाव में, लेकिन जो कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं अथवा उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि इस प्रवृत्ति में गिरावट आई है और पिछले वर्ष अधिक वसूली से करों की अधिक राशि प्राप्ति का कारण बड़ी राशि आम माफी की योजना है। यह आम माफी की योजना स्थायी रूप से लागू नहीं की जा रही है, मेरे विचार से इस योजना की अवधि इस वर्ष 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई है। इस आम माफी की योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 380 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे तथा इस वर्ष 30 सितम्बर तक की निश्चित अवधि तक इस आम माफी की योजना के तहत इस वर्ष केवल 100 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है। नियमित तेल क्षेत्र से भी हमारे राजस्व सम्बन्धी बजट अनुमानों में पर्याप्त कमी रही है। वस्तुतः हम जानते हैं कि नियमित तेल क्षेत्र से हमने जितना बजट बनाया है उसकी तुलना में सम्भवतः लगभग 400 करोड़ रुपये कम वसूल होंगे। अतएव, इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर यदि राजस्व को बजट अनुमानों से ऊपर बनाए रखना है जो केवल अप्रत्यक्ष करों से ही अधिक राजस्व प्राप्त हो

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सकता है। प्रत्यक्ष करों से वसूली पहले ही कम हो रही है और एक बार आम माफी की योजना पूर्णतया बन्द हो जाने के बाद तो यह वसूली काफी कम हो जाने की सम्भावना है। इस वर्ष प्रत्यक्ष करों से 5700 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें से अकेले तेल क्षेत्र से 800 करोड़ रुपये का अनुमान है, जबकि मैंने अभी कहा है कि तेल क्षेत्र से वास्तविक वसूली 400 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जो कि अनुमान का 50 प्रतिशत है। वर्ष 1985-86 ऐसा वर्ष है जिसमें व्यक्तिगत आयकर तथा गैर-तेल निगमित कर से अधिक वसूलियां हुईं अथवा अधिक धनराशि एकत्र हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1053 करोड़ रुपये अधिक थी। जैसा कि मैंने कहा, इसमें से 389 करोड़ रुपये आम माफी की योजना के तहत वसूल किए गए और आम माफी के तहत की गई वसूलियों को घटाने के बाद केवल 664 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है, मैं यही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वर्ष 1985-86 में इन रियायतों की प्रथम चरण के परिणामस्वरूप जितना कुछ हो सकता था हुआ है, अब हम आशा नहीं कर सकते हैं कि जैसा कि वित्त मंत्री महोदय चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि करों की कम दर के कारण प्रत्यक्ष करों से की जाने वाली वसूलियां बढ़ती रहेंगी। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रहेगी और अब विपरीत रुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतएव, वर्ष 1986-87 के कुल बजट अनुमानों का क्या होगा ? यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इसमें उलझे हुए हैं कि—या तो काफी बड़ा घाटा होना है अथवा हमें अप्रत्यक्ष करों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना है। इसके लिए हमारे पास एक हल था, वस्तुतः वह पूर्व-बजट है, नियन्त्रित मूल्यों में हुई तेजी से वृद्धि जो अप्रत्यक्ष कर लगाने का एक ढंग है, जिसके बारे में अब भविष्य के लिए और चर्चा करने के लिए एक दस्तावेज परिचालित किया गया है जिसमें हमें या तो नियन्त्रित मूल्यों में वृद्धि अथवा अधिक से अधिक राजसहायता के लिए दोनों में से एक का चयन करने के लिए कहा गया है। देश ने वित्त मंत्रालय के द्वारा इसी विकल्प का सामना किया है कि या तो आप दी जा रही अधिक से अधिक राजसहायता के लिए अवश्य सहमत हो जाइए—तो प्राप्त होने वाले संसाधन कहां जा रहे हैं ?—अथवा यदि आप अधिक से अधिक राजसहायता की नीति को पसन्द नहीं करते हैं तो उस मामले में आपको कई वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रित मूल्य के लिए सहमत होना पड़ेगा जो प्रत्येक वर्ष बढ़ाए जा रहे हैं और वस्तुतः इससे हर तरफ और मूल्य वृद्धि हो रही है तथा बाजार में समग्र रूप से मुद्रास्फीति है। सरकार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मैं इस बात को देख सकता हूं। संसाधनों की स्थिति अत्यन्त सीमित है। लेकिन यह इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि कर चोरी का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यदि आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बेतरतीब न बनाया जाए और कम से कम इन करवंचकों द्वारा किये जा रहे देश में उपलब्ध संसाधनों के शोषण को रोका जाए।

1.00 म० प०

इन रियायतों के दिये जाने के बावजूद, करों में दी गई छूटों, जिनके लिए यहां वचन दिया गया है के बावजूद, मूल्य ह्रास में दी गई और रियायतों के बावजूद, पिछड़े क्षेत्रों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों को दिये जा रहे सभी प्रकार के प्रोत्साहनों के बावजूद कर की चोरी नहीं रुक पाई है। निःसंदेह, मैं निर्यात संवर्धन के पक्ष में हूं, लेकिन सरकार को भी यह महसूस करना चाहिए कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों, कुछ

देशों में उन्हें निर्यात विधायन क्षेत्र कहा जाता है, न केवल हमारे देश में ही बल्कि फिलपीन्स, हांगकांग, सिंगापुर जैसे स्थानों में भी तथा उन स्थानों में भी जहां कई मुक्त व्यापार क्षेत्र मौजूद हैं, वहां केवल कर में छूट देने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह छूट सभी के लिए है, यहां तक कि श्रमिक कानूनों के लिए भी, किसी भी प्रकार के यहां तक कि न्यूनतम श्रमिक मानकों के लिए भी। इन मुक्त व्यापार क्षेत्रों में घोर शोषण हो रहा है। मुझे ऐसे कुछ देशों में ऐसा अध्ययन करने का अवसर मिला था जहां इन मुक्त व्यापार क्षेत्रों में मुख्यतया महिला श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है। वे कुछ अलग किए हुए किस्म के क्षेत्र हैं जहां कोई भी व्यक्ति कामगारों से भी मिलने नहीं जा सकता, वहां किसी प्रकार के श्रमिक कानूनों को लागू करने की अनुमति नहीं है, वहां बेरहमी से शोषण हो रहा है - यह सब निर्यात को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा मूल्य प्राप्त करने के नाम पर हो रहा है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है यदि हमारे देश में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए जाते हैं और कुछ समय के लिए वहां कर रियायतें दी जाती हैं। लेकिन कम से कम सरकार का हमारी जनता के प्रति यह दायित्व है कि वह देखे कि जो कर्मचारी इन मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नियुक्त किये जाते हैं उनका निर्दयता से शोषण न हो और न ही वहां ऐसा हो कि कोई और श्रमिक कानून लागू न हो।

इस सबके बावजूद हमारे देश में काला धन बरकरार है और बढ़ रहा है। अर्थशास्त्रियों अथवा अनुसंधान कर्मचारियों के किसी वर्ग द्वारा स्वतंत्र रूप से जो अध्ययन किये गये हैं उससे ज्ञात होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ रहा है। हम इसकी ऊपरी सतह को भी छू नहीं पाए हैं। इन छापों में जो कभी-कभी कुछ प्राप्त होता है वह उस बड़े टीले में एक कण मात्र ही है। हमें यह नहीं बताया जाता कि इन छापों के बाद क्या कार्रवाई होती है। इसकी मुझे हर समय चिन्ता रहती है। यहां तक कि बड़े उद्योगपतियों में से कुछ के यहां छापे मारे गए हैं और सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है और कहा है कि बहुत सा अवैध धन और अवैध सम्पत्ति और ऐसी चीजें मिली है। लेकिन अनुवर्ती कार्रवाई क्या की गई है ? हमने बाद में किसी के बारे में कुछ नहीं सुना कि उन कर अपवंचकों का क्या हुआ। केवल कुछ व्यक्ति जिनके बारे में मैं जानता हूं और जिन्होंने स्पष्ट रूप से माना है, उन्हें क्षमा कर दिया गया है, क्योंकि इन उत्पाद शुल्कों की चोरी करने की हमारी इच्छा नहीं थी। लेकिन हिसाब-किताब के खातों में कुछ गलतियां हैं और हम क्षमा चाहते हैं और वचन देते हैं कि दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होंगी। एक मामला बाटा का और एक अन्य मामला बुक बांड का भी था, जो बहुत बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हैं, जिनकी शाखाएं हमारे देश में कार्य कर रही हैं। बाटा के चेयरमैन ने कम्पनी की वार्षिक आम बैठक में भाषण करते समय जो सभी समाचार पत्रों में दिया गया है और जिसमें कुछ भी गुप्त नहीं है—यह पूछा गया था कि कम्पनी के खातों में आपने जो गलतियां की हैं और जिनसे हमारी कम्पनी को बदनामी मिली है क्योंकि हमें कई करोड़ रुपये उत्पाद-शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है, क्या हुआ। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, यह गलती हुई थी और इसके लिए हमने सरकार से क्षमा मांगी है और क्योंकि मैं उनके शब्दों में कह रहा हूं···"क्योंकि सरकार की नजरों में बाटा का ऊंचा स्थान है, सरकार ने आगे कार्रवाई न करने का निर्णय किया है।" शेयरधारियों ने उनसे यह भी पूछा कि "आप छोटे निर्माताओं से मोचियों से—अनेक प्रकार के जूते खरीद कर और उन पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें बाटा उत्पादन के रूप में विदेशों में क्यों बेच रहे हैं ?" इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने बाटा पर और चमड़े के जूतों के निर्माण की कुल संख्या पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और यही कारण है कि उनका उत्पा-

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दन सीमित है। इसलिए हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि छोटे निर्माताओं द्वारा निर्मित जूतों को लेकर और उन पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें बेचा जाए। उन्होंने आगे बताया कि एक तरह से हम छोटे लोगों को उनके उत्पाद के लिए बाजार बनाने में सहायता कर रहे हैं। हमने क्या गलत किया है? मैं केवल यह कह रहा हूं कि व्यापार के क्षेत्र में यह सब चल रहा है। हम इस बारे में जानते हैं। मैंने एक अन्य दिन पूछा था कि क्या किसी को पकड़ा गया है। यदि उसने दोष स्वीकार किया है, क्या उसे क्षमा कर दिया जाएगा? हम नहीं जानते कि क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। क्या किसी पर मुकदमा चलाया गया है, क्या किसी को दोषी ठहराया गया है, इस बारे में कोई सूचना नहीं है। क्या किसी धन अथवा सम्पत्ति को जब्त किया गया है, जिसे उन्होंने छुपाने का प्रयत्न किया है, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए, इस विधेयक में सभी प्रकार के विशेष उपबन्ध और प्रावधान है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका कुल क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहां मुख्यत: यहां रियायतों को गिनाया गया है। अन्यथा जैसा कि किसी ने पहले कहा है कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, अधिकारियों और इस समझौता समिति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। हम नहीं जानते कि किस प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं। समझौते की क्या रूपरेखा है? विभाग को समझौतों के लिए क्या निदेश दिए गए हैं। इन सभी मामलों के समझौते के लिए समझौता आयोग को क्या निदेश है? हम नहीं जानते। (व्यवधान)

मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार का विधेयक अवश्य ही काफी हद तक प्रक्रिया स्पष्ट कर सकता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कर अपवंचन की इस बुराई से लड़ना है। और कठोरता से इसे समाप्त करने का प्रयत्न करना है, ताकि इस काले धन को रोका जा सके – मैं समझता हूं इसे रोकना असंभव है। इस वर्तमान प्रणाली में और वर्तमान स्थिति में यह व्यवहार में असम्भव है। कम-से-कम सरकार को हमें यह विश्वास कराने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह इस दिशा में कुछ प्रभावशाली उपाय करने में समर्थ हुई है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो प्रत्यक्ष करों से होने वाली उगाही पुनः कम होने लगेगी और कम होती जाएगी। हमारे देश के लोग और जनता जो इन करों के भुगतान करने में असमर्थ है, उसे और अधिक अप्रत्यक्ष करों का भार ढोना पड़ेगा। यह केवल उनके लिए ही बोझ नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बोझ है क्योंकि इनसे मुद्रास्फीति और मूल्यों में अधिक बढोतरी होगी। हम हमेशा मंहगाई की शिकायत करते हैं जिसे हम कहते हैं कि यही कारण है कि हम अपनी वस्तुओं के निर्यात के लिए बाजार नहीं ढूंढ पाते। लेकिन आप कोयला, इस्पात, सीमेंट और पैट्रोलियम उत्पादों, तेल और अन्य वस्तुओं के मूल्य और उचित दर मूल्य समय-समय पर बढ़ाते रहते हैं तो मंहगी अर्थ व्यवस्था क्यों नहीं होगी? प्रतिवर्ष हम मूल्य बढ़ा रहे हैं और इस पर भी हम कहते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मंहगी है। आपकी अर्थव्यवस्था मंहगी क्यों नहीं होगी यदि आप स्वयं यह मुद्रास्फीति बढ़ाते रहेंगे? अन्त में, मैं कहूंगा कि यह विधेयक हमारे सम्मुख है। मैं इस सम्पूर्ण विधेयक को जानने में असमर्थ हूं लेकिन इसका रियायत सम्बन्धी अंश बिल्कुल स्पष्ट है।

जहां तक कि कमियों को दूर करने का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इस विधेयक से यह प्रयोजन

सिद्ध होगा और मैं मंत्री महोदय का आभारी रहूंगा यदि वह हमें कम-से-कम यह बताएं कि अनुवर्ती कार्रवाई क्या होगी और इन छापों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई ? व्यक्तियों को दण्ड देने, उन पर मुकदमा चलाने अथवा अवैध सम्पत्ति जब्त करने का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा है ? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं समझता हूं इस सभा से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा बिना इसे पूर्व रूप से समझे और इसे जाने कहा जा रहा है।

सभापति महोदय : जैसा कि सहमति हुई है कोई मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी कि अपने सारे देश में जो टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में बहुत कहा गया है फिर भी मै खास तौर से गुजरात में सौराष्ट्र और अपने जिले राजकोट में रिफाइन्ड रेपसीड आयल की जो प्राब्लम पैदा हो गई है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। यह समस्या सिर्फ गुजरात की नहीं है, बल्कि और राज्यों की भी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि यह समस्या बहुत ही गम्भीर समस्या है। आजकल में जन्मअष्टमी का भी त्यौहार आने वाला है। अब की बार गरीब आदमी इस त्यौहार को नहीं मनायेंगे, क्योंकि सभी जगह खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीब लोगों को तो खाना-खाना भी मुश्किल हो गया है। पिछले बजट में रिफाइन्ड रैपसीड आयल पर 750 रु० प्रतिटन का टैक्स लगाया था। रैपसीड आयल गुजरात सहित दूसरे राज्यों के मध्यम वर्ग के और गरीब लोग खाते हैं। मूंगफली का तेल रैपसीड आयल से काफी मंहगा हो गया है। इस एक्साइज ड्यूटी का असर यह हुआ है कि प्रति किलो 75 पैसे कीमत बढ़ गई है और होलसेलर को दस-पन्द्रह पैसे प्रति किलो का फायदा मिलता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि रिफाइन्ड रैपसीड के दाम बढ़ गए और साथ ही साथ अन्य खाद्य तेलों की कीमत भी बढ़ गई। इससे धन्धार्थी को फायदा मिलता है और उत्पादकों को टैक्स देना पड़ता है और इसका सीधा प्रभाव कन्ज्यूमर पर पड़ रहा है। धन्धार्थी को तो कुछ देना नहीं पड़ता है और बेचारी मरती जाती है गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग। जो आज उत्पादन करता है, उसको ही खाने को नहीं मिलता है। इस प्रकार कर चोरी होने से एक तरफ तो राज्य सरकार को इनकम नहीं होती है और दूसरी तरफ तेलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि रेपसीड आयल पर जो आप ने टैक्स लगाया है, उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए और सभी प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतें कम कर देनी चाहिए। धन्धार्थी जो धनवान है और टैक्सों की चोरी करता है, उसको फायदा नहीं होने देना चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा। हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठायेंगे, ताकि आने वाले कल में गरीब लोग इस पर्व का आनन्द ले सकें।

[अनुवाद]

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय मैं तब बोलने आया हूं जब इस विधेयक का समर्थन करने वाली सभी बातें कही जा चुकी हैं। फिर भी मैं कुछ नये विषयों पर बात करना

[श्री भोलानाथ सेन]

चाहूंगा। परन्तु ऐसा करने के पहले, प्रत्यक्ष करों की दरों को कम करने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसने, वास्तव में जहां तक प्रत्यक्ष कर के भुगतान करने वालों का सम्बन्ध है देश के माहौल को बहुत हद तक बदल दिया है, क्योंकि करों की दर 50 प्रतिशत तक कम कर दी गयी है। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय के पास रेकार्ड होगा कि चालू वर्ष में ज्यादा लोग ज्यादा आय कर भुगतान कर रहे हैं।

परन्तु अब मैं इस संशोधन को देखता हूं, मैं यह अनुभव करता हूं कि यह समाज पर एक बोझ है। अब इसे कौन समझेगा ? यदि कोई ऐसा करता है या ऐसा नहीं करता है, उसके लिए आपने अनेक प्रकार के दण्ड रखे हैं। एक साधारण आदमी कैसे जानेगा कि वह अपराध कर रहा है ? यह सिर्फ एक वकील जान सकता है। एक साधारण आदमी या एक मध्यम वर्ग का आदमी यह नहीं जान पायेगा कि वह ऐसा अपराध कर रहा है जो उसे सजा का पात्र बना सकता है। मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कानून को सरल बनाए ताकि लोग इसे समझ सकें, "यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी या यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी।" कृपया कानून को सरल बनाएं। मैं अधिनियम को देख रहा था, हर स्थान पर आप ऐसा पायेंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा। धारा 5.7 का उप खण्ड (दो) में कहा गया है :

> "(दो) इस प्रकार की आय की दशा में जो धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट की गई है, यावत्शक्य धारा 3 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग), धारा 31 और धारा 32 की उपधारा (1), (1क) और (2) के उपबंधों के अनुसार तथा धारा 34 और 38 के उपबन्धों के अधीन कटौतियां।"

अब यदि विधि को जटिल बनाया जाता है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक साधारण आदमी इन सभी कानूनों को पढ़ेगा और तब निर्णय लेगा कि वह इस कर विवरण को भरे या उस कर विवरण को, इस कानून का अनुपालन करे या उसका ? क्या यह विधान वकीलों और अदालत के लिए है या इस देश की साधारण जनता के लिए है ? समस्या यह है कि कभी-कभी एक आदमी यह नहीं जान पाता कि वह क्या करे ? मैं यहां संसद सदस्यों का उदाहरण देना चाहूंगा जो आवासों और फ्लैटों की सुविधा उठा रहे हैं। इन फ्लैटों का बाजार किराया उससे कहीं अधिक है। जो संसद सदस्यों से लिया जा रहा है। मान लिया कुछ वर्षों बाद कोई दूसरी सरकार आती है और कहती है कि चूंकि उस समय सदन में कांग्रेस का बहुमत था और उन्होंने छूट दी थी, परन्तु अब जिनके पास घर या आवास है उनके इसके वाणिज्यिक मूल्य और सरकार द्वारा लिए जा रहे किराये के अन्तर को अनुलाभ के रूप में करारोपित किया जाएगा, तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी। आप यह स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं कि इन लोगों से ज्यादा किराया वसूल नहीं किया जाएगा ? कानून इतना जटिल है या जटिल बना दिया गया है कि लोगों को इसे समझने में कई दिन लग जाते हैं। यहां तक कि विशेषज्ञ भी स्पष्ट नहीं हैं। विभिन्न मामलों में अदालत भी अपने निर्णय में भिन्न होती है। क्या होगा कि किसी राज्य में एक न्यायाधिकरण कहेगा कि वह उस कानून का अनुसरण करेगा जो उसके राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित किया हुआ है और दूसरा न्यायाधिकरण कह सकता है कि वह उस कानून का अनुसरण करेगा जो उसके राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब हमारी स्थिति क्या हो जाती है ?

जनता बहुत कठिनाइयों से पैसा कमाती है और जब वह पैसा कमाते हैं वह यह नहीं जानते कि इसका क्या करे और तब यहां जेल जाने का भय होता है। यह भय उन्हें मार देता है। यदि आप उस फार्म को देखें जो भरना पड़ता है, तो क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसने सौ प्रतिशत सही फार्म भरा है। वह ईमानदारी करते हुए भी गलतियां कर सकता है। अब यह संशोधन खुद एक किताब के रूप में है। कौन सी बाधाएं है सरकार को, नई और सरल कानून बनाने में तथा साधारण फार्म मुहैय्या करने में ताकि किसी व्यक्ति को अपना आय कर भुगतान करने की जिम्मेवारी समझने का प्रश्न न उठे।

इसके अतिरिक्त महोदय जिम्मेवारी नागरिकों पर होती है। आय कर अधिकारियों की क्या जिम्मेवारी है ? आयकर अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वे सालों-साल कर-निर्धारण को पूर्ण नहीं करते और इस प्रकार दसों साल बीत जाते हैं। आप अपने खर्च और आय को 10 साल के बाद कैसे स्पष्ट करते हैं।

महोदय यह कानून है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देय से ज्यादा भुगतान करता है तब उसे सूद के साथ वापसी देना पड़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रुपया वापस दिया गया है पर किसी भी प्रकार का सूद नहीं दिया गया। ऐसा क्यों है ? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है ? कानून कहता है कि आपको रुपया वापस देना चाहिए और सूद अवश्य देना चाहिए, परन्तु चूंकि दो अलग विभाग हैं रुपया वापस आता है पर सूद नहीं आता है। इसलिए सरकार ने यहां उस पैसे पर अवैध ब्याज कमाया है। नियम यह कहता है कि वापस की गयी राशि पर सूद दिया जाना चाहिए पर यह कभी नहीं दिया जाता है, आप कृपया जांच करें आप पायेंगे कि सूद कहीं भी नहीं दिया जाता है। यदि किसी विशेष मामले में एक लाख रु० वापस करना है आयकर अधिकारी के पास उसके निर्धारण के लिए समय नहीं होगा और सरकार उस पैसे को बिना सूद दिये हुए लम्बे समय तक रखेगी। जिसके फलस्वरूप एक ईमानदार नागरिक एक बेइमान के मुकाबले ज्यादा कष्ट पाता है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको दण्ड भुगतना है अत: आप उससे ज्यादा देते हैं जितना देय है। जैसा कि मैंने कहा कानून कहता है कि आप वापसी राशि पर सूद पायेंगे, पर यह कभी भी नहीं दिया जाता है। यदि कोई बेइमान है तब क्या होता है ? वह छूट जाता है और फाइल खो जाती है। मैं बहुत से मामले दिखा सकता हूं जहां आय का निर्धारण नहीं हुआ है और वे अपना काम अपनी तरह से कराते हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस कानून को जटिल नहीं बनाना चाहिए। यह दाण्डिक कानून है और करारोपण कानून भी दाण्डिक कानून दण्ड के प्रश्न को उठाता है। यदि दाण्डिक कानून इतना जटिल बनाया जाता है तब आप नहीं जान पाते कि आपने कोई अपराध किया है। और इस दाण्डिक कानून में यह व्यवस्था अदालत द्वारा खत्म की जा सकती है ऐसा होने पर वह आदमी बच जाएगा। अत: मैं आपसे पुन: अनुरोध करता हूं कि आपको सरल कानून बनाना चाहिए ताकि इसे साधारण

[श्री भोलानाथ सेन]

व्यक्ति भी समझ सके और कर वसूली और कर का निर्धारण शीघ्र हो सके। आय कर अधिकारियों को अधिक समय नहीं लेना चाहिए। और भूलने या मृत्यु या अन्य कारणों से निर्धारिती को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। 25 वर्ष बीत चुके हैं अब यदि सम्भव हो तो इस सभा में अगले वर्ष एक नया कानून और एक नया अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सदस्यों के लिए बंगलों के बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री भोलानाथ सेन : संसद सदस्यों को दिए जाने वाले फ्लैटों और बंगलों का घटी दर से किया प्रभार लिया जाता है। एक दिन वाणिज्यि दर और लिए जाने वाली दर के अन्तर को परिलब्धियों रूप में मानने पर विचार किया जा सकता है और सदस्यों से इस अतिरिक्त आय पर आय कर देने के लिएकहा जा सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री हरू भाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं, विशेषकर इस बजट से कि इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो आयकर अधिनियम और कारगर बनाते हैं। इस विधेयक का खण्ड तीन संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के लिए निस्संदेह लाभप्रद है। संसद सदस्यों और राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्यों को मिलने वाले भत्तों की अनभिज्ञ लोगों द्वारा आलोचना की जाती है और वे यह भूल जाते हैं कि संसद सदस्यों और राज्यों के विधान मण्डल के सदस्यों का कोई उद्योग या व्यापार नहीं होता है और वे किसी व्यापारी, ठेकेदार या किसी अन्य पर निर्भर न करके अपनी गृहस्थी चलाने के लिए अपने वेतन तथा भत्ते पर निर्भर रहते हैं। अत संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले भत्तों पर आयकर में छूट देने का सरकार अधिकार देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपाय स्वागत योग्य हैं। इसमें कोई नई बात भी नहीं है। मैं सदन का ध्यान उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अनुच्छेद 22 (घ) की ओर दिलाता हूं जिसमें न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास देने और कुछ अन्य भत्ते देने की व्यवस्था है। सरकार ने संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को भी यह छूट देने की आवश्यकता महसूस की है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

इस विधेयक में अन्य बातों के साथ खण्ड 20 से 25 भी स्वागत योग्य हैं। इस विधेयक में इन धाराओं से "बिना उपयुक्त कारण के" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है। महोदय "बिना उपयुक्त कारण के" शब्द कर दाता को आड़ प्रदान करते हैं और न्यायालयों में इनका दुरुपयोग हो सकता है। अत: कई बार सरकार के लिए कर अपवंचक पर अपराध या कर अपवंचन का मामला सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। अत: अधिनियम में सम्बन्धित अनुच्छेदों से बिना उपयुक्त कारण के शब्दों का लोप करने वाले खण्ड 20 से यह अधिनियम अधिक कारगर बनता है।

यह प्रशंसनीय है कि सरकार ने इस अधिनियम को यह व्यवस्था करके और अधिक प्रभावपूर्ण बना दिया है कि यह कर दाता को सिद्ध करना होगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। खण्ड 29 में इसकी व्यवस्था है। धारा 278ङ में व्यवस्था है कि किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें आयुक्त की सदोष मनःस्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मनः स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा

करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मनःस्थिति नहीं थी। आखिरकार आर्थिक अपराध स्पष्ट अपराध है और इस मामले में यह सिद्ध करने का दायित्व करदाता या अभियुक्त का ही होना चाहिए कि वह दोषी नहीं है। यदि यह उपबन्ध नहीं हो तो उसका अपराध सिद्ध करना बहुत कठिन है। दुर्भाग्यवश, अपने देश में हम अंग्रेजों के विधिशास्त्र का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि "999 दोषी व्यक्तियों को बरी किया जा सकता है परन्तु एक निर्दोष व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।" अतः कानून की सामान्य अवधारणा है कि जब तक यह दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक यह सिद्ध करने का दायित्व राज्य का है कि धंधा अवैध या जाली या बेनामी है। यह बहुत ही अद्भुत स्थिति है कि एक कल्याणकारी राज्य में एक अपराधी को न्यायालय में लाभ मिलता है। और राज्य, जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक बात को सिद्ध करना पड़ता है। अतः मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं जिसमें मुकदमें का दायित्व राज्य के बजाय अभियुक्त पर डाला गया है, आखिरकार कर अपवंचकों के साथ सख्ती की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश, न्यायालय कर अपवंचकों और अन्य अपराधियों का बचाव करते हैं। गत वर्ष कर की दरों में कमी करके सरकार को जो घाटा हुआ था वह छापे मार कर करों की अधिक वसूली से हुई प्रतिपूर्ति से अधिक है। माननीय वित्त मंत्री जी से कल यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि छापों की गति मे कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, छापे अधिक तीव्र गति से डाले जा रहे हैं। परन्तु प्रेस इस बारे में खामोश है। प्रेस इसलिए भी खामोश हो सकता है उन उद्योगपतियों पर जिनका प्रेस पर एकाधिकार है इस समय छापे नहीं डाले जा रहे हैं हो सकता है उन पर पहले छापे डाले गए होंगे अथवा वह किन्हीं अन्य कारणों से चुप होंगे। परन्तु छापे मारने की गति बढ़ रही है और यह किसी भी प्रकार कम नहीं हो रही है।

किरलोसकर के मामले का क्या हुआ? उच्च न्यायालय ने सरकार को इस आधार पर आगे जांच करने की अनुमति नहीं दी कि बिचारे किरलोसकर स्वस्थ नहीं हैं। गुजरात के बड़े आर्थिक मुजरिम श्री सुकर नारायण भाखिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसे न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र का लाभ उठाकर वह अस्पताल में ही रहे और जेल में नहीं गए जबकि सामान्य अपराधियों को जाना पड़ता है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को यह परामर्श देना होगा कि विधेयक को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संसद से अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग करे ताकि आर्थिक अपराधियों को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सके। अपराध दण्ड संहिता के समान अर्थ में अजमानतीय नहीं अपितु अजमानतीय इस अर्थ में कि जब तक विशेष कारण न हों तब तक अपराधियों को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जैसे कि उन अपराधियों के मामले में जिन पर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है और अन्य अपराधों जिनके लिए 10 वर्ष अथवा आजीवन कारावास न्यूनतम दण्ड है। इसी प्रकार, अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में, मै आपराधिक दंड संहिता की धारा 438 की जांच करने और यह निश्चय करने के लिए अनुरोध करता हूं कि क्या इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत न मिले सके। इस अग्रिम जमानत के कारण राज्य इन आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने अथवा कार्यवाही करने में असमर्थ होती हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर सम्बन्धी कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो, अभी और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। और इस बारे में मुझे एक शिकायत है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 का आर्थिक अपराधियों द्वारा प्रायः दुरुपयोग किया जाता है।

[श्री हरूभाई मेहता]

महोदय, क्या हम ऐसी स्थिति पर विचार कर सकते हैं, जिसमें लाभप्रद धारा 226 और 32 का आर्थिक अपराधियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए। कभी-कभी न्यायालय उन करोड़पतियों और उन अन्य लोगों को संरक्षण देते है जो कर कानूनों इत्यादि का अपवंचन करते हैं। आखिरकार, कर अपवंचन अथवा कोई आर्थिक अपराध आर्थिक विश्वासघात से कम नहीं हैं। यदि अपराधियों के साथ इतनी ढील और उदार व्यवहार किया जाता रहा तो सरकार के लिए उन लोगों से जो कर प्रदान कर सकते हैं पर्याप्त साधनों से वसूली द्वारा विकास के मामले में लोगों को दिए गए वचन को पूरा करना असंभव होगा। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि जो व्यक्ति कर अपवंचन अथवा आर्थिक अपराध का दोषी पाया जाए उसे किसी भी कम्पनी में किसी भी पद के लिए अयोग्य समझा जाना चाहिए। जब तक ऐसे निवारक उपाय सरकार को प्रदान नहीं किये जाते तब तक आर्थिक अपराधों पर प्रतिबन्ध लगाना कठिन होगा। मैं समझता हूं कि अक्सर यह शिकायत की जाती है कि अधिनियम और नियम बहुत सरल नहीं हैं। यह बहुत जटिल हैं। तथापि यह अधिकांशत: भ्रामक है क्योंकि अधिकतर जो लोग आयकर और अन्य कर बहुत अधिक मात्रा में देते है वह चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट और वकीलों से परामर्श करते हैं। उन्हें स्वयं अपने प्रपत्र नहीं भरने होते हैं। वह केवल एकाउन्टैन्ट द्वारा भरे गए प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं। कानून इसलिये जटिल नहीं बनता क्योंकि सरकार हमेशा ऐसा चाहती है अपितु इसलिये जटिल बनता है न्यायालयों द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि कानून अस्पष्ट नहीं होना चाहिये। यह सुस्पष्ट होना चाहिए और वह कानून के विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या अथवा गलत व्याख्या करते जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति से निपटने के लिये, जहां कई बार अधिनियमों अथवा संविधान की व्याख्या इस ढंग से की जाती है, जैसा कि हमारे संविधान के निर्माताओं का कभी कोई इरादा नहीं था, उस उपबंध में संशोधन करना होगा और इस प्रकिया में यह कई बार अधिक जटिल हो सकता हैं। यह जटिलता संविधान के उपबन्धों को पूरा करने के लिये सरकार की आवश्यकता और न्यायालयों की कार्यवाही के कारण उत्पन्न होती है न कि सरकार के इरादे के कारण उत्पन्न होती हैं। अत. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक अपराधों का सम्बन्ध है यह विधेयक जांच करने और मुकदमा चलाने के मामले में सरकार के हाथ मजबूत करता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को अधिक से अधिक कर वसूली करने के लिए और काले धन को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास और तेज करे। और मेरा यह भी निवेदन है कि यदि आवश्यक हो तो सरकार संसद से और अधिक शक्तियों की मांग करे। परन्तु हर हालत में आर्थिक अपराधों के खतरे को हमेशा के लिए दृढ़तापूर्वक समाप्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एंड मिसलेनीयस प्रोविजन्स बिल-86 प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जब एक्साइज बिल पेश किया था तो उसमें काफी एक्जेम्पशन देने की बात कही थी और इसमें भी आपने कंसेशन देने की बात कही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे सरकार को कितना नुकसान होगा। आपने एक पैसे की भी बात नहीं की है। इससे यह महसूस होता है कि कुछ

बड़ा मामला है इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें कुछ भी नहीं लिखा ताकि पार्लियामेंट के मैम्बर्स को यह जानकारी न हो कि सरकार को कितना नुकसान इन कंसेशन्स की वजह से हो रहा है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को यह सरकार कितने पैसे का फायदा दे रही है। जिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने आपकी बात को कभी भी नहीं माना, चाहे आपने वेयरर बान्ड निकाले या ब्लैक मनी को दूर करने की कोई भी व्यवस्था की हो। रुपये में से एक पैसा सरकार को दे देते हैं और सरकार को बहला देते हैं कि हमने सारा ब्लैक मनी निकाल दिया है। आप बराबर उनको कंसेशन देते जा रहे हैं। बिरला, टाटा या जो भी मोनोपोली हाऊसेज हैं, उनकी तमाम सम्पत्ति पर पूरे तरीके से पहरा लगा दीजिए। इससे पता चलेगा कि कितना ब्लैक मनी उन्होंने घर में दबाकर रखा हुआ है। हमारे राजस्थान के पूंजीपति घर के अन्दर कुंआ खोदकर सारा सोना उसमें भर देते हैं और ऊपर पानी भरा रहता है ताकि सरकारी अधिकारियों को यह पता न चले कि कहां पर सोना रखा हुआ है। हिन्दुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहां राजस्थान का बनिया न पहुंचा हो, उसने वहां के सारे कारोबार पर अपना कब्जा न जमा लिया हो और सारे धन को अपने पास इकट्ठा न कर लिया हो। इसलिए वित्त मन्त्री जी आप उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करते।

अब मैं आपसे इस बिल के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपने हम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट पर यह मेहरबानी कर दी कि हमको मिलने वाला 1250 रु० जो आप हमें कांसटीटूऐंसी एलाउंस करके देते हैं, उसको कर से मुक्त कर दिया। लेकिन अगर आपको पता हो तो इससे पहले जो कानून बने हुए थे, उनके अनुसार मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलने वाले सभी एलाउंसेज, चाहे वह कांसटीटूऐंसी एलाउंस हो, डेली एलाउंस हो या कोई दूसरा एलाउंस हो, कर-मुक्त थे, उन पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगता था। फिर आपने यह बिल लाकर हमारे ऊपर कौन सी मेहरबानी कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पे-कमीशन की रिपोर्ट आई है, उस में आपने आई०ए०एस० और दूसरे बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाकर किसी की 8 हजार, किसी की 9 हजार और किसी की 10 हजार रु० नहीं कर दी है। हम एम०पीज० बेचारों को तो सिर्फ एक हजार रु० तनख्वाह मिलती है उसमें कैसे तो वह अपना खर्च चलाये, कैसे कान्सटीटूऐंसी के खर्च करे और मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनके सम्बन्ध बड़े पूंजीपतियों से हैं, बड़े ठेकेदारों से हैं या जिनके पास आमदनी का दूसरा जरिया है, उन की बात दूसरी है लेकिन मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता, जो मजदूरों में काम करता हो, किसानों में काम करता हो, वह किस तरह से अपना सारा खर्च चलाये। इसलिए आप सोचिए कि जब आप हमें 1250 रु० कांसटीटूऐंसी एलाउंस देते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि हमारी कांसटीटूऐंसी कितनी बड़ी है, सभापति महोदय, यदि उसका एक बार भी जीप से टूर करने निकल जायें तो सारा पैसा एक बार में ही डीजल और पैट्रोल पर खर्च हो जाएगा। फिर आपने हमारे ऊपर कौन सी मेहरबानी कर दी, आप किस वजह से यह बिल लाये हैं। आप हमें मिलने वाले 12 0 रुपये को काट लीजिए, फिर किसी इन्कम टैक्स आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हजार रुपये पर तो कोई इन्कम टैक्स नहीं लगता है। ताकि हम एम०पीज० पेटों पर पट्टी बांधकर, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वह काम हम बिना पैसे के भी करेंगे, क्योंकि हमें तो देश सेवा करनी है और इस देश को आगे बढ़ाना है। पैसे की फिर कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

माननीय वित्त मन्त्री जी, आपने हम एम०एल०एज० और एम०पीज० को यह कन्सेशन देकर बड़ी कृपा की है और हम सब लोग आपके शुक्रगुजार हैं। आपने एम०एल०ए० को 600 रु० और एम०पीज० को 1250 रु० तक करमुक्त किए हैं, क्या आपको मालूम है कि एम०एल०ए० को कितने पैसे मिलते हैं। हिन्दुस्तान भर में कहीं भी देख लीजिए, यू०पी०, बिहार, बंगाल, राजस्थान, सभी जगह एम०पीज० से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उस बेचारे को आपने 600 रु० तक ही छूट दी, यदि आप उससे ज्यादा पैसे पर उससे इन्कम टैक्स वसूल करोगे तो यह एम०एल०एज० के साथ दोहरे व्यवहार वाली बात हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता, आप ऐसी नीति पर क्यों चलना चाहते हैं। उसे केवल 600 रु० छोड़कर बाकी सारी आमदनी पर टैक्स देना पड़ेगा, यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, और मेरा निवेदन है कि आप सारी व्यवस्था पर फिर से विचार कीजिए और इसे ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। (व्यवधान) सैलरी एलाउंस अगर उनको जंचेगा तो करेंगे, लेकिन उन्हें हमारी हालत का पता ही नहीं है। अब मैं आपसे फ्री-ट्रेड जोन के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

आपने कुछ जगहों पर फ्री-ट्रेड जोन बना दिए और उनमें इंडस्ट्री लगाने पर आप 8 सालों तक कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे। यह कितना बड़ा कन्सेशन आप इन बड़े पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं। आप जिस इरादे से यह प्रावधान करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि तमाम बैकवर्ड और दूसरे इलाकों में इंडस्ट्री लग जाएं, वह बात मानी जा सकती है। लेकिन इससे क्या होगा कि कुछ समय बाद आपका वह एरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बड़े पूंजीपति उन फ्री-ट्रेड जोन्स में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगायेंगे, 8 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की भारी राशि की बचत करेंगे और उसके बाद खूब मुनाफा कमा कर, न केवल अपनी सम्पत्ति को दुगना, चार गुना या 10 गुना करेंगे, बल्कि दूसरे लाभ भी उठायेंगे। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आपने ऐसा प्रावधान शायद इस विचार से किया होगा कि फ्री-ट्रेड जोन्स के कारण आपका एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके फौरेन एक्सचेंज कमा कर देश की आर्थिक स्थिति को सम्पन्न बनाने में मदद करेंगे। मगर इन बनियों को कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है जब कि इन बनियों ने देश के साथ किसी प्रकार की हमदर्दी दिखाई हो। इन्होंने केवल अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश की है। इन्होंने कभी भी देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाने की कोशिश नहीं की है। राजस्थानी में एक कहावत है जिसका हिन्दी में अर्थ यह है कि आम, नीबू और बनिया की गर्दन जितनी दबाओगे, उतना ही ज्यादा रस देगी। इसलिए इनको दबाने से ज्यादा पैसा मिलेगा। इनको कंसेशंस देने से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपने जब ऐसी व्यवस्था की है, तो आप इसको तीन-चार साल देखिए कि कितना पैसा मिलता है। अगर अच्छा पैसा ये देते हैं, तब तो वैल एण्ड गुड। अगर ये व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स अच्छा पैसा नहीं देते हैं, तो मेरी आपसे आज ही प्रार्थना है कि यह जो कंसेशन दिया है, इसको तुरंत विथड्रा कर लीजिए क्योंकि आप हिन्दुस्तान के खजाने को निकम्मे लोगों के ऊपर बर्बाद करने जा रहे हैं। इसलिए आप इस पर विचार करें।

अब, मैं डिप्रीशिएशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। आपने यह कंसेशन मशीनरी और अन्य प्रकार की बातों के ऊपर दिया है। मोटर और मकान पर जो आपने डिप्रीशिएशन दिया है, उसके बारे

में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो मशीनों के ऊपर डिप्रीशिएशन की बात है, इस पर मुझे शक है। क्योंकि ये उद्योगपति लोग मशीनें खरीदेंगे नहीं और मशीनों के नाम पर करोड़ों रुपयों का कंसेशन इस बहाने से ले लेंगे। आपने इन्कम टैक्स में भी सहूलियत दी है डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, इनके ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मगर माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये उसमें तो काट देते हैं लेकिन उस फंड में ये जमा नहीं कराते है और उसका उपयोग अपने लिए कर लेते हैं। ये लोग कभी मशीन नहीं खरीदते, पुरानी को ही बता देते हैं और कभी इंडस्ट्री को माडर्नाइज नहीं करते, बल्कि डिप्रीशिएशन के नाम पर अपना फायदा करने की कोशिश करते हैं। मोटर अगर पुरानी पड़ गई, उसको बेचकर नई खरीदनी है, तो बात और है जैसे मीडियम मैन को मिलता है, लेकिन इन बड़े-बड़े लोगों को डिप्रीशिएशन नहीं देना चाहिए। यदि आप यह कंसेशन दे ही रहे हैं, तो यह उस फण्ड में जमा होना चाहिए। अगर यह उस फण्ड में जमा नहीं होता है, तो इसका शतिया वे दुरुपयोग करेंगे, इसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है।

सभापति जी, इसी तरह से मन्त्री महोदय ने बैकवर्ड एरियाज में टैक्स होलीडे किया है। इसमें आपने यह नहीं बताया है कि यह कितने वर्षों के लिए किया है। इस सम्बन्ध में आपने इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। यह एक अच्छा काम आपने किया है। इसलिए मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और प्रशंसा भी किए बिना नहीं रहूंगा। लेकिन आपने बहुत कोशिश की कि उद्योगपति अपने उद्योग बैकवर्ड एरियाज में लगाएं, आपकी उन कोशिशों का और आपके कहने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वे नहीं गए। लेकिन इस टैक्स होलीडे को कर के आपने एक अच्छा काम किया है और इसका फायदा उठाने के लिए अब वे लोग जरूर बैकवर्ड एरियाज में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब वे वहां पर जरूर अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, मगर यह फायदा उन को कितने दिन तक मिलने वाला है, यह आपने इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए। सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी कर के माननीय मन्त्री जी से पूछ लीजिए कि यह कितने दिन तक मिलने वाला है। क्योंकि पूंजीपति लोग अपने फायदे को और पैसे को इसका लाभ उठाकर दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाते न रहें। इसलिए इसमें समय-सीमा का होना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है। आपने सैटलमेंट कमिश्नर की बात इसमें कही है। मैं कुछ दिन पहले एक कमेटी में गया था वहां पर मैंने देखा है, उसमें जांच करने पर हमें पता लगा कि कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। उसमें कितना क्या कुछ है, उस बारे में तो यहां पर आपको कोई डिटेल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सैटलमेंट कमिश्नर अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से अंजाम नहीं देते। जिस मकसद के लिए आपने सैटिलमैंट कमिश्नर बनाये हैं, आपस में बातचीत के जरिए आपके मामलात का फैसला करने के लिए, उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता है और जो टैक्स सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सैटिलमैंट कमिश्नर का प्रयोग करो, उस पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करो जो ईमानदार और योग्य हों, जिनकी इंटैग्रिटी पर आपको भरोसा हो। यह

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बहुत जिम्मेदारी का काम है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से इनका ताल्लुक पड़ता है, जिनके सोने और चांदी से आकर्षित होना किसी मामूली आदमी के लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये एक्सैप्शनल लोग होने चाहिए जिनको हर प्रकार की जिम्मेदारी का काम दिया जाए ताकि वह आपके सरकार के खजाने को कोई नुकसान न होने दें और ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करें तब जाकर इसका ज्यादा फायदा होगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, बोलना तो मुझे बहुत था, मगर आप बारबार घंटी बजाये जा रहे हैं इसलिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों का इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आभारी हूं। वास्तव में माननीय सदस्यों को दिया गया समय, जैसा कि सदस्यों ने दावा किया है, पर्याप्त नहीं था परन्तु उन्होंने चर्चा में बहुत अच्छा योगदान दिया है और वास्तव में इससे मुझे भावी सन्दर्भ में भी सहायता मिली है जब उन्होंने कहा कि संसद में पूर्ण वाद-विवाद के लिए विधेयक को संसद में काफी पहले लाया जाना चाहिए।

माननीय संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं यद्यपि कुछ आलोचना भी हुई है। आलोचना अच्छी है और बहुत ही रचनात्मक है। साम्यवादी दल के माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने उन मारे गए छापों और काले धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की प्रशंसा की है और यह प्रयास जारी रखे जाने चाहिए और छापे डालने की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार कर-अपवंचकों और काले धन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है। यदि मैं ऐसा कहूं और यदि कोई व्यक्ति यह कहने का साहस करे कि देश की अर्थव्यवस्था में कतिपय विशेष धनराशि काले धन की है तो यह सब प्रयास व्यर्थ होगा। कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इतना काला धन है। परन्तु कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यदि मैं भी यह प्रयास भी करूं तो मुझे विशिष्ट आंकड़े प्रदान करने की बात मेरे नाम मढ़ी जाएगी।

इस चर्चा का उद्देश्य और इस राष्ट्र का संकल्प यह है कि यहां एक समानान्तर अर्थव्यवस्था है, कि यहां काला धन विद्यमान है और हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना होगा और अधिक प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान सरकार ने इस दिशा में पग उठाया है, क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं ? माननीय सदस्यों के हित के लिए मैं यह बता सकता हूं कि हमने वर्ष 1985-86 में वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान की अपेक्षा 2616 करोड़ रुपए अधिक एकत्र किए हैं। यह धन कहां से आया है ? क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से आया है ? यह कहां से आया है ?

महोदय, प्रणाली में पहले उपाय किए गये थे, इसमें विशेष धारक बंध पत्र थे। जब योजना आरम्भ की गई तो यह व्यवस्था थी कि कुछ वर्षों के पश्चात हमें वह राशि धारक बंध पत्र धारियों को देनी होगी भले ही हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण लेना पड़े। हमने ऋण कब लिया? जब यह 5000 करोड़ रु० तक पहुंच गया तो क्या हुआ? हमें इसे वापस करना था। यहां तक कि विशेष धारक बंध-पत्र के मामले में, काले धन की समस्या से निपटने के उपाय के रूप में हमें वह राशि देनी होगी जबकि देश के विकास के लिए हमें 2616 करोड़ रु० प्राप्त हुए और हमें किसी व्यक्ति को एक पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है? बजट अनुमानों की तुलना में हमें कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्ष 1985-86 के लिए बजट अनुमान क्या है? सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आय-कर के लिए बजट अनुमान 25,209 करोड़ रु० है, वास्तविक रूप में 2,616 करोड़ रु० तक जमा हुए जिन से 27,825 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

पहली बार ऐसा हुआ है और···

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सीमा शुल्क कितना है?

श्री जनार्दन पुजारी : चाहे यह सीमा शुल्क है अथवा उत्पादन शुल्क है अथवा आयकर, इसमें से सीमा शुल्क अधिक है और वह है 1352 करोड़ रु०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 701 करोड़ रु० है और आयकर 563 करोड़ रु० है। माननीय सदस्यों के लाभ के लिए, उन्होंने बताया है कि तेल राजस्व में वृद्धि होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके विपरीत वर्ष 1985-86 में लगभग 200 करोड़ रु० की हानि हुई है और इसके बावजूद आयकर में 563 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। क्या यह मामूली उपलब्धि है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने बहुत संगत मुद्दा उठाया है। हमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ओर हमें ध्यान देना है और इस राशि का उपयोग कमजोर वर्गों के कल्याण के विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। महोदय, आयकर का 85 प्रतिशत भाग राज्य को जाएगा, संघ उत्पाद शुल्क का 45 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा। यह राज्यों को और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी दिया जा रहा है (व्यवधान) महोदय, भले ही यह राशि विकासात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त की गई है, यह राशि राष्ट्रीय राजकोष में आई है। यह कहा जा सकता है कि एक राज्य को कुछ ज्यादा मिली और अन्य राज्य को कुछ कम, लेकिन कुल मिलाकर यह राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों में लगाई गई है। यहां तक कि यदि आपको कुछ परियोजनाओं के लिए धन खर्च करना है भले ही वह परियोजनाएं पश्चिम बंगाल अथवा कर्नाटक अथवा राजस्थान में हैं। महोदय परियोजनाएं कुछ राज्यों में होंगी। कोई स्थान केन्द्रीय सरकार का स्थान नहीं कहा जाता है। वह भारत होगा। राज्य लाभ उठाएंगे।

1.53 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं माननीय सदस्य इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इनके द्वारा गरीबी की

[श्री जनार्दन पुजारी]

रेखा से नीचे रह रहे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह धन विकासात्मक कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

अब मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि हमने क्या कार्रवाई की है? और क्या हमने इन बड़े लोगों, इन बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, कल मैंने आंकड़े दिए थे और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं बताऊंगा—मुकदमों के मामले में— वर्ष 1984-85 में गैर-तकनीकी मामले, मुकदमे 812 थे जिन्हें गुप्त रखा गया और 1299 तकनीकी दृष्टि के अपराध के मामले हैं। 1985-86 में गोपनीय रखे गए मामले 812 से बढ़कर 1676 और तकनीकी दृष्टि के अपराधों के मामले 1299 से बढ़कर 2403 हो गए हैं। 1984-85 में 58 मामलों में दोष सिद्ध हुए और 1985-86 में इनकी संख्या 70 हो गई। इन लगभग 4000 मामलों में से मुकदमा चलाए जाने के बाद संयोजित मामलों की संख्या केवल 34 रह गई। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि उस में सांठ-गांठ है और कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने कार्रवाई की है और हम किसी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। आयकर आयुक्तों और यहां तक कि सहायक आयकर आयुक्तों और अन्य अधिकारियों सहित ऊंचे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन लोगों के विरुद्ध भी अभियोग लगाए जाने चाहिए जो अपने साधनों की तुलना में अधिक सम्पन्नतापूर्वक रह रहे होंगे। हमें इस सम्बन्ध में बहुत कठोर होना चाहिए और उनके घरों में छापे भी मारे जाने चाहिए। यह कार्रवाई हमने की है। इसके साथ ही, जहां लोग कार्यकुशल है, जहां लोग निष्ठावान हैं समर्पण हैं और वचनबद्धता के साथ काम करते हैं और उन्होंने राष्ट्र को 2616 करोड़ रु० दिए हैं, क्या संसद और राष्ट्र का यह कर्तव्य नहीं है कि उन्हें शाबाशी, बधाई और सम्मान दें। यह हमारी भावना होनी चाहिए। मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कल बोलते समय इन लोगों को बधाई दी है। आज मैंने एक भी सदस्य से जिन्होंने कुछ उन अधिकारियों की जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जोरदार आलोचना की, ऐसी बात नहीं सुनी। मैं महसूस करता हूं कि हम देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि कुछ अधिकारी कार्यकुशल हैं और ईमानदार हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इस सर्वोच्च संस्था में कहा गया एक शब्द भी बहुत प्रभावी होगा। यह हमारी भावना होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल से सदस्यों -- श्री चौधरी और कुमारी ममता बनर्जी ने मंत्री महोदय का समर्थन किया है।

(व्यवधान)

2.00 म०प०

श्री जनार्दन पुजारी : इन उपायों के कारण देश अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने यह कहते हुए एक मुद्दा उठाया है कि इससे या तो चाटा

होगा अथवा नियंत्रित मूल्य होंगे। महोदय, अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब आप एक वर्ष में 2616 करोड़ से प्राप्त कर सकते हैं तो इस दर से 10 वर्षों में हम लगभग 11 से 12 हजार करोड़ रु० से भी अधिक प्राप्त कर पाएंगे। (व्यवधान)

मैं एक अन्य प्रश्न पर आता हूं जो कि विपक्ष ने यह कहते हुए उठाया है कि क्या यह उत्साह बना रहेगा। जी हां, माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई माह के अन्त में, आप देखेंगे कि हमारा कार्य निष्पादन क्या है। हमें 135 करोड़ रु० मिले हैं। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों से अधिक है और हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि यह दर्शाता है कि हम अधिक धनराशि एकत्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक हमें बहुत ही शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। राजस्व विभाग की ओर से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त करेंगे। यह हमारा प्रयास है और यदि प्रयास जारी रहते हैं और यह भावना बनी रहती है, वही वचनबद्धता बनी रहती है तो हमारे विभाग और मंत्रालय को आपके प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्रियों की निष्ठा पर भी सन्देह व्यक्त किया है। मैं नहीं जानता कि किन मंत्री के लिए यह कहा गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किस सदस्य ने ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं नहीं जानता कि वह कौन मन्त्री है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक वित मंत्रालय का संबंध है, जहां तक वित्त विभाग का संबंध है, कोई इनकी निष्ठा पर संदेह नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं यदि कुछ हुआ है, जो भी गलत कार्य हुआ है चाहे वह मन्त्री सहित उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है, किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए हम पर विश्वास रखें। (व्यवधान) समझौता आयोग के विषय को लें, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। मुद्दा उठाने के बाद वह सदन से बाहर चले गए हैं। अन्य सदस्यों ने भी इसकी आलोचना की है···

उपाध्यक्ष महोदय : कल वह इसे पढ़कर सुनाएंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने समझौता आयोग के बारे में जो कहा है उसके बारे में भी मैं यहां स्पष्ट करूंगा। मैं श्री व्यास की इस बात से सहमत हूं कि समझौता आयोग से संबंधित व्यक्ति निष्ठावान, विद्वान और कार्य कुशल होना चाहिए। यही हमारा प्रयास है। हमें अभी तक समझौता आयोग के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हम माननीय सदस्यों को आश्वासन देते हैं कि ईमानदार, कार्यकुशल और विद्वान व्यक्ति समझौता आयोग में रखे जाएंगे। उन्होंने पहले ही ऐसा किया है। यहां हम इन्हें नियुक्त करते समय माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये सुझावों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद संसद सदस्यों के भत्तों के बारे में आलोचना की गई है कि हमने विधायकों के साथ भेदभाव किया है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह उपबन्ध किसी विशिष्ट उद्देश्य से किया गया है। जहां तक संसद सदस्यों का संबंध है, उन्हें 1250/- प्रति मास का निर्वाचनक्षेत्र भत्ता दिया जाता है। इस-

[श्री जनार्दन पुजारी]

लिए, इसमें छूट दी जानी चाहिए। छूट के लिए, इसे इसके अन्तर्गत लाया गया है। यह भेदभाव क्यों किया गया है? विधायकों के लिए 600 रु० की सीमा क्यों नहीं निर्धारित की गई? जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, उनका निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। कई बार तो एक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में आठ विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और उसे 1250 रु० का भत्ता दिया जाता है। (व्यवधान) क्या यह भत्ता पर्याप्त है अथवा नहीं, इस पर, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संसदीय कार्य मंत्री जी को अभ्यावेदन दें। मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: वे इसे फिर वित्त मंत्रालय को भेजेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी: इस भत्ते के पर्याप्त होने के बारे में, सदस्य अपना अभ्यावेदन संसदीय कार्य मन्त्री जी को दे सकते हैं, वे इसे उनके ध्यान में ला सकते हैं। इसके साथ ही, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सी०पी०एम० के कुछ सदस्य इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं चाहते। मैं यह बात आप पर छोड़ देता हूं। इसका विरोध हुआ था। जब इसे बढ़ाया गया था तो हमें राज्य सभा में सी०पी०एम० सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब इस बारे में निर्णय लेना आपका काम है।

जहां तक भेदभाव का संबंध है मैं यहां केवल एक बात कह रहा हूं। आपके यहां एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आठ विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को लगभग 1650 रु० निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 1250 है जबकि विधायक 1650 रु० ले रहे हैं। इस बात पर विचार किया गया था कि क्या उस राशि को छूट दी जानी चाहिए। हमारा यह विचार था कि 600 रु० की सीमा पर्याप्त थी, इसी बात को ध्यान में रखकर यह सीमा रखी गई थी इसलिए यह छूट केवल 600 रु० तक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्यह्रास तथा सरलीकरण के बारे में कुछ बातें कही हैं। जहां तक सरलीकरण का संबंध है हमने एक उपबन्ध करने के बारे में सोचा है। अन्य व्यक्तियों के लिए कर-योग्य सीमा है, यह सीमा 18,000 तक है। वे धारा 139 के अन्तर्गत विवरणी दे सकते हैं। अब हम यह प्रक्रिया समाप्त कर रहे हैं। यदि कर देय राशि अर्थात 18,000 तक नहीं है तो किसी व्यक्ति को कोई विवरणी देने की जरूरत नहीं है। इसी एक उपाय द्वारा कदम लगभग 10 लाख विवरणियां भरने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सीमा तक तो सरलीकरण हो गया। इतना ही नहीं इससे प्रशासन का भार भी कम हो गया। एक बात और है। इस उपबन्ध से, हमने काला धन समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाया है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरा उत्तर सुनना चाहते थे किन्तु मैं तो पहले ही उत्तर दे चुका हूं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप अपना उत्तर दोहराइये।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा करना जरूरी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अनुपस्थित था। कोई नहीं, मैं इसे पढ़ लूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ उपबन्ध में तो आशय बिल्कुल स्पष्ट है···

एक माननीय सदस्य : काले धन के बारे में आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने उपबन्ध कर दिया है।

ये जो कदम हमने उठाए हैं उनसे यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार काले धन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले तथा किसी सरकारी कम्पनी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय-कर और अतिकर में छूट के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 (धारा 10 में संशोधन)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 2, पंक्ति 16 और 17, :—

"जो प्रतिमाह एक हजार दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है" का लोप किया जाये।'

(1)

[श्री मूल चन्द्र डागा]

'पृष्ठ 2, पंक्ति 21 और 21, :—

"जो प्रतिमाह कुल मिलाकर छह सौ रुपए से अधिक नहीं है" का लोप किया जाए।'

(2)

अब मैं खण्ड 3 (दो) को पढ़ता हूं :

"किसी व्यक्ति द्वारा संसद की या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किये गये अन्य भत्ते जो एक हजार दो सौ पचास रुपये से अधिक नहीं है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य विधान मण्डल या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किये गए सभी अन्य भत्ते जो कुल मिलाकर छ सौ रुपए से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।"

मेरा यह अनुरोध है कि किसी सदस्य को बहुत सी समितियों का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है और उसे इसलिए धन मिलता है क्योंकि इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसे दैनिक भत्ते के रूप में 75 रु० मिलेंगे। अब वह 1250 रु० अथवा 600 रु० से अधिक नहीं ले सकता। राजमंगल पांडे जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल के सदस्य को 1250 रु० निर्वाचनक्षेत्र भत्ता मिलता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि 'कुल मिलाकर बारह सौ पचास रुपये प्रतिमास से अधिक न हो' का लोप किया जाना चाहिए। आखिरकार आप यह जानते हैं कि एक संसद सदस्य को क्या मिलता है। सांसद को उसे पाकिस्तान जैसे छोटे से देश में एक सांसद को जितना मिलता है, उससे भी कम मिलता है। वहां के सांसदों को हमारे यहां के सांसदों से अधिक आय मिलती है।

[हिन्दी]

इस प्रकार से आप एलाऊन्स कम करना चाहते हैं। आप यह बताएं कि इसको इस बिल में लाना क्यों जरूरी था। हमारे पास स्टेनो नहीं है, हमें कार एलाऊन्स नहीं मिलता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने का हमारे पास कोई साधन नहीं है और कन्वीयेन्स का कोई साधन नहीं है और आपने यह नई चीज लगा दी। मान लीजिए एक मेम्बर चार कमेटीज में रखा गया है और वह ज्यादा काम कर रहा है और ज्यादा मेहनत करके कमेटी में काम कर रहा है, जिसका उसे कुछ रुपया मिल रहा है, तो आपने यह क्यों कर दिया। मैं कहता हूं कि आप इसको ओमिट कीजिए। इससे आगे चलकर हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा और हमें अपने एकाउन्ट्स सबमिट करने पड़ेंगे। हम को जनता ने चुना है और देश की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि बनाकर भेजा हैं और भेजने के बाद वह अपने देश को हम से चलाना चाहती है और इसमें आप आ कर हमारे ऊपर यह रोक लगाते हैं। इस लिए इसको ओमिट करना बहुत जरूरी है। आप पहले वाले क्लाज को देखें।

[अनुवाद]

मैं आपका ध्यान धारा 10 की ओर दिलाता हूं।

आय-कर अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है :

"किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय का आकलन करते समय, निम्नलिखित खण्डों के अन्तर्गत आने वाली किसी आय को शामिल किया जाएगा ··

किसी व्यक्ति द्वारा संसद की या राज्य विधान मण्डल की या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किया गया कोई दैनिक भत्ता या संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम, 1975 के अन्तर्गत संसद की किसी सभा के सदस्य द्वारा प्राप्त किया गया कोई दैनिक भत्ता।"

इसका तो पहले ही उल्लेख किया गया है। यह संशोधन क्यों जरूरी था ? इसलिए कृपया मेरा संशोधन स्वीकार कीजिए। इस विधान द्वारा आप इसे वापस ले रहे हैं। आप आज एक-एक करके इस खण्ड को स्वीकार कर लें और इस पर विचार करें तथा इस बारे में निर्णय कल ले लें। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर फिर से विचार करें। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं तथा आग्रह करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री डागा ने प्रभावशाली दलील दी है। मैं उनकी तथा अन्य माननीय सदस्यों की शिकायतों को समझता हूं। मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी विद्यमान छूट को वापस नहीं लिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 3 जनवरी, 1986 से दिया गया है। पुराने नियमों, संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं नियम, के अन्तर्गत संसद सदस्यों को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए छूट दी गई थी) क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 3 जनवरी, 1986 से दिया गया है, इसलिए यह संशोधन पिछली अतिरिक्त सुविधा के स्थान पर उस निर्वाचन क्षेत्र पर लागू करने के लिए लाया गया है।

जहां तक 600 रु० की अधिकतम सीमा तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि उसे क्यों नहीं किया गया। वित्त मन्त्रालय में मन्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक सदस्य के रूप में मैं श्री डागा का निश्चित रूप से समर्थन करूंगा और हम संसद को अभ्यावेदन अवश्य भेज सकते हैं। किन्तु मैं इसे इस रूप में इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं खण्ड तीन के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 1 तथा 2 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-4 (धारा 10क में संशोधन)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2—

(i) पंक्ति 30—

"क्रमवर्ती" का लोप किया जाए।

*(ii) ..... (3)

आप पांच वर्षों के लिए लाभ देना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप "क्रमवर्ती" पांच वर्ष क्यों कहते हैं।

मैं "क्रमवर्ती" शब्द का लोप चाहता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि किसी इकाई से बाद के वर्षों में भी लाभ की आशा की जाती है और यदि इस इकाई को घाटा सहना पड़ता है तब हम उसे कैसे समर्थन दे सकते हैं ? यह न केवल देख-रेख के ख्याल से बल्कि प्रशासनिक कारणों से भी आसान होगा। यही कारण है कि हमने यह उपबन्ध रखा है और श्री डागा का संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : अपने संशोधन संख्या 3 को वापस लेने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 6 विधेयक का अंग बने।"

*विधेयक के हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 7 (धारा 41 में संशोधन)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4 पंक्ति 2—

"पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर "पच्छत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

महोदय कम से कम यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसा अमेंडमेंट है। क्या 25 हजार रुपए में कार आ सकती है, 25 हजार रुपए में मेरे ख्याल से कोई खिलौना भी नहीं आ सकता। (व्यवधान)

मारुति को छोड़िए। इस बात को आप सोचिए और अमेंडमेंट को स्वीकार कीजिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : नहीं कार बन रही है, जो 25 हजार रुपए में आएगी। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको देखिए।

[अनुवाद]

कृपया इस संशोधन पर विचार करें। क्या यह व्यवहारिक है? क्या आप 25,000 रुपये में एक कार खरीद सकते हैं? यह हद हो गई है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि यह राशि बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह राशि एक लाख रुपये तक की जा रही है। आप 75,000 रु० कैसे रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : हो सकता है न्यू एजुकेशन पालिसी में इस तरह की कोई बात हो तो बता दीजिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 25 हजार में जो भी मिलता हो वही खरीद लीजिए और उसको कार समझिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार की नीति विदेशी कारों के आयात को हतोत्साहित करने की है। अपनी आयात नीति को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीमा को नहीं बढ़ाया है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या-4 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या-4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19 (धारा 271 में संशोधन)

श्री मूल चन्द डागा : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 9, पंक्ति 34 और 35

"और यह साबित करने में असफल रहता है कि ऐसा स्पष्टीकरण सद्भावी है।' का लोप किया जाए।" (5)

'पृष्ठ 10, पंक्ति 18

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए।

"और यहां अग्रिम-कर किश्तों की अदायगी का समय पहले ही बीत चुका है, वहां तलाशी की तिथि से 30 दिनों के भीतर अदायगी करें और ऐसे सभी मामलों में, जहां अग्रिम-कर की किश्तों की अदायगी की तारीख अथवा तारीखें समाप्त नहीं हुई हैं, वहां ऐसी आय पर अग्रिम-कर की धनराशि अगली देय तिथि को अदा करें"।' (6)

अब महोदय खण्ड 'ख' में साबित करने लायक नहीं और "साबित करने में असफल रहता है

कि ऐसा स्पष्टीकरण सद्भावी" संशोधन द्वारा आप क्या पायेंगे। एक व्यक्ति जो दोषी है क्या हमें उस पर से यह भार हटा देना चाहिए ? यह आय कर विभाग को साबित करना है कि आप दोषी हैं और कि आप अपनी आय छिपा रहे हैं। अत: यह भार आय कर विभाग पर पड़ता है। अब यदि वह एक स्पष्टीकरण देता है और वह यह साबित करने में असफल रहता है कि ऐसा स्पष्टीकरण सदभावी है, इसका न्याय कौन करेगा ? जब आप पहले ही कह चुके हैं कि यदि वह अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है या यह सिद्ध नहीं कर पाता कि वह ठीक है तब आप इन शब्दों का कि पहले ही साबित करने में असफल ? उपयोग क्यों करते हैं, इसके क्या मायने है ? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। कौन इसे सिद्ध करेगा और किस के सामने वह इसे सिद्ध करेगा। यह आयकर विभाग ही है जिसे यह सिद्ध करना है। अत: यह किसी भी प्रकार आवश्यक नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : सदन के अन्दर भी और संसद के बाहर भी यह कहा गया है कि अभियोग पक्ष में कमियां हैं। कानून की व्यवस्था में इन्हीं कमियों के कारण कई मामले असफल होते हैं। आज भी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक विषय उठाया है कि हम इन चोरों से कैसे मुकाबला करें। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आपने कहा है कि हमें इन कर चोरों का सामना प्रभावी ढंग से करना है। इस कार्य के लिए यहां यह व्यवस्था की गई है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हमें यह सिद्ध करना है कि करदाता ने जान-बूझकर अपनी आय छिपाई है। हमें इसे रोकने के लिए एक त्रुटिहीन प्रणाली बनानी है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत विभाग को छिपाव के मामले को सिद्ध करना है। जहां तक आय के छिपाने के इरादे का संबंध है, यह जिम्मेदारी करदाता पर डाल दी गई है। ऐसा हमने काले धन के प्रकोप का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए किया है और इसलिए श्री डागा का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 5 और 6 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.48 म० पं०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सम्बन्धी कार्रवाई कार्यक्रम के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 पर विचार करेंगे । श्री पी० वी० नरसिंह राव ।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 8 अगस्त, 1986 को सभा-पटल पर रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सम्बन्धी कार्रवाई कार्यक्रम का अनुमोदन करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलु, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि संकल्प में,—

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"निम्नलिखित उपान्तरों के साथ अनुमोदन करती है :—

कि अध्याय—तीन में, पृष्ठ 45-46—

विद्यमान कंडिका 5 तथा उसके अन्तर्गत उप कंडिकाओं के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"5. देश में सभी माध्यमिक विद्यालयों को क, ख, ग कोटियों में वर्गीकृत किया जाएगा। "क" कोटि के विद्यालयों में भोजन व आवास सहित निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। "ख" कोटि के विद्यालयों में निःशुल्क भोजन व आवास सहित नाममात्र का संस्थागत निःशुल्क लिया जायेगा। "ग" कोटि के विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

सामान्य विद्यार्थियों में से प्रतिभाशाली तथा अधिक योग्य विद्यार्थियों का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष एक सामान्य अखिल भारतीय कोटि-निर्धारण परीक्षा आयोजित की जाया करेगी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को "क" कोटि के विद्यालयों में भेजा जाएगा और शेष विद्यार्थियों को "ख" तथा "ग" कोटि के विद्यालयों में भेजा जाएगा। सामान्य कोटि निर्धारण परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम, नगर तथा समुदाय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। इससे विद्यार्थियों के नाजुक दिमाग में आत्मतुष्टि का तत्व समाप्त हो जाएगा। शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया अब नीरस न रहकर प्रतियोगी हो जाएगी। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में घर पर पर्याप्त ध्यान देने की प्रेरणा भी मिलेगी।

विद्यालयों में शिक्षण अंग्रेजी तथा संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में होगा। द्विभाषा सूत्र का, जिसे नेहरू तथा श्रीमती गांधी जैसे प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा सतत रूप से अपनाया गया था, कदापि त्याग नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में हिन्दी शिक्षणरत नवोदय विद्यालयों को अब से बन्द कर दिया जाएगा"।' (1)

श्री ए० ई० टी० बैरो : (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए -

"परन्तु खेद है कि इसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि, ऐसी धन राशि प्राप्त करने के स्रोतों तथा इसमें अनुसरणीय पूर्विक्ताओं का कोई संकेत नहीं है।" (2)

कि संकल्प में,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"परन्तु खेद है कि इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों, विशेषकर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त उपायों की व्यवस्था नहीं की गई है।" (3)

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

[डा० सुधीर राय]

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए—

'निम्नलिखित उपान्तर के साथ अनुमोदन करती है :—

अध्याय III, कंडिका 4(ग), पृष्ठ 44, पंक्ति 2 से 8,—

"अतीत के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए कि एक बार जो सामान दिया जाता है वह न बदला जाता है और न ही उसका रख-रखाव किया जाता है, यह सुझाव है कि छात्रों पर रु० 10/- से 15/- प्रतिमाह की दर से सामुदायिक प्रतिभागिता लगाई जानी चाहिए लड़कियों तथा उन छात्रों को छोड़कर (जिन्हें शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) एकत्र की गई धनराशि प्रतिस्थापन तथा रखरखाव के प्रयोजन हेतु विद्यालय में रहनी चाहिए।"

के स्थान पर

"केन्द्रीय सरकार देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अपने पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को समृद्ध बना सकें।"

प्रतिस्थापित किया जाए।"।' (4)

कि संकल्प में,—

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए—

'निम्नलिखित उपान्तर के साथ अनुमोदन करती है : —

अध्याय III, कंडिका 4(ङ), पृष्ठ 44, पंक्ति 16,—

"भूमिका निभायेंगे" के पश्चात्

"यह कोर-पाठ्यचर्या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा शिक्षा से सम्बन्धित अन्य राज्य अभिकरणों से परामर्श करके तैयार की जायेगी।"

अन्त:स्थापित किया जाए।' (5)

कि संकल्प में,—

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

'निम्नलिखित उपान्तर के साथ अनुमोदन करती है :—

अध्याय III, कंडिका 5, पृष्ठ 45, अन्तिम पंक्ति,—

"सम्बद्ध होंगे।" के पश्चात् "नवोदय विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी।"

अन्त:स्थापित किया जाए।' (6)

कि संकल्प में,—

"अनुमोदन करती है" के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए—

निम्नलिखित उपान्तर के साथ अनुमोदन करती हैं :—

अध्याय V, कंडिका 8, पृष्ठ 74, पंक्ति 4,—
"जाएगा।" के पश्चात्

"स्वायत्त कालेजों, जिनका सभी अन्य सम्बद्ध कालेजों पर कुप्रभाव पड़ेगा, का विकास करने की बजाए केन्द्रीय सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिनसे दोनों स्वायत्त कालेजों और सम्बद्ध कालेजों के, उनकी व्यवस्था बदल जाने तक, त्वरित विकास को शीघ्र सम्पन्न करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहे।"
अन्त:स्थापित किया जाए।' (7)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन। क्या आप भाषण दे रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : जी हां, महोदय।

महोदय, यदि आप चाहते हैं तो मैं बोल सकता हूं। वास्तव में मेरे पास कुछ टिप्पण हैं। मुझे संकल्प की शब्दावली पर किंचित आश्चर्य हुआ था। यह बात नहीं है कि मैं इस सभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा किए जाने का स्वागत नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं (व्यवधान)

श्री ए० ई० टी० बैरो : यह मंत्री महोदय के ऊपर है···

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसे पहले ही पुर:स्थापित कर चुके हैं। अब संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। वह अन्त में उत्तर देंगे। नीति पहले ही परिचालित की जा चुकी है। इसलिए उन्होंने इसका पहले ही उल्लेख किया है। श्री शाहबुद्दीन, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं यह जिक्र कर रहा था कि मुझे संकल्प की शब्दावली पर किंचित

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

आश्चर्य हुआ था। मैं इस बात से पूर्णतया निश्चित हूं कि माननीय मन्त्री महोदय हमेशा हर स्तर पर सदन को विश्वास में लेना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करते समय सदन को विश्वास में लिया था। अब वह कार्यवाही योजना तैयार करने के बाद हमारे पास आए हैं। लेकिन मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि वे इस कार्रवाई योजना के लिए अनुमोदन क्यों चाहते हैं।

कार्रवाई योजना का निर्धारण पूर्णत: कार्यकारी-कार्य है। हम नीति का अनुमोदन पहले ही कर चुके हैं। अब यह उनके ऊपर है कि वह उनके पास उपलब्ध संसाधनों के दायरे में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए क्या करें। हम वस्तुत: यहां विभाग द्वारा नीति के कार्यान्वयन में हर वर्ष की प्रगति की जांच करने के लिए हैं। वह एक आवर्ती कार्य होगा। उन्होंने हमें इतनी मोटी क्यों दी है और इतने कम समय में उसमें जो कुछ अन्तर्विष्ट है उस सबके लिए हमारा अनुमोदन क्यों चाहते हैं ? मैं पूर्णतया निश्चित हूं कि हममें से किसी ने भी इसे मुश्किल से पढ़ा हो। अतएव, यह कुछ रहस्यमय कार्य प्रतीत होता है। इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता क्यों है। इस संकल्प को केवल चर्चा के लिए रखा जा सकता था और कहा जा सकता था कि 'सभा इस पर विचार करे'। इसीलिए मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है। मैं इस विषय पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। हो सकता है कि मैं संसदीय खेल में नया हूं, और मुझे संसद के कार्यकरण की जानकारी न हो। लेकिन इन्हीं विचारों ने मुझे झकझोरा है, अर्थात पूर्णतया कार्यकारी-कार्य के लिए सरकार पूर्वानुमोदन क्यों चाहती है, जबकि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की जा रही है। जिसे वे प्राप्त न कर सकते हों उसके लिए यह अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करने जैसा है।

यह मूल मुद्दा रखने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्रवाई योजना से हमें, सरसरी नजर से देखने पर शैक्षिक समस्या के परिमाण, आयाम देश के सामने शैक्षिक चुनौतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे हमें कार्यक्रम के विभिन्न तत्वों के लिए संसाधनों के तुलनात्मक आवंटन के बारे में बिल्कुल कोई नहीं मिलती है। यह हमें इस बारे में भी कुछ नहीं बताती है कि कुल आवंटन क्या हो सकता है। यह हमें इस बात की भी गारन्टी नहीं देती है कि क्या हमें पिछले बजट में जितना आवंटन किया गया है उसके अलावा कोई आवंटन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उस समय मंत्री महोदय के पास कार्यान्वयन के लिए यह कार्रवाई योजना नहीं। स्पष्ट रूप से उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस बात की गारंटी कहां दी गई है कि उन्हें जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने संसाधन उनके पास होंगे ? उनकी यह बात पहले ही सभा के रिकार्ड में है कि आज शिक्षा के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं वे सामान्य रूप से अपर्याप्त हैं। हाल ही में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन देने की महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हुई थी और मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि संसाधनों के अभाव में हम ऐसा करने में समर्थन नहीं हैं।

हम 'साक्षरता अभियान' से परिचित हैं। मुझे शक है कि इसमें से कितना कार्यान्वित किया जाएगा। आखिरकार यह 'साक्षरता अभियान' है क्या ? एक प्राथमिक विद्यालय में पांच कक्षाओं के

लिए आपका लक्ष्य दो अध्यापक और दो कमरे उपलब्ध करने का है। यह करने में भी हम समर्थ नहीं है। इस अभाव और संसाधनों के अभाव के वातावरण में कार्यवाही कार्यक्रम का क्या लाभ है। इस कार्यक्रम के लिए संसाधनों के प्रश्न पर कभी भी विचार नहीं किया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि सबसे पहले युक्तियुक्त कदम यह होना चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता का पता लगाया जाए। इसके बाद संसाधन स्थिति पर ध्यान दिया जाए और एक अच्छे प्रबन्धक की तरह उन्हें राष्ट्र द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों के प्रभावशाली और सर्वोत्तम उपयोग के लिए विभिन्न तत्वों की मांग और पूर्ति का पता लगाना चाहिए।

हम जानते हैं आज हम असाधारण स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और हमारे पास बेरोजगार डॉक्टर हैं और वे विदेश जाकर अपना भाग्य आजमाते हैं। हमें सड़कें बनानी हैं। हमें नदियों को नियन्त्रण में लेना है। हमारे पास जो इंजीनियर हैं उनमें से हजारों, लाखों, और मैं समझता हूं अकेले बिहार में लगभग एक लाख बेरोजगार हैं।

अतः कहीं न कहीं पर कोई गलती है। कार्यवाही कार्यक्रम में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि मन्त्रालय अतिरिक्त मांग या संसाधनों के कम उपयोग से मामले से कैसे निबटेगा या जहां मांग है वहां किस प्रकार मांग पूरी की जाएगी।

आज लाखों विश्वविद्यालय स्नातक बेरोजगार हैं। मैं यह कह सकता हूं कि उनमें से अधिकांश बेरोजगार रहने के लायक हैं। मुझे ऐसे स्नातक मिले हैं जो मौखिक या लिखित रूप से भी अपनी बात नहीं कह सकते। फिर भी वे विश्वविद्यालय स्नातक हैं और उनके पास डिग्री है। उनके माता-पिता ने उनके लिए त्याग किया है और देश ने भी उनके लिए बलिदान किया है। वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा का क्या लाभ और इस कार्यवाही कार्यक्रम में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि आप अपने संसाधनों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करेंगे। तथा-कथित विश्वविद्यालय शिक्षा को राष्ट्र की वास्तविक मांग तक सीमित रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा ? यह देश की वास्तविक मांग को उस स्थिति में पूरा नहीं करता है जब आप एक स्नातक को म्यूनिसिपलिटी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं, जिसमें आप एक एम०ए० पास को सेना में सिपाही या एक जवान बनने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है। और इसलिए, हमारे जैसे देश में, जिसमें संसाधनों का अभाव है, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि मांग और पूर्ति के मामले पर कोई विचार नहीं किया गया है (व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : क्या आप चाहते हैं कि अनपढ़ लोग ही सेना में जवान बनें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं एम० ए० पास व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। यह सही है कि कुछ कार्यों के लिए एक एम० ए० पास व्यक्ति को सेना का जवान बनाना निरर्थक है।

कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन जो हमें दिखाई देते हैं उससे कुछ अधिक है।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

माया जाल फैलाने वालों को पता है कि वे कैसा मायाजाल फैला रहे हैं। वे व्यापकता का दिखावा कर रहे हैं और इस दिखावे के पीछे वे जानते हैं कि संसाधनों की सीमा और अभाव की वास्तविकता है है और यह वास्तविकता भी है कि संसाधन सीमित हैं, और इसका लाभ कुछ लोगों को ही मिलता है और कार्यवाही कार्यक्रम की आड में संसाधनों के और दुरुपयोग की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। मंत्री महोदय हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि "मेरे इरादे बहुत अच्छे थे, परन्तु आवश्यक संसाधन न मिलने के कारण मैं अपने वायदे पूरे नहीं कर सका। परन्तु पर्दे के पीछे संसाधनों का उपयोग विशेषाधिकार प्राप्त संस्थानों और विशिष्ट प्रयोजनों में किया जाता रहेगा।

भारत में स्थिति असाधारण है। यहां एक ओर तो संसाधन सीमित हैं दूसरी ओर विशिष्ट वर्ग समाज के फालतू धन को अपने खाने, वस्त्र, मनोरंजन, शिक्षा, यात्रा और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले जाते हैं। शेष 80 या 90 प्रतिशत समाज उनके आराम के लिए, जो संगमरमर और शीशे के महलों में रहते हैं, और शीश महलों में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता है। यह सब कुछ हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह जारी रहेगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह एक साम्यवादी की तरह बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं एक दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। मंत्री महोदय यह भारी भरकम किताब लिखी है। परन्तु इसमें कहीं भी शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध करने का उल्लेख नहीं किया गया है। जो संविधान हमने अपनाया है उसके दायरे में कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने में वे क्यों डर रहे हैं? आखिरकार हमने शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया है। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। एक राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम में व्यापक उद्देश्य दिए जाने चाहिएं, कम-से-कम शिक्षा के निम्नतर स्तर पर और इसमें राष्ट्रीय मानदण्ड का उल्लेख होना चाहिए: कितनी जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक विद्यालय होगा; कितनी जनसंख्या के लिए माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध किया जाएगा कितनी जनसंख्या के लिए सामान्य कालेज उपलब्ध किया जाएगा या कितनी जनसंख्या के लिए एक विश्वविद्यालय या तकनीकी कालेज उपलब्ध किया जाएगा। इसका उपबन्ध राष्ट्रीय अधिनियम में किया जाएगा जो एक कानूनी दस्तावेज होगा। यह एक सांविधिक ढांचा प्रदान करेगा। दुर्भाग्यवश, यह सब कार्य उन निरंकुश हाथों में सौंप दिया गया है, जिनकी पहुंच शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों तक है, जिनकी पहुंच प्रशासकीय और प्रबंध नियंत्रण करने वालों तक है। इसलिए मुझे वास्तव में इस बात का डर है कि मेरे विचार से वास्तव में जिस बात की मांग की गई है वह यह है कि सभी प्रकार की असमानताओं, सभी प्रकार के भेद-भावों के तथा सर्वव्यापकता के अभावों के बावजूद वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी तथा अवांछनीय स्तर, तक न्यूनतम किस्म की सर्वतोमुखी शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर रहेगी। निकट भविष्य में यह अपर्याप्य हो जाएगी। इसीलिए, मेरा कहना है हम मायाजाल के संसार में रहते हुए प्रतीत होते हैं। परन्तु मायाजाल बनाने वाले जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।

एक और प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है। हमारे देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम आंकड़ों को देख कर खुश होते है। हम कहते हैं कि शायद अनेक विकसित देशों की तुलना में भारत में अधिक प्रतिशत प्रौढ़ व्यक्ति विश्वविद्यालय में शिक्षा लेते हैं। मुझे सही आंकड़ों की तो याद नहीं आ रही। परन्तु एक समय मुझे बताया गया था कि यहां तक कि ब्रिटेन की तुलना में भी हमारे यहां अधिक प्रतिशत व्यक्ति विश्वविद्यालय की शिक्षा पाते हैं। परन्तु विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना करने के बारे में कोई बात नहीं करता। हम केवल आंकड़े देखकर खुश होते हैं। परन्तु क्या हम अपने आप से पूछेंगे कि वास्तव में यह किसका विकास है ? जैसाकि मैंने कहा, विकास वास्तव में बंटा हुआ है। यह विकास हमारे विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आपने केवल मात्र राजनीतिक कारणों से कालेजों की संख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ा दी है। मैंने ऐसे-ऐसे कालेज देखे हैं जो प्राथमिक स्कूल अथवा माध्यमिक स्कूल का दायित्व पूरा करने के लायक भी नहीं है। ऐसा भी समय था जब हम अपने कालेजों का नाम अपने दिवंगत महान पुरखों और अपने महान राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखते थे। अब हमने कालेजों और संस्थानों का नाम जिन्दा मंत्रियों के नाम पर रखना शुरू कर दिया है। यह एक हास्यास्पद बात है। यह कार्य विशेषकर मेरे अपने राज्य में हो रहा है। हमारे राज्य के मंत्रियों को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है कि मृत्युपरांत उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिन्दा रहते उनका सम्मान किया जाए। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि आज विश्व-विद्यालयों में अव्यवस्था है। शिक्षा में अव्यवस्था है। भगवान के लिए, कृपया विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को बचाने का प्रयास कीजिए क्योंकि जहां मैं संविधान की मांग के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के पक्ष में हूं वहां मुझे ज्ञान की चरमसीमा तक पहुंचने की देश की मूलभूत आवश्यकता तथा विकास की मांग को पूरा करने की बात की भी जानकारी है।

इसलिए, मैं एक सुझाव दूंगा। कृपया, कानूनन स्वयं विश्वविद्यालय को ही स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण और अनुसंधान का कार्य सौंपा जाए। प्रत्येक कालेज को बिना किसी सुविधा के स्नातकोत्तर विभाग खोलने की अनुमति न दी जाए। मैं शिक्षा मंत्री को सूचित करना चाहूंगा कि मेरे राज्य बिहार में मेरे भौतिकी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जो उस समय कुलाधिपति थे, ने मुझे बताया है कि बिहार के सभी आठ विश्वविद्यालय कुल मिलाकर आपने स्नातकोत्तर भौतिकी विभागों के लिए इतनी धनराशि का नियतन नहीं करते हैं जितनी एक अच्छे विभाग को चलाने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य सभी स्थानों पर संसाधनों को वितरित करने का है। न केवल स्कूलों में प्रयोगशालाएं ही नहीं हैं, बल्कि आज स्नातकोत्तर विज्ञान विभाग भी प्रयोगशालाओं और उपकरणों से रहित हैं। इसलिए ऐसी स्थिति को जारी रहने की अनुमति क्यों दे दी जाए ?

साथ ही हम स्वायत्तशासी कालेजों पर आते हैं। आप वास्तव में देश में शिक्षा प्रणाली को दो समानान्तर प्रणालियों में बांटने जा रहे हैं—अच्छे लड़के पब्लिक स्कूलों से आने वाले अच्छे लड़के और तत्पश्चात् स्वायत्तशासी कालेजों से आने वाले लड़के। आप कानून द्वारा इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त क्यों नहीं करते ? आप कानून द्वारा इन विशेषाधिकार प्राप्त स्कूलों को स्थानों को समाप्त क्यों नहीं

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

करते ? आप भारत की जनता के लिए सभी स्तरों पर समान शिक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराते ? आप सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते और उन्हें समान रूप से शिक्षा के लाभ क्यों नहीं देते ? आप ऐसा क्यों नहीं करते ? गांधीजी ने एक बार कहा था। "जो जनता में बांटा नहीं जा सकता, वह मेरे लिए वर्जित है।" मैं अपने बच्चों को बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाने के लिए तैयार हूं यदि भारत में प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार पढ़ाया जाता है। यदि संसाधनों की कमी है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ऐसी प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूं जिसमें एक विशेष वर्ग के बच्चों के लिए शीशे के घर हों और 90 प्रतिशत स्कूल बच्चों के लिए पैंसिल अथवा स्लेट भी न हों। मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

मैं एक विनम्र सुझाव भी देना चाहूंगा। तकनीकी शिक्षा के लिए हमने कृषि संबंधी विश्वविद्यालयों के सिद्धांत को पहले ही स्वीकार कर लिया है। देश में समान चिकित्सा शिक्षा भी आवश्यकता है। देश में समान प्रौद्योगिकी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया जाए जिससे सभी चिकित्सा कालेजों में क्षेत्रीय आधार पर कम से कम एक प्रणाली को लागू किया जा सके ताकि शिक्षा के स्तर की विभिन्नता अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों का निम्न स्तर व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर प्रभाव न पड़े जिसे हम अपने समाज को विकसित करने के लिए आवश्यक समझते हैं।

मुझे वास्तव में इस बात का आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने अल्प संख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अध्याय में त्रिभाषा सूत्र की बात की है। क्यों ? त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय सूत्र है। हम अपने देश में प्रत्येक बच्चे को तीन भाषाएं सिखाना चाहते हैं--हम चाहते हैं वह अपनी मातृ भाषा सीखें, क्षेत्रीय भाषा सीखें और राष्ट्रीय भाषा सीखें। (व्यवधान)

ऐसा हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा न हो। वास्तव में अहिन्दी भाषी राज्यों, अहिन्दी अल्पसंख्यकों के लिए त्रिभाषा फार्मूला उनकी आवश्यकताओं का पूरक न हो। यह एक छोटा वर्ग है। मैं इनके साथ विशेष व्यवहार के लिए समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि त्रिभाषा फार्मूला, और हमारे देश में भाषाओं के शिक्षण पर विचार करने की बजाय तथा हमारे स्कूल और हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा माध्यम के संबंध में विचार करने की बजाय आप उन विषयों को हटा रहे हैं ऐसा भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर से किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय प्रश्न हैं। हम अपने बच्चों को कौन सी भाषाएं सिखाना चाहते है यह राष्ट्रीय प्रश्न हैं आप जो माध्यम अपनाना चाहते हैं वह राष्ट्रीय प्रश्न है। वास्तव में आपको भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं का उचित आदर करना चाहिए। इसलिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था। लेकिन भाषा शिक्षण और शिक्षा माध्यम को एक अलग अध्याय में दिया जाए।

जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, मुझे डर है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी अध्याय

बिल्कुल निरर्थक है। इसमें घोर उपेक्षा दिखाई पड़ती है। इस संबंध में विचार-विमर्श की कमी दिखाई देती है। इसमें उदासीनता दिखाई पड़ती है कि मंत्रालय अल्पसंख्यकों की, चाहे वह धार्मिक हों, भाषा संबंधी हों अथवा सांस्कृतिक हो आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति जागरूक नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह कहते हैं अथवा यह मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा देना अथवा प्रशिक्षण देना स्वयं अल्पसंख्यकों का उत्तरदायित्व है। आखिर हमने अपने संविधान में अनुच्छेद 30 की व्यवस्था की है। अनुच्छेद 30 में विशेष स्थिति से सम्बन्धित हैं। धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों के प्रशिक्षण और शिक्षा के संबंध में राज्य की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी अन्य बच्चों के प्रति है। यदि अल्पसंख्यक अपनी भलाई के लिए स्वयं कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था है लेकिन इससे वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अलग नहीं होते। अधिक महत्वपूर्ण यह देखना है,और जिस बारे में बहुत कम कहा गया है, कि क्या पाठ्यक्रम, शिक्षा के विषय, धर्मनिरपेक्ष के अनुरूप है। देश में कहीं भी किन्हीं अल्पसंख्यकों को लेकर पाठ्य पुस्तकों पर आपत्ति नहीं उठाई गई है। भाषाएं पढ़ाई जाती है और भाषाओं का शिक्षण इस रूप से दिया जाता है अल्पसंख्यक बच्चे को प्रथम भाषा के रूप में न केवल मातृभाषा सीखने की सुविधा है बल्कि प्राथमिक स्तर तक माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने की भी सुविधा है भले ही विकल्प के रूप में माध्यमिक स्तर पर भी प्रयुक्त करने की सुविधा न भी हो।

अल्पसंख्यकों को यहां क्या प्राप्त है ? सरकार अल्संख्यकों वाले क्षेत्रों में कुछ अन्य पोलीटेकनीक केन्द्र खोलने जा रही है ? इन कार्यों द्वारा आप कितने प्रतिशत अल्पसंख्यकों को सुविधा अथवा सहायता दे रहे हैं ? यह केवल उन्हें दिलासा देने के लिए हैं। इनसे हम संतुष्ट नहीं होगे। आपको यह सभी के लिए करना है आपको यह देखना है कि सभी बच्चों को उनकी चाहे कोई भी भाषा हो अथवा धर्म हो, उन्हें शिक्षा की सभी विशेष तथा शिक्षा योजना के लाभ सुविधाएं मिलने चाहिए केवल तभी आप देश में अल्पसंख्यकों की वास्तविक मांगों को पूरा कर सकते हैं।

अन्त में मैं एक आखरी बात कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यक संस्था के सिद्धान्त का बहुत दुरुपयोग किया गया है और यदि मैं कहूं तो उसे भली-भांति समझा नहीं गया है। वह क्या बात है जो उन्हें अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करती है ? क्या किसी समुदाय अथवा व्यक्ति के किसी समुदाय विशेष से सम्बन्धित होने भर से ही वे अल्पसंख्यक बन जाते हैं ? हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल कुछ लाभ पाने के उद्देश्य से ही अल्पसंख्यक बनता हो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से आगे निकलने और सांविधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आपको अल्पसंख्यक बनाता हो। हो सकता है कि राज्य अधिक इंजीनियरिंग कालेज खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दे तथा आप अल्पसंख्यकों के नाम पर इंजीनियरिंग कालेज खोल सकते हैं और बाद में आप उसमें सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश दे दें। इसलिए, महोदय यह दोतरफा यातायात है। न केवल यह देखना ही राज्य का कर्तव्य है कि कोई अल्पसंख्यक संस्था अन्य समुदायों के साथ भेद-भाव न करे बल्कि यह यह देखना भी उसका कर्तव्य है कि उस तक सभी की पहुंच होनी चाहिए और इसके साथ-साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के नाम से खोले गए संस्थान से अल्पसंख्यकों को ही वास्तव में लाभ पहुंचना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं सीमांकन होना चाहिए। यह अनिवार्य होना चाहिए कि किसी अल्पसंख्यक

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

संस्था को मुख्यतः अल्पसंख्यकों के ही लिए होना चाहिए। इसे एक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए कि यदि संवैधानिक विशेषाधिकारों को पूरा करना है तो अल्पसंख्यक संस्था को कुछ सीमा तक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। आजकल तदर्थवाद है और कोई प्रणाली नहीं है। हमें अधिक चिन्ता इस बात की है कि कौन अल्पसंख्यक संस्था का प्रबन्ध चला रहे हैं, हमें चिन्ता यह है कौन पढ़ा रहे हैं और जो क्या पढ़ाया जा रहा है हमें यह चिन्ता नहीं है किन्हें पढ़ाया जा रहा है। एक शैक्षणिक संस्थान मुख्यतः अध्यापन के लिए है। यह कोई औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उद्यम नहीं है। इसलिए, महोदय, इस बात की स्पष्ट परिभाषा करने की कि एक अल्पसंख्यक संस्था क्या है तथा उसे अल्पसंख्यक संस्था मानने के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए अतः मैं पुनः राष्ट्रीय शैक्षिक अधिनियम की बात करता हूं। मुझे पता है तमिलनाडु में, मेरे विचार से तमिलनाडु के माननीय शिक्षा मंत्री की यह बात बिल्कुल ठीक है कि यदि कोई संस्था, जिनके 90% विद्यार्थी अन्य समुदायों के हैं, अपने आपको एक विशेषाधिकार प्राप्त संस्थान, एक अल्पसंख्यक संस्थान मनवाना चाहे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मुझे उनके विचारों से सहानुभूति है। एक सामान्य संस्था खोलने के लिए एक अल्पसंख्यक संस्था के विशेषाधिकार का उपयोग क्यों किया जाए ? उनकी देख-रेख राज्य करेगा। और इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति केवल पैसे बटोरता है। यह रोका जाना चाहिए। इसलिए, महोदय, मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम से पैसा बनाने वाले संस्थान मत बनाइए। अल्पसंख्यक संस्था की परिभाषा इसकी आवश्यकता तथा इसमें जिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसके आधार पर कीजिए तथा राज्य के सामान्य कानूनों अनुचित रूप से उल्लंघन करने की अनुमति मत दीजिए। परन्तु यह सब करने के लिए एक कार्यक्रम के अपेक्षा कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। हमारा इसके ब्यौरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सभा में हमारा मुख्य सिद्धान्तों और नीतियों से सम्बन्ध हैं तथा हमारा सम्बन्ध मंत्री महोदय के सपने को वस्तुतः साकार करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने से है। मुझे डर है कि आज हम उलटा कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री हमारी अपेक्षाओं को बढ़ा रहे हैं। मंत्री महोदय एक भ्रम पैदा कर रहे हैं और हमें अपने सपनों के संसार में सहयोजित करने के लिए कह रहे है। धन्यवाद।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद थोड़े से समय में ही सभा के सम्मुख कार्यवाही योजना प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं। (व्यवधान)

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके शिक्षा नीति लागू करने में उनकी उत्सुकता और ईमानदारी का पता चलता है।

2.54 म०प०

(श्री एम० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

महोदय, उन्होंने वे ब्यौरे दिए हैं जो प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च

तर माध्यमिक स्तर पर नीति के कार्यान्वियन के लिए तैयार किए जाने हैं तथा इस दस्तावेज को हमारे सम्मुख रखकर वे इस पर हमारी टिप्पणी जानना चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि और अधिक क्या किया जा सकता है, इसमें क्या कमियां अथवा सीमाएं हैं तथा हम क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे कि हम इस कार्यवाही योजना को बेहतर बना सकें और इसलिए, इस कार्यवाही योजना को हमारे सम्मुख रखने के लिए मैं मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए कदम का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करता हूं। इससे इस बात का पता चलता है कि सरकार और देश के सम्मुख कितनी बड़ी समस्या है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सरकार किस प्रकार पूर्व-प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक लोगों के विकास के लिए निवेश करने और उन्हें पूर्ण नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है और इस प्रकार चुनौती बहुत बड़ी है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हैं। उनके लिए हमें यह बताना आवश्यक नहीं है कि चुनौती कितनी बड़ी है इस चुनौती को न केवल धन की दृष्टि से बल्कि प्रयासों, सामुदायिक प्रयासों और राष्ट्रीय प्रयासों की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए, यदि आप इसे सम्मिलित दृष्टि से देखते हैं संगठित दृष्टि से देखते हैं, और विचार करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर कौन से प्रयास जरूरी हैं और कितनी धनराशि की आवश्यकता है, तो चुनौती बहुत बड़ी है तथा किसी भी सरकार के लिए इस चुनौती का आकार बताना सम्भव नहीं है।

परन्तु क्षमा करें। किसी भी स्तर पर आवश्यक अनुमानित धनराशि के लिए इस प्रपत्र में कुछ नहीं बताया गया है। और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में आशंकाएं पैदा की गई हैं। योजना आयोग के सदस्य एवं शिक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रभारी सदस्य प्रो॰मेनन ने एक वक्तव्य दिया है कि शिक्षा के लिए धनराशि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि फिर भी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। परन्तु प्रो॰ मेनन ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये 23 कार्य दलों ने अपने प्रतिवेदनों में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है जिससे कि हम यह जान सकें कि क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना हमारे लिये व्यवहार्य होगा। किसी लेख में मैंने पढ़ा है कि एक अनुमान लगाया गया है जिससे पता चलता है कि यह कार्य लड़खड़ा रहा है और अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या माननीय मंत्री ने संसाधन जुटाने में अपना दिमाग लगाया है। जब सभा के समक्ष शिक्षा नीति पर विचार हो रहा था उस समय भी यह प्रश्न उठा था परन्तु, उसका कोई जवाब नहीं आया। दिए गये अनुमानों से यह पता चलता है कि हमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत अनावर्ती व्यय के रूप में 1779 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें से 1389 करोड़ रुपये प्राथमिक स्कूलों के भवन पक्के बनाने पर ही खर्च हो जाएंगे। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और फिर आवर्ती वार्षिक व्यय 263 करोड़ रुपये हो सकता है। गैर औपचारिक शैक्षिक केन्द्रों के लिए जिनकी संख्या 3 लाख है, हमें 460 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। इसलिए कुल मिलाकर अनुमान यह लगाया गया है कि हमें सातवीं योजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इतनी धनराशि जुटा सकेंगे। लगभग 19[illegible],000 ऐसे स्थान हैं जहां कोई स्कूल नहीं है। तीन लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें से अधिकांश में केवल एक ही

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

अध्यापक है तथा हम इन स्कूलों में दो अध्यापकों की व्यवस्था करने जा रहे हैं और आप उनमें दो कमरों की व्यवस्था करना चाहते हैं। केवल एक साधारण सा वक्तव्य दिया गया है कि बजट की 6 प्रतिशत राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जायेगी। क्या हमारे समक्ष प्रस्तुत इस इतने बड़े कार्य के कार्यान्वयन के लिये यह पर्याप्त होगा ? मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर प्रकाश डालें।

3.00 म०प०

सभापति महोदय : समय समाप्त हो गया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मैंने अभी अपनी बात शुरू की है।

सभापति महोदय : और भी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इसका कोई लाभ नहीं है। मुझे अपने अधिकांश मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे। (व्यवधान)

मैं शिक्षा के साधारणीकरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, समन्वित बालविकास सेवा की बात कर रहा हूं, और हमें 6 वर्ष तक के 75 प्रतिशत बच्चों को समन्वित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत लाना है। इसके लिये हमें स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण शिक्षा और ऐसी ही अनेक सेवाओं की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि ब्लाक और जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाई जाये ताकि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये सभी सेवाएं उपलब्ध की जा सकें। ऐसा करने पर ही उचित बाल विकास संभव है।

अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा पर बोलना चाहता हूं इसमें भी समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के साधारणीकरण के लिए बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। यह कैसे सम्भव होगा। इस बात की जांच करनी होगी क्योंकि समुदाय को शामिल करने के लिए प्रशासकों, अध्यापकों और इसके प्रभारियों को रुचि लेनी होगी। क्या वे ऐसा करेंगे। मेरे विचार में वे इसमें रूचि लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने की ओर कोई रुचि नहीं देंगे। केवल तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जहां स्वर्गीय श्री कामराज के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षा जन-आंदोलन बनी थी और यह जारी है।

अब मैं स्कूल स्तर और दो अन्य स्तरों की बात करता हूं। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर बल दिया गया है। यह कहा गया है कि ऐसे स्नातक हैं जो बेरोजगार हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु इस दस्तावेज में यह बताया गया है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं और जनशक्ति योजना और शिक्षा को जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे हैं। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार इस तथ्य को भूल गई है कि जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा उत्तीर्ण करेंगे

उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इनके लिए उन्हें रोजगार उत्पन्न करना होगा। सरकार इस तथ्य को जानती है। मुझे आशा है कि उचित जन शक्ति (मैन पावर) योजना बनाई जाएगी। जो व्यक्ति किसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी नौकरी मिल जाती है। दुर्भाग्यवश, हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अकुशल कार्य कर रहे हैं या ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सुरुचि सम्पन्न न समझा जाता हो। हमें उनको प्रेरित करना है। हमने ऐसा समाचार नहीं सुना है जिसमें कहा गया हो कि मंत्री महोदय ने बढ़ई सम्मेलन या सफाई कर्मचारी सम्मेलन या ऐसे ही अन्य किसी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उन्हें कार्य शुरू करने दिया जाए तथा उनको प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। यह कार्य किया जाना है। उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां व्यावसायिकरण का सम्बन्ध है, इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। कोठारी आयोग ने कहा है कि 40 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिकरण के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, अब तक केवल 2.5 प्रतिशत छात्रों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यह बताया गया है कि वर्ष 1990 तक 10 प्रतिशत और वर्ष 1995 तक 25 प्रतिशत और छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसलिए, हमें पोलीटेक्निक संस्थानों पर निर्भर करना होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भर करना। स्थिति यह है कि इन संस्थानों से निकलने वालों को भी नौकरी नहीं मिलती है। यह बहुत ही खराबी स्थिति है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मंत्रालय में जनशक्ति (मैनपावर) आयोजना कक्ष (सैल) गठित किया जाना चाहिए।

जब तक हम पाठ्यक्रमों के व्यावसायिकरण को लोकप्रिय बनाएं तब तक हमें उन लड़कों को कुछ सामान्य शिक्षा देनी चाहिए। हमें पालिटेकनिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लाभ उठाना चाहिए और इस बात के प्रयास करने चाहिए कि उनको नौकरी मिल जाए। मैं समझता हूं कि इंजीनियरों को भी नौकरियां नहीं मिल रही है। आपने 2000 ई०तक 'सभी को स्वास्थ्य सेवा' हैल्थ केयर टू ऑल) प्रदान करनी है। यह हमारा लक्ष्य है। यदि हम अपने डॉक्टरों को गांवों में जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, यदि हम लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान नहीं कर सकते, तो ये सब कार्यक्रम असफल हो जाएंगे। अतः, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाने चाहिएं। व्यावसायिकरण को अभी तक ज्यादा आकर्षक नहीं बनाया जा सका है। इसे आकर्षक बनाना पड़ेगा।

जमा दो शिक्षा के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। इस दस्तावेज से पता चलता है कि जमा दो स्कूलोन्मुखी है। जमा दो शिक्षा स्कूल में होगी। परन्तु इंटरमीडिएट कालेजों का क्या होगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में इंटरमीडिएट कालेज हैं। अन्य राज्यों की जानकारी मेरे पास नहीं है। इन इंटरमीडिएट कालेजों का क्या होगा। कुछ ऐसे इंटरमीडिएट कालेज हैं जो डिग्री कालेजों से अलग नहीं किए जा सकते हैं। उनके मामले को आप किस प्रकार निबटेंगे। उनकी स्थिति क्या होगी ? इस सम्बन्ध में इस दस्तावेज में कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान भी मैंने यह बात उठाई थी। परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस संबंध में स्पष्टीकरण दें और हमें बताएं कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं। क्या आप इसे ऐसे ही

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

बिना किसी की जिम्मेदारी के छोड़ देंगे ? मुझे एक बात और कहनी है। कुछ राज्यों में जो इंटर मीडिएट कालेज डिग्री कालेजों के अभिन्न अंग हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान मिल रहे हैं। उन्हें डिग्री कालेज से अलग करना आपके लिए संभव नहीं होगा, यह बहुत ही कठिन कार्य होगा। इस पर कुछ सोच विचार करना होगा। मुझे यह जानकर निराशा हुई है कि इस दस्तावेज में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा लगता है कि हमारा कहना निरर्थक है, हम जो कुछ कहते हैं उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अन्यथा, इन बातों के बारे में इस दस्तावेज में कुछ उल्लेख किया जाता। पिछली बार भी मैंने कहा था कि अनेक राज्य मुदलियार आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अनेक राज्य कोठारी आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिफारिशें केवल कागज पर ही रहती हैं। अन्य कुछ राज्यों ने इन्हें कार्यान्वित किया है। उनका क्या होगा ?

अब मैं जिला बोर्डों के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि जहां पंचायत राज संस्थान हैं, दूसरे शब्दों में जिला परिषद हैं, जिला परिषद जिला बोर्ड बनाएंगी और उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। जिला परिषद की संरचना इस प्रकार की नहीं है। यह पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा तक पूरी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था कर सके। उनके पास शिक्षा विद्रो को सम्बद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी, और जहां जिला परिषदें हैं वहां आपको इस संबंध में सोचना पड़ेगा।

जहां तक, उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषद का संबंध है, उनकी क्या स्थिति होगी ? यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक सांविधिक निकाय होगा अथवा केवल सलाहकार निकाय होगा ? यदि यह सांविधिक निकाय होगा तो मुझे आशा है कि आप इसे वे सभी शक्तियां प्रदान करेंगे जिनकी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए आवश्यकता है। कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा संबंधी जो अव्यवस्थित स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा निकाय अवश्य होना चाहिए। जो उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था कर सके। वर्ष 196 में बिहार में उच्च शिक्षा के प्रबन्ध के लिए विधानमण्डल के एक अधिनियम के जरिए एक राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया गया था। सभी धनराशि इसको अपने अनुसार खर्च करने हेतु दी गई थी और सम्बद्धता (एफीलेशन) प्रदान करने की शक्ति इसे प्रदान की गई थी। कानून, अध्यादेश और विनियमों को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति इसे प्रदान की गई थी। दुर्भाग्यवश किसी राज्यपाल की सनक के कारण वह निकाय एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आप उस निकाय को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इसे सांविधिक निकाय बनाएंगे अथवा नहीं। यह व्यवस्था की गई है कि उस राज्य में निवास करने वाला किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उप-कुलपति भी उस परिषद का सदस्य होगा। मेरा सुझाव है कि यदि आप यह चाहते हैं कि उच्च शिक्षा का उचित रूप से प्रबन्ध हो तथा वहां जो अव्यवस्था पैदा हो गई है वह समाप्त हो जाए तथा वहां का स्तर ऊंचा हो तो आप इस बात की अवश्य व्यवस्था करें कि उच्च शिक्षा के लिए परिषद में कोई बाहर का प्रतिनिधित्व हो।

अनुसंधान के बारे में दस्तावेज में यह कहा गया है कि अधिकांश लोग अपने लिए अनुसंधान की उपाधि (डिग्री) लेने का प्रयास कर रहे हैं। 45000 लोगों में से केवल 6,500 लोगों ने विज्ञान में डाक्टर की उपाधि लेते हैं। इसमें इतनी अधिक फिजूलखर्ची होती है। इसके बाद, सामान्य शिक्षा के बारे में सूचीबद्ध किए गए विद्यार्थियों का 38 प्रतिशत उपाधि प्राप्त करते हैं और उसकी भी अधिक सामाजिक महत्ता नहीं है। कार्यवाही योजना में राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान परिषद बनाए जाने की बात कही गई है। इस अनुसंधान केन्द्र को लोगों को समाज के लिए संगत विषयों की गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों की शिक्षा का जो अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान कर रहे हैं, कृषि तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं का सम्बन्ध होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस बात पर बल दिया जायेगा कि अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए ही नहीं किया जाता है। आपको यह देखना चाहिए कि जो अनुसंधान किया जाता है वह सामाजिक रूप से लाभप्रद तथा देश के लिए सहायक हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसे एक प्रभाग के आयुक्त की आत्मकथा लिखने पर डाक्टर की उपाधि मिली थी। ऐसे अनुसंधान का समाज के लिए अथवा शैक्षिक उद्देश्य के लिए क्या लाभ है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मंत्री महोदय को चर्चा के लिए यह दस्तावेज रखने के लिए बधाई देता हूं। यद्यपि इसमें विस्तार से नहीं बताया गया है परन्तु इसमें निधियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी मैं माननीय मन्त्री महोदय को उनके सद् प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। ऐसा कोई दस्तावेज पहले कभी नहीं रखा गया था। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए मैं मन्त्रालय को सभा के समक्ष एक बहुत अच्छा दस्तावेज रखने के लिए बधाई देता हूं। यह दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट, व्यापक, व्यावहारिक तथा सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन किसी एक कारण अथवा दूसरे कारण से मुझे तत्त्वहीन शिक्षा की धारणा से काफी अधिक उत्साह तथा प्रेरणा नहीं मिली है। शायद इसका कारण यह है कि मैं पुराने विद्यालय अथवा सीमित परम्परा से सम्बन्ध रखता हूं। मैं नहीं जानता। इसके कुछ गुण भी हो सकते हैं। शायद विभाग यह समझता है कि विद्यमान परिस्थिति की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए इसकी कल्पना की गई है। मैं उस विचारधारा से परे नहीं जाऊंगा तथा कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा।

मैं जो सबसे तथा सबसे अधिक जरूरी बात कहना चाहूंगा वह यह है कि हमें शिक्षा के अवर प्राथमिक स्तर को व्यवस्थित करना चाहिए। आधार को मजबूत बनाए एवं बिना उच्च स्तर कभी भी प्रभावी तथा स्थिर नहीं बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में एक उपयुक्त भवन, डेस्क, बैंच, ब्लैक बोर्ड, अन्य शैक्षिक सामान तथा इन सबसे ऊपर प्रत्येक अवर प्राथमिक स्कूल में तीन सक्षम अध्यापक होने चाहिए। इस न्यूनतम आवश्यकता की व्यवस्था किए बिना बेहतर यह होगा कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार के सुधार की बात ही न करें। मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें अगले दो वर्षों --1987 तथा 1988 के अन्दर अवर प्राथमिक स्तर पर इस परियोजना को अवश्य पूरा करना चाहिए। इन दो वर्षों के अन्दर समस्त प्राथ-

[श्री बिपिन पाल दास]

मिक स्कूल प्रणाली को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ वित्तीय अड़चनें हैं, लेकिन मेरा विचार है यदि हम चाहें तो इन अड़चनों को दूर किया जा सकता है। हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी) के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रमों की भली प्रकार सहायता ले सकते हैं। मुझे इस बात का पता नहीं है कि अब उसे नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कहा जाता है। यह स्कूलों के भवन बनाने के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैंने स्वयं यह कार्य किया था क्योंकि मैं साढ़े दस साल अपने राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभारी था और मैंने एन०आर०ई०पी० की निधियों का प्राथमिक स्कूलों के भवन बनाने के लिए उपयोग किया था। शायद अब भी नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी निधियां उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा, राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए अभिप्रेत समस्त विकास सम्बन्धी निधियों का आवंटन ऊपर बताए गये आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। दो वर्षों के लिए माध्यमिक विद्यालयों तथा कालेजों को अतिरिक्त विकास सम्बन्धी निधियां देने की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में मंत्रालयों के पास जो भी अतिरिक्त विकास सम्बन्धी निधि उपलब्ध है, वह अदर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को दी जानी चाहिए, ताकि इन दो वर्षों में प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्थित किया जा सके। यह काम किया जा सकता है और मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं। मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान का निर्माता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि यह काम किया जा सकता है। इसके लिए धन की व्यवस्था हो सकती है और इसके लिए धन समस्या नहीं हो सकती। इस शताब्दी के खत्म होने तक इंतजार न करें क्योंकि यह दस्तावेज इस बात को सूचित करता है। मैं उसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, इन दो वर्षों में शिक्षा का प्राथमिक स्तर व्यवस्थित होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में एक स्वस्थ प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मूलभूत ढांचा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा है। माध्यमिक स्कूलों और कालेजों को थोड़े समय के लिए त्याग करने के लिए कहा जाना चाहिए, अपने विकास निधि के वर्तमान कोष का त्याग करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विकास निधि के अतिरिक्त कोष का त्याग करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह उन्हें दो सालके लिए नहीं मिलना चाहिए। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए। यह मैंने अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर कहा है न कि ऐसे ही काल्पनिक आधार पर विकास के लिए अतिरिक्त उपलब्ध निधि प्राथमिक स्कूलों को ही दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है यदि हमारी शिक्षा प्रणाली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है न कि सिर चढ़ना चाहती है।

कुछ लोग मॉडल स्कूलों के बहुत खिलाफ हैं। मैं श्री शाहबुद्दीन से बिल्कुल सहमत हूं कि पब्लिक स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। परन्तु माडल स्कूल उस अर्थ में पब्लिक स्कूल नहीं हैं जिस अर्थ में हम आज इसे उपयोग कर रहे हैं। यह पूर्णतया एक दूसरी श्रेणी है। क्योंकि मॉडल स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इनमें प्रवेश योग्यता के आधार पर मिलता है। इनके दरवाजे कुछकों,

श्रमिक वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ग्रामों एवं शहरों के बच्चों तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। इसमें प्रवेश सिर्फ योग्यता के आधार पर दिया जाता है न कि स्तर या धन के आधार पर जो स्कूल प्रतिष्ठा या पैसे पर आधारित हैं वे पब्लिक स्कूल हैं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : नहीं सभी स्कूल नहीं हैं।

श्री बिपिन पाल दास : मैं अपनी मैं अपनी गलती को सुधारता हूं। सभी स्कूल नहीं हैं। उन स्कूलों को, जो छात्रों को धन के आधार पर प्रवेश देते हैं, बन्द किया जाना चाहिए। यह मॉडल स्कूल सभी छात्रों के लिए खुला है जैसा कि माना गया है और मैं समझता हू कि मैं गलत नहीं हूं। इनमें प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर मिलता है, इसलिए मैं शत प्रतिशत इन मॉडल स्कूलों के पक्ष में हूं। वास्तव में जब शिक्षा नीति तैयार करने के लिए विचार विमर्श हो रहा था, मैं उनमें से एक था जिन्होंने इस मॉडल स्कूल योजना का सुझाव दिया था। इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा गंभीर हूं।

यह सोचना गलत है कि कृषकों तथा श्रमिक वर्गों में कोई प्रतिभा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए ये लोग योग्यता के आधार पर मुकाबला नहीं कर पायेंगे। यह नितान्त गलत है। मैंने कृषक तथा दूसरे पिछड़े वर्गों के ऐसे छात्र देखे है जो आसानी से प्रतियोगिता से प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि कृषकों, श्रमिक वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों आदि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में कोई प्रतिभा नहीं है। यह सोचना गलत है कि वे योग्यता के आधार पर मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसलिए वे इन मॉडल स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। महोदय, शिक्षक के रूप में मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मन्द बुद्धि वाले छात्रों को बुद्धिमान छात्र और छात्राओं के साथ मिलाना नितान्त गलत, विवेकहीन, अवैज्ञानिक और अनुत्पादक है। मैं यह अपने शिक्षक होने के अनुभव से कह रहा हूं। कुछ शिक्षक यह नहीं जानते कि कैसे पढ़ाया जाता है। वह यह नहीं जानता कि उसे उन छात्रों पर ध्यान देना चाहिए जो 80 या 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं या उनकी देखभाल करनी चाहिए जो 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। वह वास्तव में नहीं जानता कि किस स्तर पर उसे पढ़ाना है। यह हमारे स्कूलों और कालेजों की समस्या है। इसलिए बुद्धिमान छात्रों को अलग किया जाना चाहिए और अलग प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस वर्तमान व्यवस्था में न तो बुद्धिमान छात्र कुछ पा सकते हैं न ही मन्दबुद्धि लाभ उठा सकते है। यहां तक कि शिक्षक भी अपने शिक्षा देने के उचित तरीके को नहीं निकाल सकते हैं। अतः कुशाग्र बुद्धि छात्रों को अलग करना आवश्यक है। मॉडल स्कूल के पीछे आवश्यक तर्कपूर्ण आधार यह है कि राष्ट्र को एक उत्कृष्ट केन्द्रों का निर्माण करना है जोकि हमारे प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा और दूसरे व्यवसायों जिनमें विज्ञान और तकनीक शामिल है की आवश्यकता के लिए उच्च योग्यता वाले पुरुष और स्त्री उत्पन्न करेंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए हमें लोगों का एक समूह तैयार करना है और यही कारण है कि इस तरह की सेवाएं बनाना आवश्यक है।

महोदय, न केवल शहरी मध्यम वर्ग से अपितु कृषक और श्रमिक वर्गों से निम्न मध्यम वर्ग

[श्री विपिन पाल दास]

और दूसरे पिछड़े वर्गों से प्रतिभा खोजनी है। सभी वर्गों को समान मौका दिया जाना चाहिए और जहां तक मॉडल स्कूलों में प्रवेश का संबंध है और इसे सिर्फ योग्यता के आधार पर ही आधारित होना चाहिए न कि समाज में सामाजिक स्तर पर मेरे विचार से उन सभी छात्रों को जिनके पिता की आय 500 रु० प्रति महीने से कम है, स्कूल के खर्च और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए वजीफा दिया जाना चाहिए। ये स्कूल पूर्णतया सरकारी होने चाहिए और उच्च वेतन पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध शिक्षक होने चाहिए तथा इन स्कूलों में आवश्यक पुस्तकालय, प्रयोगशाला और दूसरे शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस पर बहुत दिनों से जोर दे रहा था परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। मैंने कहा है कि कोठारी आयोग के अनुसार व्यवसायिक विषयों का लक्ष्य 40 प्रतिशत प्राप्त करना है परन्तु यह मात्र 2.5 प्रतिशत ही प्राप्त किया गया है। इसे कुछ कल्पना और कुछ अभियान से किया जाना है। इस दिशा में कोई अभियान और कोई पहल नहीं है। यह मात्र कागजों पर है। मन्त्री इस बारे में बहुत ही बुद्ध महसूस कर सकते हैं। परन्तु नौकरशाही के बारे में क्या है, विभाग के बारे में क्या है और उन लोगों के बारे में क्या है जो संबंधित हैं? यही कारण है कि व्यावसायिक विषयों ने अपना वह लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है तो कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था।

अगला प्रश्न जिसके बारे में कई वर्षों से चिंतित हूं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विविधता लाने के बारे में है। शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों तथा पूर्णरूप से व्यावसायिक कक्षाओं के लिए पृथक संस्थाओं में कार्य अनुभव के बारे में कुछ भ्रांति होती है। कुछ भ्रांति है और इसलिए इसमें स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने अंतर किया है। सामान्य पाठ्यक्रम में ही कार्य अनुभव का तत्व होना चाहिए। यह अलग बात है। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि छात्रों की कुछ श्रेणियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर मोड़ना चाहिए। पहले 8वीं कक्षा के बाद, दूसरे, 10वीं कक्षा के बाद और तीसरे, 12 कक्षा के बाद। जो 8वीं कक्षा के बाद जाएंगे वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा इसी प्रकार के संस्थानों में जाएंगे। जो 10वीं कक्षा के बाद जाएंगे वे पॉलिटेक्निकों में जाएंगे तथा जो 12वीं कक्षा के बाद जाएंगे वे इंजीनियरिंग कालेजों अथवा मेडिकल कालेजों अथवा ऐसे ही संस्थानों में जाएंगे। मुझे एक बात कहनी चाहिए कि रूस के एक इंजीनियर ने कोई 20 वर्ष पहले हमारे इंजीनियरों पर आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था कि हम लोग इंजीनियरों – इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री धारियों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे एक इंजीनियर को इतना महत्व नहीं देते क्योंकि उन्हें अधिक तकनीशियनों, अधिक मैकेनिकों और अधिक शिल्पियों की आवश्यकता है। हम उन्हें पॉलिटेक्निको के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं यही बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। हमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति तैयार करने हैं। इसलिए हमारे विकास के लिए एक श्रेणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं और दूसरी श्रेणी पॉलिटेक्निक है। उच्चतम श्रेणी के अंतर्गत इंजीनियरिंग कालेज अथवा मेडिकल कालेज अथवा इसी प्रकार के अन्य मानक कालेज आते हैं। मेरे

विचार में इसी प्रकार की तीन विविधताएं होनी चाहिए जो मैंने पहले ही बता दी हैं। तीसरी और अंतिम बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है। जब तक हम इस प्रकार पाठ्यक्रमों में विविधता नहीं लाएंगे तथा मानक के विभिन्न स्तरों के विकास के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को तैयार नहीं करेंगे, मानव संसाधन विकास का कार्य अपूर्ण और अबोध ही रहेगा। इस मंत्रालय के सम्मुख यही मुख्य कार्य है। हमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न ढांचों के लिए, विकास कार्यों के विभिन्न प्रयोजनों के लिए, देश में उपलब्ध अपार जनशक्ति को तैयार करना है, और यह वह रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने देश में मानव संसाधनों का विकास कर सकते हैं।

महोदय दो आलोचनाएं की गई हैं। पहली यह है कि ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रहेगी। पिछले अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां आगे बढ़ाने अथवा धक्का देने वाली कोई बात नहीं है। आपसी समझदारी नहीं है। लोग एम०ए०, एम०एस०सी० और आई०ए०एस० और आई०पी०एस० की परीक्षाओं की बात करते हैं। लोग उन मकैनिकों अथवा तकनीशियनों के बारे में नहीं सोचते जिनकी हमारे देश के निर्माण के लिए अधिक आवश्यकता है—यहां तक कि कारीगरों का अधिक महत्व है—और हमारे बड़े-बड़े अधिकारी और सरकारी विभाग उनके बारे में नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि ये तो अपने-आप बन जाएंगे। वे इंजीनियर और डाक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। 'जी हां' हमें इंजीनियरों और डाक्टरों की आवश्यकता है। हमें उचित ढंग से योजना बनानी है। इसलिए यदि आज यह आलोचना की जाती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों की संख्या बहुत कम है तथा छात्रों का कोई मार्गदर्शन नहीं किया जाता। जीवन के छोटे-मोटे व्यवसायों के सम्बन्ध में ऐसे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता के बारे में कोई प्रचार नहीं किया जाता। इसका कारण भी एम०ए०, एम०एस०सी०, बी०ई० और एम०बी०बी० डिगरियों के प्रति अनुचित आकर्षण है। यह एक हानिकारक बात है। इसे हमें अपने प्रचार माध्यमों द्वारा हर प्रकार प्रचार करके दूर करना चाहिये।

दूसरी आलोचना यह है कि रोजगार की संभावनाएं कहां हैं? मुझे मालूम नहीं कि श्री सिन्हा अथवा शाहबुद्दीन ने भी यह प्रश्न उठाया है। खैर, एक प्रश्न किया जाता है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुनने वालों के लिए रोजगार की संभावनाएं कहां हैं? ज्यों-ज्यों हमारे विकास सम्बन्धी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी। परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात स्वरोजगार के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है। महोदय, भारत जैसे देश में हमें मालूम है कि रोजगार की समस्या क्या है। रोजगार, अर्ध-रोजगार और बेरोजगारी की समस्याएं कितनी बड़ी और विशाल हैं। यहां तक कि अमरीका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी इसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। हम उद्योगों में रोजगार देकर और इधर-उधर कुछ कार्यालयों में रोजगार देकर इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। हमें स्व-रोजगार पर अधिक से अधिक बल देना है और तथा अपने बच्चों को अन्यत्र रोजगार ढूंढने के बजाए स्व-रोजगार का आवश्यक प्रशिक्षण देना है। (व्यवधान) आप जो कुछ कहते हैं वह भारतीय परिस्थितियों के विपरीत है। आप ऐसे अन्य देश की कुछ परिस्थितियों की ओर आकर्षित हैं जिनका आकार भारत से आठ गुना बड़ा है और उनकी जनसंख्या भारत से आधी है।

[श्री बिपिन पाल दास]

इसलिए आप इस बारे में बात मत कीजिए। (व्यवधान)

मैंने पाठ्य पुस्तकों, विशेषकर साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के प्रति अधिक जागरूकता नहीं देखी हैं जिससे कि हम आरम्भ से ही अपने बच्चों का दिमाग सही दिशा की ओर मोड़ सके। बाद में सही दिशा देना असंभव है। यह कार्य आरम्भिक काल में किया जाना चाहिए अर्थात स्कूलों में। सही पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शुरू से ही जातिवाद, साम्प्रदायिकता, राष्ट्र-विरोधी, घृणा तथा निचले वर्गों के प्रति घृणा की भावना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता के हमारे आदर्श कभी पूरे नहीं होंगे और वे सदा एक स्वप्न ही बने रहेंगे।

ऐसा लगता है कि इस प्रपत्र में विज्ञान की शिक्षा पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। यदि मेरा यह कहना गलत है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा के बारे में एक पृथक अध्याय होना चाहिए था। यह एक बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटी बात नहीं है। यह इंटरमीडिएट और डिग्री कक्षाओं को केवल भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित पढ़ाना नहीं है। आपको शुरू से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना होगा। इस बारे में अलग से एक अध्याय होना चाहिए। मैंने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि यह तीसरी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए।

इसके बाद त्रिभाषी फार्मूले की बात है। इस फार्मूले पर पुनःविचार किया जाना चाहिए। मैं असम का हूं। मैं देखता हूं कि मेरे राज्य में त्रिभाषी फार्मूला सफल नहीं है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं। असम में चार भाषा फार्मूला होना चाहिए। जनजातियों के लड़के अपनी शिक्षा अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से ले सकते हैं। उसे क्षेत्रीय भाषा सीखनी है। उसे राष्ट्रीय भाषा सीखनी है। उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी है। इसलिए मुझे आशा है कि मन्त्रालय हमारे देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करेगा कि हमारे लिए क्या त्रिभाषी फार्मूला अथवा चार भाषा फार्मूला उपयुक्त है।

[हिन्दी]

श्री लाल कवि बैरागी (मंदसौर) : मान्यवर, मुझे मैडम से निवेदन करना है कि आपने होम-साइंस लिख लिया है। उसे साइंस कर लीजिए।

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मान्यवर, इसमें साइंस ही है।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : हमारे समक्ष एक कार्यवाही कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है; यह

नीरस और अवास्तविक धारणाओं से भरा हुआ है। इस कार्यवाही योजना में भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखाए गए हैं, परन्तु संसाधनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी प्रकार के खर्च राज्य सरकारों को या स्वैच्छिक संगठनों को वहन करने होंगे। केन्द्रीय सरकार की उन नीतियों के लिए धन्यवाद जिनके कारण राज्य सरकारें दिवालिया होने के कगार पर हैं। परन्तु हम हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि केन्द्रीय बजट का कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यद्यपि, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा पर लगभग 7.50 प्रतिशत खर्च किया है। अब यह 2 प्रतिशत से भी कम है। यदि आप अपनी कल्पनाओं को घोड़े मानते हैं तो उन पर चढ़ने वाले भी भिखारी ही होंगे? शिक्षाक्रान्ति (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) में बड़ी मधुर बातें कही गई हैं। यह कहा गया है कि सभी निम्न प्राथमिक स्कूलों में उपकरणों और पुस्तकों दो बड़े कमरों, 2 अध्यापक, जिनमें एक महिला हो, व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल सुविधाएं आदि हों। परन्तु इन सब का खर्च कौन वहन करेगा? योजना आयोग के सदस्य श्री एम० जी० के० मेनन ने सी०ए०बी० की बैठक में स्पष्ट कहा है कि केन्द्रीय सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए और आवंटन करने में समर्थ नहीं है। परन्तु, यदि हम शिक्षाक्रांति (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) का कार्यान्वित करना चाहते हैं तो हमें सातवीं योजना में 17 लाख स्कूल खोलने होंगे और 4 लाख प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी। यदि हम उन्हें 800 रुपये प्रतिमाह वेतन दें, जो कि केन्द्रीय सरकार में एक सफाई कर्मचारी से भी कम है, तो हमें हर महीने 32 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और पूरी सातवीं योजना के दौरान 1152 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इस खर्च को कौन वहन करेगा? सही बात यह है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को दोष देती है कि वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। अतः हमारा कहना यह है कि इस योजना में अधिकारों से वंचित, गरीबों और निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 प्रतिशत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 1.4 करोड़ छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। परन्तु काम ऐसा होता है तो इसके लिए 1260 करोड़ की आवश्यकता होगी। इतनी भारी रकम कौन देगा।

मैं अपने मित्र सैयद शाहबुद्दीन की बात को पुनः दोहराता हूं। वे समानांतर शिक्षा प्रणाली चला रहे हैं। यद्यपि वे दलित, निर्धन और विशेषाधिकारों से वंचित लोगों के लिए आंसू बहाते हैं परंतु वास्तव में होता क्या है? नवोदय विद्यालयों का खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी। परन्तु साधारण माध्यमिक स्कूलों में, जिनमें अध्यापकों और सामग्री का अभाव है, पढ़ने वाले लाखों छात्रों को कोई धन नहीं मिलेगा। इन नवोदय विद्यालयों में कुछ हजार छात्र ही शिक्षा पा सकेंगे। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। नवोदय विद्यालयों के इन छात्रों से ही विशिष्ट वर्ग बनेगा। वे शासक वर्ग की बैंक प्रबन्धक, कम्प्यूटर, प्रशासक आदि के रूप में सेवा करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनमें से अनेक छात्र विदेश चले जाएंगे क्योंकि समाचारपत्रों में हम समाचार पढ़ चुके हैं कि भारतीय प्रौद्यो-

[डा० सुधीर राय]

गिकी संस्थानों के 80 प्रतिशत स्नातक सब्ज बाग देखने के लिए विदेश चले जाते हैं यह सब आम आदमी को दबाकर होता है। हमारा कहना यह है कि हमें एक जैसे स्कूलों की प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। यह बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि डॉ० डी० एस० कोठारी ने कही है। सी०ए०बी० की गत बैठक में उन्होंने कहा था कि हमें एक जैसे स्कूलों की प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। परन्तु हमारा विशिष्ट वर्ग और अफसरशाही ऐसा नहीं चाहते हैं। वे एक जैसे स्कूलों की प्रणाली, जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं, पसन्द नहीं करते हैं। इसी आधार पर हमारे नीति निर्माताओं··· (व्यवधान) ने स्वायत्तशासी कालेजों का विचार प्रस्तुत किया है। मैं विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षक संगठन की अखिल भारतीय एसोसिएशन से सम्बद्ध हूं। हमारी एसोसिएशन स्वायत्तशासी कालेजों के विचार का निरन्तर विरोध किया है क्योंकि ऐसा करने से महानगरों में आलीशान कालेज फूले फलेंगे। परन्तु उन कालेजों का क्या होगा जो दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं? जिला नगरों में कालेज प्रगति नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय की डिग्री का महत्व कम हो जायेगा और अन्य कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बाजार में रोजगार नहीं मिलेगा और इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसका स्वरूप विशिष्ट है।

इसके अतिरिक्त योजना में कहा गया है कि नए कालेज को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि उसमे कम्प्यूटर प्रणाली, श्रव्य-दृश्य प्रणाली और वी०सी०आर० नहीं होगा। साधारणतया, कुछ लोग, जो शिक्षा से प्यार करते है, वे स्कूलों और कालेजों के संवर्धक के रूप में सामने आते हैं। यदि ऐसी शर्तें लागू कर दी जाती हैं तो वे निरुत्साहित होंगे। (व्यवधान)

लार्ड कर्जन के जमाने से ही हम यह सुनते आ रहे हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संतुष्टिकरण का समय आ गया है। परन्तु भारत में 17 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के 4 प्रतिशत युवा पुरुष और महिलाएं उच्च शिक्षा लेते हैं। परन्तु इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, श्रीलंका, जैसे देशों में इसी आयु वर्ग के लगभग 15 से 20 प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा पाते हैं। वे उच्च शिक्षा को ऐसा रूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें विश्वविद्यालय स्नातकों को रोजगार मिलना सम्भव नहीं है।

नीति निर्माताओं ने प्रावेशिक शुल्क के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में यह प्लेग की बीमारी की तरह फैल रहे हैं। प्रावेशिक शुल्क वसूल करना सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। कुछ गैर सरकारी लोग, जो घटिया किस्म के लाभ अर्जनकर्ता हैं, इंजीनियरी और मेडिकल कालेज चलाते हैं और वे प्रत्येक छात्र से एक लाख रु० से तीन लाख रुपये तक वसूल करते हैं। क्या यह सामाजिक न्याय है। परन्तु हमारे नीति निर्माता प्रावेशिक शुल्क वसूली के मामले में चुप हैं। मन्त्री महोदय ने गत नवम्बर में हमें आश्वासन दिया था कि वे प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करवाएंगे। अतः हम यह गारन्टी के साथ कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में, जहां प्रजातन्त्र की शेखी बघारी जाती है, केवल अमीरों और काले धन वालों के पुत्रों को ही मेडिकल और इंजीनियरी शिक्षा मिलेगी क्योंकि उनके पास दिमाग तो नहीं है परन्तु धन है।

उन्होंने भारतीय इंजीनियरी सेवा का प्रस्ताव रखा है। मुझे नहीं पता उन्होंने यह प्रस्ताव क्यों रखा है ? इससे दफतरशाही को और बढ़ावा मिलेगा। न केवल दफतरशाही को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे राज्य की स्वायत्तता पर भी प्रहार होगा। महोदय, हम अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन करने के खिलाफ हैं। इससे दफतरशाही और बढ़ेगी, इससे शिक्षा पर प्रशासनिक लागत में बढ़ोतरी होगी। इसलिए, हम इस योजना का विरोध करते हैं।

मेरा प्राधिकारियों से आग्रह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में खोले जाने चाहिए, क्योंकि कालेजों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अपने आदमियों को अपने मामलों के लिए वर्ष में 10 या 12 बार वहां भेजना सम्भव नहीं है। वायदा किए गए अनुदान को प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होता है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने चाहिए। महोदय, मेरा विचार है कि डिग्रियों को नौकरी से अलग करने का प्रस्ताव बेहतर नहीं है। मैं यह समझता हूं कि सत्ताधारी दल शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी देने की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है क्योंकि नौकरियों को डिग्री से अलग करने से विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति का महत्व कम हो जाएगा। अब हम यह मांग करते हैं कि शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। किन्तु यदि डिग्री को नौकरी से अलग किया जाता है तो सरकार को इसके लिए कोई परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हमें इस प्रस्ताव में कोई लाभ नजर नहीं आता।

महोदय, अध्यापकों के स्तर के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कालेज अध्यापकों के वेतनमानों की घोषणा पीछे 1973 में की गई थी। तब से कीमतें तिगुनी बढ़ गई हैं। (व्यवधान) सरकार को मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है। जब तक अध्यापकों को अच्छे वेतनमान नहीं दिये जाते, तब तक आप अध्यापकों का स्तर उठाने की बात कैसे कर सकते हैं ?

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह है भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में। निस्संदेह, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए। किन्तु हम यह देखते हैं कि जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हम केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में ही सोचते हैं किन्तु भारत के सभी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक हैं और इन भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ प्राय: भेदभाव बरता जाता है। उन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने की अनुमति दी जाती, उन्हें अपनी भाषा सीखने की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं जिनसे भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके। इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह है कि अल्पसंख्यकों की इन संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था प्राय: अलोकतांत्रिक होती है। अध्यापकों को बंधुआ मजदूर समझा जाता है, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं, वे प्राधिकारियों की कृपा पर वहां रहते हैं। अल्पसंख्यक संस्थाएं खोली गई हैं, किन्तु उनमें लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था नहीं है। इसलिए, अध्यापकों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। (व्यवधान) इसका मैं जवाब देता हूं। शिक्षा संस्थाओं की लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में यह दस्तावेज कुछ नहीं कहता।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : लोकतांत्रिक अधिकार इतना दीजिए कि 365 दिन में 300 दिन वे हड़ताल पर रहें।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय : महोदय, जहां तक इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था का संबंध है, इस बारे में इस दस्तावेज में कुछ नहीं कहा गया है। हम सब यह मांग करते हैं कि शिक्षा संस्थाएं लोकतांत्रिक निकायों द्वारा संचालित की जाएं। अध्यापकों, छात्रों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध बोर्ड में लिया जाना चाहिए, किन्तु दुर्भाग्य से इस दस्तावेज में इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसकी बजाए वे ऐसे प्रबन्ध के पक्ष में हैं, जिसमें केवल नामजद तथा पढ़ेन सदस्य हों।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे डा० सुधीर राय, जोकि प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, के बाद बोलने के लिए बुलाया गया है।

अभी-अभी यह बात कही गई है कि इन शिक्षा संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाया जाए। बंगाल में सत्ताधारी दल के मेरे मित्रों के अनुसार लोकतन्त्र का अर्थ है, सरकार की, मंत्रियों की तथा सत्ताधारी दल की तानाशाही। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय, जोकि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा तथा पुराना विश्वविद्यालय है, को देख लीजिए···

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल का ही क्यों, समस्त भारत का।

श्री भोलानाथ सेन : जी हां, समस्त भारत का भी, जब कि यह अफगानिस्तान का विश्वविद्यालय था, बर्मा और श्रीलंका का विश्वविद्यालय भी रहा और यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसका कुलाधिपति गवर्नर जनरल अथवा वायसराय होता था। आज उस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है ? कुलपति विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के दरवाजे बन्द कर दिए हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया ··(व्यवधान) यह कानून तथा व्यवस्था की समस्या है। सरकार यह नहीं सोचती कि ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए कि कर्मचारी विश्वविद्यालय के दरवाजे बन्द करें। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है···(व्यवधान) ये बातें विश्वविद्यालय में हर रोज होती हैं। बंगाल में ऐसा लोकतन्त्र है कि विधान सभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले एक अध्यादेश द्वारा 1977 में सभी विश्वविद्यालयों का अधिग्रहण कर लिया गया···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जी नहीं, यह अधिग्रहण कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था।

श्री भोलानाथ सेन : जी, नहीं, यह अधिग्रहण कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूं। उस समय मैं वहां था। कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों का अधिग्रहण किया गया था। उनके अनुसार वहां लोकतन्त्र को धक्का नहीं पहुंचा। उनके अनुसार वहां विश्वविद्यालय को कोई क्षति नहीं हुई···(व्यवधान) यह निश्चित है कि उन्हें सभा को सम्बोधित करने के लिए नहीं बुलाया गया। वे क्यों बोल रहे हैं ?

सवाल यह है कि आप उस स्थिति को देखिये जो पश्चिम बंगाल में हो रही है। हम विश्वविद्यालय को भूल जाएं। लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाते हैं ? आप कलकत्ता में सुबह 4 बजे बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए फार्म लेने के लिए लाइन में लगे देखेंगे। कौन-से स्कूल में। ये स्कूल हैं तथाकथित अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूल। प्रतिपक्ष के सदस्य भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं और वे अपने बच्चों को केम्ब्रिज तथा आक्सफोर्ड में भेजते हैं। यहां तक कि हमारे मुख्य मन्त्री भी सेंट जेवियर कालेज के छात्र रहे हैं और उनके पुत्र भी वहां के छात्र रहे हैं। किन्तु ऐसा अन्य लोगों को नहीं करने दिया जाना चाहिए ? सामान्य लोगों को उन स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 'हम अब श्रमिकों के समर्थक हैं। हम अब सरकार में है। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए। अन्यथा हम वोट कैसे ले सकते हैं ?

राजनीति को विश्वविद्यालय से दूर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाना चाहिए। मेरा यह दावा है कि इस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही यह बिगाड़ हुआ है।

महोदय, पिछले कुलपति की योग्यता की वर्तमान कुलपति की योग्यता से कहीं कोई बराबरी नहीं है, किन्तु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वर्तमान कुलपति अपने कार्यालय में नहीं जा सकता। हर रोज समाचारपत्रों में एक खबर होती है।···(व्यवधान) हम जानते हैं। (व्यवधान) मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि माननीय कुलपति कौन थे ? उनकी अर्हताएं क्या थीं ? (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उन्होंने सभा का अपमान कराया है। वह गलत वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। पूर्ववर्ती कुलपति किस प्रकार कुलपति बनने योग्य नहीं था ? उन्हें यह बताना होगा।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक मत है। केवल इसे नोट कर लीजिए और अपने उत्तर में उसका उल्लेख कीजिए।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, हम उस युग में हैं जिसमें हम राष्ट्रीय एकता की बात सोच रहे हैं। राष्ट्रीय एकता हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने की भी सोच रहे है जहां हर व्यक्ति को इस बात का गर्व हो कि वह भारतीय है प्रत्येक व्यक्ति को यह कहने में गर्व होना चाहिए कि भारतवर्ष उसका है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब राजनीतिक व्यक्तियों, स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बिना एक उदार शिक्षा प्रणाली बनाई जाए। (व्यवधान)

भारत की एक विशेषता है। यहां अनेकों जातियां है, अनेकों समुदाय हैं, अनेकों भाषाएं हैं; जिनका अलग-अलग खान-पान है; अनेक प्रकार का पहनावा है और अनेकों विचारधाराएं हैं। हमेशा हस्तक्षेप करने की विचारधारा भी है, जैसी कि मेरे विद्वान मित्र की है। दूसरों की ऐसी भी विचार-धारा है कि सदा सुनते रहिए। अब मुद्दा यह है कि 80 करोड़ लोगों से एक उभय, सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है। यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। इसलिए यह हमारा ध्येय होना चाहिए तथा हमारे पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। जब मैं एक जैसी शिक्षा प्रणाली की बात करता हूं तो मेरा आशय वर्तमान शिक्षा प्रणाली से नहीं है। मेरा आशय अधिक अच्छे स्कूलों, पब्लिक स्कूलों, आदि द्वारा दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली से है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि शिक्षा की नई प्रणाली और नवोदय विद्यालयों के अन्तर्गत उसकी शुरुआत हो गई है। पैराग्राफ के अन्त में मैं देखता हूं कि ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि उस मानक से पढ़ाने वाले सारे स्कूल केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होने चाहिए। इसके लिए मेरे पास ठोस कारण है। न केवल हमें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए बल्कि शिक्षा की एक जैसी प्रणाली का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए शिक्षा की एक ही नीति होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और पुस्तकें तथा पाठ्य विषय भी एक केन्द्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्देशित होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि यह विषय समवर्ती सूची का विषय है और कानून यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार कानून बनाती है तो केन्द्रीय कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के स्थान पर प्रवृत्त होगा। एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए और सभी स्कूलों को केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक बच्चे को गुणित, अंग्रेजी, हिन्दी और स्थानीय भाषा को सीखने का अवसर मिलता है तो इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। यदि आप एक राष्ट्र की बात सोचते हैं तो शिक्षा के लिए आपको तीन भाषाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। (व्यवधान) कम से कम तीन भाषाएं। स्विटजरलैंड में चार भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और वहां कोई कठिनाई नहीं हुई है। मैं स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह कठिन नहीं है उन दिनों आरम्भ में जब हम स्कूल जाते थे तो हम में से प्रत्येक ने अंग्रेजी सीखी है। हमारे नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं ने भी स्कूल में उन दिनों अंग्रेजी सीखी है।

4.00 म०प०

अनेक राज्यों में उच्च स्तर का साहित्य है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, हमें इस बात का गर्व है कि वहां हमारा साहित्य बहुत उच्च कोटि का है, बहुत ही उच्च कोटि का है। यहां तक कि उसके अनुवाद से भी पाठक को उतना सन्तोष नहीं मिलेगा जितना कि मूल भाषा में अर्थात

पश्चिम बंगाल की स्थानीय भाषा को जानने वाले को होगा। हमें अपनी नई पीढ़ी को, जो एक दिन नेता बनेंगे, वह सब कुछ सीखने का अवसर और स्वतन्त्रता देनी चाहिए जो वे सीखना चाहें और वह सब कुछ अनेकों राज्यों वाली हमारे इस अद्भुत देश अर्थात भारतवर्ष में उपलब्ध है। शिक्षा देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए तथा कोई मतारोपण नहीं होना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। लड़कों का दृष्टिकोण स्वतन्त्र बनाया जाना चाहिए···

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : केवल 'लड़के' ही क्यों ? 'लड़कियां' भी कहिए।

श्री भोलानाथ सेन : सामान्य खंड के अनुसार 'पुरुष' में महिलाएं भी शामिल हैं (व्यवधान) इसलिए, यह मामले का एक पहलू है।

मामले का दूसरा पहलू नवोदय विद्यालयों के बारे में है। मेरा कहना है कि पूरे देश में ये जितनी जल्दी हो सके वह शुरू किए जाएं उतना ही अच्छा है। यदि कोई राज्य सरकार इच्छुक नहीं है, तो इसे अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। इसे कानून के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में लागू किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिज्ञ को मुझे ज्ञान प्राप्त करने के मेरे अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे रोटी और मकान पाना जन्मसिद्ध अधिकार है वैसे ही शिक्षा पाना भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे मेरी इच्छा के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं जिस ढंग से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे उससे नहीं रोका जाना चाहिए। जहां तक नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सम्बन्ध है, यदि आवश्यक हो तो इसे कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है।

एक अन्य पहलू, जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, वह है तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुकला और ऐसी ही अनेकों प्रकार की शिक्षाएं शामिल हैं। कठिनाई यह है कि भारत में रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री भोलनाथ सेन : मेरा बहुत सा समय तो व्यवधानों में ही चला गया। कृपया मुझे 3-4 मिनट का समय और दीजिए। (व्यवधान) यदि वे इस प्रकार देश में क्रांति लाना चाहते हैं तो वे भ्रम में हैं।

4.03 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

मैं तकनीकी शिक्षा की बात कर रहा था। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? वहां हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। सैकड़ों डाक्टर बेरोजगार हैं। फिर भी डाक्टरों के लिए इस आधार पर एक

[श्री भोला नाथ सेन]

तीन वर्षीय अल्पावधि पाठ्यक्रम शुरू किया गया कि डाक्टरों की कमी है और वे उसे पूरा करना चाहते हैं।

अन्ततोगत्वा, इतने वर्षों के बाद इसे समाप्त ही कर दिया गया। उन तीन वर्ष के पाठ्यक्रम वाले डाक्टरों ने सोचा था कि चीन उनकी पितृभूमि है। चीन के अनुसार उन्हें नंगे पांव (बेयर फूटेड) डाक्टर चाहिए थे। परन्तु कुछ नहीं हुआ और ये डाक्टर अभी भी बेरोजगार हैं। इंजीनियरों की क्या स्थिति है। लाइसेंशुदा इंजीनियरों को नौकरी नहीं मिलती है और चारों ओर निराशा ही है। शिक्षित बेरोजगार लोग भी हैं।

जहां तक तकनीकी कार्य का सम्बन्ध है, मांग और पूर्ति के बीच सम्बन्ध होना चाहिए। मैं अनुसंधान और अन्य चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु मांग और पूर्ति का एक उचित अनुपात होना चाहिए। प्रत्येक देश में जहां ऐसा है, वहां अनावश्यक बेरोजगारी नहीं है, विशेषकर उस स्थिति में जब रोजगार के स्रोतों पर आपका नियंत्रण है। आप भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या के साथ इसका समायोजन करके ऐसा कर सकते हैं।

मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगा, अर्थात् शिक्षा ऐसी चीज है जो जीवन के प्रारंभ से शुरू होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो अभी भी निरक्षर हैं और वे बालिग हैं। उनके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। ऐसा करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब हम स्कूल और कालेजों में जाते थे, विशेषकर कालेज में, तो लोग सफाई कर्मचारियों को, बैरों और अन्य लोगों को रात और सांय के समय पढ़ाया करते थे। अतः गांवों में यह सम्भव है। मैंने देखा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ मामलों में ऐसा किया जा रहा है। वहां जो किया जा रहा है वह अच्छी बात है।

एक ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए जिसके अन्तर्गत हमें तीन या पांच वर्ष की अवधि में निरक्षरता को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही इस देश का वातावरण बदल सकता है। इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि यह शिक्षा का एक अंग है, सरकार के खर्च पर प्रत्येक सबडिवीजनल नगर में पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिएं। यदि गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध होंगे तो गांवों में रहने वाले लोगों को विश्व की जानकारी मिल सकेगी। जब उन्हें गांवों में पुस्तकालय की सुविधा दी जाएगी तो वे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। आजकल अनेक लोग पुस्तकालयों में जाते हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है वहां स्कूल और कालेज बहुत अधिक संख्या में हैं। परन्तु स्कूल और कालेजों से निकलने के बाद वे क्या करते हैं? वे कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जब एक लड़का अपने छोटे भाई के बारे में सोचता है या उन लड़कों का पिता यह देखता है कि उसके बड़े लड़के को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वह अपने छोटे लड़के के बारे में क्या सोचेगा। वह कुछ नहीं करेगा।

अत: आप न केवल रोजगार के बारे में ही कदम उठाएं, बल्कि आप सब डिवीजनल नगरों में पुस्तकालय खोलकर, जहां सरकार के खर्च पर पुस्तकें उपलब्ध हों, लोगों को जानकारी दें या उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अवसर दें। पुस्तकें प्राप्त करना बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

मेरा निवेदन है कि यह एक अंतरिम रिपोर्ट है क्योंकि इसमें ब्यौरा नहीं दिया गया है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो सरसरी तौर पर पता चला कि यह केवल पहला कदम है। मुझे नहीं मालूम कि इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा। (व्यवधान) यह कहना कठिन है कि इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा।

अब देश की जनसंख्या 80 करोड़ है और इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 100 करोड़ हो जाएगी—अनुमान के अनुसार 99.9 करोड़ हो जाएगी। स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा। परन्तु कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रौढ़ निरक्षरता को जल्दी ही समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक निरक्षर बेरोजगारों और कर्मियों का सम्बन्ध है, कार्यशाला प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि उद्योगपति शिक्षितों को लेने के लिए बाध्य हो जाएं—वे उन्हें नौकरी देते हैं या नहीं, यह अलग बात है। वे अपना जीवन जी सकते हैं, अपना धंधा स्थापित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि न केवल उच्चतम स्तर पर बल्कि निम्नतम स्तर पर भी प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम होना चाहिए। अत: जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था का सम्बन्ध है, इसपर जितना ध्यान इस समय दिया जा रहा है उससे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हमारे देश में प्रबन्ध व्यवस्था असफल न हो। अच्छे प्रबन्धक अच्छे परिणाम उपलब्ध करेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। सदन में हमारे विचार के लिए बहुमूल्य दस्तावेज प्रस्तुत करने और कार्यवाही के लिए सुझाव मांगने के लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री और उनके मंत्रालय को मैं बधाई देता हूं। इससे पता चलता है कि सरकार शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितनी गम्भीर है।

देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था लागू करने के लिए सभी दृष्टिकोणों से शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली अब तक पारम्परिक पुरानी और निष्क्रिय हो गई है और यह समाज की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को उन्मुख बनाने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा को नया रूप दिया गया है। सामाजिक और मानव मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना, संयुक्त भारतीय संस्कृति और विद्रोही ताकतों का मुकाबला करने के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द पर बल दिया गया है। डिग्रियों को नौकरी से अलग करने और स्वनियोजन के अवसर प्रदान करने में यह बहुत ही सफल और अर्थपूर्ण प्रणाली है। अर्थव्यवस्था

[श्री सोम नाथ रथ]

के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का लाभ पर बल दिया गया है और इस पर बल देना उचित ही है क्योंकि शिक्षा का सार्वभौमीकरण संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 में दिया गया है। नई शिक्षा नीति में देखरेख और शिक्षा पर बल देने का अभिप्राय है बुनियादी तौर पर विकास करना। यहां मेरे लिए वर्डसवर्थ के शब्दों को दोहराना उचित होगा उन्होंने कहा है :

"बच्चा मानव का जनक है।"

सरकार की ओर से यह घोषणा करना स्वागत योग्य है कि 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि.शुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मानव व्यक्तित्व के निर्माण में प्रारम्भिक शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे सभी की शिरकत और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

इसमें कुछ बाधाएं भी हैं जैसे कि अपर्याप्त भवन खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, पुस्तकों और अन्य सामग्री की अपर्याप्त सप्लाई, जिनकी ओर प्रारम्भिक शिक्षा को सार्थक और सम्पूर्ण बनाने के लिए सर्वप्रथम ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार के आदेश पर प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में कार्यनिष्पादन और प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के लिए एक मुख्य एजेंसी होनी चाहिए ताकि देश 1995 तक लक्ष्य पूरा करने में समर्थ हो सके। इस प्रमुख एजेंसी को राज्य स्तर पर क्षेत्रीय एजेंसियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के अधीन मुख्य एजेंसी को, जिसका मैंने प्रस्ताव किया है, कार्यों को समन्वित करने और निगरानी रखने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की सुनियोजित और सोत्साहपूर्वक कार्यान्वित प्रगति की प्रणाली लागू करने पर विचार किया गया है। बच्चों का तीव्रगति से विकास करने के लिए उनमें विशेषज्ञता लाने की ओर माध्यमिक शिक्षा में जोर दिया जाना चाहिए। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना लाने के लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धान्त को स्थान मिलना चाहिए। पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम को इसके सही परिप्रेक्ष्य में और हमारी संस्कृति और परम्पराओं की महानता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अंतर्विषय सम्बन्धी अनुसंधान और कृषि चिकित्सा, तकनीकी वैधानिक और अन्य व्यवसायिक निकायों पर भी समुचित बल दिया गया है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है, सभी राज्यों में महिला अध्यापन केन्द्र स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा केन्द्र उड़ीसा में बेरहामपुर विश्वविद्यालय में भी तत्काल स्थापित किया जाना चाहिए जिसके लिए पहले ही सुझाव दिया जा चुका है।

शिक्षा नीति में बताई गई अनौपचारिक शिक्षा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों बिना स्कूलों वाले निवासियों के बच्चों कामकाजी बच्चों और लड़कियों और उन बच्चों के लिए जो पूरे दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते, के लिए शुरू की जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सक्षम कार्यान्वयन

की आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सरकार गैर सरकारी निकायों और संस्थानों को अत्यधिक धन राशि दे रही है। इस बात की निगरानी करने के लिए अवश्य ही कोई एजेंसी होनी चाहिए कि क्या इन संस्थानों और निकायों को इस तरह दी गई धनराशि का सही-सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं।

आत्म-निर्भर अर्थ व्यवस्था को कायम करने में सहायक बनाने की दृष्टि से सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्राथमिक ध्यान देना चाहिए। मैं मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में प्राथमिकता के आधार पर ऐसा संस्थान स्थापित करना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना कर इसके एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में महिला विकास को समुचित के रूप में आगे बढ़ावा दिया गया है। इस सम्बन्ध मे मैं सुझाव दूंगा कि सभी राज्यों में इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर इन संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश भर में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव एक ठोस कदम है क्योंकि भारत ग्राम प्रधान देश है जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करते समय उड़ीसा के मामले पर विचार करे।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना इस सम्बन्ध में सरकार की इच्छा का स्पष्ट द्योतक है। यह प्रणाली विकेन्द्रीयकरण के आधार पर अपनाई जानी चाहिए और भारत संघ के प्रत्येक राज्य में खुला विश्वविद्यालय होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए बौद्धिकता और आध्यात्मिक उपलब्धि को बढ़ावा देना है। इस सम्बन्ध में, मैं सुझाव दूंगा कि गैर सरकारी संस्थानों द्वारा लिए प्रति व्यक्ति ली जा रही धनराशि को रोकना चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

जहां तक सम्भव हो, पिछड़े, हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को अनुदान देने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में छूट दी जानी चाहिए। इनके मामलों में नियम उदार बनाए जाने चाहिए। समृद्ध राज्यों अथवा क्षेत्रों पर लागू होने वाले नियम ऐसे राज्यों पर लागू नहीं किए जाने चाहिए।

महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उड़ीसा में अनेक ऐसे गैर सरकारी कालेज हैं जिनमें कालेज के अध्यापकों से चन्दा एकत्र किया जा रहा है। कालेज अध्यापक चन्दा देकर गैर-सरकारी संस्था में मैं इस आशा से नौकरी प्राप्त करते हैं कि कुछ वर्षों के बाद, इस संस्थान को मान्यता मिल जाएगी। इन परिस्थितियों में, इन अविकसित राज्यों में स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसे अकेले राज्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारी शिक्षा नीति

[श्री सोमनाथ रथ]

देश भर में कार्यान्वित हो तो इन पर विचार किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए हमें निर्णय करना होगा किस राज्य को अधिक अनुदान दिए जाएं। इसका निरीक्षण करने के लिए भी अवश्य ही एक एजेंसी होनी चाहिए कि सम्पूर्ण भारत में शिक्षा नीति कार्यान्वित की रही है जैसा कि नीति विषयक पत्रों में कहा गया है।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम्) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में, मैं इस सभा मे कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। महोदय, पहले शिक्षा राज्य सूची में थी। लेकिन आपात-काल का लाभ उठाकर, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। मैं इस मुद्दे पर बल देता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा राज्य सूची के लिए आवंटित की जाएं। इसे समवर्ती सूची में नहीं रखा जाना चाहिए।

मेरा मुद्दा यह है। प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को सरकार से आधारभूत सुविधाएं जैसे, पानी कपड़ा और सामान्य जीवन स्तर की मांग करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की सुविधा मांगने का भी अधिकार प्राप्त है। आधारभूत सुविधाएं केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही कारण है कि मैं सरकार से यह बल देकर कह रहा हूं कि शिक्षा राज्य सूची में होनी चाहिए और समवर्ती सूची में नहीं रखा जाना चाहिए।

एक अन्य बात, जिसपर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि 'शिक्षा' विषय को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद भी जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध है लगभग 40 लाख बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं। उन्हें प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित किया जाता है और आज भारत में यही स्थिति है।

भाषा के बारे में भी, आप इन नवोदय अथवा आदर्श स्कूलों में किन-किन भाषाओं को पढ़ाएंगे ? आप त्रिभाषा फार्मूला लागू करना चाहते हैं। लेकिन यह त्रिभाषा फार्मूला क्या है ? एक गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र में एक बच्चे को अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी तथा उनके अतिरिक्त हिन्दी का भी अध्ययन करना पड़ता है। आप गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी कैसे थोंप सकते हैं ? हिन्दी के बारे में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसका उल्लेख करना चाहता हूं। वे एक राष्ट्रीय भाषा चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं होगी, परन्तु वह हिन्दुस्तानी होगी। हिन्दुस्तानी क्या है ? क्या वह हिन्दी है ? आप कृपया बताएं कि क्या हिन्दुस्तानी हिन्दी है ? मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह नहीं बता पा रहे हैं कि हिन्दुस्तानी क्या है। क्या यह किसी राज्य की भाषा है ? हिन्दी कभी भी किसी राज्य की भाषा नहीं रही है। हिन्दी का कोई व्याकरण अथवा साहित्य नहीं है। (व्यवधान)

मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दी में 'चेअर' के लिए आप कुर्सी कहते हैं। (व्यवधान)

आप कृपया इंतजार करें। आप कुछ नहीं जानते। आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह एक व्याकरणहीन भाषा है तथा इसका कोई क्रम नहीं है। हिन्दी में आप इसे कुर्सी कहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : आपको बोलना नहीं आता है, यह अलग बात है। क्या आप हमें बताएंगे कि कौन-सी लैंग्वेज सही है और कौन सी गलत है। यह बहुत गलत बात है। कल को तो आप बंगाली को कह देंगे कि यह गलत है, मराठी गलत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : हिन्दी में 'चेयर' के लिए कुर्सी शब्द है। हिन्दी में यह कौन-सा लिंग है स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग ? क्या कुर्सी स्त्रीलिंग है ? आप क्या मजाक कर रहे हैं ? आपकी क्या अद्भुत भाषा है ?

सभापति महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। आप अपने आपको भाषा सम्बन्धी विवाद से क्यों जोड़ रहे हैं ? श्री अग्रवाल आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया आप अपने आपको भाषा सम्बन्धी विवाद में शामिल मत कीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अगले मुद्दे पर बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलु : जब आप गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर भाषा थोप रहें हैं तो क्या मुझे यह बात कहने का अधिकार नहीं है ?

श्री बिपिन पाल दास : आठवीं अनुसूची की मद संख्या 4 हिन्दी है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : आप नीति पर बोलिए न कि हिन्दी पर।

श्री पी० कुलनदईवेलु : आप त्रिभाषा फार्मूला लागू करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप उनका जवाब दे देना।

श्री पी० कुलनदईवेलु : उदाहरण के तौर पर मेज को लीजिए। हिन्दी में मेज टेबल है। यह कौन-सा लिंग है ? मेज पुल्लिंग है। यह एक बेजान चीज है। यह पुल्लिंग के अन्तर्गत आती है। आपकी भाषा कितनी अद्भुत है। केवल यही बात नहीं है। आप कल शब्द को लीजिए, कल का अर्थ है 'येस्टरडे' और कल का अर्थ है 'टूमारो'। ये बात है। मैं यह कहकर अपने तर्क की पुष्टि करता हूं कि हिन्दी एक व्याकरणविहीन भाषा है और आप उसे गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के ऊपर थोपना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, जी, नहीं। ये टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण हैं और उन्हें सभा की कार्रवाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलु : क्यों ?

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : महोदय आप चेयर पर बैठे हुए हैं, मान्यवर नरसिंह राव जी जैसे विद्वान यहां बैठे हुए हैं, इस किस्म की ये बात कह रहे हैं, यह बड़ी खराब बात है। मैं, तो कहूंगा कि हिन्दी के प्रति अपनी अज्ञानता के लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए। आपका जब समय आएगा, तब आप जवाब दे लीजिएगा।

[अनुवाद]

मैं आपकी कदर नहीं कर सकता। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री संफुद्दीन चौधरी : इसे सभा की कार्रवाही में शामिल किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री महोदय जवाब देंगे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। जब आपका समय आएगा, तब आप जवाब दे लीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, बच्चों के बारे में, उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। और यही बात महात्मा गांधी ने कही थी। 'जो लोग केवल अन्य बातों के नाम पर ही अपनी भाषा का परित्याग करते हैं वे राजद्रोही हैं।" उन्हें राजद्रोही समझा जाएगा। हम अपनी भाषा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग अपनी भाषा का परित्याग कर रहे हैं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइये। जब आपका समय आयेगा तो आप जवाब

दीजियेगा। अब उनको कहने दीजिये।

श्री राजकुमार राय : जवाब हमें नहीं देना है, मंत्री जी को देना है।

सभापति महोदय : मंत्री जी भी देंगे, आप भी दीजिये। उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, आप बैठिये। अगर कोई अन-जाने में बात कहता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : इनको माफी मांगनी चाहिये।

सभापति महोदय : अगर उनको कोई जानकारी नहीं है तो आप जवाब दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजकुमार राय : उन्हें इसके लिए दण्ड दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामसिंह यादव : शरारत और अज्ञानता में क्या अन्तर है ?

श्री पी० कुलनदईवेलु : हमारे पास आधुनिक प्रौद्योगिकी है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वह आ-आ कर के बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते।

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिये।

श्री राजकुमार राय : हम लोगों में कोई इन्फीरियौरिटी काम्पलेक्स नहीं है। हम अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। इनको इन्फीरियौरिटी काम्पलैक्स है।

सभापति महोदय : हिन्दी एक महान भाषा है, उनके कुछ कहने से हिन्दी में फर्क नहीं पड़ जाता। अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, यह संयोग भी है और सुयोग भी है कि आप इस समय कुर्सी पर बैठे हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह तमिल में कुछ कहते तो समझ में आता।

सभापति महोदय : रावत साहब, उनको कहने दीजिये।

भारत की सभी भाषाएं महान हैं, सभी भाषाएं अच्छी हैं। कोई भाषा एक-दूसरे से खराब नहीं है। आप उनको अपनी बात कहने दीजिये। तमिल भी अच्छी है, हिन्दी भी अच्छी है, बंगला भी अच्छी है। भारत की सभी भाषाएं अच्छी हैं। उनको कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : मुझे तमिल के बारे में एक बात कह लेने दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह सब जरूरी नहीं है। आप उस बात पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं ? अब भाषा का प्रश्न कहां है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : देखिये, ऐसे आप हिन्दी की सेवा नहीं करेंगे। उनको बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हूं। आपको बैठना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : आपकी आज्ञा से भाषा के बारे में मैं उनको बता दूं।

सभापति महोदय : आपका जब नम्बर आएगा तब बताइएगा।

श्री राजकुमार राय : भाषा भनिति भूति भल सोई,

सुरसरि सम सब कर हित होई।

गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि भाषा वह है जिसमें जन-जन का हित हो।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : ये हिन्दी के कट्टर समर्थक हैं।

सभापति महोदय : राय जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे वे नहीं समझ पाएंगे। श्री पी० कुलनदईवेलु आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : ये गलत बातें कह रहे हैं, इर्रेलेवैंट बातें कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिये, कहने दीजिये।

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, या तो हमसे कहिये कि हम यहां से जायें, या इनसे कहिये कि इस किस्म की बात न करें। (व्यवधान)

या तो यह अपनी ··**···बन्द करें, या हम लोगों को आप आदेश दें कि हम यहां से जायें।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी का उद्भव कहां से हुआ। यह किस राज्य की भाषा है ? एक सीधा-सादा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या हिन्दी उत्तर प्रदेश की भाषा है अथवा मध्य प्रदेश की, क्या उड़ीसा की है अथवा क्या बिहार की, पंजाब की है अथवा हरियाणा की ? (व्यवधान) यह किसी भी राज्य की भाषा नहीं है।

श्री रण वीर सिंह (केसरगंज) : अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो यह सब मत कहिए हिन्दी किस राज्य की भाषा है ? मुझे बताइए।

श्री पी० कुलनदईवेलु : आपको सही-सही यह भी नहीं मालूम कि यह कहां से शुरू हुई। और अब आप यह कह रहे हैं ·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपा करके आप बैठ जाइये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकल दिया गया।

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मैं जानबूझकर कह रहा हूं किया तो यह · **···बन्द करें ··

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : संविधान की धारा 351 में लिखा है···यह शिक्षा नीति पर बोलें।

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिये। आपका नम्बर आयेगा तब बताइयेगा।

श्री राजकुमार राय : सदन का वक्त खराब न कराइये।

सभापति महोदय : अगर नीति पर नहीं बोलेंगे तो मैं उनको रोकने वाला हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदइंबेलु : पंचतंत्र में एक कहावत है "किसापिनांव्ये देशे रजक: कि करिष्यति" इसका अभिप्राय क्या है ? इसका अभिप्राय है वस्त्र हीनों के देश में धोबी का क्या काम। इसीलिए मैंने यह कहा है कि यह व्याकरण रहित भाषा है। इतना ही नहीं··· (व्यवधान)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हिन्दी चाहे राष्ट्रीय भाषा न हो लेकिन संविधान के अनुसार यह देश की राजभाषा है। अत: राज भाषा के प्रति की गई अपमानजनक कोई भी, टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जाए। यह बात रुचिकर नहीं है। देश की राजभाषा के लिए जो कुछ भी कहा गया है, उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के सामने एक चीज रख कर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। बहुत सी ऐसी भाषायें हैं जिसमें ग्रामर बहुत अधिक कड़ा रहा— जैसे कि संस्कृत है। उसके बारे में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि संस्कृत अपनी मातृवद्ध की दोषी है क्योंकि उसका व्याकरण इतना कठिन है कि सामान्य लोग इसे नहीं समझ पाते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्याकरण में विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। अगर कुछ अपमानजनक है तो उस पर विचार किया जाएगा।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार-कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि अगर किसी लैंग्वेज में ग्रामर कम हो या शिथिल हो तो क्या वह लैंग्वेज सही नहीं मानी जायेगी ? ग्रामर होना या न होना किसी लैंग्वेज की क्वालिटी नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : शिक्षा के बारे में की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम के पृष्ठ 163, पैरा 10 में त्रि-भाषा फार्मूले का उल्लेख किया गया है। हम त्रि-भाषा फार्मूले को नहीं मानते। जहां तक तमिलनाडु की बात है हम त्रि-भाषा फार्मूले को ही मानेंगे··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह : जब आप हिन्दी ही नहीं जानते हैं तो आप कैसे यह जान सकते हैं कि इसमें व्याकरण है या नहीं।···(व्यवधान)···

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, हम सब आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या रूल्स हैं ? उसके मुताबिक ही दे सकते हैं। उससे हटकर कोई व्यवस्था नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मैं सिर्फ यह बात पूछ रहा हूं कि अगर ग्रामर शिथिल है तो क्या उससे लैंग्वेज की क्वालिटी गिर जायेगी ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु : महात्मा गांधी ने भी कहा है कि यह सच है कि हम अंग्रेजी में अपने विचारों को ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। अगर यही बात है तो क्यों नहीं अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाते ? हमने पश्चिम देशों से काफी कुछ उधार लिया है। अभी भी हम विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी उनसे ले रहे हैं। हर रोज हम ले रहे हैं, हर रोज इसका निर्यात कर रहे हैं। इसीलिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि यह सच है कि हम किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अंग्रेजी में विचारों को ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं।

जहां तक व्यवसायीकरण की बात है, देश के कई सौ व्यावसायिक संस्थानों में ये आधे से अधिक तमिलनाडु में हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण इस तरह से प्रदान किया जा रहा है जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने लिए रोजगार खुद जुटा सके। इसीलिए तमिलनाडु में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कुल बेरोजगारों में शिक्षित लोगों का अनुपात 1961 में एक तिहाई से बढ़ कर आधा हो गया।

[श्री पी० कुलनदईवेलु]

इसलिए, मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि व्यावसायिक स्कूल आरम्भ किए जाएं। जो स्कूलों से पढ़कर आ रहे···

सभापति महोदय : आप पहले ही 19 मिनट तक बोल चुके हैं। आपने ज्यादा समय ले लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० कुलनदईवेलु : इन लोगों ने मेरा सारा समय ले लिया है। वह प्रत्येक जिले में एक नवोदय स्कूल खोल रहे हैं। इनमें सबसे होनहार और उपयुक्त बच्चों को अवसर मिल रहा है। नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए वह ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा कर रहे हैं और अन्य बच्चों को उस विद्यालय में प्रवेश काअवसर नहीं मिल रहा। यह उच्च वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिएबनाए गए हैं। अत: ज्यादातरछात्रों को अवसर नही मिल पा रहा। इससे कुछ मुट्ठी भर बच्चों को ही लाभ होगा तथा गांव में ज्यादातर बच्चो को यह सुअवसर नहीं मिल पाएगा। प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए तथा सरकार को बिना किसी जातिगत भेदभाव के उसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसका कोई खास असर नहीं होगा। अगर हम एक जिले में स्कूल आरम्भ करते हैं तो आप 1000 से 1500 बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन, यह कुल संख्या कोई खास नहीं है। पूरे जिले में इस प्रकार का एक स्कूल अपर्याप्त तथा न होने के ही बराबर है।

प्रत्येक विद्यालय में जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं उन्हें हर रोज पोषक आहार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजना की सभी द्वारा प्रशंसा की गई है और यहां तक कि योजना आयोग ने भी इस योजना को मान्यता दी है। इस योजना के अन्तर्गत केवल भोजन ही नहीं दिया जा रहा। यहां सिखाया भी जाता है। इससे प्रत्येक बच्चे में सीखने की आदत पड़ती है। मेरा यह सुझाव है कि इसे लगभग सभी राज्यों में लागू किया जाए। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि अगर यह योजना लागू की जाती है तो लगभग 4000 करोड़ रु० खर्च करने होंगे। लेकिन जब तक सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 1,80,000 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं तो 4000 या 5000 करोड़ रु० कुछ भी नहीं है। अगर हम 4000 करोड़ रु० खर्च करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ? हम उन्हें भोजन न देकर वास्तव में प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैंने इस आशय का संशोधन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है —देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 'क' मे मुफ्त शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। 'ख' श्रेणी के विद्यालयों में नाम मात्र का संस्थागत शुल्क लिया जाए। 'ग' श्रेणी में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाएं। अगर ऐसा होगा तो हम देश में प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कर सकेंगे।

जहां तक मानव-संसाधनों की बात है मैं यह कहूंगा कि भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम उनका इस्तेमाल इस तरह से करना है जिससे देश की प्रगति हो।

श्री शरद दिघे : (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, सभा के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में

भाग लेते हुए मैं कार्यवाही योजना के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

महोदय, यह तीसरा अवसर है जब यह सभा सरकार की नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रही है। जब पहले शिक्षा की चुनौती की घोषणा की गई, उस समय हमने इस पर चर्चा की थी, दूसरी बार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 प्रकाशित की गई थी, तो इस सभा ने भी उसी विषय पर चर्चा की थी। और मेरे विचार से हम पुनः कार्यवाही योजना के नाम से व्यावहारिक तौर पर उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार द्वारा सुझाए गए शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों के बारे में पहले ही विभिन्न मत व्यक्त किए जा चुके हैं। अब जहां तक इस कार्यवाही योजना का सम्बन्ध है, तो इसमें संदेह नहीं है कि इसका आशय नीति की दिशा को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक कार्रवाई स्वरूप का संकेत देना है। मुझे पहली बात तो यह कहनी है कि यद्यपि, नीति के कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ स्थानों पर कुछ समय सीमा का उल्लेख किया गया है परन्तु कुल मिलाकर यह बिल्कुल भी समयबद्ध नहीं है। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में भी कहा गया है, मैं यह बताऊंगा कि स्वयं मंत्री महोदय यह कहते हैं कि 'कुछ कार्रवाई योजनाएं अनेक वर्षों तक चलेगी, वे न केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना बल्कि आठवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद भी चलती रहेंगी'। इसलिए यह सम्पूर्ण योजना एक समयबद्ध कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाएंगे अथवा उन्हें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। परन्तु कुल मिलाकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए यह एक सतत प्रक्रिया मालूम होती है। यह निश्चित रूप से और अनियत समय तक चलता रहेगा परन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि शिक्षा के ऐसे कार्यक्रम के लिये कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये जिसमें सरकार विशेष निर्धारित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें। इस कार्यवाही योजना में उल्लिखित सभी मुद्दों पर तो चर्चा करना इस समय कठिन है। इसलिए, मैं तीन अथवा चार मुद्दों का जिक्र करूंगा।

पहला मुद्दा, जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह है शिक्षा क्रांति (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) इसमें सन्देह नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम है अथवा मुझेकहना चाहिये कि प्राथमिक स्तर के मामले में यह एक व्यापक शिक्षा स्कूल) कार्यक्रम है, और इसमें भी सन्देह नहीं है कि यह प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं और शिक्षा उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित करता है। परन्तु जब मैं सूची देखता हूं तो कभी-कभी मैं यह अनुभव करता हूं कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस अध्याय में न केवल कुछ बातों का उल्लेख किया गया है परन्तु इसके साथ लगे अनुबंध में उन उपकरणों की लम्बी सूची दी गई है जो प्राथमिक स्कूलों में दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं हैं। अब मानव संसाधन विकास मंत्री हमें प्रपत्र (डाक्यूमेंट) के बाद प्रपत्र दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि वे वित्त मंत्री की तुलना में कुछ अधिक तेजी से दौड़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने हमें दो प्रपत्र दिये हैं जिन पर अगले सत्र में चर्चा की जानी है—प्रत्यक्ष करों का सरलीकरण और उसके बाद नियंत्रित मूल्य नीति पर अगले सत्र में चर्चा की जाएगी। परन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में हमें गत सप्ताह ही यह प्रपत्र दिया गया है और अब हमें इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : 8 अगस्त को दिया गया था। आपके पास 13 दिन थे।

श्री शरद दिघे : इसलिए मैं मानव संसाधन मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे वित्त मंत्रालय के साथ चलें क्योंकि जब तक वे वित्त मंत्रालय के साथ-साथ नहीं चलेंगे तो इस महत्वाकांक्षी और सुविचारित कार्यक्रम लागू करना कठिन होगा। यह कार्यक्रम, जो कभी-कभी बहुत आदर्श लगता है, परन्तु मुझे नहीं पता कि वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए हम किस प्रकार इन सब कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकेंगे।

इसके बाद, जहां तक शिक्षा क्रांति का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने कहा, सूची को देखते हुए, तथा प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में दो कमरे और दो अध्यापक, जिनमें से एक महिला होगी, तथा अनेक अन्य सुविधाओं का विवरण देखते हुए मेरे विचार से निर्धारित अवधि के भीतर इन सब बातों को लागू करना मानव संसाधन विकास मंत्री के लिए संभव नहीं होगा।

दूसरे, मैं कहूंगा कि जब इस शिक्षा क्रांति पर बल दिया गया है तो उसके साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिये। यदि अनौपचारिक शिक्षा पर उतना ही बल नहीं दिया गया तो इस नई नीति का उद्देश्य अर्थात उन परिवारों के बच्चों की सहायता करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जहां बच्चे एक जीविकापार्जन का साधन है परन्तु वे अपने बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं दिला सकते और यदि हम इस पर उचित बल देना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षा क्रांति के बीच संतुलन होना चाहिए।

इसके बाद बारी आती है माडल स्कूलों - नवोदय विद्यालयों की। इनके बारे में अनेक बार टिप्पणियां की गई हैं इन मॉडल स्कूलों के बारे में मेरे मन में अनेक बातें हैं। हम समानता पर विशिष्टता को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए क्या निर्धन लोगों के इस विशाल देश में मनोवैज्ञानिक रूप से विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग तैयार करना उपयुक्त होगा जो सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़े हैं तथा अन्य छात्र, जो सामान्य स्कूलों, गैर सरकारी स्कूलों अथवा पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे, यह प्रश्न है। इसलिए, इस दृष्टि से मैं पुनः सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह मॉडल स्कूलों की इस योजना पर पुनर्विचार करे तथा इसके बारे में उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।

इस कार्यवाही योजना में कहा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले में ऐसा मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। इस बात से भी ऐसा लगता है कि यह एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है तथा इन स्कूलों की सम्भावित अथवा अनुमोदित लागत को देखते हुए मुझे नहीं पता कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में ऐसा एक स्कूल खोलना सम्भव हो पाएगा। इसके बाद आप कहते हैं कि इन स्कूलों में 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। मेरा कहना है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत धनी और बहुत बड़े जमींदार और किसान हैं और वहां बहुत गरीब भूमिहीन मजदूर भी हैं। इसलिए इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण की बात कहना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि आरक्षण के मामले में आर्थिक पिछड़ेपन की बात पर भी विचार करना होगा।

अब, जब हम सर्वश्रेष्ठ और मेधावी तथा अति उपयुक्त बच्चों के लिए आरक्षण अथवा एक प्रकार का चयन कर रहे हैं तो मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न चाहूंगा। क्या अध्यापकों का चयन किया

जाएगा ? क्या इन सर्वश्रेष्ठ और मॉडल स्कूलों के लिए हमारे अध्यापक भी सर्वश्रेष्ठ होंगे ? आप इन अध्यापकों का चयन किस प्रकार करेंगे ? इसका क्या मानदंड होगा ? अध्यापकों का चयन करने का क्या कार्यक्रम है ? जब तक इन स्कूलों के लिये सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों का चयन नहीं किया जाता तब तक इस कार्यक्रम में मेधावी और अति उपयुक्त छात्रों के चयन करने का कोई लाभ नहीं है।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करूंगा कि छात्रों के चयन के लिए एक अति सतर्क तंत्र बनाया जाए। वर्तमान समाज को देखते हुए, जहां सब जगह हर क्षेत्र में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब तक हम भाई-भतीजावाद, राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार से नहीं बचते, ये स्कूल वास्तव में सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और अति उपयुक्त ग्रामीण बच्चों का चयन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका उत्तर भी गिरने का खतरा है।

व्यावसायिकरण कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा गया है कि यह जमा दो स्तर पर शुरू होना है, इसके साथ ही 8वीं कक्षा के बाद भी शिक्षा को सुदृढ़ व्यावसायिक आधार प्रदान किया जाएगा। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसे यथासंभव शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। परन्तु हमें विगत के अनुभव पर भी विचार करना चाहिए। गत कई वर्षों से यह विचार किया जा रहा है तथा 1976-77 तक इस कार्यक्रम को केवल तीन राज्यों में ही कुछ कार्यरूप दिया जा सका था। वर्ष 1983-84 तक यह कार्यक्रम लगभग 20 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया था। अतएव इस दृष्टिकोण से भी हमें जमा दो स्तर पर इस व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी और जहां तक 8वीं कक्षा का सम्बन्ध है हमें उसमें भी मजबूती से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी। अतएव, हमें आधारभूत ढांचा प्रदान करना होगा, उसके लिए न केवल पर्याप्त निधियां प्रदान करनी होंगी बल्कि राज्यों में उपयुक्त जागरूकता भी उत्पन्न करनी होगी। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वांछित गति तथा कुशलता के साथ हाथ में लेना होगा। जैसा कि हम देखते हैं, देश के 1600 व्यावसायिक संस्थानों में से आधे से ज्यादा तमिलनाडु में हैं। यदि देश में यह असंतुलन विद्यमान है तो इस कार्यवाही कार्यक्रम में की गई परिकल्पना के अनुसार व्यावसायिक कार्यक्रम से उचित परिणाम पाना मुश्किल होगा। यहां भी, यह पता लगाया जाना चाहिए कि किस प्रकार के कौशल की मांग है और कितने लोगों को इसमें लाभप्रद ढंग से नियोजित किया जा सकता है। केवल इस बात पर विचार करने के बाद ही जहां तक व्यावसायिक शिक्षा का सम्बन्ध है कोई उचित कार्यवाही की जा सकती है। मैं जानता हूं कि इस कार्रवाई कार्यक्रम में बताए गए अनुसार यह कार्य केन्द्र को तथा जिला व्यावसायिक ब्यूरो द्वारा किया जाना है। इस व्यावसायिक शिक्षा को कार्यान्वित करने से पहले उन्हें प्रारम्भ में काफी परिश्रम करना होगा। अन्यथा जहां तक विद्यार्थियों तथा रोजगार के अनुपात का सम्बन्ध है इससे काफी असंतुलन पैदा हो जाएगा।

अन्त में, मैं उच्च शिक्षा के कार्यक्रम की बात करूंगा जिसमें शिक्षा को नौकरियों से अलग करने पर अधिक बल दिया गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह उपाधियों को अलग करने के बारे में है न कि शिक्षा को। 5.00 म०प०

श्री शरद दिघे : जी, हां, यह उपाधियों को अलग करने के बारे में है। इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष के अन्त तक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना करने का विचार किया गया है और वे यह बात निश्चित करेंगे कि विशेष कार्यों के लिए किन-किन निपुणताओं की आवश्यकता है और किन आवेदकों के पास वे निपुणताएं हैं। अब, यहां भी, जैसा कि मैंने आदर्श विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के चयन के बारे में कहा था, मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा कि सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के एक बहुत अच्छे तंत्र के बिना यह राष्ट्रीय परीक्षण सेवा संकट में पड़ जाएगी। हमें नौकरियों के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के बिना भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकता है। भाई-भतीजा वाद शुरू हो सकता है, राजनीतिक प्रभाव डाला जा सकता है और वास्तव में जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है मेधावी उम्मीदवार आगे नहीं आ सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी उपाधियों के बल पर नौकरियां प्राप्त नहीं होंगी और हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि वहां राष्ट्रीय परीक्षण सेवा का उचित तंत्र नहीं होगा। इसलिए, यदि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो इस दृष्टिकोण से भी उपयुक्त सावधानी बरतनी होगी।

इन कुछ बातों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं जो प्रोग्राम आफ एजूकेशन रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, 1986 के बजट सेशन के दौरान जब इस सदन ने हमारी इस पालिसी पर चर्चा की थी और इसको स्वीकार किया था, उस वक्त मिनिस्टर आफ ह्यूमन रेसोर्सेस डेवलपमेंट ने यह वायदा किया था कि प्रोग्राम आफ एजूकेशन के इंप्लीमेंटेशन को मानसून सेशन में सदन के सामने लाएंगे। मैं उन्हें, उनके मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रिकार्ड समय के अन्दर इस प्रोग्राम को हमारे सामने लाकर रखा है।

सभापति जी, इस देश के लिए 23 टास्क फोर्सेस बनाई गई थी, जिनको खुसूसी मजामीन दिए गए थे, विशेष विषय दिए गए थे, जिन पर उन्होंने देश भर में जो प्रसिद्ध शिक्षा जगत के शास्त्री थे, एजूकेशनिस्ट थे हमारी तालीम के, उनसे चर्चाएं की, सेमीनार किए मीटिंग्स की, स्टेट गवर्नमेंट के आफिसर्स से, मंत्रियों से चर्चाएं कीं, उसके बाद शायद मेरी जानकारी में हमारे इतिहास में यह पहला समय था कि इतने कम समय के अन्दर हमारे सामने यह प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, इस प्रोग्राम को पढ़ते समय मैंने देखा, इंट्रोडक्शन में पैरा सात में बात कही गई है, एलीमिनेशन आफ डिसपेरिटीज, में इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। आजादी के 39 साल के

बाद भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उन लाखों करोड़ों बच्चों का जो शहरों में, अधिक संख्या में गांवों में रहते हैं, जब उनकी उम्र, आयु 7-8 साल की होती है तो उनके सामने सवाल आता है, एक तरफ, किताब का और दूसरी तरफ रोटी का, रोटी और किताब में अगर इस बात का इंतखाब करना पड़े चुनना पड़े तो सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि किताब नहीं बल्कि रोटी को वह चुनता है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए अर्निंग फैक्टर है। इसी तरह हम गांवों में देखते हैं, अभी पब्लिक स्कूल्स की बात कही गई, मैं अपने चुनाव क्षेत्र सतना की बात बताना चाहता हूं, जहां से मैं जाता हूं, सतना मध्य प्रदेश में है, उस क्षेत्र में और अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मैं आपके माध्यम से सदन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ जहां हमने पब्लिक स्कूल्स बना रखे हैं, दूसरी ओर इस देश के गांवों में बैठने के लिए बच्चों के लिए एक कमरा भी नहीं है, जहां हमारे गांवों के बच्चे तालीम पा सकें। धरती उनका बिस्तर है और आसमान उनकी छत है और उसके बीच अल्ला-मियां हैं, भगवान है और कोई नहीं है। करोड़ों बच्चे इस तरह से तालीम पाते हैं, उनके लिए हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। जिस देश में यह परिस्थिति हो, उस देश में पब्लिक स्कूल में किसी भी प्रिवलेज क्लास के बच्चों का पढ़ना इतना बड़ा पाप है जिसके लिए तवारीख और आने वाली नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। इसलिए मैं इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि पब्लिक स्कूल को एक साथ इस मुल्क के अन्दर समाप्त कर दिया जाए। इससे बड़ा एक्सप्लाइटेशन, शोषण, मानवता का, इन्सानियत का इस देश के अन्दर न कभी हुआ है और न कभी हो पाएगा।

सभापति जी, इसी तरह इस इन्ट्रोडक्शन के पैरा एक में नेशनल इन्टीग्रेशन की बात कही गई है। यह कोई नयी बात नहीं है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के द्वारा और हमारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह बात सुनने में आई है कि जहां कभी इंस्टीच्यूट फार नेशनल इन्टीग्रेशन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसका प्रारूप या उसकी कोई अमली शक्ल हमारे सामने नहीं आ पाई है। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को जब हम इम्पलीमेंट करेंगे तो यकीनन इस मुल्क के अन्दर नेशनल इन्टीग्रेशन के कुछ इन्स्टीच्यूट बना पायेंगे। इस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस देश के एक बहुत बड़े तालीमी इदारे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसको आज तक हम लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। यह वह इन्स्टीट्यूशन है, वह यूनिवर्सिटी है जो आज से सत्तर साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश के अन्दर इसलिए बनाई गई थी कि उस वक्त मुल्क के अन्दर बढ़ी साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती का मुकाबला करती। यह वह संस्था है, वह जगह है जहां डा० जाकिर हुसैन, डा० आबिद हुसैन, प्रोफेसर मुजीब, शफीकुर रहमान किदवाई और न मालूम किसने लोग आक्सफोर्ड, कैम्ब्रोज और बरलिन यूनिवर्सिटीज से एम०ए० और पी०एच०डी० करके आए तथा महात्मा गांधी के कदमों पर चालीस रुपए महीने पर नौकरी की और अपना सारा कैरियर कुर्बान कर दिया और इसलिए कौम परस्ती का झण्डा उठाया ताकि मुल्क में मुस्लिम लीग के जरिए यह फैलाई गई—फिरकापरस्ती का मुकाबला करें, पाकिस्तान की मांग का मुकाबला करें और मुल्क के अन्दर जो कौम परस्ती की सियासत थी, उसकी बागडोर अपने हाथ में रखें, अमर रहे और उसका झण्डा ऊंचा रखें लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुस्तकबिल का मौर्रीख हमें माफ नहीं करेगा। इस मुल्क के अन्दर सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बन गई, सैकड़ों इदारे बन गए, लेकिन उनका जामिया मिलिया से कोई मुकाबला नहीं है।

[श्री अजीज कुरैशी]

जामिया मिलिया उनसे हर तरह से अच्छा है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि आप इसको एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। क्या सिर्फ इसलिए कि वहां मुट्ठीभर लोगों ने उस वक्त की बढ़ती हुई मुस्लिमलीगी फिरकापरस्ती का मुकाबला किया था और पाकिस्तान की मुखालफत की थी। क्या उनको उसकी सजा दे रहे हैं। उन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की सनद के ऊपर कहा कि आ गया है सारे मुल्क के अन्दर काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और एक आवाज दी, मुस्लिम लीग का जहर देश के मुसलमान के लिए एक ऐसा कातिल जहर है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। उसका मुकाबला किया और सारी जिन्दगी तथा कैरियर कुर्बान कर दिए। क्या उसका पनीशमेंट देना चाहते हैं। आपने इसी पालिसी के अन्दर मुल्क की अकलियतों, माइनोरिटीज के बारे में बात की है और जिसमें आपने दस सिलेक्टेड जिलों के अन्दर पोलीटैक्नीक बनाने की बात कही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वही जामिया मिलिया जिसमें यू०जी०सी० की अप्रूवल के बाद आपने टैक्नीकल फैकल्टी स्थापित की और ओपन मुकाबले के जरिए वहां एडमिशन दिए और पहला साल शुरू किया और अब दूसरा साल शुरू हुआ है। यू०जी०सी० ने पहले साल के लिए दस लाख रुपए की ग्रान्ट उनको दी। दस लाख रुपए मंजूर किए लेकिन अब तक उनको दो लाख रुपए ही मिल पाए हैं। सिर्फ इसलिए कि उसके साथ यह लगा हुआ है कि वह माइनोरिटीज का इंस्टीच्यूट है, उसने मुल्क की खिदमात की है इसलिए उसे परेशान किया जाए, तंग किया जाए। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी और हमारी भारत सरकार के अधिकारी देखें कि क्या वजह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के लोगों को तंग किया जा रहा है, उनको मुनासिब प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि यह तारीखी पहलू है हमारे मुल्क के हालात का जिस पर से पर्दा उठाना चाहिए। हमारी हुकूमत के जिम्मेदार लोगों को यह मालूम है कि क्या तारीख है जामिया मिलिया की और क्या उसकी खिदमात है। मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने अपने सबसे बड़े बेटे देवदास गांधी जी से यह कहा कि अगर इस मुल्क के अन्दर वाकई नेशनल इन्टीग्रेशन को लाना है तो तुम जाओ और जामिया मिलिया में जाकर पढ़ाना शुरू करो। देवदास गांधी वहां पर स्कूल के मामूली टीचर की हैसियत से पढ़ाते रहे। यह बात तारीखी रिकार्ड में है और शायद आज लोगों की जानकारी में न हो। इतना ही नहीं जब देवदास गांधी के मासूम बच्चे की मृत्यु हुई, इन्तकाल हुआ, उसको दफ्न करने के लिए, दफन करने के लिए, महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया का कब्रिस्तान चुना और आज तक उस मासूम बच्चे की कब्र वहां बनी हुई है। महात्मा गांधी ने कहा कि आज के बाद जामिया मिलिया का हर बच्चा मेरे परिवार का बच्चा है। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बार यह बहस चली कि जामिया मिलिया के साथ लफ्ज इस्लामिया निकाल दिया जाए और इसको जामिया मिलिया अजमलिया, हकीम अजमल खां की याद में किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि जामिया मिलिया के साथ शब्द अजमलिया निकाल दिया गया तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मैं आत्म-हत्या कर लूंगा। जामिया मिलिया इस्लामिया कहा जायेगा तो किसी भी सूरत के अन्दर यह नहीं चल पायेगा। मैं चाहूंगा हमारी सरकार और मंत्री जी से कि वह शीघ्रातिशीघ्र जामिया मिलिया इस्लामिया को पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे। इसकी घोषणा करें और इसके साथ इसको उर्दू

यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा करें। सारे भारत के लोगों के लिए एक ओपन उर्दू यूनिवर्सिटी हो जिससे तमाम भारत के उर्दू जानने वाले फायदा उठा सकें। आपने जो डाक्युमेंट पेश किया है, मुझे आश्चर्य यह है कि हिन्दुस्तान की अजीम जुबान जिसने खिदमत की है, कौम परस्ती को आगे बढ़ाया है, जिसने मुल्क के नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसने इंकलाब जिन्दाबाद का खूबसूरत नारा हमें दिया है, उसकी तरक्की के लिए इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि उर्दू लैंग्वेज के डवलपमेंट के लिए खास कदम उठाए जाएं और जामिया मिलिया इस्लामिया को एक ओपन उर्दू यूनिवर्सिटी बनाया जाए जिससे सारे लोग उससे फायदा उठा सकें। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जामिया मिलिया की क्या अहमियत थी।

सभापति महोदय : अब तो आप जामिया मिलिया के बारे में बता चुके हैं।

श्री अजीज कुरैशी : मैं इसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे पास यह एक किताब है "लैटर्स फ्राम प्रिजन" है।

5.13 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुहम्मद यूनुस खां साहब की इस किताब से कुछ कोट करना चाहूंगा जो दरअसल उनकी उर्दू किताब "कैदी के खत से" का अंग्रेजी तर्जुमा है जिसे डा० सइदा सइदन हमीद ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है जिसमें उन्होंने जामिया मिलिया के बारे में जो कुछ लिखा है और जिससे हमें अन्दाजा होगा कि उस समय के नेता पंडित नेहरू और दूसरे लोग जामिया मिलिया इस्लामिया को क्या अहमियत दिया करते थे।

[अनुवाद]

"विभाजन की पूर्व संध्या पर दिल्ली साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में था। एक रात लगभग 11.00 बजे, डा० जाकिर हुसैन ने मुझे बुलाया और जामिया के बाहर जमा भीड़ द्वारा दी गई धमकी के बारे में बताने के बाद एक भारी आवाज में खुदा हाफिज कहा। मैंने जवाहरलाल जी को सूचित किया और तुरन्त जामिया मिलिया इस्लामिया आए। वहां जाकिर साहिब तथा उनके कुछ साथियों को असहाय स्थिति में एक दूसरे सटकर बैठे हुए पाया जबकि हिंसक भीड़ ने बाहर कुहराम मचाया हुआ था। जवाहरलाल जी को हाल में प्रवेश करते देख कर जाकिर साहिब तथा अन्य लोग उनका सत्कार करने के लिए खड़े हो गए और उनमें से एक ने कहा "आपने हमें कहा था कि सम्मानित जीवन बिताओ, और अब आधी रात को यहां निडरतापूर्वक आकर आपने हमें यह बता दिया है कि सम्मान के साथ कैसे मरा जाता है हमें अब कोई डर नहीं है।" वापस जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भीगल में रोका और वे अपने विशिष्ट अंदाज में कार से नीचे उतर आए और कुछ धार्मिक मतान्ध व्यक्तियों

[श्री अजीज कुरेशी]

द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी के लिए उन्हें लताड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने उन्हें बड़े कठोर शब्दों में कहा, "मैं अभी-अभी जामिया से वापस आया हूं, जहां मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने जीवन-पर्यन्त भारत की सेवा की है और अब अपने आपको असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। यह बहुत ही खेदजनक है और हमारे लिए हानिकारक है।"

[हिन्दी]

मैं कहना चाहूंगा कि जिस इंस्टीच्यूशन की तारीख के आपके सारे प्रोग्राम उस वक्त तक बेमानी होंगे जब तक इंस्टीच्यूशन की पूरी तरह मदद न करें और उसको आप उर्दू यूनिवर्सिटी का दर्जा न दें। इन अल्फाज के साथ मैं आपकी इस पालिसी का समर्थन करता हूं और यकीन रखता हूं कि मेरी बात को सरकार नजरे इनायत देगी।

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि चर्चा को आरम्भ करते समय सैयद शाहबुद्दीन साहब बड़ी गम्भीरता से बातें कर रहे थे, परन्तु बाद में उन्होंने अन्य माननीय सदस्यों के भाषण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस दौरान वे सोये रहे। इससे सिद्ध होता है कि नई शिक्षा नीति के ऊपर उनका कितना कन्सर्न है। उन्होंने वैसे तो बहुत-सी बड़ी-बड़ी बातें कहीं, लेकिन मैं यहां, उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं, चर्चा का उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे, परन्तु मैं यहां अपने कुछ विचारों को आपके सामने रखना चाहती हूं।

शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ प्रौब्लम की जानकारी नहीं है, मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि हमें और सरकार को मैग्नीट्यूड ऑफ प्रौब्लम की पूरी जानकारी है। हमारी समस्याओं का आकार कितना बड़ा है, उसे हम जानते हैं। तभी तो हमने नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार किया और उसे संसद से पारित कराया। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि "नॉट कन्सर्न्ड व्हाट इज़ हेयर इन डिटेल" : मुझे उनकी बात को सुनकर बहुत आश्चर्य और दुःख हुआ। दुःख इसलिए हुआ कि वे स्वयं बहुत अनुभवी हैं फिर उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। एक बड़ी नौकरी को छोड़कर वे यहां संसद में आये हैं, उनको तो दोनों जीवन का अच्छा अनुभव है। अगर हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन को संसद में नहीं लाते तो आपको शिकायत होती कि बिना संसद को कान्फीडेंस में लिए हुए सरकार ने एकतरफा कार्यवाही कर दी। अब जब हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन को संसद में लेकर आये हैं तो वे कहते हैं कि "व्हाट इज़ न्यू एबाउट इट"।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा के बारे में और हमारी नियत के बारे में यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सारा देश उसे जानता है। विगत सत्र में हमने नई शिक्षा नीति को संसद में पारित कराया था और सभी माननीय सदस्यों ने उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उस समय किए गए वायदे को पूरा करने के लिए ही माननीय मन्त्री जी इस सत्र में नई शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ

एक्शन को लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके विचारों की कीमत है, इसीलिए उस दस्तावेज को सभा की अदालत के सामने रखा गया है। उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा "मेकिंग दि सिस्टम वर्क" है जिसे मैं बहुत आवश्यक मानती हूं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लागू करना बहुत ही आवश्यक जान पड़ता है। इसी सिलसिले में, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे राष्ट्र को साक्षर, शिक्षित एवं समुन्नत बनाने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोग्राम ऑफ एक्शन का दस्तावेज आपके सामने उपस्थित किया गया है। यह वह दस्तावेज है जिसका एक-एक शब्द हमारे देश के बड़े-बड़े शिक्षा-विदों, बड़े-बड़े अनुभवी दर्शनशास्त्रियों और अन्य लोगों की भावनाओं, विचारों को एकसूत्र में बांधकर इस दस्तावेज में अंकित किया गया है। यदि आप इसे केवल कुछ कागज के पन्ने मानते हैं, तो वह आपकी भूल है।

शिक्षा हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए कितनी अहमियत रखती है, यह इस बात से जाहिर है कि कल जिस नये बीस सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा इस सदन में प्रस्तुत की गई थी, उसमें शिक्षा के प्रचार और प्रसार को दसवां स्थान दिया गया है। इसके तहत शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, शिक्षा के वस्तु-विस्तार में सुधार, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, कार्यकुशलता में तरक्की तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों तथा देश की गौरवमयी परम्पराओं का उल्लेख भी किया गया है। इतना ही नहीं इसमें व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम की भी चर्चा है। इस व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार के अलावा विद्यार्थियों एवं वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स को भी कुछ भूमिकाएं निभानी होंगी। उसे भी हमने अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शन में निर्धारित किया है। मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री जी ने नये बीस सूत्री कार्यक्रम के दसवें सूत्र में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए जो कार्यक्रम उद्घोषित किया है, उसकी विस्तृत चर्चा हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन में है, आप अध्याय 2, 4, 12, 16 और 17 में उसे देख सकते हैं। इसके अलावा बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक दक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मूलभूत तत्वों को भी, जिन्हें फण्डामैंटल वैल्यूज आफ डैवलपमेंट भी कहते हैं, शिक्षा के साथ जोड़ा गया है और उसका प्रभाव सारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है और आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर ढंग से हम कैसे लागू करें। उसमें हमें सारे राष्ट्र के सहयोग की आकांक्षा है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, चाहे आप इधर हों या उधर हों अथवा सदन के बाहर हों, जब तक सारे लोगों का हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम नई शिक्षा नीति को कारगर ढंग से लागू नहीं कर पायेंगे। यदि आप केवल आलोचना तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे और समझते हैं कि आलोचना करना आवश्यक है, उसके बिना विपक्ष सरवाइव नहीं कर सकता या हमारे ऊपर बैठे लोगों को मिसाल देने के लिए ही बात की जाएगी तो दूसरी बात है। लेकिन अगर रचनात्मक सुझाव देना है, तो रचनात्मक सुझाव आपकी ओर से कुछ नहीं आया है। अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं यह कहना चाहती हूं अपने माननीय सदस्यों से कि व्यवस्था और संगठन का क्या महत्व होता है। क्या बिना व्यवस्था और संगठन के गाड़ी चल सकती है। नहीं चल सकती है। इसलिए व्यवस्था और संगठन किसी भी नीति के कार्यान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है। यह इसकी अनिवार्यता है। अगर यह कार्य न हो, तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे इतिहास पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ा होगा कि राणा सांगा

[श्रीमती कृष्णा साही]

कितने बड़े योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनकी रणनीति में कोई कमी आ गई, उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी हार हो गई। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1857 में भी वही स्थिति थी। हमने उस समय स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी हार हुई। हमारी नीति के कार्यान्वयन में कहीं कोई कमी आ गई थी। इसलिए हमारी उस समय हार हुई। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे संसद पहले अनुमोदित कर चुकी है, उसे लागू करने के लिए संगठन और व्यवस्था या कार्य-प्रणाली की रूप-रेखा को निर्धारित करना है और उसे लागू भी हम लोगों को करना है और सब लोगों के सहयोग से करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को लागू करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता पीपुल इन्वाल्वमेंट की है। जब तक इसमें लोगों का इन्वाल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम इसको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। जब किशिक्षा का उद्देश्य जब समाज के सभी वर्गों की समझ में आ जाएगा कि हमारी नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, तब इस पर कार्यान्वियन सुविधाजनक रूप से हो सकेगा। हमें केवल उन्हें दर्शन के रूप में ही नहीं समझाना है कि हमारी शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, बल्कि एक कंक्रीट शेप के रूप में उन्हें समझाना है, जब वे यह समझ जाएंगे, तब आप ही आप कार्यान्वयन में सफलता मिलेगी।

मैं कह रही थी कि कैसे हमारी नीति सफल होगी, इसके लिए हमने कुछ गाइड-लाइन्स भी दी हैं। उनमें पहली है समानता, एक्सेस टू एजूकेशन कैसे होगी। फिर है - गुणवत्ता। हम उसकी क्वालिटी को भी देखेंगे। उसके साथ ही आधुनिक जीवन में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या रेलेवेंस है, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं कि रेलेवेंस होना चाहिए शिक्षा के अन्दर। इसके संबंध में कुछ देर पहले हमारे सुधीर राय जी ने भी कहा था कि गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी समानता की बात कही, उसके अन्दर हमारी नीति है कि जो भी शिक्षा संस्थान अभी उपलब्ध हैं, उन्हें साधन की दृष्टि से समुन्नत किया जाए। इसका क्या अर्थ है। साधन से हमारा अभिप्राय यही है कि जो शिक्षक हैं, तो उनको भौतिक साधन उपलब्ध होने चाहिएं, भवन होना चाहिए, उपस्कर और पाठ्य-सामग्री भी उनको मिलनी चाहिए। ब्लैक-बोर्ड आपरेशन जिसकी अभी चर्चा की, वह हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मेधावी छात्र होंगे, उनके लिए नवोदय विद्यालय की बात कही गई है। यहां कहा गया है कि ये गरीबों के लिए नहीं हैं। यह गलत बात है। हमने इसमें कहा है कि-75 प्रतिशत गांवों में बसने वाले बच्चों को इनमें लिया जाएगा। जब ऐसी व्यवस्था है, तो इससे गरीब बच्चे लाभान्वित नहीं होंगे, तो और कौन लाभान्वित होंगे। इसकी भी अभी चर्चा की गई है, जिसे हम करने जा रहे हैं। ये गांवों में बसने वाले अधिकांश लोगों के लिए है। इससे गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लाभान्वित होंगे। जहां तक गुणवत्ता की चर्चा की गई है इसके अन्दर शिक्षकों के लिए चयन-प्रणाली कैसी होगी, अच्छे शिक्षकों को लेंगे, उनका चयन करेंगे, पाठ्यक्रम परीक्षा की पद्धति और विद्यार्थियों को सांस्कृतिक जगत के नजदीक कैसे लाएंगे, संस्कृति के साथ उनका कैसे मेल हो,

उसको भी हम इसमें लाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहती थी, वे मैंने ला दी हैं। आज हमारी जो शिक्षा है, उसमें लोगों का जो विश्वास घटता जा रहा है, उसको हमें लाना है ताकि विश्वास न घटे और जो पालिटिकल बिल है, वह भी हमे लानी है। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि शिक्षा में जो अव्यवस्था है, उसको हम सुधार सकेंगे। जब उसको सुधारेंगे, तो लोगों की साख उसमें बैठ जाएगी, तो आप से आप लोगों का विश्वास उसमें बढ़ेगा।

इस दिशा में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उसके पेज नं० 72 से 77 की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। आप उसे देखें कि उसमें शिक्षक, विद्यार्थी, संस्थाओं और सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक क्या व्यवस्था होगी और उसमें समाज का क्या योगदान होगा। यह सब बातें उसमें लिखी हुई हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जो आपने अपने विचार रखे हैं, उनको हमने ध्यान से सुना है और हम अपनी नई शिक्षा नीति के प्रोग्राम आफ एक्शन में देखेंगे कि कैसे आपके विचारों को उसमें रख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० सैकिया (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। कभी-कभी इसे पुनर्गठित करने और शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। इसलिए कार्यवाही योजना समयबद्ध नहीं हो सकती। ये अनवरत कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति में, व्यक्ति के जीवन स्तर के विकास को नई दिशा देने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति न केवल परिसम्पत्ति है बल्कि मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन भी है। इसलिए, यदि हम वास्तव में देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही मानव संसाधनों का विकास करने के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। इस उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने कार्यवाही योजना सम्बन्धी दस्तावेज सभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। यह कार्यवाही योजना को हमारा अकादमिक स्तर बढ़ाने और हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई है। इस कार्यवाही योजना में शिशु देखभाल और शिक्षा, आरम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न चरणों के जरिए मानव संसाधन विकास के निर्देश हैं। उसमें प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा को सर्वसुलभ और निःशुल्क करने के निर्देश हैं शिक्षा और सभी स्थानों में छात्रों की संख्या की यथास्थिति भी बनाए रखने के भी निर्देश हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा स्तर के विकास और शिक्षा स्तर सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए उसमें शिक्षा क्रान्ति का प्रावधान किया गया है इसमें स्कूल भवनों का विकास - न केवल विकास—बल्कि छोटे बच्चों के लिए कम से कम दो खुले कमरे, चार्ट, नक्शे, श्यामपट, बेंच, डेस्क आदि शामिल हैं। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि इसके लिए संसाधन कहां हैं। मेरे राज्य असम में, हमने देखा है कि 80 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल बिना छत और दीवारों के खुले में चल रहे हैं। ऐसी शोचनीय स्थितियों में विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होती है। यदि वर्षा, तूफान अथवा तेज हवा आ जाती है तो अध्यापक विद्यार्थियों को वापस घर भेज देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की यह वर्तमान स्थिति है। ऐसी स्थिति में, यदि

[श्री एम० आर० सैकिया]

आप इस प्रारम्भिक स्तर पर मानव संसाधन के विकास के लिए न्यूनतम सुविधा देने हेतु आप भवनों के सुधार, नक्शे, चार्ट, डेस्क, पेंसिल आदि सप्लाई करने के लिए और प्रत्येक स्कूल के लिए कम से कम दो अध्यापक भी उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही योजना शुरू करना चाहते हैं तो धनराशि की व्यवस्था करने का प्रश्न सामने आता है। मुझे शंका है कि यह कार्यवाही योजना क्या कागजों में रह जाएगी — मैं नहीं जानता। क्योंकि इन सबके लिए धन की व्यवस्था करने का कोई भी कार्यक्रम शुरू किए बिना, मुझे इस बात का भय है कि क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही योजना को साकार रूप दे सकेगी। दूसरे, मॉडल स्कूलों की स्थापना के बारे में, मेरे कुछ विचार है। देश के प्रत्येक कोने से पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के लिए मांग की गई है। इस मांग को देखते हुए आप मॉडल स्कूल स्थापित करने जा रहे हैं। हम शिक्षा में विषमता समाप्त करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मॉडल स्कूल ग्रामीण, मेधावी बच्चों के लिए है। लेकिन माडल स्कूलों में प्रवेश किसे मिलेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस आधार पर माडल स्कूल स्थापित करने की वकालत की है कि देश को अच्छे प्रशासकों, विद्वानों और वैज्ञानिकों आदि की आवश्यकता है। लेकिन मैं अपने माननीय सहयोगियों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा : क्या मौजूदा स्कूलों ने विगत में ऐसे प्रशासक, विद्वान और वैज्ञानिक पैदा नहीं किए हैं ? प्रत्येक जिले में माडल स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता कहां थी ? हमें उन माडल स्कूलों पर करोड़ों रुपए लगाने होंगे। क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा स्कूलों की कीमत पर नहीं होगा जबकि वहां संसाधनों की कमी है ? इसलिए, मानव संसाधनों के प्रभारी मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय विशेष पर गम्भीरता से विचार करें और देखें कि क्या वहां माडल स्कूल होने चाहिएं। मैं समझता हूं हमारे देश में इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम शिक्षा का समान रूप लागू करना चाहते हैं। आप शिक्षा के वर्तमान सामान्य ढांचे को सीमित दायरे में क्यों विभाजित करना चाहते हैं ? कार्यवाही योजना में ऐसे अधिक से अधिक स्वायत्तशासी कालेजों की स्थापना का निर्देश जो स्वयं ही सीमित दायरे में होंगे। तब, शिक्षा का समान ढांचा बनाने के बजाय हम भेदभाव की नीति प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसलिए, मैं पुनः मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मानव संसाधन न केवल राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं अपितु एक मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन है, मानव संसाधनों के विकास के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ? आप माडल स्कूलों की इस अवधारणा का बहुमूल्य राष्ट्रीय मानव संसाधनों की अवधारणा के साथ कैसे तालमेल बिठायेंगे ? इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में असंगत नीति अपनाने जा रही है अथवा क्या सरकार मानव संसाधनों के विकास और सम्पूर्ण देश के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कोई स्पष्ट विचार रखेगी।

शिक्षा प्रक्रिया में कुछ अनिवार्य बातें हैं अर्थात पाठ्यक्रम, अध्यापक और विद्यार्थी, पुस्तकें और लाइब्रेरी। इस कार्यवाही योजना में पाठ्यक्रम के पुनर्निर्धारण, अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण प्रक्रिया में परिणाम के स्तर पर अध्यापकों को उत्तरदायी बनाने के भी निर्देश हैं। लेकिन इसमें पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमें यह देखने को

मिलता है कि प्राइमरी स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को सरल नोट और गाइडों का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करने और सही समय पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें सप्लाई करने की व्यवस्था करने की कुछ सकारात्मक उपाय करें।

भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग अपने बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें नहीं खरीद सकते, सभी स्तरों पर बड़ी और अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालय स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, मैं मानव संसाधन मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सभी स्तरों पर बड़े और अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालय स्थापित करने के लिए कुछ सकारात्मक उपाय करें। इन पुस्तकालयों को सामुदायिक पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए। इससे शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा।

इन विचारों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वातानुकूल सदन में थोड़ी देर पहले माननीय कुलनदईवेलु जी ने वातावरण को हिन्दी के सवाल पर गरम कर दिया। मैं नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी समय केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में मैं भी उप-मन्त्री था और उसी जगह पर था जहां पर आज श्रीमती कृष्णा साही जी हैं···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आपने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : लेकिन मैंने तथ्य बताए हैं।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : केन्द्रीय विद्यालय के संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष के नाते तमिलनाडु भी मुझे जाने का मौका मिला और मैं समझता हूं कि कम से कम 50 केन्द्रीय विद्यालय तमिलनाडु में जरूर हैं। औसतन एक विद्यालय में 1500 लड़के होंगे। इस तरह से 75 हजार लड़के केन्द्रीय विद्यालय में आज वहां पढ़ रहे हैं। उनमें से 70 हजार बच्चे तमिल हैं और 5 हजार गैर-तमिल हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहां आई०आई०टी० के कैम्पस में जो केन्द्रीय विद्यालय है उसका बच्चा दसवीं में भी प्रथम आया और 12वीं में भी प्रथम आया था। हिन्दी में उसके 80-81 नम्बर

[श्री डी० पी० यादव]

आये थे। जब हिन्दी में डिबेट हुई थी तो उसमें वह प्रथम आया था··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप इसे वैकल्पिक विषय रखिए। आपको हिन्दी थोपनी नहीं चाहिए। यह हम चाहते हैं। तब आप दक्षिण की कोई भाषा सीखिए। आप तमिल सीखिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : और तो और, तमिलनाडु के तत्काल शिक्षा मन्त्री, श्री नेन्दुचेरियन जो मेरे काउन्टरपार्ट थे, उनसे मेरी अनेक बार बातें हुई थीं और उन्होंने अधिक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय तमिलनाडु में खोलने का आग्रह मुझसे किया था।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह होता है कि इंग्लिश, हिन्दी और एनी थर्ड रीजनल लैंग्वेज, ये तीन भाषाएं केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उन्होंने अनुरोध किया है कि तमिलनाडु में काफी संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं (व्यवधान)

जब मैं यहां मन्त्री था तो वे तमिलनाडु में मन्त्री थे। (व्यवधान) यह 1971—77 मार्च तक की बात है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह अभी भी शिक्षा मन्त्री हैं। आप 1977—79 की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : इसलिए यह जो सवाल उठा था वह विशेष महत्व का नहीं है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे 1971—77 की बात कर रहे हैं। वे नेंदुचेरियान की बात कर रहे हैं।

मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस तरह तर्क-वितर्क न करें।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव : मैं इतना ही कहना चाहता था कि इस देश की राष्ट्र भाषा और राज भाषायें जितनी भी हैं, चाहे मणिल हो, हिन्दी हो, उर्दू हो, बंगला हो और इंग्लिश भी जहां वह चलती है वह भी - सभी हमारे लिये सीखने लायक हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और किसी पर किसी चीज को थोपने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, इसलिए इस बात को राजनीतिक पुट देने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो भी मैंने सुना है उससे ऐसा लगा कि किसी भी माननीय सदस्य को इस नीति पर कोई भी मतभेद नहीं है। कुछ बिन्दुओं पर सुझाव दिए गए हैं लेकिन नीति-मूलक विषय जो है कि क्या इस देश की शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं इस देश के जो एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनको हम सभी लोग नेता मानते हैं, उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में एक सेमिनार में कहा है और अब शायद वही इस देश के लिए नीति निर्धारक होगा—उन्हीं की वाणी को मैं यहां पर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

अन्य प्रणालियों की भांति प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को नियमित देखभाल, अनुरक्षण, उन्नत करने तथा उसमें सुधार करने की जरूरत है। कोई भी प्रणाली हमेशा समान नहीं रह सकती। इसे समय विकास नई तकनीकी खोजों के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। यही ऐसा पहलू है जिसके साथ हम भारत में सबसे अधिक जुड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

यह हमारी नीति है और यह सब किसी दूसरे का कहा हुआ नहीं है बल्कि हमारे इस सदन के नेता श्री राजीव गांधी जी ने ही कहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में हमको नई नीति को देखना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले डेढ़-पौने दो साल में तीन प्रमुख दस्तावेज इस सदन में पेश किए गए—पहला स्टेटस के ऊपर था, दूसरा नीति के संबंध में और आज यह तीसरा कार्य-नीति के सम्बन्ध में है। लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन कर दूं कि यह आपका स्टेटस पेपर से लेकर कार्य नीति से सम्बन्धित पेपर जो है, इनको देने में आपने कम से कम पौने दो साल लगाए हैं और अब इसको सेविंथ फाइव ईयर प्लान के साथ कोरिलेट करने के लिए केवल सवा तीन साल ही रह गए हैं। इन सवा तीन सालों में किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन सी मशीनरी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगाया जायेगा इसको देखने का दायित्व आपका होता है, हम सभी तहे दिल से चाहते हैं कि आप इसमें सफलीभूत हों और राव साहब के नेतृत्व में इस देश की शिक्षा फले-फूले, आगे बढ़े यह हमारी शुभ-कामना होगी।

[श्री डी० पी० यादव]

जहां तक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का सम्बन्ध है, मैं एक निवेदन कर दूं कि आज बहुत लोग कह देंगे कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ दो लेकिन ऐसा कोई गोंद हो तो जोड़ दिया जाये, हमको कोई आपत्ति नहीं है परन्तु शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए जब तक हमारी एक मानसिकता नहीं बनाई जायेगी तब तक शिक्षा रोजगार से जुड़ नहीं सकती है। मेरा एक निवेदन है कि यह जो नारा है वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन आज तमिलनाडु में 70 हजार लड़कों ने प्लस टू में वोकेशनल एजूकेशन में पास किया है लेकिन शायद ही दस-बीस लड़के ऐसे होंगे जो नौकरी में लगे होंगे। मेरी राय है कि वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन के बदले एजूकेशनलाइजेशन आफ वोकेशन पर आप ज्यादा जोर देंगे कि जो व्यवसाय जहां पर है उसको कैसे कंसालिडेट किया जाये, कैसे मजबूत किया जाये तो शायद हम समझते हैं यह ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। यह थोड़ी-सी जो भूल है उस पर माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना होगा। ये एक-दो पत्र मेरे हाथ में हैं जो कि एन०सी०ई०आर०टी० ने पब्लिश किए हैं, व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में, यह बहुत अच्छी किताब है। लेकिन एक छोटी-सी कमजोरी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें अंग्रेजी की किताब में वोकेशन की संख्या 115 है और हिन्दी की 118 है, अगर ··

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हिन्दी में तीन बढ़ गया।

श्री डी० पी० यादव : ऐसा लगता है कि लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया है। यह छोटी बात है, लेकिन जब यह स्कूल और कालेज में जाएगा तो निश्चित रूप से कहेंगे कि जब बड़े लोग ही सावधान नहीं हैं तो छोटों का क्या होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हिन्दी में क्या तीन बढ़ा, क्यों ज्यादा है।

श्री डी० पी० यादव : दूसरी बात राव साहब मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा मुझे कुछ अनुभव होने लगा है कि दफ्तरों और शिक्षा मन्त्रालय के लोगों के मन में यह बात है कि कैसे इसको तुरन्त लागू किया जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा पांच लाख शिक्षकों को, जैसा कि आपने कहा है, नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में बतायेंगे। शिक्षा नीति का दस्तावेज यहां प्लेस हुआ। डिसकशन हो रहा था, तब तक सारे राज्यों को चिट्ठियां चली गईं कि नई शिक्षा नीति एजूकेशन पर डिसकशन शुरू कर दीजिए। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर और जिन टीचरों ने उसमें भाग लिया था, मैंने उनसे पूछा—आपने क्या किया ? तो जवाब मिला—दस दिन तक 15 रु० रोज लेते थे और गपशप करके चले आते थे। पांच लाख शिक्षकों पर दस रुपए रोज की दर से इतना पैसा वेस्ट हुआ है, तो इसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है। अतिउत्साहित होकर आप ऐसा काम न करें, जिससे पैसा बर्बाद हो और हम कार्यान्वयन में फेल कर जायें।

मैं एक बात बराबर कहता हूं आप भी इस बात से सहमत हैं कि भी भी दस्तावेज में बातें आई हैं, उसका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है. राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस सदन में मैंने स्पीच दी थी और आपने कहा था—अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान करेंगे। आपने प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन प्रावधान के जो शब्द हैं, वे बड़े चतुर शब्द हैं। मैं चतुर शब्दों से घबराता हूं। संविधान के निर्माताओं ने पिछड़े वर्ग की जो परिभाषा की है, वह इस प्रकार है :

[अनुवाद]

"पिछड़े वर्गों शब्द के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग आएंगे। अन्य पिछड़े वर्ग वे होंगे जो, यद्यपि अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां नहीं होंगी, बल्कि जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समान सामाजिक असमर्थता के शिकार हैं और सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन में उनके बराबर हैं।"

[हिन्दी]

यह परिभाषा बैकवर्ड की है। आपने दस्तावेज में शब्द-व्यवहार किए हैं। यहां पर आया है—"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाही योजना।" शब्द आया है—'अन्य पिछड़ा वर्ग', लेकिन नेशनल एजुकेशन पालिसी में पैराग्राफ 4.7 में जो अमेंडमेंट आया है, उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा क्षेत्र"

[हिन्दी]

सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड का प्रावधान संविधान की धारा 340 में है। उसमें सोशियली शब्द को हटा मात्र "एजूकेशनली बैकवर्ड" शब्द को लाना मैं समझता हूं कि इस देश की 52 प्रतिशत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के साथ कलमबाजी की गई है। उसके लिए जिन अधिकारियों ने सलाह दी है, निश्चित रूप से उनके मन में कुछ ऐसी भावना है, जिसके लिए उन्होंने "सोशियली" शब्द को नहीं जोड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप "सोशियली" शब्द को जोड़िए, अन्यथा इस देश के 5 प्रतिशत लोगों के साथ अन्याय होगा।

अब मैं मन्त्री जी से नवोदय विद्यालय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि पब्लिक स्कूलों को बन्द करो। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, इस देश में कोई भी पब्लिक स्कूल सरकारी नहीं है, जितने भी पब्लिक स्कूल है, वे गैर-सरकारी हैं। कुछ संस्थाओं

[श्री डी० पी० यादव]

ने स्कूल खोले हैं, उन्होंने अच्छे टीचर रखे और अच्छी पढ़ाई की, तो उसको लोगों ने पब्लिक स्कूल का नाम दे दिया। लेकिन उन स्कूलों को तोड़ देने का कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय जो आप खोल रहे हैं, इन पब्लिक स्कूलों के पार्टनर स्कूल खोलने का इन्तजाम करें। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में या जहां डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल खोलना चाहते है, जैसे माडर्न स्कूल है। माडर्न स्कूल का एक ब्रांच कहीं असम में खुले, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक ब्रांच महाराष्ट्र में खुले, पटेल स्कूल का एक ब्रांच कहीं बिहार में खुले, उत्तर प्रदेश में खुले और गाजीपुर में भी खुले। इसमें आपको एडवान्टेज होगा। क्योंकि नवोदय विद्यालय को खोलने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपको यह आने वाली है कि आपको सब कुछ तो मिल जायेगा लेकिन बढ़िया हैड मास्टर या प्रिंसिपल नहीं मिला तो जो कार्यक्रम आप लेकर चले हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पायेगी। मैं तो आपसे यहां तक कहूंगा कि जो प्रिंसिपल स्कूल को संभाल सके उसे आप पांच हजार रुपये तक वेतन दे दीजिये, और फैसिलिटीज दे दीजिये अगर वह एकेडेमिकली, एजूकेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रोंग आदमी हो क्योंकि एक बढ़िया प्रिंसिपल और हैड मास्टर पर ही स्कूल सबसे ज्यादा निर्भर करता है। अगर उस स्कूल मे शिक्षक पढ़ायेंगे नही तो स्कूल अच्छे स्तर पर नहीं चल सकता है। किसी भी स्कूल को चलाने के लिए हैड मास्टर सबसे बड़ी धुरी है। अगर आप हड़बड़ी में नवोदय विद्यालय खोलते जायेंगे तो मन्त्री जी आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी आयेगी।

नवोदय विद्यालय खोलने के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट माना है। अब किसी डिस्ट्रिक्ट की आबादी 30 लाख है और किसी डिस्ट्रिक्ट की आबादी केवल सात लाख है। तीस लाख की आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट को भी एक विद्यालय और साढ़े सात लाख की आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट को भी एक विद्यालय, यह युक्तिसंगत नहीं लगता। मेरी राय है कि आप पापुलेशन के आधार पर इन विद्यालयों को बनाइये। आप कम से कम दस लाख की जनसंख्या पर एक विद्यालय खोल सकते हैं।

रह गई बात "राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यवाही" की योजना के बारे में। आपने इसमें राज्य सरकारों को सलाहकार बोर्ड और कौंसिल बनाने का बहुत बड़ा दायित्व दे दिया है। हमारे बिहार में भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से भगवान बचाये। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय की हालत यह है कि पान की दुकान पर कालेज चल रहा है। उनकी सीनेट और सिण्डीकेटों से भगवान बचाये। इसलिए आप बोर्ड बनाने के ज्यादा चक्कर में न रहिये और आपका जो केन्द्रीय संगठन है उसी को माडल बनाइये। अगर आप ज्यादा कौंसिल बनाने के चक्कर में रहियेगा तो सबसे पहले इसी बात पर लड़ाई होगी कि उसका चेअरमेन कौन होगा।

मेन पावर प्रोग्राम मोनिटरिंग एण्ड इवेल्यूशन, डिस्पर्सल आफ मेन पावर को आप नये रिवाइज्ड ट्वन्टी प्रोग्राम के साथ कोलेट कीजिए तभी आपको सबसे ज्यादा सुविधा होगी। आपने अगर नये रिवाइज्ड बीस सूत्री कार्यक्रम के साथ अपने नये एजूकेशन सिस्टम को कोलेट नहीं किया तो आप मेन पावर प्लानिंग और कोलेशन में फेल रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश में पांच मिलियन हैक्टेयर में प्रतिवर्ष पेड़ लगाने हैं उसमें स्कूल की भागीदारिता भी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट

फोरेस्ट आफिसर स्कूल में लेक्चर देने के लिए जाएं, कालेजों में क्लास लें और उसके बदले में शिक्षक देहरादून फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट में ट्रेनिंग के लिए जाएं और ऐसा मालूम हो कि एक्सचेंज आफ प्रोग्राम हो रहा है। इस तरह के प्रोग्राम रखने से जो हमारी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। मेन पावर मोनिटरिंग, कोलेशन एण्ड डिस्पर्शल एण्ड कोआरडिनेशन में आपको सतर्कता बरतनी होगी। आप नये बीस सूत्री कार्यक्रम के हरेक कार्यक्रम में आप शिक्षकों और बच्चों को लगाइये। इससे देश का बड़ा भारी कल्याण होगा।

उपाध्यक्ष जी, चूंकि आप घंटी बजा रहे है, इसलिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, इतना ही भर कहूंगा कि 13 करोड़ बच्चे, 38 लाख शिक्षक, साढ़े सात लाख शिक्षालय, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, चाहे कालेज हों, चाहे यूनिवर्सिटी हों, सबसे पहले आपका यह कार्यक्रम रहना चाहिए कि इनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे स्ट्रेंगथन किया जाए, कैसे नई टेक्नोलोजी के साथ इन्हें सम्बद्ध किया जाए, कैसे उनको फिजिकल फैसिलिटीज दी जाएं, कैसे उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जाए। यही कार्यक्रम आपका सबसे पहले रहना चाहिए। अपने देश में 13 करोड़ बच्चों की आशाओं और आकांक्षाओं को इसी प्रकार पूरा कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, आपने जो नीति यहां रखी है, जो मेहनत की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ें।

[अनुवाद]

*श्री सी०के०कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सम्बन्धी कार्यवाही योजना का स्वागत करता हूं जिसे सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं इस सभा में विचार-विमर्श के लिए समस्त देश हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव का धन्यवाद करता हूं। महोदय, स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा रूपी पिरामिड उल्टा हो गया है अर्थात हमने ऊपरी भाग को नीचे तथा निचले भाग को अपर करने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दो मे, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए अधिक धनराशि दी जाती है। और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बहुत कम धनराशि दी जाती है। वस्तुतः विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए कम धनराशि का नियतन किया जाना चाहिए था और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिक धनराशि दी जानी चाहिए थी। क्योंकि इस मूलभूत सिद्धान्त की ही अनदेखी की गई है, इसलिए देश में निरक्षरता की समस्या है विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गिने-चुने शहरो में रहने वाले विशिष्ट वर्गों के शहरों में शिक्षा का अव्यवस्थित विकास हुआ है और इस प्रकार विभिन्न समयो में प्रतिपादित हमारी शिक्षा नीति पूर्णतया असफल रही है। उदाहरण के तौर पर, डा० मुदलियार, डा०राधाकृष्णन, डा०कोठारी और डा० जाकिर हुसैन ने हमारे देश से शिक्षा प्रणाली का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया था।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० के० कुप्पुस्वामी]

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 1960 के अंत तक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगी। किंतु आज भी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद, न तो यह निःशुल्क है और न ही इसे अनिवार्य बनाया गया है। निस्संदेह, कुछ राज्यों में पांचवीं तक शिक्षा निःशुल्क है। कुछ राज्यों में केवल लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी तक शिक्षा निःशुल्क है। किंतु सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। महोदय, मेरा यह कहना है कि हम शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के बारे में हम केवल कहते रहे हैं, करते नहीं रहे हैं। इस सभा में, मेरा अपने मित्रों से यह अनुरोध है कि शिक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले, बुनियादी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। इसके बाद शिल्पी शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। बाद में, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना शुरू किया और 15 वर्ष पहले, इस पाठ्यक्रम को 'सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादकता कार्य' का नाम दिया गया। किंतु यह कोई उपलब्धि बिल्कुल नहीं है क्योंकि न तो स्कूली पाठ्यक्रम में इस विषय को अनिवार्य बनाया गया और न ही इसके लिये स्कूलों में कोई अनुभवी अध्यापक रखे गये हैं। कुल मिला कर, इस विषय में सफल होने वाले छात्रों के लिए रोजगार मिलने का भी कोई अवसर नहीं। विभिन्न विषयों में अनुभवी अध्यापकों के बिना शिक्षा को व्यवसायिक बनाना सफल नहीं हो सकता। विभिन्न विषयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले, हमें छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों की सहायता से पूरी कक्षाएं बनानी चाहिए। इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा को महत्व तथा उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी साक्षरता दर बहुत कम गति से बढ़ रही हैं।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के गोदाम में करोड़ों रुपये की पाठ्य पुस्तकें पड़ी हैं। ये पाठ्य पुस्तकें राज्यों को आवधिक रूप से सप्लाई की जानी चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न स्कूलों में छात्रों को वितरित किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का राज्यों के सभी स्कूलों के लिए समान मानक तथा पाठ होने चाहिए। अध्यापकों का स्तर सुधारने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अध्यापकों को कम से कम पांच या सात साल बाद से वाकाल से दौरान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ-साथ भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान विषय में परिवर्तन होता रहता है।

महोदय, गला फाड़ कर यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाए। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक माता-पिता पर कोई बाध्यता होनी चाहिए कि पिता या माता को अपने बच्चे या बच्चों को, ज्योंही पांच वर्ष का होने पर उन्हें नजदीक के स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। जब तक सरकार स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को स्कूलों में लाने के लिये ठोस और ईमानदारी से प्रयास नहीं करती तब तक इस प्रयोजन हेतु खर्च की गई कितनी भी धनराशि बेकार साबित होगी। प्रत्येक गांव में पांच वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने की जिम्मेदारी गांव के मुनसिफ पर डाली जानी चाहिए और अन्य छोटे तथा मध्यम श्रेणी के कस्बों में यह जिम्मेदारी

खण्ड विकास अधिकारी पर डाली जानी चाहिये। महोदय, गैर-सरकारी निकायों तथा लोगों द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों की वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना करना एक रिवाज सा हो गया है। उनका कहना है कि इन स्कूलों को तत्काल बन्द किया जाये क्योंकि इन स्कूलों में केवल सम्पन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। (व्यवधान) हम इन गैर सरकारी तथा पब्लिक स्कूलों को बन्द कर सकते हैं। किंतु इन्हें बन्द करने के बजाए, सरकार को यदि ज्यादा नहीं तो इन्हीं स्कूलों की शिक्षा के समकक्ष स्तर के और अधिक संख्या में स्कूल खोलने के लिए आगे आना चाहिये ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तथा समाज के निम्न वर्ग के बच्चे इन स्कूल में प्रवेश पा सकें। नवोदय विद्यालयों से इस दिशा में कार्य करेंगे। महोदय, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह विश्वास दिलाया था कि त्री-भाषा फार्मूला जारी रखा जाएगा। त्री-भाषी फार्मूले से सभी स्कूलों में शिक्षा का समान स्तर बनाये रखने में मदद मिलेगी। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हम त्री-भाषा फार्मूले का समर्थन तथा स्वागत करते हैं। इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि केंद्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तमिलनाडु मे त्रि-भाषा फार्मूले का, जो आश्वासन हमारे महान नेताओं ने दिया था वह जारी रखा जाना चाहिए और उसे अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जहां तक नवोदय स्कूल खोलने का सम्बन्ध है, हम तमिलनाडु में ये स्कूल शरू करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उस किसी भी व्यक्ति का मुकाबला करने को तैयार हैं जो इन स्कूलों के खोले जाने का विरोध करेंगा।

6.00 म० प०

महोदय, दस्तावेज में यह बताया गया है कि पहले ये नवोदय विद्यालय जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। परन्तु सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये नवोदय विद्यालय प्रत्येक तालुक में भी खोले जाएं। इसके साथ ही, जहां तक त्रिभाषा फार्मूले का सम्बन्ध है, तमिलनाडु में सबसे पहले तमिल, अंग्रेजी और हिन्दी तीन भाषाएं पढ़ाई जानी चाहियें। इसमें कोई सन्देह नहीं है और हम त्रिभाषा फार्मूले को पूर्ण समर्थन देते हैं, जो भी इस त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करेगा, हम उसका मुकाबला करेंगे और त्रिभाषा फार्मूले को तमिलनाडु में लागू करवाएंगे। प्रत्येक भारतीय को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। महोदय, तमिलनाडु मे डी० एम० के० और ए० आई० ए० डी०एम० के०अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ रही हैं और सभी प्रकार के हथकंडे अपना कर वोट और सत्ता प्राप्त करने के लिये होड़ लगा रही हैं। (व्यवधान) अतः तमिलनाडु में छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े तथा उच्च स्थान प्राप्त करें। (व्यवधान)

महोदय, तमिलनाडु में इस समय शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उन्होंने वहां शिक्षा का सर्वनाश कर दिया है। डी० एम० के०के शासन के दौरान और इस समय ए०आई०ए०डी०एम०के०के शासन के दौरान तमिलनाडु में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। अतः माननीय मंत्री श्री नरसिम्हा राव, जिन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान है, से मेरा अनुरोध है कि वे तमिलनाडु में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।

[श्री सी०के० कुप्पुस्वामी]

महोदय, मुझे यह बताते हुए खेद है कि तमिलनाडु में चिकित्सा, इंजीनियरी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय बड़े पैमाने पर भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं।

**

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, वे मेरे दल और इसके सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, इस प्रकार के भ्रष्ट तरीकों को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस दिशा में तुरन्त कदम उठायें। वर्ष 1967 के बाद शिक्षा स्तर में गिरावट आई है। परन्तु वर्ष 1967 में डी० एम० के० के शासन से पहले तमिलनाडु में शिक्षा स्तर ठीक था। तमिलनाडु के लोग वर्तमान शिक्षा स्तर से काफी दुखी हैं। इसी वजह से मंत्री महोदय और केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां स्थिति सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक छात्र को कोई भी भाषा या भाषाएं सीखने का अधिकार है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। न तो श्री एम०जी० आर० को और न ही श्री करुणानिधि को किसी को अपनी इच्छानुसार भाषा सीखने से रोकने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)अत: मैं पुन: इस बात को दोहराता हूं कि भारत के दक्षिण या उत्तर या पूर्व या पश्चिम किसी भी भाग में रहने वाले प्रत्येक महिला या पुरुष को, कोई भी भाषा या भाषायें सीखने का अधिकार है। वह पुरुष या महिला कोई भी भाषा, चाहे वह बंगाली हो, या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम, सीख सकता है। (व्यवधान) पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अपनी मातृभाषा तमिल को महत्व देने को तैयार हूं।

श्री पी०कुलनदईवेलू : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है···महोदय, वे उस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं जो इस सदन का सदस्य नहीं। ये उन्हें अपशब्द नहीं कह सकते। इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही का अध्ययन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, तमिल भाषा के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं। परन्तु इसके साथ ही, मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई अन्य भाषाएं सीखना चाहता है तो हमें इसके लिए आश्वासन और गारंटी देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, जो शब्द हमारे मुख्य मंत्री और हमारे दल के विरुद्ध कहे गए हैं उन्हें कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई असंसदीय शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। मैं कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करूंगा। यदि उसमें कोई असंसदीय या अपमानजनक शब्द होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं वे उनके विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह आरोप है— मैं इसे देखूंगा—तो मैं इसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वे कहते हैं** ··

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी···

(व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं देता··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुझे पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें असंसदीय क्या था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि यदि कोई असंसदीय शब्द होंगे तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : कार्य मंत्रणा समिति ने इस चर्चा के लिए पांच घंटे का समय देने की सिफारिश की है। जैसा आपको विदित है, यह चर्चा सायं तीन

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्रीमती शीला दीक्षित]

बजे शुरू हुई थी। अत मेरा अनुरोध है कि सदन की बैठक अब रात्रि 8 बजे तक अर्थात पांच घंटे का समय पूरा होने तक तक बढ़ा दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह 2.30 बजे सायं प्रारंभ हुई थी।

श्रीमती शीला दीक्षित : गलती के लिए खेद है। इसे 7.30 बजे सायं तक बढ़ा दिया जाये।

श्री पी० सी० सेठी (इन्दौर) : आप सदन की कार्यवाही एक दिन और क्यों नहीं बढ़ा देते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन यह स्वीकार कर लेगा कि कार्यवाही 7.30 बजे सायं तक चलनी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इस पर कल भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सदन की कार्यवाही 7.30 बजे सायं तक बढ़ाई जाती है।

श्री वी०एस०कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : नियम 193 के अंतर्गत चर्चा का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के लिये समय का उल्लेख नहीं किया गया है। इस विषय पर चर्चा समाप्त होने पर इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप आज 193 पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस विषय पर चर्चा 7.30 बजे सायं से पहले समाप्त हो जाती है तो 193 के अंतर्गत चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे।

श्री पी०सी० सेठी : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब एक सदस्य बोल रहा है तो आप क्या कहना चाहते हैं। जब वे अपनी बात समाप्त कर लेंगी तब आप अपनी बात कहना।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कार्यवाही योजना के बारे में मुझे संदेह है। चर्चा से जो कार्यवाही हुई है उससे मैं वास्तव में चकित हूं। अत:, मैं उसे अपवाद मानती हूं।

कार्यवाही योजना के बारे में मुझे फिर से कहना है कि इस भारी भरकम दस्तावेज से मुझ पर

जो प्रतिक्रिया हुई है उससे मेरा सिर चकराने लगा है। इसका कारण यह है कि कई अकाट्य बातें इसमें कही गई हैं, यद्यपि वे भ्रामक भी हो सकती हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोरंजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसमें अवास्तविकता उत्पन्न हो गई है जो कि किसी भी कार्यवाही के लिए इतना आवश्यक है जितना कि इंजन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। अत: महोदय, इस योजना द्वारा शिक्षा पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ने के बारे में मुझे संदेह है। यह भी बताया जाना चाहिए कि यद्यपि इनमें से अधिकतर कार्यवाहियां राज्य सरकारों द्वारा की जाएंगी परन्तु इन पर विधान सभाओं में चर्चा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी इसे चर्चा से केवल 48 घंटे पहले दिया गया था। यह कहा जा रहा है कि कार्यान्वयन में सबको भाग लेना पड़ेगा। यह सच है कि प्रत्येक जब तक भाग नहीं लेता कुछ भी कार्यान्वित करना संभव नहीं है परन्तु यदि इसमें सबका भाग लेना आवश्यक है तो इसके मूल्यांकन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है और यह उचित नहीं है।

मैं अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहती हूं। मैं आर्थिक प्रभावों के इस प्रश्न का पहले ही हवाला दे चुकी हूं। मैंने सर्व सुलभ प्रारम्भिक शिक्षा के दायरे में अपने ढंग से इसकी जांच की है क्योंकि मेरे विचार में इसे हमारी शिक्षा में सभी दृष्टिकोणों से—प्रबन्धकीय, वित्तीय या किसी अन्य प्रयास के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्तीय प्रभावों की बात करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं। यह प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर उन लड़कों और लड़कियों के लिए भी गैर-औपचारिक शिक्षा के बारे में है जो 11 से 14 वर्ष की आयु के हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा का कहीं भी मूल्यांकन नहीं किया गया है और यदि वास्तव में आप प्रत्येक व्यक्ति के विचार पूछें तो मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानेगा कि यह शिक्षा का वास्तविक रूप नहीं है, यह केवल अनाथालय है। इसलिए केन्द्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा के साधारणीकरण के क्षेत्र में गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए कुछ धन दे रही है। मेरे विचार में यह धनराशि व्यर्थ जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर की आयु के बच्चों को किसी भी हालत में गैर-औपचारिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये मेरे विचार हैं। मैं समझती हूं कि मन्त्री महोदय को इस पर पुन: विचार करना चाहिए। सबसे पहले उनको इसका मूल्यांकन करना चाहिए और इतनी अधिक कल्पना नहीं की जानी चाहिए जो उन्होंने पृष्ठ 17 पर की है और जो इस प्रकार है :—

> "इस कार्यक्रम में यह अनुमान लगाया गया है कि गैर-औपचारिक शिक्षा औपचारिक तौर पर स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करने से बेहतर है। आधुनिक प्रौद्योगिकी औजारों—जैसा कि एन०ई०एफ० केन्द्रों में ऊर्जा के लिए "सोलर पैक्स" श्रव्य-दृश्य सहायता, रेडियो-कैसेट प्लेयर—का एन०ई०एफ० केन्द्रों की पर्यावरणीय शिक्षा में सुधार के लिए प्रयोग किया जाएगा।"

अब जहां इन श्रव्य-दृश्य और कैसेट प्लेयर के लिए कमरे ही नहीं हों तो यह सब अति कल्पना ही है। सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा को इसके साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा की औपचारिकता के वित्तीय प्रश्न की बात करना चाहती हूं। स्कूलों

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

की संख्या की आवश्यकता के दृष्टिकोण से उन्होंने कार्यवाही योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की है। मैंने स्वयं इसका हिसाब लगाने का प्रयास किया है। इसका परिणाम क्या है। इसमें बच्चों की संख्या की यथास्थिति बनाये रखने पर बल दिया गया है और मेरा कहना है कि न केवल भरती को ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि संख्या की यथास्थिति बनाये रखने पर भी बता दिया जाना चाहिए मैं अभी दोपहर के भोजन की बात नहीं कर रही हूं जो कि बच्चों की संख्या की यथास्थिति बनाये रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु तर्क के तौर पर मैं कह रही हूं कि जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे यदि उनको स्कूल छोड़ने से रोका जाता है तो 78,000 नए उच्च प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी और प्रत्येक स्कूल के लिए चार अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिसका मतलब है कि केवल उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए ही 3,12,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त स्कूल रहित बच्चों के लिए 1,90,000 स्कूलों की आवश्यकता है। 2 अध्यापक प्रत्येक विद्यालय की दर से 3,80,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इस समय मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रही हूं जो शहरी क्षेत्रों में हैं और जिनमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि इस समय जिन स्कूलों में एक अध्यापक है और उन्हें दो अध्यापक दे दिए जाते हैं तो 1,75,000 और अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। अत: यदि हम वेतन, मंहगाई भत्ते आदि को जोड़ें तो प्रत्येक अध्यापक का वेतन लगभग 1000/- रुपये प्रति माह होगा। इसके आधार पर 1040 करोड़ रुपये धनराशि की प्रति वर्ष आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम साक्षरता अभियान पर भी नजर डालें तो प्रत्येक नए स्कूल के लिए कम से कम 1 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। स्कूल रहित बच्चों के लिए ही 1900 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यवाही योजना में दी गई 50000/- रुपये प्रति स्कूल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनावर्ती खर्च 3250 करोड़ रुपये हो जाएगा और 5000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से आवर्ती खर्च भी 325 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा। इसका मतलब यह है कि इस दस्तावेज को जिस धनराशि का आश्वासन दिया गया है वह तो प्रारंभिक शिक्षा के साधारणीकरण के औपचारिक रूप पर ही खर्च हो जाएगी जिसमें 5150 करोड़ रुपये अनावर्ती और 1365/- करोड़ रुपये आवर्ती खर्च शामिल है। यह स्थिति है। यह रूप प्रदान किया गया है। परन्तु जो प्रगति है वह बड़ी दिलचस्प है। यह सब कुछ 1995 तक करने का अनुमान है, इसका मतलब अगले 10 वर्ष के अन्दर। हमें धनराशि कहां से मिलेगी। भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को पहले धनराशि दी जानी है। इसका मतलब यह है कि धनराशि बहुत कम है और शेष राज्य सरकारों पर खर्च करनी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। श्री एम० जी० के० मेनन व सी०ए०बी०ई० ने अपने भाषण में, जिसका प्राय: हवाला दिया गया है, कहा था कि नवोदय स्कूलों के अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए संसाधन बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। इससे हम स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। अत: ऐसी योजना बनाने का क्या लाभ है, जिसमें जन तो तैयार कर दिया गया परन्तु देश को इसकी अवास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। हमें वास्तविक तस्वीर दी जानी चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्यवाही योजना में अनेक बातें हैं और यह याद करते हुए

कि यह एक नीति नहीं। बल्कि कार्यवाही योजना है, इसके कार्यान्वयन की गारंटी होनी आवश्यक है। परन्तु ऐसा लगता है कि हम बेकार में ऐसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया है। यह ऐसा ही है जैसे कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना हेमलेट।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नौ मन तेल की बात नहीं है, पाव भर तेल भी नहीं मिलेगा इसमें।

[अनुवाद]

जिस संदर्भ में मैंने कहा है क्या यह कार्यवाही योजना होगी ? शुभ कामनाओं के बावजूद मैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पहले ही बता चुकी हूं और मैं इस बात पर दुबारा बल देना चाहती हूं कि 11 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देना वास्तव में उन्हें अनाथ बनाना है। आप उन्हें औपचारिक शिक्षा देने की बजाय अनौपचारिक शिक्षा देंगे। इस विचार की प्रारम्भिक स्तर पर ही समीक्षा की जानी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इसकी समीक्षा करने पर आप इसे अस्वीकार करेंगे। मैं जानती हूं कि आप घंटी जल्दी ही बजाएंगे। मैं आपके समक्ष अपनी कुछ बातें और जल्दी-जल्दी रखूंगी।

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सम्बन्ध में यह स्थिति है। आप कार्यवाही योजनाएं बना सकते हैं किंतु कुछ बहुत जटिल कार्य हैं। उदाहरणार्थ, सेकेण्डरी शिक्षा को ही ले लीजिए। अधिकतर राज्यों ने अब सेकेण्डरी शिक्षा मुफ्त कर दी है। किन्तु यहां तो कार्यवाही योजना, छात्रवृत्ति धारकों को छोड़कर, अन्य प्रत्येक छात्र पर 10 रु० से 15 रु० प्रति मास लगा रही है इसका अर्थ यह हुआ कि सेकेण्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में आप उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा वहन की जा रही है। आप यह कह सकते हैं कि यह उन्हें राहत देने के लिए है। किन्तु इस सौदेबाजी में अंततः छात्रों को शिक्षा से ही वंचित रखना होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे ? इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः सेकेण्डरी शिक्षा में, यह वास्तव में एक पीछे हटने वाला कदम होगा और यह नहीं उठाया जाना चाहिए।

नवोदय स्कूलों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। किंतु इसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि विशिष्टता के रूप में यह कुछ भी नहीं बल्कि यह विशिष्ट वर्ग की बात मात्र है। जो लोग यह सोचते हैं कि समस्त ग्रामीण क्षेत्र एक जैसा ही है, वे लोग ही भूमि सुधारों की बात करते हैं, किन्तु वे भूमि सुधार नहीं करते। यह भी उसी प्रकार का रवैया है। वे समस्त ग्रामीण जनता को एक समूह समझने लगते हैं और इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि ग्रामीण सुविधाहीन लोगों, कृषि श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ-साथ कुछ लोगों के निहित स्वार्थ भी हैं। इस सुविधाहीन वर्ग के लिए इस वातावरण में बड़े पैमाने पर मुकाबला करना असम्भव है। अपने भाषण में आपने यह बात स्वीकार की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को नौक-

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

दिया देते समय उन्हें कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, ताकि वे प्रतियोगिता में भाग ले सकें। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ये लोग जो सामाजिक रूप से तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या इस प्रतियोगिता में ठहर पाएंगे ?

फिर इनमें शिक्षा का माध्यम या तो हिन्दी होगा अथवा अंग्रेजी। मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी-अभी यहां जो वाद-विवाद हुआ है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी। मैं शिक्षा के विकास के विशिष्ट पहलू का उल्लेख करना चाहूंगी। इसका एक पहलू है अंग्रेजी पर अधिक से अधिक बल देना। छठे दशक में इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए समितियां होती थीं कि अधिक लोगों को हिन्दी कैसे सिखाई जाए। अब ऐसी समितियां हैं जिनमें मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया जाता है कि अंग्रेजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार पब्लिक स्कूलों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजी के प्रति यह दासता का लगाव पैदा किया जा रहा है।

नवोदय स्कूलों के बारे में यह जानना चाहूंगी कि हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में, कितने छात्र अंग्रेजी तथा कितने हिन्दी माध्यम चुनेंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या एक दक्षिणी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। जो भी हो, एक भारतीय भाषा अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए तथा यह दासता समाप्त की जानी चाहिए। इस दस्तावेज में, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं दिखाई देती।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : किन्तु फिर भी आप अंग्रेजी में बोल रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे खेद है। हर बार जब भी मुझे बोलना होता है, मुझे अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है। मैं क्षमा चाहती हूं कि अभी तक मुझे अच्छी हिन्दी नहीं आती है। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा।

[अनुवाद]

मैं बंगला में बोल सकती हूं, किन्तु आप उसे समझ नहीं पाएंगे। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बंगला में बोलूंगी। मुझे खेद है कि मैं इस समय अंग्रेजी में बोल रही हूं क्योंकि, स्थिति ही ऐसी है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : आप अच्छी अंग्रेजी बोल रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बैरो साहिब, किन्तु मुझे जताया गया है कि मैं बंगला में और अच्छा बोल सकती हूं।

प्रो० मधु दंडवते : अंग्रेजी में बोलिए और इसे देवनागरी लिपि रूप दे दीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया मुझ पर दया कीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में इसमें बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं। किन्तु इस सम्पूर्ण प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना है।

अब मैं व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कुछ कहूंगी। कुछ लोग शारीरिक श्रम वाले कार्यों और कुछ अन्य बौद्धिक कार्यों के लिए नहीं होने चाहिए। यह मुख्य बात जिसकी कभी भी चर्चा नहीं की जाती। इस कार्यवाही योजना में अन्तर्निहित है। इसमें दो प्रकार की शिक्षाका उल्लेख है जोकि बिल्कुल अलग-अलग है। व्यवसायिक तथा सामान्य शिक्षा। मेरा कहना यह नहीं है कि कहीं व्यवसायिक शिक्षा के अपेक्षाकृत अधिक बल नहीं दिया जाएगा अथवा इसे विद्यमान नौकरियों से नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा किया जाना चाहिए। मैं इसकी गहराई में नहीं जाती। वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत जो बेरोजगारी बढ़ रही है ऐसी नौकरियां कहां हैं जिसके साथ इसे जोड़ा जा सके। यह एक बिल्कुल अलग बात है। यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणालियों में अनिवार्य अन्तर का प्रश्न है। मैं पूंजीवादी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करती। कुछ भी कहें इस समय आपके पूंजीवादी परिवेश में ही यह चर्चा की जा रही है। इसलिए मेरा यह विचार है कि शिक्षा में प्रारम्भ से, अर्थात प्राथमिक स्तर पर ही यह व्यवसायिक प्रभाव तथा व्यवसायिक शिक्षा उस तथाकथित सामाजिक रूप से उपयोगी ऐसे उत्पादक कार्य का आधार नहीं होना चाहिए जो हाथ से कढ़ाई या कुछ गानों आदि के निर्माण तक ही सीमित हों।

श्री ए० ई० टी० बैरो : कुछ शिक्षकों का कहना है कि इससे कुछ उपयोगी समय बर्बाद होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वास्तव में वह एस०पी०डब्ल्यू है। वहां ऐसा है। मेरी राय में, यह बिल्कुल बेकार है। यह सब चल रहा है। शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान मैंने कहा है और मैं पुनः बताना चाहूंगी कि वियतनाम जैसे गरीब देश में आरम्भ से वे अपनी शिक्षा को गांव की उत्पादकता के साथ जोड़े हुए हैं। वहां प्रयोगशालाएं भी हैं। उन्होंने उनमें काम भी शुरू कर दिया है। इसलिए यह केवल दस्तकारी का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि वास्तव में उत्पादक श्रम और इसमें रुचि रखने का प्रश्न है। कुछ पूर्णतः कार्यकुशल नहीं है। कम से कम इसकी आरम्भिक, प्राथमिक जानकारी और इसमें विकास करने की आवश्यकता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह स्थिति होनी चाहिए। मुझे डर है कि इस समय यह स्थिति नहीं है और मैं नहीं समझती कि आपने इस पर भलीभांति विचार किया है। दूसरी बात स्वायत्तशासी कालेजों के बारे में है। मैं इस संबंध में अधिक समय नहीं लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सांय 7.30 बजे तक समाप्त करना है। इसलिए आपके लिए एक

मिनट है।

प्रो० मधु दंडवते : श्री सेठी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ये स्वायत्तशासी कालेज, कालेज शिक्षा में गम्भीर भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को उत्तरदायित्व से मुक्त करने धनी वर्ग की सेवा के लिए उन्हें धनी वर्ग की दया पर छोड़ने का यह परिणाम होगा और गरीब और गरीब हो जाएंगे और मिट जाएंगे।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहूंगी। यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है। महोदय, आप कह रहे हैं कि नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय एकता के लिए हैं। मैं कुछ अन्य बातों के बारे में बताना चाहूंगी जोकि वास्तव में भयावह हैं, मैं नहीं जानती कि क्या आपने वास्तव में इस पहलू पर अर्थात राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर ध्यान दिया है। हाल ही में, मथुरा में उनकी कार्यशाला स्थापित हुई है। पहले ही इनके 2000 स्कूल हैं। उन्होंने और हजारों स्कूल खोलने का निर्णय किया है। अब यहां क्या पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ का कहां है? साईं बाबा न्यास एक अन्य संस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वह अनेक स्कूल खोलने वाले हैं। उन्होंने पहले भी खोले हैं और खोलने वाले हैं। आर्य समाज, जमायत-ए-इस्लामी यही कर रहे हैं। इसलिए हिन्दू साम्प्रदायिक, मुस्लिम साम्प्रदायिक, ईसाई साम्प्रदायिक हैं और इसके बाद भाषायी साम्प्रदायिक आते हैं। इसलिए, इन स्कूलों के बारे में··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : जहां तक मेरा, मेरे दल का, सभी वामपंथी और प्रगतिशील लोगों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं—हम किसी भी सम्प्रदायिकता को समान रूप से बुरा मानते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि इसे अंतिम रूप देते समय इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ समय पश्चात, राजनैतिक दल भी साम्प्रदायिक बन जायगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस दस्तावेज में अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। मैं इसमें जाना नहीं चाहती। लेकिन इस पहलू की जांच नहीं की गई है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगी कि जो कुछ मैंने कहा है उसके आधार पर मैं समझती हूं कि यह योजना हमें वास्तव में एक सुन्दर अवास्तविक कल्पनीय विश्व की ओर ले जाएगी और शिक्षा के विकास के लिए कारगर नहीं होगी।

6.31 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

6.31½ म०प०

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) विधेयक, 1986 सभा-पटल पर रखता हूं।

6.32 म०प०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 सम्बन्धी कार्रवाई कार्यक्रम के बारे में संकल्प (—जारी)

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं इस कार्यवाही योजना का समर्थन करता हूं जो मानव संसाधन मंत्री ने सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। इस सदन में पहले प्रस्तुत किए गए

[प्रो० नारायण चन्द परशार]

दो दस्तावेजों की तरह ही यह दस्तावेज है जिसमें उस कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया है जो सरकार कार्यान्वित करना चाहती है। यह बहुत ही रुचिकर है कि हम यहां ब्यौरा और उस दिशा की जानकारी लेने आए हैं जिस ओर सरकार सोच रही है। शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की अवधारणा के बारे में प्रस्तावना में लिखा है—"शैक्षिक प्रणालियों में विसंगतियों को दूर करने और शिक्षा के स्तर में सुधार पर बल दिया गया है। ऐसा अधिकतर स्कूलों और कालेजों में होता है। यदि यही उद्देश्य है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि योजनाओं का ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया है। यदि इसी बात पर बल दिया गया है तो वे तरीके कहां हैं जिनके जरिए विकृतियों को दूर किया जाना है। यदि सरकार सच्चे मन से यह कहना चाहती है तो ठीक है, यदि यही ध्येय है तो बिल्कुल ठीक है। परंतु जो कार्यवाही की जाएगी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस बात को और स्पष्ट करेंगे अर्थात विकृतियों और विसंगतियों को दूर करने पर सर्वाधिक बल देने का क्या तात्पर्य है।

भाषा के मुद्दे पर एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया गया है। परन्तु मेरे विचार में इस कार्यक्रम का सबसे कमजोर मुद्दा भाषा है, क्योंकि इस सम्बन्ध में उसी बात को दोहराया गया है जो वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि कतिपय राज्यों ने त्रिभाषा फार्मूले को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया है। कार्यवाही योजना और भी अधिक मजबूत होती यदि इस बात का विश्लेषण किया गया होता कि किन राज्यों ने इसका कार्यान्वयन किया है। किन राज्यों ने इसका कार्यान्वयन नहीं किया है; और उन्होंने इसका कार्यान्वयन क्यों नहीं किया है और सरकार अब इसके फार्मूले के कार्यान्वयन और इसको सफल बनाने के बारे में क्या सोच रही है; क्योंकि मेरे विचार में इस देश में मैं आप किसी शिक्षा प्रणाली को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक कि भाषा समस्या पर शीघ्र और तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता।

कम से कम तीन भाषाएं हो सकती हैं। अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यदि कतिपय राज्य और कुछ छात्र अधिक भाषाएं सीखना चाहते हैं तो उनके लिए अतिरिक्त पेपर होने चाहिए। यदि कुछ अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया होता तो जो सफलता आज मिली है उससे अधिक सफलता मिली होगी।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हम दक्षिण भारत की एक भाषा सीखने की बात कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं और ये लोग दक्षिण भारत की भाषाएं क्यों नहीं सीखते हैं? यह इसलिए है कि इसका रोजगार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं जाता। मैं शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के छात्र अपने स्कूल या कालेज के समय के बाद दक्षिण भारत की कोई भाषा अतिरिक्त भाषा के रूप में तमिल या तेलुगु भाषा सीखते हैं तो उन्हें क्या प्रोत्साहन मिलेगा? हरियाणा सरकार ने तेलुगु पढ़ाने

का प्रयास किया था। उत्तरी भारत में कुछ विश्वविद्यालयों ने भी अन्य दक्षिण भारत की भाषाओं में पाठ्यक्रमों को देने का प्रयास किया था। परन्तु जब तक आप भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए दक्षिण भारत की एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं करते तब तक उत्तरी भारत में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दक्षिण भारत की भाषा नहीं सीखेगा और दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की भाषा कोई नहीं सीखेगा। केवल दक्षिण भारत की भाषा सीखना ही अनिवार्य नहीं होना चाहिए बल्कि इनको सीखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से दक्षिण वाले हमारे साहित्य को और हम उनके साहित्य को चाहने लगेंगे।

दूसरी बात यह है कि वर्ष 1956 में सातवें संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 350 क में यह लिखा है कि मातृ भाषा में पढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मातृभाषा का मतलब वे भाषाएं जो आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त हैं। यदि आठवीं अनुसूची का कोई मतलब नहीं है तो इसे रखने का क्या लाभ है। अतः आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने से निश्चित रूप से उस भाषा को लाभ मिलता है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें आठवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है परन्तु वे साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कुछ अन्य भाषाओं को दूरदर्शन और रेडियो ने मान्यता दी है। यदि सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है तो मातृभाषा के विकास है और उनके संवर्धन के लिए प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने उन्हें न केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी पर स्थान देने बल्कि कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती हैं। कोई अन्य कदम उठाने की तुलना में हमारे देश की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मान्यता प्रदान करने से अधिक राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित होगी। अतः हिन्दी के बारे में अनावश्यक विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुच्छेद 351 में लिखा है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और यह हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। हमें इस सचाई को स्वीकार करना होगा और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हिन्दी स्वयं आगे बढ़ी है। हिन्दी एक राष्ट्र भाषा है। देश के लिए सम्पर्क भाषा का होना अनिवार्य है। इसके लिए हिन्दी ही सक्षम है। अतः दक्षिण के हमारे मित्रों को इस मुद्दे पर भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उत्तर भारत में दक्षिण की भाषाओं से प्यार और दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भाषाओं से प्यार से हम एक दूसरे के साहित्य की बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा गांधी ने यह दिखा दिया था कि उनके तथा दक्षिण हिन्दी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से दक्षिण में हिन्दी के संवर्द्धन के लिए क्या किया जा सकता है।

अतः मेरा यह निवेदन है कि स्वरूप के अनुसार यह राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम या योजना अधिक कारगर बनाई जाए और सरकार यह आश्वासन दे कि विभिन्न संस्थाओं, जैसे केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा अन्य संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम जैसे शब्दकोषों का संकलन तथा अनुवाद अधिक गति से किया जाए। इससे उन जनजातीय लोगों की मदद की जा सकती है जिनकी भाषाएं लिखी नहीं जा सकती। पहाड़ियों तथा घाटियों के दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे बच्चों को आने वाले समय में शिक्षा का लाभ मिल सकता है।

मैं संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं तथा इण्डोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। संस्कृत के संवर्धन को उचित महत्व दिया जा रहा है। यहां पर इंडोलाजी तथा संस्कृत की प्रोन्नति हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का उल्लेख आया है। यह सही दिशा में प्रयास है क्योंकि प्राचीन भाषा को प्रोत्साहन देने से अन्ततः हमारी सांस्कृतिक विरासत और सम्पन्न होगी और लोग हमारे साहित्य को और अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं इस सम्बन्ध में उस अध्याय का भी स्वागत करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि हम शिक्षा को संस्कृति से जोड़ रहे हैं। पहली बार यह आश्वासन दिया गया है कि शिक्षकों को एक सांस्कृतिक प्रवेशिका दी जाएगी और प्रत्येक स्कूल में एक सांस्कृति का शिक्षक भी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल में एक सांस्कृतिक संग्रहालय/कक्ष बनाया जायेगा। यह एक ऐसी बात थी जो अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं थी और हमारे छात्रों का अपनी ही संस्कृति के प्रति लगाव कम होता जा रहा है। इस प्रकार इस कदम से हमारी शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी और हमारे स्कूल संस्कृति के उद्गम स्रोत बन जाएंगे।

अब मैं नवोदय विद्यालय पर आता हूं। मेरे कुछ मित्रों ने इनके खिलाफ बहुत कुछ कहा है। किन्तु मेरी यह राय है कि इस अवधारणा को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप शिक्षा पद्धति में समाज, शिक्षकों तथा उनकी एसोसिएशनों को भी शामिल करेंगे तो यह प्रयोग काफी हद तक सफल हो सकता है। किन्तु, क्या आपने कभी इस नवोदय योजना में संसद सदस्यों को शामिल करने के बारे में सोचा है? क्या संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोलते समय उनसे सलाह ली गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या किसी संसद सदस्य से सलाह ली गई है या नहीं। किन्तु मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की टीम तथा राज्य के शिक्षा विभाग को स्थानीय लोगों ने वहां जाकर स्थलों का चयन किया है। प्रत्येक संसद सदस्यों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे यह जानकारी समाचारपत्रों अथवा सरकार से मिलती है कि ऐसे स्कूल खोले गये हैं। चूंकि ये स्कूल जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना खोले जा रहे हैं तो फिर आप पंचायतों की तो बात ही क्या करते हैं? इन स्कूलों को खोलते समय यदि संसद सदस्यों, विधायकों और पंचायत से विचार-विमर्श नहीं किया जाता तो यह शिक्षा प्रणाली कैसे सफल होगी?

मेरा यह विचार है कि क्योंकि यह पहला साल है, इसलिये इन सब मामलों पर विचार करने और निर्णय करने में शायद आपको बहुत देर हो जाती। मैं आशा करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में आप अपने संसद सदस्यों को जो 10 लाख से अन्यूने लोगों द्वारा चुने जाते हैं, विश्वास में लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको प्रारम्भ में ही उनको प्राथमिकता मिले और इस सम्बन्ध में कोई आशंका न हो क्योंकि यदि आप राज्य सरकार को पूरा अधिकार दे देते हैं तो राज्य यह निर्णय करेगा कि कहां-कहां स्कूल खोले जाएं तो अन्ततः मन्त्री लोगों के चुनाव क्षेत्रों में ये स्कूल खोले जाएंगे और बाकी सभी, चाहे वे सांसद हैं या विधायक, निस्सहाय हो जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने हेतु प्रत्येक स्कूल पर 2.5 करोड़ रु० खर्च करने की बात बहुत अच्छा

विचार है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपंगों के लिए भी कुछ व्यवस्था की है क्यों अरविंद आश्रम की एक 'मदर' से यह पूछा गया था कि अच्छी शिक्षा क्या है, उसने उत्तर दिया कि मैं किसी शिक्षक को अपंग, मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए कहूंगी। तब एक शिक्षक ने कहा कि 'मदर' मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा, यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपको उन्हें अवश्य पढ़ाना होगा। किन्तु यदि आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते तो मैं आपको ऐसे छात्र दूंगी जो अपेक्षाकृत अधिक मंदबुद्धि हैं। क्योंकि शिक्षक की सफलता कठिन काम को आसान बनाने में और बच्चों को प्रेरणा देने में ही है।

यह समस्त कारंवाई योजना एक तरह की एकमुश्त जानकारी है। यदि हमारे स्कूलों छात्रों पर एकमुश्त जानकारी और विज्ञान प्रौद्योगिकी और संस्कृति और हर प्रकार की कला तथा विज्ञान के ब्यौरे का भार लादने जा रहे हैं और उनको बहुत कम प्रेरणा दे पाएंगे तो हमारी शिक्षा प्रणाली लड़खड़ा जायेगी चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें। इसलिए, स्वामी विवेकानन्द तथा अन्य विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा से प्रेरणा अधिक मिलनी चाहिए तथा जानकारी कम। हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए और जब हम जानकारी के बारे में सोचते हैं, तो क्या कारण है कि शिक्षकों के बारे में सोचते हैं। आपकी इस कारंवाई योजना का क्रियान्वयम अन्ततः सांसदों द्वारा नहीं किया जाना है न ही माता पिता द्वारा जो कि घर में रहते हैं और न ही उन अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र और स्थानांतरण पत्र देते हैं, अपितु उन शिक्षकों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं।

मुझे बहुत दुःख है कि शिक्षकों के सम्बन्ध में दो राष्ट्रीय आयोगों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं परन्तु देश भर के शिक्षक संगठन इन प्रतिवेदनों पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु उन प्रतिवेदनों को भुला दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को यह जानकारी है कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं परन्तु देश के शिक्षक समुदाय को यह नहीं मालूम कि उनका भाग्य कैसा है, शिक्षक आयोग की सिफारिशें क्या हैं और सरकार क्या कर रही है। मल्होत्रा समिति का जो गठन किया गया है उससे शिक्षकों को और अधिक कुंठा पैदा हुई है। इसलिए, जब मैं यह कहता हूं कि कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन शिक्षकों पर निर्भर है, तो आपके अपने हित में, राष्ट्र के हित में, मैं आपको शिक्षकों के संगठन का विश्वास प्राप्त करने की सलाह देता हू। अध्याय 9 में आपने कहा है कि कार्य करने की पद्धति क्या है—आपने कहा है :—

"कि शिक्षकों के लिए आचरण-संहिता अध्यापकों के संगठन के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी।"

यह एक स्वागत योग्य कदम है। परन्तु इससे पहले आपको हमें—संसद को, लोगों को यह जानकारी देनी होगी कि शिक्षक आयोग की सिफारिशें कौन-सी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है। देश भर का शिक्षक समुदाय इसका स्वागत करेगा।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : इस समय बैंकों में चपरासियों को शिक्षकों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : इस जानकारी के लिए मैं आपका आभारी हूं। परन्तु यहां मेरा यह कहना है कि यह प्रणाली कार्य करे इसके लिए कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन शिक्षकों के स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। जैसा कि डी० पी० यादव ने कहा था कि देश में 40 लाख शिक्षक हैं जो कि बहुत अधिक संख्या है—देश के पहाड़ी क्षेत्रों और घाटी क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में संस्थान विद्यमान हैं।

यदि आप शिक्षकों को प्रेरणा और दृढ़ता प्रदान करके इन संस्थानों को सांस्कृतिक स्वरूप और बच्चों के लिए खुशी प्रदान करने वाले संस्थान बना सकते हैं, तो कार्यवाही योजना सफल होगी। अत: शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली है कि प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में, मद संख्या 10 के अन्तर्गत शिक्षा के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कल संसद में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें सभी संघटक हैं, इससे आपके कार्यवाही योजना को सफलता प्राप्त होगी। हमें आशंकित भी नहीं होना चाहिए परन्तु हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप हमें यह बताएं कि सही स्थिति क्या है क्योंकि सी०ए०आर०ई० की बैठक में प्रो० मेनन के भाषण से सम्पूर्ण देश में बहुत विवाद पैदा हो गया कि जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे थे तो केबिनेट स्तर के शिक्षा मन्त्री ने कहा कि यह दो वर्षों से रुकी पड़ी है और नवोदय विद्यालयों को छोड़कर कोई धन-राशि प्रदान नहीं की गई। अत: यदि आप संसद को, देश को और शिक्षक समुदाय तथा विद्यार्थियों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि धनराशि प्रदान की जाएगी, कि यह कार्रवाई योजना केवल चर्चा के लिए नहीं है अपितु इसका कार्यान्वयन भी किया जाएगा, कि संसाधनों की कमी नहीं होगी क्योंकि अब प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 10 में इसके लिए वचनबद्धता दी गई है, तभी आप द्वारा देश को किए गए सांविधिक दायित्व की पूर्ति हो सकेगी जो आपने देश को वर्षों पूर्व अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और सर्वसुलभ शिक्षा देने के रूप में, और अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार के रूप में और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के द्वारा और समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

महोदय, मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि संसद ने आपातकालीन स्थिति में किसी दबाव में कोई कार्य नहीं किया जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा है। शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने के लिए देश में बहुत प्रगति हुई है और आपातकालीन स्थिति के बाद, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं थी, दूसरे दल ने, जो उस समय सत्ता में था, इसमें संशोधन करने का प्रयास किया। इसमें एक समस्या थी सत्ताधारी दल इसमें सुधार करना चाहते थे और चाहते थे कि इसे वापस राज्य सूची में लाया जाए परन्तु राज्य सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान में पहले संशोधन करने के बाद, 3 जनवरी, 19 7 को संसद की सहमति से शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया गया। अत: लोक सभा द्वारा पारित संकल्प को राज्य सभा ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। इसके परिणामस्वरूप हम भाग्यशाली हैं कि शिक्षा की एक समान प्रणाली होने वाली है और शिक्षा एक समवर्ती विषय बनाया गया है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा

हूं कि दक्षिण में यह देश इतना ही आप लोगों का है जितना उत्तर, पूर्व और पश्चिम में हम लोगों का है। अतएव, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक वक्ता अथवा प्रत्येक जवान को एक अवसर दिया जाए कि वह इस देश को एक सुन्दर देश, संगठित तथा शक्तिशाली देश बना और केवल ऐसी शिक्षा प्रणाली ही ऐसा कर सकती है जो सभी लिखित और अलिखित, मान्यता प्राप्त अथवा गैर-मान्यता प्राप्त भाषाओं की महत्ता को मान्यता देती हो, जो मेधावी अथवा अन्यथा इस देश की घाटियों तथा पहाड़ियों के पार फैले तथा यहां अथवा वहां जन्में उन सभी बच्चों की महत्ता को मान्यता देती हो। इन सब बातों के द्वारा यह देश मजबूत बनेगा। इसलिए, हमें इस बात को महसूस करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। समवर्तता कुछ नहीं देती है यह राज्यों से सहयोग चाहती है। मानव संसाधन विकास मन्त्री महोदय एक अनुकूल स्थिति में हैं। जब 24 जुलाई, 1968 में शिक्षा मन्त्रालय ने शिक्षा नीति तैयार की थी— मुझे वह तारीख याद है —देश को उस समय शिक्षा प्रणाली की उतनी पकड़ नहीं थी, संसद अधिक कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय था। अब शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अतएव, संसद को अपेक्षित भूमिका निभानी है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कार्रवाई योजना का समर्थन करता हूं और मैं मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा व्यक्त किए गए कुछ संदेहों को दूर कर दें ताकि भारत स्कूलों से कालेजों और कालेजों से विश्वविद्यालयों की ओर अग्रसर होकर और अधिक मजबूत बनकर सामने आ सके तथा इन स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले छात्र भावी भारत के बेहतर नागरिक बन सकें और अपने मन में यह आशा रख सकें कि यह संसद शिक्षा के इस कार्यक्रम को दे रही है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विचारधारा कायम की जा रही है पूर्व में शिक्षक होने के नाते और एक नागरिक तथा सांसद के नाते मैं उसका समर्थन करती हूं। यह जो परिवर्तन की कल्पना सामने आई और जिसके बारे में यहां बहस हो रही है, मैं देख रही थी कि कुछ अलग-अलग विचार के सांसद, भाई-बहन एक नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टि लेकर इसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन जब 1968 में एक शिक्षा नीति यहां अपनाई गई और उसके माध्यम से, चाहे उसमें काफी दोष थे, जिसके बारे में मैं खुद भी बोलना चाहती हूं, लेकिन उसके माध्यम से हमने 90 प्रतिशत लोगों के पास प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की है और इसीलिए जब समाज में कुछ काम होता है तभी उसमें सुधार का समय भी आता है। शिक्षा की जो पूर्व प्रणाली थी, उससे हमने साक्षरता पाई, गांवों में प्राथमिक स्कूल पहुंचाए और इसीलिए हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वह चाहता था कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और वह देश के सामने एक समस्या है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए जितनी रकम खर्च होती है, जितना पैसा खर्च होता है, उसके समान खर्चा भारत के

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

युवाओं के उद्धार के लिए, शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए खर्च होना चाहिए। इसीलिये आज इस सदन में राजीव जी ने जो कुछ अच्छे कदम उठाये हैं, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम समझते थे कि इतनी जल्दी यह कार्यक्रम सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिस विचार को हमें अपनाना है, जहां भिन्न भाषा, भिन्न मजहब और भिन्न आर्थिक स्थिति में रहने वाले लोग हैं, वहां एक मास मूमेंट में एक विचार हम बनाने जा रहे हैं, एक नीति बनाने जा रहे हैं तो वह इतनी जल्दी कभी नहीं बनती। हम अभिनन्दन करते हैं क्योंकि बहुत कम दिनों में यह विचार यहां मान्यता के लिए हमारे सामने आया है। इस देश में जीवन शिक्षा का जो विचार है, वह बहुत पहले से है। इस विचार को हमने मान्यता दी है इसलिये हमारी शिक्षा ऐसी है जिससे हम कुछ लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें और सुसंस्कार दे सकें। यही विचार लेकर शिक्षा नीति में सुधार लाना चाहते हैं। यहां जो संकल्पना सामने आई है, उसको मैंने पढ़ा है। टैन प्लस टू प्लस थ्री का जो पैटर्न है, उसका भी समर्थन किया है और हम मानते हैं कि उसने साक्षरता बढ़ाई है। गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाई और काफी सोच-समझकर टैन प्लस टू प्लस थ्री का पैटर्न बनाया गया था। उसमें जो दोष हैं, उसकी चर्चा करने के लिए यहां हम बैठे हैं। मेरा यह विचार है कि किसी विचार और नीति का मूल्यांकन तब होता है जब पांच-दस साल का प्रवेश उस रास्ते पर करते हैं और समझते हैं कि कुछ पाया है। मन्त्री महोदय ने काफी लोगों के विचार समझने की कोशिश की है। इस नीति को अपनाते समय एक ढांचा सामने आया है और मैं नहीं समझती कि वह पूरा हुआ है। इम्पलीमैंटेशन के लिए और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नई परीक्षा नीति और स्कूल का पैटर्न कैसा होगा, वह जब ढांचा बनेगा, लोगों के सामने आयेगा तभी लोग अलग-अलग विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं चाहती हूं कि नई शिक्षा नीति अपनाने से पहले यह समीक्षा करना जरूरी है कि पुरानी शिक्षा नीति में दोष कहां रहे, तभी हम नई शिक्षा नीति में सुधार कर सकेंगे। राज्य सभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राप-आउट्स का प्रमाण हमारे देश में कितना है। ··(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, आप यहां राज्य सभा के प्रश्न का उल्लेख नहीं कर सकतीं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : केरल राज्य में समझती हूं शिक्षा में बाकी सब राज्यों से अग्रणी है लेकिन वहां भी 60 प्रतिशत के ऊपर जो प्राथमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है उसमें ड्राप आउट का प्रमाण है। बाकी प्रान्तों में हम 80/90 का ड्राप आउट का प्रतिशत का प्रमाण देखते हैं। इसलिए मैं समझती हूं हम ऐसी शिक्षा इस विचार से प्रदान करें जो आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से गरीब से गरीब और छोटे बच्चों के लिए उचित शिक्षा प्रणाली हो। हर संसद सदस्य ने यहां पर अपने शिक्षा के बारे में विचार रखे कि इस प्रणाली को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना खर्च आयेगा उसका कोई आंकड़ा

सामने नहीं आया, लेकिन हमने सुना है कि 24-25 हजार करोड़ रुपये अन्दाजन खर्चा आ सकता है। हमारी एक सांसद बहन कह रही थीं कि पैसे का कोई बन्दोबस्त नहीं और पालिसी ले आये, लेकिन जब शासन कोई पालिसी सामने लाता है तो उसके पीछे सारे विचार होते हैं। इसके पीछे जब खर्चा आयेगा उसके लिए क्या बन्दोबस्त किए जाएंगे और राज्य सरकारें उस पर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभायेंगी यह भी सदन को मालूम होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय 19.15 बजे उत्तर देंगे। आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते। कृपया आप केवल कुछ प्रश्न ही पूछिये।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब ड्राप आउट प्रमाण पेश कर रही थी आप सभी जानते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रामीण व्यवस्था टूटती जा रही है। हर बच्चा, हर युवा शहरों की तरफ अपना काम खोजने के लिये आ रहा है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है हमारे जो अनुभवी मन्त्री हैं जिन्होंने लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली बनाई, दूसरी हमारी मन्त्री महोदया हैं जो पहले संसद सदस्या के रूप में हमेशा इस प्रणाली पर बोलती थीं उनसे मेरा निवेदन है कि इसको इम्प्लीमेंट करते समय हम राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी डालें कि एक राष्ट्रीय नीति होकर हम पूरे देश में एक जैसी शिक्षा नहीं दे पायेंगे, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं वहां अलग ढंग का कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर पर बनाने की बहुत आवश्यकता है। वहां जो रा-मेटिरियल होता है उसको हम साथ लेते हुए वहां एक व्यावसायिक शिक्षा दे सकेंगे। जिससे हमारे आदिवासी और गरीब तबके के लोग जो शहर में आकर उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, अगर ले लें तो हम उनको सर्विस नहीं दे पाते, उनके सामने यह समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हर इलाके की व्यवस्था देखकर वहां का जो रा-मेटिरियल है, जो वहां की उपलब्धि है, विशेषता है उसको व्यावसायिक शिक्षा में योगदान दिला सकें। इसीलिये राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार और हमारा मन्त्रालय दबाव डाले कि वह अपना कार्यक्रम और नया ढांचा तैयार करके अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करे।

मेरी आखिरी अर्ज यह है कि हमने जो खुले विश्वविद्यालय का संकल्प बनाया है और देश में कई जगह शुरू किया है उनको हम रोजगार की शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करें उस विश्वविद्यालय में यान्त्रिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाये, ऐसे परिवर्तन की मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

7.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा अब इस पर आधारित कार्यवाही योजना ने राष्ट्र में शिक्षा में एक नए युग की असीम आशायें जगायी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह कार्य है कि सीमित पूंजी संसाधनों के द्वारा इन असीम आशाओं को कैसे पूरा किया जाए। योजना आयोग के सदस्य श्री एम० जी० के० मेनन का यह वक्तव्य कि जुटाई गई कुल धनराशि में से अगले दो वर्षों में नई शिक्षा नीति के लिए कोई विशेष अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं होंगी···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैरो, मैं आपको केवल पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं पांच मिनट में अपना भाषण कैसे समाप्त कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को 7.15 बजे उत्तर देना है।

मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देना है।

(व्यवधान)

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैंने केवल शिक्षा पर बोला है।

श्री मेनन का वक्तव्य शेक्सपियर के शब्दों में, "सर्वाधिक अप्रिय है।"

पता चला है कि केन्द्रीय परामर्शदायी बोर्ड की बैठक में मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की है कि हमें प्रधान मंत्री की कृपा से धन मिल जाएगा। आस्था आशा तथा कृपा के बारे में बाईबल में कहा है, इन सबमें 'कृपा' सबसे महान है। मैं 'कृपा' शब्द का प्रयोग बाईबल में व्यक्त की गई 'प्रेम' की भावना से कर रहा हूं, और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय के शिक्षा के प्रति प्रेम तथा प्रधान मंत्री महोदय के शिक्षा के प्रति प्रेम के कारण हमें आवश्यक निधियों का मिलना संभव हो जाएगा ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने के अपराध से, अन्ध विश्वास की बुराई से, अज्ञानता की बुराई से, निरक्षरता की बुराई से बचाया जा सके। समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण छोटा कर रहा हूं। हो सकता है कि योजना आयोग पर्याप्त धनराशि न दे सके, परन्तु कार्यक्रम से हमें इस बात का कोई आभास नहीं होता है कि क्या प्राथमिकताएं होंगी तथा इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी। मैं मंत्री महोदय से केवल यह पूछूंगा : क्या वे हमें इस बात का कुछ आभास दे सकते हैं कि क्या प्राथमिकताएं होंगी और इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

अगली बात जो मैं कह रहा हूं वह अल्पसंख्यकों के बारे में है। शिक्षा की चुनौती के बारे में

दिसम्बर में अपने भाषण में मैंने उस दस्तावेज में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई उल्लेख न पाए जाने की बात उठाई थी। राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी विवरण में "शैक्षणिक दृष्टि से वंचित और पिछड़े कुछ अल्पसंख्यक वर्गों।" का अस्पष्ट और नाममात्र का उल्लेख किया गया है और इसे हल्के रूप में स्वीकार किया गया है कि "उनकी पसन्द की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने के बारे में उन्हें दी गई संवैधानिक गारन्टी इसमें स्वत: शामिल है। इस कार्यक्रम योजना में थोड़ा कुछ और भी कहा गया है; इसमें संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350क का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि :

> "उक्त गारंटियों का कार्यान्वयन एक जैसा नहीं रहा है यद्यपि, शिक्षा मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों, भारत सरकार के वर्ष, 1956 के ज्ञापन तथा 1958 में भाषाओं सम्बन्धी वक्तव्य, आदि में भी भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ विशेष व्यवहार करने पर बल दिया जाता रहा है।"

महोदय, मैं भाषायी अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। भाषायी असहिष्णुता, भाषायी कट्टरपन, भाषायी अतिराष्ट्रीयता अपना सर उठा रही हैं। मेरे विचार से यह इस देश की एकता और अखंडता के लिए भारी खतरा है।

हाल ही में टाइम्स आफ इण्डिया, संडे रिव्यू में एक लेख छपा था। उसमें बहुत ही प्रभावशाली बात कही गई है, जो मैं यहां बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि :

> "भाषायी कट्टरपन को गलती से अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार माना जा रहा है। गुमराह लोगों का कहना है कि या तो उनकी भाषा सीखिए या उनका राज्य छोड़ दीजिए। उप-राष्ट्रीयता की भावना को राष्ट्र की आवश्यक एकता को नष्ट करने तक की हद तक भड़काया जा रहा है।"

आंग्ल भारतीयों का कोई भाषायी राज्य नहीं है जहां वे जा सकें; परन्तु देश भर में उनके 300 से भी अधिक स्कूल हैं। समय-समय पर मैं इस बात पर बल देता रहा हूं, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को न्यायसंगत ठहराने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ता है। हमें प्राय: खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्रावेशिक शुल्क निषेध अधिनियम, 1984 पारित किया है। इसलिए, प्रावेशिक शुल्क का निषेध एक अच्छी बात है। प्रावेशिक शुल्क का निषेध एक ऐसी बात है जिसका मैं समर्थन करता हूं। परन्तु कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? उसने शैक्षिक संस्थाओं के शुल्क ढांचे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नौ सदस्यों की इस समिति ने जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो यह स्तब्ध करने वाला था। इसके तीन सदस्यों ने इससे अपनी असहमति व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि :

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

"अन्य सदस्यों द्वारा की गई कुछ सिफारिशें नियमानुकूल नहीं है तथा विचारणीय विषयों के क्षेत्र के भीतर नहीं हैं।"

ये कुछ सिफारिशें क्या थी ? पहले, इनमें से कुछ सिफारिशों की प्रस्तावना यह है :

"चूंकि शिक्षा का व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार तथा अन्य कदाचारों का मुख्य कारण प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के तथा निम्न स्तर के सरकारी संस्थान हैं···"

इसके बाद उन्होंने सिफारिश की है :

"आंग्ल भारतीयों, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, के सिवाय और किसी के लिए भी सहायता प्राप्त अथवा बिना सहायता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम का कोई भी प्राथमिक स्कूल नहीं होना चाहिए।"

वास्तव में इसका अर्थ है कि अभिभावक केवल आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए चलाए जाने वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चे नहीं भेजें। वे अपने बच्चे किसी अन्य माध्यम वाले स्कूल में भेज सकते हैं पर आंग्ल भारतीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं। इस समिति की सिफारिश से अंग्रेजी और आंग्ल भारतीय स्कूलों को अवैध कर दिया गया है।

हिन्दी राजभाषा है। अंग्रेजी उसकी सह-राजभाषा है। एक अभिभावक अपने बच्चे को हिन्दी माध्यम स्कूल में भेज सकता है; परन्तु वह अपना बच्चा सह-राजभाषा वाले स्कूल में नहीं भेज सकता। उच्चतम न्यायालय ने 1974 के सेंट जेवियर कालेज के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया था :

"शिक्षा में माता-पिता का अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली का केन्द्र बिन्दू है। यह लोकतांत्रिक शिक्षा और एक···के बीच अन्तर की कसौटी है।"

सौभाग्यवश, यह केवल समिति की सिफारिश ही है और सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की है और मेरे विचार से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जबकि प्रतिवेदन को प्राप्त हुए दिसम्बर में लगभग 6 महीने हो गए।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय से तीन चीजें करने के लिए कह रहा हूं। पहली, इस योजना में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के बारे में निर्धारित नीति अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रति वर्ष समीक्षा की जाएगी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे तुरन्त शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएं और यह पता लगाएं कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की वर्तमान स्थिति क्या है।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि समवर्ती शक्तियों के अन्तर्गत वे नीतियों पर गौर करने

और नियंत्रित करने के लिए अपनी समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करें ताकि वे अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार में रुकावट न बने। तीसरे, इसमें अध्यापकों और प्रबंधकों और इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया है। हम केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते जिनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विशेष बल दिया जाए। मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के समय इन बातों को ध्यान में रखें।

अब मैं शिक्षा सुधार के प्रश्न पर आता हूं। यहां भी इस दस्तावेज के अनुसार इन सुधारों का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। व्याकरण गलत है। इसमें 'है' शब्द होना चाहिए 'हैं' नहीं। परन्तु इसके अलावा मेरा कहना है कि परीक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली का हमारे अध्यापन पर काफी प्रभाव है। हमारी परीक्षा पद्धति पुरानी पड़ गई हैं। उनमें अधिकतम बल नोट द्वारा पढ़ने, जिससे कदाचार बढ़ता है, तथा प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ने पर बल दिया गया है। यह भी ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं है। अंकों की गणना तथा परिणामों और ग्रेडों देने का कार्य कंप्यूटरों के प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक भाग की ओर खींचना चाहूंगा। यह पृष्ठ 150 (अंग्रेजी संस्करण) पर है जो इस प्रकार है :

> "इस बात को मानना होगा कि विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा करने और उसका मूल्यांकन करने तथा उसकी अन्यों से तुलना करने का अपरिहार्य अधिकार है।"

मुझे पता नहीं कि किसने यह घोषणा की है। स्पष्टतया जिन्होंने यह बात रखी है उन्होंने विद्यालय स्तर पर आम परीक्षा आयोजित नहीं की है और उन्हें इसके बारे में कानूनी स्थिति की भी जानकारी नहीं है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह दिखाने के लिए निर्णय के कुछ संगत अंशों को पढ़ूंगा कि 'उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में यह अदेय अधिकार अब अदेय अधिकार नहीं हैं।' इस प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एण्ड हायर सेकन्डरी एजुकेशन एण्ड बनाम प्रीतेश भूपेश कुमार शेठ तथा अन्यों के मामले में 1980 की सिविल अपील संख्या 1633 से 1691 में पहले ही निर्णय दे दिया है। मैं उसका उल्लेख करता हूं :—

> "जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है विरोधी हलफनामें में उस कार्य के जुर्म के बारे में लिखा गया है जिसका पहले ही सामना करना पड़ता है अर्थात एक दूसरे के बीच कुछ महीनों के अन्तराल में आयोजित की जाने वाली एस०एस०सी० तथा एच०एस०सी० परीक्षाओं में भाग लेने वाले लगभग 3 लाख प्रत्याशियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने तथा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया प्रतिवर्ष दो बार पूरी करना। यदि सभी प्रत्याशियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए दे दी जाती है अथवा प्रत्याशियों की उपस्थिति में उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा और

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

यदि ऐसा अनुरोध 10 प्रतिशत, जो कि संख्या में 30,000 होगा, प्रत्याशियों द्वारा भी किया जाता है तो इस कार्य में कई हजार मानव घंटे लगेंगे और निश्चित रूप से समस्त प्रणाली व्यवस्थाहीन हो जायेगी।"

वे कहते हैं कि इसे कोई अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अंश को इस दस्तावेज से हटा दें क्योंकि इससे परीक्षा लेने वाले बोर्डों के दिमागों में भ्रम पैदा होगा और प्रत्याशियों के दिमागों में भी झूठी आशाएं जागेंगी।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे आली डिप्टी स्पीकर, पहली बात मैं आपके माध्यम से वह वाजेह करना चाहूंगा कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि देश की एक ही जबान होनी चाहिए, जो सरकारी जबान के तौर पर मुल्क में रेंज कर दी जाए।

1947 से आगे 40 साल गुजरने के बाद आज दो जुबाने अंग्रेजी और हिन्दी राष्ट्रभाषा के तौर पर ली जा रही हैं। ऐसा करने से जो हमारी मातृभाषायें हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं, उन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी एजुकेशन पालिसी को बिल्कुल वाजेह कर देना चाहिए। जो हमारा इसमें मंसूबा है, जो डीसिजन लेने वाले वाडीज हैं, उनको इस बात के लिए जिम्मेदारी है कि वह यहां एक भाषा हिन्दी को ही रखें। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा होगी और उसको होना भी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा का इस मुल्क के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रह सकता है।

यह ठीक है कि मार्डन साइंस और टेक्नालाजी में अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां तक मुल्क के अन्दर हमारे कल्चर और तहजीब के विकास का ताल्लुक है, उसमें हमारी मातृभाषा को ही बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं हिन्दी और दूसरी भाषाओं के बीच में इतना फर्क भी नहीं देखना चाहता। मैं हिन्दी को एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर देखना चाहता हूं। हमारा जो कांस्टीटयूशन है वह 14 भाषाओं को बराबरी का दर्जा देता है। हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि जहां हिन्दी लिंक, लैंग्वेज के तौर पर हो वहां और भाषायें जैसे पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलगू, बंगला और उर्दू आदि और जितनी भाषायें हैं, उनको भी पीछे नहीं रहना चाहिए और उनके साथ इंसाफी होनी चाहिए और उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। इन्हीं भाषाओं में जो हमारा मीडिया आफ इंस्ट्रक्शन है, जो जरिये तालीम है, वह होना चाहिए। हिन्दी का इस्तेमाल मुल्क को एक रखने के लिए और एक जुबान के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक भाषा का ताल्लुक है, एक बच्चे की सही तालीम, उसकी जहनी तरक्की सिर्फ उस सूरत में ही मुमकिन है जब उसकी अपनी भाषा में ही उसका मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम भाषाओं के साथ बराबरी का सलूक हो, हिन्दी को लिंक लैंग्वेज के

तौर पर इस्तेमाल किया जाए और अंग्रेजी का कम इस्तेमाल किया जाए। आज इसका राष्ट्र भाषा के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है यह एक बहुत बड़ी ना इंसाफी हमारे करोड़ों बच्चों और आने वाली नस्लों के साथ है।

इसके साथ मुझे आज इस बात का भी दुख है कि आज भी इस मल्क के अन्दर ऐसे हजारों लाखों स्कूल और कालेज हैं जिनके ऊपर छत नहीं हैं। उन बच्चों के खाने का कोई प्रबन्ध नहीं है, उन बच्चों को तालीम के लिए किताबें और दूसरी अन्य रिक्वायरमेंट्स मुहैय्या नहीं हो रही हैं। हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों बच्चे जो इस वक्त तालीम पा रहे हैं, उनके साथ ना-इंसाफी हो रही है। उनकी तालीम का जो माहौल बनना चाहिए वह नहीं बन पाया है। मैं इस सिलसिले में यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आज किसी प्रोफेशन पर सोशल स्टीगमा लगा हुआ है तो वह प्रोफेसर या टीचर का है जिस की आज कोई कद्र नहीं है। अगर कहीं कोई बच्चा डाक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता तो आखिर में उसके लिए टीचर का ही पोस्ट बाकी रहता है। आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं और दूसरी अन्य फैसिलिटीज भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। इस कारण उसे आज बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर उसको सोसायटी में अच्छा स्थान नहीं मिलता है तो आप कैसे अन्दाजा कर सकते हैं कि वह बच्चे की सही तालीम देगा, सही परवरिश करेगा ?

हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं क्या आपने इनका खातमा कर दिया है ? मैं आपके माध्यम से आनरेबल एजूकेशन मिनिस्टर को बताना चाहूंगा कि जब तक यहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं तब तक आप करोड़ों लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके सरकारी स्कूल्स हैं जहां हिन्दी और दूसरी भाषाओं में तालीम दी जाती है और दूसरी तरफ जो एक बड़ा धंधा चल चुका है जो कुछ लोगों ने एजूकेशन को कामर्शियलाइज कर दिया है, इसे कारोबार बना दिया है और उनके उन इंडस्टीच्यूशंस में जिया-तालीम अंग्रेजी है। अंग्रेजी की तालिम का नतीजा यह है कि जब काम्पीटीशन होता है तो उस वक्त अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे को किसी भी काम्पीटीशन में अव्वलियत मिलती है, ज्यादा दरजा मिलता है और हिन्दी वालों को या दूसरी भाषा वालों को पछाड़ा जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक हिन्दी के मुकाबिले में या दूसरी भाषाओं के मुकाबिले में अंग्रेजी की बालादस्ती है और वह बालादस्ती सरकार ने खुद कायम कर रखी है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की वजह से यह ठीक नहीं है। आप यह फैसला क्यों नहीं कर पाते हैं, यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा जब कि हिन्दुस्तान के देहातों में रहने वाले 80 फीसदी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते तो आप उनसे कैसे तवक्को करेंगे कि वे काम्पीटीशन में, मुकाबिले के इम्तहानात में अंग्रेजी की अच्छी महारत रखते हों, अंग्रेजी की बुनियाद पर वह अच्छे सतह पर पहुंच जाएं ?

इस सिलसिले में जितने सरकार के कमीशन्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या और कोई कमीशन हो, उसका जब मुकाबिला होता है उसमें हमारे ये बच्चे जो अंग्रेजी के मुकाबिले में हिन्दी बंगला या मलयालम या और जो भाषाएं हैं जिनको आपने कांस्टीच्यूशन में वाजेह कर रखा है बजानिब जबान के, उन जबानों को आपने तस्लीम तो किया है लेकिन मुकाबिले में अंग्रेजी जबान वाले आगे ले जाते हैं

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

चाहे वह काबलियत में कितने भी कम क्यों न हों। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इस मुल्क की यह है कि आपने एजूकेशन सिस्टम में इनईक्वलिटी को जन्म दिया है, नाबराबरी को जन्म दिया है। यह तभी खत्म होगा जब आप कानून के द्वारा एजूकेशन को नेशनलाइज करेंगे और जो आपने ये प्राइवेट इदारे खोल रखे हैं लाखों की तादाद में उनको बन्द करेंगे।···(व्यवधान)···

मैं आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है यह एक बहुत बड़ी शिकायत हैं। बेहतरीन, अच्छी जहन के नौजवान, तालीमयाफ्ता डाक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन्स, चले जा रहे हैं दूसरे मुल्कों की तरफ और मुल्क के अन्दर जो तालीम पढ़ायी जाती है उसने बेकारी को जन्म दिया है, बेरोजगारी को जन्म दिया और मुल्क के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि यह जो अंग्रेजों ने आपको एजूकेशन की लीगेसी दी है यह सिर्फ पैचेज से, थोड़े-थोड़े टुकड़ों से ठीक नहीं होगा। आप को सारा सिस्टम, सारा निजाम बदलना चाहिए जिसमें कि सारी मंसूबासाजी हो, प्लानिंग हो सही माने में कि कितने बच्चे आप को डाक्टर बनाने हैं, कितने इंजीनियर बनाने हैं, कितने आर्ट्स, क्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर में लेने हैं।

मेरे ख्याल में आपको रूस से और दूसरे मुल्कों से यह सबक लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इस मामले में भी हम बहुत पिछड़े हैं। आखिर में एक और बात कहूंगा···(व्यवधान)···

टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री का डिस्टार्शन किया जा रहा है और यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी को जन्म दे रहा है।··(व्यवधान)···तवारीख की किताबों के जरिए कम्यूनलिज्म को फैलाया गया है और अंग्रेजों ने हमारे जेहन को तबाह और बरबाद करने के जो मसूबे बांधे थे उसे हमने खत्म नहीं किया है। अभी तक हिस्ट्री की किताबों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जह दी जाय और हिस्ट्री की किताबों में तरमीम की जाय।···(व्यवधान)··

(شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): جناب عالی ڈپٹی اسپیکر صاحب
پہلی بات میں آپ کے مادھیم سے یہ واضح کر دینا چاہوں گا کہ ہم اس بات میں
وشواس رکھتے ہیں کہ دیش کی ایک ہی زبان ہونی چاہیئے جو سرکاری زبان کے طور
پر ملک میں رائج کر دی جائے۔ ۱۹۴۷ء سے آگے چالیس سال گذرنے کے بعد آج
دو زبانوں انگریزی اور ہندی راشٹریہ بھاشا کے طور پر لی جا رہی ہیں۔ ایسا
کرنے سے جو ہماری ماتر بھاشائیں ہیں جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں ان
پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں
اپنی ایجوکیشن پالیسی کو بالکل واضح کر دینا چاہیئے۔ جو ہمارا اس میں منصوبہ
ہے جو ڈیبیرن لیڈ والی باڈیز ہیں ان کی اس بات کے لیے ذمہ داری
ہے کہ وہ یہاں ایک بھاشا ہندی کو ہی رکھیں۔ ہندی ہماری راشٹر بھاشا
ہوگی اور اسکو ہونا بھی چاہیئے کیونکہ انگریزی بھاشا کا اس ملک کے
ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ سکتا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنولوجی میں انگریزی کی ضرورت
پڑیگی۔ لیکن جہاں تک ملک کے اندر ہمارے کلچر اور تہذیب کے وکاس کا تعلق ہے
اس میں ہماری ماتر بھاشا کو ہی بڑھاوا ملنا چاہیئے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی میں
ہندی اور دوسری بھاشاؤں کے بیچ میں اتنا فرق بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں
ہندی کو ایک لنک لینگویجز کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو کانسٹی
ٹیوشن ہے وہ ۱۴ بھاشاؤں کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ ہماری پالیسی یہ
ہونی چاہیئے کہ جہاں ہندی لنگویجز کے طور پر ہو وہاں اور بھاشاؤں جیسے پنجابی
ملیالم تامل تیلگو بنگالی اور اردو آدی اور جتنی بھاشائیں ہیں ان کو بھی
پیچھے نہیں رہنا چاہیئے۔ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیئے اور ان کے
ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیئے۔ ہندی بھاشاؤں میں جو ہمارا میڈیم یا
آف انسٹرکشن ہے جو ذریعہ تعلیم ہے وہ ہونا چاہیئے۔

ہندی کا استعمال ملک کو ایک رکھنے کے لیے اور ایک زبان کے طور پر ہونا چاہیئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بھاشا کا تعلق ہے ایک بچے کی صحیح تعلیم اسکی ذہنی ترقی صرف
اس صورت میں ہی ممکن ہو۔ جب اسکی اپنی بھاشا میں ہی اس کا میڈیم آف انسٹرکشن

رکھیں گے۔ اسلیئے میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بھاشاؤں کے ساتھ برابری کا سلوک ہو ہندی کو لنک لینگویج کے طور پر استعمال کیا جائے اور انگریزی کا کم استعمال کیا جائے۔

آج اس کا راشٹر بھاشا کے طور پر جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہمارے کروڑوں بچوں اور آنیوالی نسلوں کے ساتھ ہے۔

اس کے ساتھ مجھے آج اس بات کا بھی دکھ ہے کہ آج بھی اس ملک کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں اسکول اور کالج ہیں جن کے اوپر چھت نہیں ہے۔ ان بچوں کے کھانے کا کوئی پربندھ نہیں ہے ان بچوں کو تعلیم کے لیے کتابوں اور دوسری انئے ریکوائرمینٹس مہیا نہیں ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں بچے جو اس وقت تعلیم پا رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان کی تعلیم کا جو ماحول بنانا چاہیئے وہ نہیں بن پایا ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آج کسی پروفیشن پر سوشل انگا لگا ہوا ہے تو وہ پروفیسر یا ٹیچر کا ہے جس کی آج کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پاتا تو آخر میں اسکے لیے ٹیچر کا ہی پوسٹ باقی رہتا ہے۔ آج اسکی کوئی عزت نہیں ہے۔ آج ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہیں اور دوسری انئے فیسیلیٹیز بھی انہیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ اس کارن سے آج بہت سی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اسکول ٹیچر کو سوسائٹی میں اچھا استھان نہیں ملتا ہے تو آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کی صحیح تعلیم دیگا صحیح پرورش کرے گا۔

ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں جن کو پبلک اسکول کہتے ہیں کیا آپ نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے کامن نیشنل ایجوکیشن سسٹم کو بنانا چاہوں گا کہ جب تک یہاں پر انگلش میڈیم اسکول ہیں تب تک آپ کروڑوں لوگوں کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کے سرکاری اسکول ہیں جہاں ہندی اور دوسری بھاشاؤں میں تعلیم دی جاتی ہے اور دوسری طرف جو ایک بڑا دھندہ چل چکا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے ایجوکیشن کو کمرشیلائز کر دیا ہے اب اسے کاروبار بنا دیا ہے اور ان کے ان انسٹی ٹیوشنس

میں ذریعہ ۳ ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ انگریزی کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اُس وقت انگریزی پڑھے لکھے بچے کو کسی بھی کمپیٹیشن میں اولیت ملتی ہے زیادہ درجہ ملتا ہے اور ہندی والوں کو یا دوسری بھاشا والوں کو پچھاڑا جاتا ہے۔ اسلیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہندی کے مقابلہ میں یا دوسری بھاشاؤں کے مقابلے میں انگریزی کی بالادستی ہے اور وہ بالادستی سرکار نے خود قائم کر رکھی ہے انگلش میڈیم اسکول کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں یہ میں منتری مہودے سے پوچھنا چاہوں گا جبکہ ہندوستان کے دیہاتوں میں رہنے والے ۸۰ فیصدی لوگ اپنے اپنے بچوں کو انگریزی نہیں پڑھا سکتے تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ کمپیٹیشن میں مقابلے کے امتحانات میں انگریزی کی اچھی مہارت رکھتے ہوں انگریزی کی بنیاد پر وہ اچھے سطح پر پہنچ جائیں۔

اس سلسلے میں جتنے سرکار کے کمیشنس ہیں پبلک سروس کمیشن ہو یا اور کوئی کمیشن ہو اس کا جب مقابلہ ہوتا ہے اس میں ہمارے یہ بچے جو انگریزی کے مقابلے میں ہندی بنگلہ یا ملیالم یا اور جو بھاشائیں ہیں جن کو آپ نے کانسٹی ٹیوشن میں واضح کر رکھا ہے بھارتیہ زبان کے ان زبانوں کو آپ نے تسلیم تو کیا ہے لیکن مقابلے میں انگریزی زبان والے آگے نکل جاتے ہیں چاہے وہ قابلیت میں کتنے بھی کم کیوں نہ ہوں۔ اسلیے سب سے بڑی سمسیا اس ملک کی یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم میں ان اکوالٹی کو جنم دیا ہے نابرابری کو جنم دیا ہے۔ یہ تبھی ختم ہوگا جب آپ قانون کے دوارا ایجوکیشن کو نیشنلائز کریں گے اور جو آپ نے یہ پرائیویٹ ادارے کھول رکھے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کو بند کریں گے۔

........(انٹرپشن)........

میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے۔ بہترین اچھے ذہن کے نوجوان تعلیم یافتہ ڈاکٹرس انجینیرس ٹیکنیشنس چلے جا رہے ہیں دوسرے

ملکوں کی طرف اور ملک کے اندر جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس نے بیکاری کو جنم دیا ہے بے روزگاری کو جنم دیا ہے اور ملک کے اندر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو انگریزوں نے آپ کو ایجوکیشن کی لیگیسی دی ہے یہ صرف تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو سارے سسٹم سارا نظام بدلنا چاہیئے جس میں کہ ساری منصوبہ سازی ہو پلاننگ ہو صحیح معنی میں کہ کتنے بچے آپ کو ڈاکٹر بنانے ہیں کتنے انجینئر بنانے ہیں کتنے آرٹس کر انڈ آرکیٹکچر میں لینے ہیں۔

میرے خیال میں آپ کو روس سے اور دوسرے ملکوں سے یہ سبق لینا چاہیئے۔ میرے خیال میں اس معاملے میں بھی ہم بہت پچھڑے ہیں۔ آخر میں ایک اور بات کہوں گا۔

— ۔ ۔ انٹرپشن ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری کا ڈسٹارشن کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی کو جنم دے رہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ نواریخ کی کتابوں کے ذریعہ کمیونلزم کو پھیلایا گیا ہے اور انگریزوں نے ہمارے ذہن کو تباہ اور برباد کرنے کے منصوبے باندھے تھے اسے ہم نے ختم نہیں کیا ہے۔ ابھی تک ہسٹری کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس طرف جلدی سے جلدی توجہ دی جائے اور ہسٹری کی کتابوں میں ترمیم کی جائے ۔ ۔ ۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔)

✤

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

(व्यवधान)

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : हम सब बोलना चाहते हैं। यह क्या है ? भारी अन्याय किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आवंटित समय अर्थात पांच घंटे समाप्त हो गए हैं । मैं इसमें मदद नहीं कर सकता ।

श्री उमाकांत मिश्र : हम काफी पहले अपने नाम दे चुके हैं। समय बढ़ाया जाना चाहिए। हम अपने नाम दे चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है कि पांच घंटे का समय दिया जाना चाहिए और वह समाप्त हो गया है ।

श्री उमाकांत मिश्र : हम 9 बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हैं । हम जरूर बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पांजिग्रही (देवगढ़) : यह एक काफी महत्वपूर्ण विषय है और हम सब इसमें भाग लेना चाहते हैं। कृपया समय को बढ़ा दीजिए । (व्यवधान)

श्री उमाकांत मिश्र : समय बढ़ा दिया जाए । हम 9 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें । हमने पहले ही 7.30 बजे म०प० तक बैठने का निर्णय ले लिया है । अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे । मैं और अधिक समय नहीं बढ़ा सकता ।

श्री उमाकान्त मिश्र : हम बैठने के लिए तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मंत्री महोदय की क्या स्थिति है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जल्दी क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए पांच घंटे का समय दिया गया था और यह अवधि पहले ही समाप्त हो गयी है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि हमें बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता तो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री उमाकांत मिश्र : हम रात 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मंत्री महोदय कल उत्तर नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे आज ही उत्तर देना चाहते हैं; कल वे दूसरे सदन में व्यस्त रहेंगे··· कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कृपया देखिए कि इस पक्ष के कितने सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है तथा दूसरे पक्ष के कितने सदस्यों को··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य बोलते जा रहे हैं। कोई भी सदस्य 10 मिनट के समय की पाबन्दी का पालन नहीं करता।

अब, मंत्री महोदय।

मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है, यह बताना चाहूंगा कि मैं उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए सदा तैयार रहूंगा और जब कभी भी मुझे इस बात का पता चलेगा कि कोई ऐसी बात है जिस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं··· (व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : समय क्यों नहीं बढ़ाते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने सुझाव लिखित में दे सकते हैं। मंत्री महोदय ने यही बात कही है।

श्री उमाकांत मिश्र : हम उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने हमें मत दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको शिक्षा के बारे में बोलने के अनेक अवसर मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक विषय पर बोलने का अवसर नहीं मिल सकता है। हमें बोलने वाले सदस्यों की संख्या सीमित करनी पड़ती है। मैं पूरी रात बैठने के लिए तैयार हूं। समस्या तो समय की है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : कुछ सदस्य ऐसे हैं जो प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक विषय पर बोलते हैं। आप अन्य सदस्यों को अवसर क्यों नहीं देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपके सुझाव प्राप्त करने को तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए कभी भी इंकार नहीं किया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यदि हम दो घंटे और बैठ जाएं तो उसमें क्या नुकसान है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मुझे कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए है। वस्तुतः, कार्य योजना के बारे में कोई भी चर्चा अपने-आप शिक्षा नीति सम्बन्धी चर्चा में बदल जाती है और फिर अपने-आप यह शिक्षा संबंधी सामान्य चर्चा में बदल जाती है। ऐसा हुआ है। यह कहना बहुत कठिन है कि कोई अपनी बात कहां समाप्त करता है और कहां कोई अपनी बात शुरू करता है। हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है। वास्तव में मुझे इस पर ज्यादा प्रसन्नता हुई होती यदि सामान्य तौर पर शिक्षा पर, जिसके बारे में हमने संसद में और संसद के बाहर अनेक बार चर्चा की है, की बजाए कार्यक्रम योजना पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता। फिर भी, मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम उस मुद्दे को अर्थात् धनराशि लेना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की चिंता का कारण रहा है, शायद यह पूरी बात का निचोड़ है, यद्यपि मैं ऐसा नहीं सोचता कि धनराशि ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। परन्तु, चूंकि भाषणों में धनराशि को इतना महत्व दिया गया है इसलिए मैं कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि के बारे में सरकार द्वारा किए गए निर्णय के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा।

जहां तक 8वीं योजना का सम्बन्ध हैं, स्वयं नीति में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि 8वीं योजना से आगे तक व्यय में राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत की समान वृद्धि होगी। अब 8वीं योजना और उसके आगे क्या होने जा रहा है उसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। जो कुछ भी संदेह था वह 7वीं योजना के बारे में अर्थात सातवीं योजना की शेष अवधि के बारे में था क्योंकि योजना में सब कुछ बांध दिया गया है। आप अतिरिक्त धनराशि कहां से प्राप्त करेंगे ? उसके बारे में मैं सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहूंगा : जहां तक कार्य योजना के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों का सम्बन्ध है, मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि सरकार नई शिक्षा नीति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए, हम संसाधनों को मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगाने के लिए 7वीं योजना में दिए गए योजना और गैर-योजना व्यय की पूरी समीक्षा कर रहे हैं। यह कार्य चल रहा है। इस बारे में अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम धनराशि जुटा पाएंगे अथवा नहीं।

इसे एक तरफ छोड़ने के बाद, कहने के लिए बहुत कम बात रह जाती है। कुछ थोड़े से मुद्दे उठाए गए हैं, परन्तु वे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बिना किसी कठिनाई के निपटाये जा सकते हैं क्योंकि कार्यवाही योजना पूर्ण अथवा विस्तृत होने का दावा नहीं करती। कार्यवाही योजना में नीति के कार्यान्वयन के बारे में सामान्य दिशा बनाई गई है। कार्यवाही योजना सर्वांगीण नहीं है, यह हो भी नहीं सकती। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ आगे बात की जाएगी, और अनेक ऐसे मुद्दे है जिनके बारे में हो सकता है कि हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी नीति बदलनी पड़े। यदि किसी राज्य में 4+3 पद्धति है और हमने यहां 5+3 की पद्धति ली है, तो यह स्वाभाविक ही है कि एक पद्धति

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

से दूसरी पद्धति पर आने के लिए कुछ तालमेल बैठाना ही होगा। यदि किसी राज्य में कनिष्ट कालेज हैं और दूसरे राज्य में उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं, तो चूंकि नीति में उच्चतर माध्यमिक स्वीकार किया गया है, इसलिए जिन राज्यों में दूसरी पद्धति है तो उनके साथ कुछ तालमेल बैठाना ही होगा। ये सब बातें राज्यों से परामर्श करके तय की जाएगी। यहां सामान्य दिशा बताई गई है जिसमें नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा।

इतना सारा ब्यौरा दिया गया है। जितना भी ब्यौरा दिया गया है वह किसी भी स्तर से कम नहीं है, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह सम्पूर्ण है। जिन सब बातों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया गया है और वह नहीं दिया जा सकता है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे इसका ब्यौरा देना पड़ेगा।

इसलिए, यदि माननीय सदस्यों ने गत तीन दिनों में, जबसे यह प्रपत्र सभा पटल पर रखा गया है, इसमें अंतर्विष्ट ब्यौरों को देखा होता तो शायद आज हम अधिक अर्थपूर्ण चर्चा कर सकते थे। विशेषरूप से एक पहलू है जिस पर शायद यहां बल देने की आवश्यकता है। इस नीति में हमने उससे अधिक बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा है जो कुछ भाषाओं के विशिष्ट मामलों के बारे में 1976 की नीति में कहा गया था क्योंकि 1976 की नीति इतनी परिपूर्ण थी कि 1986 में इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। परन्तु जब कार्यक्रम योजना की बात आती है तो मुझे इस बात का खेद है कि इसके इस भाग की पूरी तरह अनदेखी की गयी है। मैं उसमें से केवल एक अथवा दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, जिनसे यह पता चलेगा कि भाषा के विकास के प्रश्न पर कितना विस्तृत कार्य किया गया है। पृष्ठ 163 पर पैरा 11 इस प्रकार है :

> "त्रिभाषा फार्मूले का कार्यान्वयन पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा है। इसमें मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं : (क) माध्यमिक स्तर पर सभी भाषाओं को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जा रहा है; (ख) कुछ राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर प्राचीन भाषा रखी गई है; (ग) दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए फार्मूले में हिन्दी भाषी राज्यों में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी; (घ) तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन की अवधि भिन्न-भिन्न है; और (ङ) यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि छात्रों को प्रत्येक भाषा में कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए।"

पूरे विश्लेषण, संसद के दोनों सदनों में पूरी चर्चा तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में चर्चा के बाद ये तीन कमियां पाई गई थीं अब उन पर विशिष्ट कार्यवाही की गई है। पृष्ठ 164, पैरा 13 में निम्नलिखित कहा गया है :

> (एक) "केन्द्रीय सरकार को अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये सहायता देना जारी रखनी चाहिए।

(दो) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति पर भारत सरकार की सहायता पद्धति को अनुमोदित व्यय के 100 प्रतिशत तक वहन करना होगा जो कि 1978-79 तक उपलब्ध थी।

(तीन) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना पद्धति के अनुसार हिन्दी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शतप्रतिशत सहायता दी जानी चाहिये जैसा कि त्रिभाषा फार्मूले में सुझाव दिया गया है।"

पहली बार जब इस तरह की नई पद्धति लाई गई है क्योंकि उत्तर भारतीय राज्य, हिन्दी भाषी राज्य हमेशा यह कहते रहे हैं कि वे इन भाषाओं को प्रारम्भ करना चाहते हैं परन्तु उनके पास इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं है। अब, पहली बार केन्द्रीय सरकार यह कह रही है कि वह धन उपलब्ध करायेगी जैसा कि वह हिन्दी शिक्षकों के लिए कर रही है। हम दूसरी भाषाओं के लिए भी शिक्षकों के लिए भी धन की व्यवस्था करेंगे। पुन: पृष्ठ 164 पैरा (चार) में निम्नलिखित बताया गया है :

(चार) "राज्यों में हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अलावा····"विद्यमान शिक्षण प्रशिक्षण कालेजों मे भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने और इनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(पांच) भाषा शिक्षण को सरल बनाकर, विशेषकर भाषा शिक्षण के प्रणाली विज्ञान और संगणक और नवीन संचार प्रौद्योगिकी में उपयोग अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए मन्त्रालय के भाषा संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिए।"

अब मुझे नहीं पता कि इसमें वास्तव में कमी क्या है। जिन सभी कमियों का पता लगाया गया था उन संस्थानों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। पृष्ठ 165 पैरा 20 में निम्नलिखित बताया गया है :

"केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान बंगलौर और एच० एम० पटेल अंग्रेजी संस्थान, बल्लभ विद्या नगर ने अनुरोध किया है कि (एक) छात्रों की भाषा योग्यता को नियमित अध्ययन के कार्य में सहयोग करें; (दो) विभिन्न भाषाओं के शिक्षण के लक्ष्यों को उल्लिखित करने के लिए अध्ययन आरम्भ करना और (तीन) 12 कक्षा पास करने वाले भारतीय छात्रों के अंग्रेजी भाषा की निपुणता को निर्धारित करने के उद्देश्य से भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए ब्यूरो एन० सी० आर०टी०, क्षेत्रीय

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अंग्रेजी भाषा संस्थान, बंगलौर, सी० आई० ई०एफ०एल० हैदराबाद, एच० एम० के० पटेल अंग्रेजी भाषा संस्थान, बल्लभ विद्या नगर के अनुरोध पर विकसित अंग्रेजी भाषा निपुणता परीक्षा के प्रयोग की सम्भावना पर विचार करना।"

सभी भाषाओं के संदर्भ में वैसा ही किया जा रहा है क्योंकि हम सभी भाषाओं में सक्षमता चाहते हैं—न कि उस भाषा सिर्फ औपचारिक परिचय और दूसरे ही दिन उस भाषा को भूल जाना। मैं नहीं समझता कि पूरा बल देने पर कैसे किसी भाषा के पढ़ाये जाने को यह कहा जा सकता है कि उसकी उपेक्षा कर दी गई। कही जा सकती है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें निश्चित ही सुधार कर सकते हैं क्योंकि हम अपने अनुभव से सीखते हैं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे कोई शक नहीं है हम सीखेंगे और किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जो भी आवश्यक है, लायेंगे। अब हर विषय पर विशिष्ट कार्यवाही की सिफारिश की गई है और प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय ले लिया गया है। हर पृष्ठ पर विशिष्ट कार्यवाही से सम्बद्ध पैरा दिए गए हैं। पूरे कार्यक्रमों का आधार और उस कार्यक्रम पर विशिष्ट कार्यवाही नीति के सभी विषयों और सभी मुद्दों पर सुस्पष्ट तरीके से इसमें दी गई है।

मैं समझता हूं ये ही कुछ उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। परन्तु कुछ और भी मुद्दे उठाये गये हैं जैसे कि यह प्रश्न किया गया कि इस कार्यवाही योजना को सभा का अनुमोदन क्यों होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हमने किया है हमने इसे सभा के समक्ष रखा है और सदन ने इसकी पुष्टि की है और मैं नहीं समझता कि सदन ने इस नीति का समर्थन किया है तो वह इस कार्यवाही योजना की पुष्टि क्यों नहीं करता। मैंने सदन में एक वक्तव्य दिया था कि अगले तीन या चार महीनों में हम योजना लायेंगे और उसे संसद के समक्ष रखेंगे। अब मैंने इसे संसद के समक्ष क्यों रखा है? क्या सिर्फ सूचना के लिए, क्या सिर्फ इस पर चर्चा करने के लिए? मैं निश्चय ही यह चाहूंगा कि इस कार्यवाही योजना का सदन द्वारा अनुमोदन होना चाहिए ताकि इसका अनुमोदन मेरे पास रहे और जहां कहीं मुझे इसके कार्यान्वयन के लिए जाना हो जाऊं। मैं राज्य सरकार के पास जा सकता हूं हम स्थानीय संस्थाओं के पास जा सकते हैं, मैं योजना आयोग के पास जा सकता हूं, मैं ऐसी किसी भी जगह जा सकता हूं जहां मुझे इसके कार्यान्वयन के लिए कुछ सहयोग की आवश्यकता हो। और जब मैं कार्यवाही योजना का कार्यान्वयन कर रहा हूं तो मैं इस अनुमोदन से लैस हूं। इसलिये इसे मैंने न केवल सदन के समक्ष एक दस्तावेज के रूप में ही रखना आवश्यक समझा परन्तु इस दस्तावेज का अनुमोदन भी मांगा है।

जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है वह प्राथमिकताओं के बारे में हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्राथमिकताएं क्या हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। प्राथमिकताएं नीति में ही अत्यन्त स्पष्ट रूप में बताई गई हैं। यदि आप प्राथमिकता के अन्तिम पैरा को देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहने का "आधार" से मेरा अभिप्राय क्या है? अपने प्रारम्भिक शिक्षा और निरक्षरता का उन्मूलन ही 'आधार' है और उच्च तकनीकी संस्थानों को मद्देनजर रखते हुए मशीनें,

उपकरण, प्रत्येक चीज बड़ी तेजी से पुराने हो रहे हैं। वास्तव में यह अब पुराना हो गया है। इस तरह के संस्थाओं को, पुरानी मशीनों से चलाने के बजाय उन्हें बन्द करना ज्यादा बेहतर है। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यवसायिकरण भी प्राथमिकता एक क्षेत्र है। माननीय सदस्यों ने विगत में चर्चा के दौरान इस पर बल दिया है। सरकार इसे एक महत्वपूर्ण पहलू मानती है। दूसरे सभी पहलुओं के सम्बन्ध में हम निश्चय ही समेकन के लिए धन की व्यवस्था करेंगे। परन्तु जैसा कि मैंने सदन को पहले ही सूचित किया है कि इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होने जा रहा है। यह नहीं कि इस पर किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं होगा। यह विस्तार होगा परन्तु समेकन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब वह समेकन कैसा होगा, वस्तुतः कार्यवाही योजना में यह तैयार कर लिया गया है और जहां तक संभव होगा यह किया जायेगा। परन्तु विस्तार और समेकन के बीच के अन्तर को भी स्पष्ट रूप से लाया गया है, यदि कोई इस दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़े तो दस्तावेज की विषय सूची में यह देखने को मिलेगा। परन्तु यदि अभी भी इस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, हम इसे उसे स्पष्ट करेंगे। इसलिये प्राथमिकताएं बता दी गई हैं और मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि नीति में दी गई प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जायेगा।

नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी प्राथमिक शिक्षा आदि के मामले में भी वैसी ही प्राथमिकता दी गई है। इसलिये मैं सभी प्राथमिकताओं को दोहराना नहीं चाहता हूं। वे सब उसमें है और वास्तव में हम नीति दस्तावेजों में दी गई प्राथमिकताओं को छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यदि कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसका वास्तव में मुझे पता नहीं। हो सकता है···

श्री पी० कलनवईवेलु : राज्य सूची।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नीति सम्बन्धी विवरण में, नीति दस्तावेजों में यह भी अच्छी तरह से दिया हुआ है। अब इसे वापस उसी स्थान पर ले जाने में, जहां से इसे लिया गया था, काफी विलम्ब हो गया है। अब हमें इसे समवर्ती सूची में ही रखना होगा। समवर्ती सूची का अर्थ राज्य से उसकी शक्तियों को छीनना नहीं है। समवर्ती सूची में एक सार्थक साझेदारी अपेक्षित होती है। इसमें भागीदारी है जिसमें केन्द्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में मुख्य प्रमुख भूमिका निभाती है जबकि शिक्षा के प्रशासन का भाग राज्य क्षेत्र में रहता है। यह स्पष्ट वर्गीकरण है। मैं इसे दोहराना चाहूंगा क्योंकि कुछ सदस्यों ने यह बात कही है इसलिए मैं यह कह रहा हूं। लेकिन इसे राज्य सूची में नहीं लिया जाएगा। इसके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। नीति दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए तरीके से इसमें केन्द्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा मैं समय-समय पर इस सदन को, संसद को विश्वास में लेता रहूंगा। परन्तु इस प्रकार का बड़ा दस्तावेज संसद के समक्ष रखा गया है वैसा बार-बार नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जो कोई चीज सदस्य चाहते हैं हम उन्हें वह जानकारी देने के लिए तैयार हैं। सदस्य जो भी सुझाव देना चाहेंगे हम वह सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। परन्तु जहां तक दस्तावेज का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इसके बाद हम इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देंगे और सदन के समक्ष पुनः ज्यादा दस्तावेज नहीं लाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं तीन सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को सभा के मतदान के मत के लिए रखूं या आप इन्हें अलग-अलग रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों पूरा हो गया समय। यह हमारा समय है। यह समय हमारे लिए क्यों नहीं है। हम यहां बढ़े हुए समय में बैठे हैं और आप हमें समय नहीं दे रहे हैं। उत्तर के बाद भी हमारे प्रश्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : आप सभी संशोधनों को एक साथ रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तीन सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकार हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, 8 अगस्त, 1986 को सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 संबंधी कार्यवाही योजना का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.50 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 22 अगस्त, 1986/31 श्रावण, 1908 (शक) को 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर दिल्ली-53